राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का इकसठवां दिवस [संख्या: 23

सोमवार,

24 अप्रैल 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार।

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित यामिनीं।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीं।
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

श्री अध्यक्ष: धौलपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्रीमती शोभारानी शपथ ग्रहण करेंगी।

नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान

(माननीय सदस्य ने उनके नाम के सम्मुख अंकित भाषा में शपथ ग्रहण की/प्रतिज्ञान किया।)

सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
श्रीमती शोभारानी (धौलपुर)	शपथ	हिन्दी

श्री अध्यक्ष: बहुत बहुत बधाई।

संदेश

राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 02 मार्च, 2017 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है:-

'अ.शा. पत्र क्रमांक- प.17(5)राभ/2016/3045, दिनांक 12 अप्रैल, 2017

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका अर्द्ध शासकीय पत्रांक: एफ.10(1)सदन/विधान सभा/2014-17/8345, दिनांक 02 मार्च, 2017 प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिये मैं उनका आभारी हूं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें।

सादर।

सद्भावी,

कल्याण सिंह'

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री शुभकरण चौधरी।

प्रदेश के राजकीय कार्यालयों में फाइल मानिटरिंग सिस्टम चालू करने की योजना

503. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में फाइल मोनिटरिंग सिस्टम चालू किया गया है? यदि हां, तो अब तक उक्त सिस्टम किन-किन विभागों में चालू किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भविष्य में समस्त सरकारी कार्यालयों में फाइल मोनिटरिंग सिस्टम चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) (सूचना पौद्योगिकी एवं संचार मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। सरकारी दफ्तरों में फाइल मानिटरिंग सिस्टम चालू किया है। अब तक 75 विभागों में लागू किया जा चुका है। जिसका विवरण अनुलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार के अन्य विभागों में उपलब्ध तकनीकी/आई.टी. संसाधनों के दृष्टिगत चरणबद्ध रूप से किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सुगम पोर्टल की तर्ज पर सरकार कोई ऐसा पोर्टल बनाने का विचार रखती है जिससे आम आदमी अपने से संबंधित किसी भी काम की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। फाइल का स्टेटस कहां है, उसकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में वह जानकारी प्राप्त कर सके। सचिवालय में चल रहे 54 विभाग जिनका आपने यहां जिक्र किया है, इन 54 में से 21 विभाग ही सचिवालय से बाहर फाइल मोनिटरिंग सिस्टम से संबंधित है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार इन 54 विभागों को जिन्होंने सचिवालय में फाइल मोनिटरिंग सिस्टम चालू किया है, वह पूरे के पूरे विभाग क्या सचिवालय से बाहर भी फाइल मोनिटरिंग सिस्टम चालू करने का विचार रखते हैं? फाइल मोनिटरिंग सिस्टम को जोड़ने की सरकार की क्या इस प्रकार की कोई मंशा है? साथ ही मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि फाइल मोनिटरिंग सिस्टम जहां जहां भी चालू है क्या आम जनता को उससे कोई राहत मिली है? पुराने और नये ढ़र्रे में कोई फर्क आया है? अगर वाकई में जनता को इससे कोई राहत मिल रही है तो इस जनोपयोगी सिस्टम को, जब हमने आई टी सेंटर से संबंधित कम्प्यूटर आपरेटर और सूचना सहायक सरकार ने भर्ती कर ही लिये हैं तो क्यों नहीं यह फाइल मोनिटरिंग सिस्टम हर विभाग में और हर जगह पूरे राजस्थान में चालू किया जाये? इसके बारे में मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने मूल उत्तर में कहा है अब तक फाइल मोनिटरिंग सिस्टम, फाइल ट्रेकिंग सिस्टम 75 विभागों में चल रहा है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने इस बार बजट में घोषणा की थी कि आगामी वर्ष में सभी प्रमुख विभागों में यह फाइल ट्रेकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश अब ई गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया की बात माननीय प्रधान मंत्री जी कर रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी डिजिटल राजस्थान की बात कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह मैंने पहले कहा कि यह जो फाइल ट्रेकिंग सिस्टम है, इसका शुभारंभ हुआ था 2011 में और 2013 तक इससे सिर्फ 16 विभाग जुड़े थे, 2017 तक 75 विभाग इससे जुड़े हैं और अब तक 59 लाख ट्रांजेक्शन इन फाइल ट्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से अलग अलग हुए हैं।

माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि इसका सिस्टम क्या होगा? राजस्थान सरकार ने राज ई-आफिस के नाम से एक माड्यूल बनाया है। यह इंटरनेट आधारित सॉफ्टवेयर है। इस राज ई-आफिस में फाइल ट्रेकिंग सिस्टम को भी इंट्रोड्यूज किया गया है। अब फाइल की मूवमेंट की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से कोई भी अपनी फाइल के बारे में मालूम कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह सही है पहले फाइल का सिस्टम मैन्युअल था। यह फाइल डीलिंग क्लर्क से लेकर सैक्शन आफिसर से लेकर, असिस्टेंट सैक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी होते होते आगे बढ़ती थी। अब किस मुकाम पर यह फाइल कितने दिन रुकी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब जब यह नया सिस्टम इंट्रोड्यूज हो रहा है, 75 विभागों में ऑलरेडी हो चुका है तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति देख सकेगा कि उसकी फाइल कहां कहां है। नंबर दो बात, फाइल किस जगह पर कितने दिन उसकी पेंडेंसी रही, उसकी जानकारी भी उसमें है। इन 75 विभागों में जो फाइल आयेगी उन सबका राजस्थान ई-आफिस में हरेक फाइल का रजिस्ट्रेशन होता है। हरेक फाइल का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उस फाइल का मूवमेंट भी आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर एक नवाचार है। अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, अभी राजस्थान में जो राजस्थान सम्पर्क पोर्टल है, आज पूरे राजस्थान में ग्रिवेन्सेज रिड्रैसल के लिये प्रमुख रूप से पूरे राजस्थान के लोग उसे एक्सेस कर रहे हैं और उसका लाभ भी हो रहा है। इसी तरह इससे भी निश्चित तौर पर जो एक गुड गवर्नेंस की बात हो रही है और जो पेपरलैस गवर्नमेंट की बात हो रही है, जो ट्रांसपेरेंसी से सारे काम को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, इससे आगे बढ़ेगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं इस बजट में कहा है आगामी वर्ष यानी इसी वित्तीय वर्ष में राजस्थान के सभी प्रमुख विभागों में हम यह फाइल ट्रेकिंग सिस्टम लागू करेंगे और आज की तारीख में राज ई आफिस के माध्यम से 75 विभागों में रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है। यह सिस्टम आज की तारीख में 75 विभागों में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। राजस्थान के सचिवालय से इतर भी जितने भी विभाग होंगे शनैः शनैः यह पूरे जिलों में भी जाएगा और सभी जगह फाइल ट्रेकिंग सिस्टम और ई-गवर्नेंस के माध्यम से पेपरलैस गवर्नमेंट की ओर सरकार का एक अच्छा प्रयास है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, इस टेक्नोलाजी को चालू करने के लिये क्या किसी अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है? अगर है तो सरकार ने क्या बजटीय प्रावधान किये हैं और किस किस विभाग में कितना कितना बजट उपलब्ध करा कर किस किस विभाग में ऑन लाइन मोनिटरिंग सिस्टम चालू करना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर देखा जाए तो राजस्थान में मोटे तौर पर 175 से ज्यादा मुख्य विभाग हैं। अब एक एक विभाग में किसमें कितना कितना पैसा खर्च हुआ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा। पर मैं यह आश्वस्त कर रहा हूं चूंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी की बजट में घोषणा है, इसमें आवश्यक बजटीय प्रावधान किये जाएंगे और आगामी वित्तीय वर्ष से पहले पहले जब हम दुबारा बजट लेकर आएंगे तो पूरे राजस्थान में यह सिस्टम चालू हो जाएगा। इसका मोड्यूल बना दिया गया है, इसका

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सॉफ्टवेयर बना दिया गया है। राज ई-आफिस के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक। श्री सुखराम जी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत जानना चाहूंगा कि जो 75 विभाग हैं, इनमें फाइनल अथोरिटी के पास फाइल जाएगी तो वह कितने दिन लगाएगी? नीचे स्टाफ कितने दिन लगाएगा? कितनी समय-सीमा तय की है? फाइल मोनिटरिंग सिस्टम लागू होने के बाद उसकी पालना विभाग ने की या नहीं की? क्या आपने इसकी मोनिटरिंग की या नहीं की?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हर पत्रावली का अलग-अलग नेचर है। किसी पत्रावली के अंदर समय-सीमा आज तय कर दें। मान लो एक पत्रावली एक घंटे में भी एक एस.ओ. से असिस्टेंट सैक्रेटरी के पास जाए। समय-सीमा की कोई बात नहीं, पर इसमें जो प्रिंसिपल सैक्रेटरी है, जो विभाग का विभागाध्यक्ष है, उसकी जानकारी में रहेगी और उसको हिदायत देकर कि फाइलों में अनावश्यक विलंब नहीं हो, मुख्य मंत्रीजी ने ये निर्देश सभी विभागाध्यक्षों को दे रखे हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): समय के बिना क्या मोनिटरिंग है? समय-सीमा तय नहीं है आपकी तो मोनिटरिंग किस बात की है? समय-सीमा ही तय नहीं है आपकी।

श्री अध्यक्ष: आप बैठो। जवाब आ रहा है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कहां दे रहे हैं? जवाब कहां दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: दे देंगे धीरे-धीरे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया है। चूंकि, यह शनै: शनै: कई चरणों में आगे बढ़ रहा है। पहले चरण में इसमें 54 वे विभाग हैं, जो राजस्थान के सचिवालय में हैं और 21 वे विभाग हैं जो सचिवालय के इतर दूसरी जगह पर हैं। यह धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह प्रायोगिक तौर पर है, पूरे राजस्थान में इसको लागू करेंगे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): एक विभाग की समय-सीमा तो..। समय-सीमा नहीं बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, ये नहीं। आप बैठिए। जवाब आ रहा है। आप बार-बार उठकर..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य ने एक सुझावात्मक बात कही है कि समय-सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए तो निश्चित तौर पर इस पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा। पूरक प्रश्न नंबर दो।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि फाइल मोनिटरिंग सिस्टम में क्या जिला कलेक्ट्रेट और स्थानीय निकाय और यू.आई.टी. को भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहां पर फाइल संबंधी कार्य बहुत अधिक मात्रा में रहता है। क्या इन विभागों को भी इससे जोड़कर फाइल मोनिटरिंग सिस्टम करवाया जाएगा?

साथ ही, बूंदी एवं कुछ जिलों में मिड-डे-मील की मोनिटरिंग एस.एम.एस. द्वारा करने की व्यवस्था की गई है। क्या प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसकी व्यवस्था की जाएगी?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह मैंने पहले निवेदन किया है। यह शनै: शनै: अगले चरण में..। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि एक वर्ष के अंदर पूरे राजस्थान में लागू करेंगे और जब राजस्थान में लागू करेंगे तो उसका मकसद सिर्फ यही नहीं कि राजस्थान की राजधानी के सचिवालय में लागू करें। यह हमारे जितने भी दूसरे इतर कार्यालय हैं, उनके अंदर भी हम इसको लागू करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज 40 हजार ई-मित्र राजस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज राजस्थान में इस सरकार के रहते सारे अटल सेवा केंद्र इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। जिस तरह मैंने कहा कि 'राजस्थान सम्पर्क' पर अब तक 12 लाख 47 हजार 955 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 11 लाख 41 हजार 730 शिकायतों का निस्तारण हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मोबाइल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एप्लीकेशन से बिजली-पानी के बिल जमा हो रहे है और इसके अलावा डिजीटल स्पेस आम आदमी को राजस्थान की सरकार ने मुहैया कराया है, राज ई-वैल्ट के माध्यम से। यह सारा काम ई-गवर्नेंस की ओर बढ़ने का जिस प्रकार का प्रयास है, उसी का परिणाम है।

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगले चरणों के अंदर हम इसे जिलों में भी लेकर जाएंगे ओर पूरे राजस्थान के अंदर सारे प्रमुख विभागों में इसको लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मेरा आ गया ।

श्री अध्यक्ष: आ गया। अगला प्रश्न श्री कल्याण सिंह चौहान।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न मेरा भी था, तीसरा।

श्री अध्यक्ष: तीसरा। वो तीसरा था। चलो, अब तीसरा कर लो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपने आज दया कर दी, आपको धन्यवाद और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: शोर्ट में कीजिए आप। लंबा-चौड़ा मत कीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): शार्ट में इसलिए कर रहा हूं कि सरकार ने अच्छा काम किया है और इस अच्छे काम की जानकारी लोगों को होनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपने फाइल ट्रेकिंग सिस्टम तो लागू कर दिया, लेकिन उस फाइल ट्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से जनता को राहत कैसे पहुंचे? इसके बारे में यदि प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी अधिकारी तीन दिन से ज्यादा पत्रावली अपने पास पैंडिंग नहीं रखेगा। क्या आपने उस पर विचार किया? ट्रैकिंग हो गई, उस पर लिख दिया 'प्लीज स्पीक' कृपया चर्चा करें। नीचे वाले के पास फाइल पड़ी रह गई कि कृपया चर्चा करें। तो साहब वो चर्चा करने के लिए जब बुलाएंगे, तब मैं जाऊंगा। वे न चर्चा करने के लिए बुलायेंगे, न व जाएंगे। तब तक ये बहुत सारी फाइलें

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

पैंडिंग रहती है। यह पूरी प्रकिया है। इस पूरी प्रकिया को और इस सिस्टम को ठीक करने के लिए ही यह फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अपने स्तर पर यह देखते हैं कि तीन दिन से ज्यादा पत्रावली किस के पास पैंडिंग है? क्या आपका सचिव यह देखता है कि आठ दस दिन, पंद्रह दिन, बीस दिन या महीने भर से फाइल किस के पास पैंडिंग है और किसलिए पैंडिंग है। 'कृपया चर्चा करें' में फाइल क्यों पैंडिंग है। 'प्लीज स्पीक' में फाइल किस के पास पैंडिंग है? इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए आप अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसमें अलग-अलग निर्देश जारी कर रखे हैं और कितने दिनों में पत्रावली का निस्तारण हो, इसके बारे में समय-सीमा भी बाँध रखी है। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि फाइल ट्रैकिंग सिस्टम के साथ प्रशासनिक सुधार आयोग की जो भी सिफ़ारिशें होगीं, हम उनको जोड़कर इसका फ्रूटफुल मैकेनिज्म तैयार करेंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप स्वयं करेंगे क्या, साहब? As a मंत्री आप स्वयं करेंगे?

श्री अध्यक्ष: नो, नो। हो गया।

प्रश्न संख्या 504

श्री कल्याण सिंह चौहान, अगला प्रश्न कीजिए। प्रश्न संख्या 504

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 505

श्री जोगाराम पटेल, प्रश्न संख्या 505.

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री हीरालाल (निवाई): ये ब्यूरोक्रेट्स 'प्लीज स्पीक' लिखकर उस फाइल को डम्प कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं। ये नहीं। इस तरह नहीं।

नवीन मण्डी यार्ड, गंगापुर सिटी के विस्तार हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

506. श्री मान सिंह (गंगापुर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नवीन मण्डी यार्ड गंगापुर सिटी के विस्तार हेतु 64 बीघा भूमि की अतिरिक्त अवाप्ति की गई थी, जिसका नामान्तरण कृषि उपज मण्डी के नाम खुल चुका है?

(2) क्या यह भी सही है कि किसानों को उक्त जमीन के पेटे मुआवजा बहुत कम दिया गया है और किसानों द्वारा इसे अब तक स्वीकार नहीं किया गया है? यदि हां, तो सरकार इसके निस्तारण हेतु क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि किसानों को दिये जाने वाला मुआवजा कम है? यदि हां, तो क्या सरकार नई नीति के तहत किसानों को 15 प्रतिशत भूमि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): (कृषि विपणन मंत्री के स्थान पर (1) जी हां।

(2) जी नहीं। किसानों को उक्त भूमि के पेटे मुआवजा नियमानुसार दिया गया है। निर्धारित मुआवजा राशि के चैक मण्डी समिति द्वारा नियमानुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी को भिजवा दिये गये है। विभागीय स्तर पर इसके निस्तारण की कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। किसानों को अवाप्त की गई भूमि के पेटे नियमानुसार मुआवजा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि 1984 में जिस जमीन को अवाप्त किया गया और 2003 में जिसका अवार्ड घोषित किया, आज तक उन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है। उन मुआवजों के चैक एस.डी.एम. कोर्ट में पड़े हुए हैं और उनको भी रिकॉर्ड पर 2015 में लिया गया है। ऐसी स्थिति में जहां मण्डी यार्ड के अंदर व्यापारी परेशान हैं। व्यापारियों की दो

(श्री मान सिंह)

जगह नीलामी होती है, सरकार को दो जगह दफ्तर चलता है, दो जगह नीलामी होती है और एक तरफ किसान मुआवजे के लिए भटक रहा है। तीसरी तरफ, सरकार का डबल खर्चा हो रहा है। दो-दो ऑफिस चल रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करके एक कमेटी का गठन करे और किसानों के साथ बैठकर इसका निर्णय करें, जिससे किसान को फायदा हो व्यापारी को फायदा हो, सरकार को फायदा हो। सरकार क्यों इस मामले को लंबित करना चाहती है?

अध्यक्ष महोदय, मेरा इस मामले में निवेदन है कि सरकार ने इससे पहले इसी प्रकार के कई मामलों के अंदर..। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, सरकार का खुद का 2008 का आदेश है, इसके अंदर सरकार ने तय किया है कि जिन किसानों मुआवजा नहीं लिया है, उनको 20 प्रतिशत आवासीय और 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि देने का निर्णय सरकार ने अपने स्तर पर किया है। वह मण्डी समितियों पर भी लागू है। क्या गंगापुर के किसान जिन्होंने मण्डी को जमीन दी है, 64 बीघा जमीन वहां पर पड़ी हुई है। उस जमीन पर आज भी किसान क़ाबिज़ है। किसान खेती कर रहा है। सरकार तीन बार उस पर टेण्डर कर चुकी है, लेकिन सरकार का कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार किसानों के साथ बैठकर समझौता करे और समझौता करके व्यापारियों को लाभ दे, क्योंकि दो जगह माल बिकता है, नई मण्डी में जाता है, पुरानी मण्डी में जाता है। पुरानी मण्डी शहर के बीचोबीच है। जहां पर रास्तें में किसानों को दिक्कत आती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न कीजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगापुर सिटी मण्डी थी, उसके एक्सटेंशन के लिए 15.89 हैक्टेयर भूमि अवाप्त करने के लिए धारा-6 के अंदर कार्यवाही की गई। इस अवाप्ति में 25 खातेदार थे, उनमें 7 हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट से सरकार के पक्ष में 30.5.2003 को फैसला हो गया। अवार्ड 15.11.2000 को जारी कर दिया। मण्डी समिति ने इसका कब्जा ले लिया। मण्डी के नाम इसका म्यूटेशन हो गया। अवार्ड के मुआवजे में 11 काश्तकार हैं। एडीजे कोर्ट में

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

2004 में रेफरेंस दिया, जिसका फैसला भी सरकार के पक्ष में आ गया। अवार्ड की राशि 10 लाख 15 हजार 275 रुपए है। इसके सारे चैक काट दिए गए। ये चैक अधिकारी के पास तीन बार भेजे गए हैं। लेकिन किसान उसको नहीं ले रहे हैं।

इसके बीच में से 1.97 हैक्टेयर मण्डी यार्ड के लिए जमीन, मण्डी के पास थी, उस पर सब्जी मण्डी भी बन गई है। इसके अलावा 300 मीटर में उसमें चार दीवारी भी बन गई है। इस कारण से कुछ लोग इसके बाद हाई कोर्ट चले गए। मामला अभी हाई कोर्ट में पेंडिग चल रहा है। हाई कोर्ट जो निर्णय देगा उसको हम लागू करा देंगे।

आपने यह कहा कि अभी नई नीति के अंदर 20 परसेंट कामर्शियल, 5 परसेंट और 20 परसेंट रेजीडेंशियल जमीन, वह केवल उस कंडीशन में दे सकते हैं, अगर अवार्ड जारी नहीं किया और चैक नहीं कटे हो। यह तो कब्जा भी ले लिया और इसके अंदर कुछ पार्ट पर बन भी गई। इसलिए जिसका अवार्ड जारी हो गया, भूमि अवाप्त हो गई, उस पर नई नीति में कवर नहीं हो सकते। हां, माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा उसके मुताबिक मण्डी समिति इसको निश्चित तौर पर उसको डील करेगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री खेमाराम।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। इसी प्रकार का सेम केस जोधपुर....

श्री अध्यक्ष: मानसिंह जी, अदालत में पेंडिंग है, अदालत का फैसला आने पर, इस पर हो जाएगा।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, इसके बाद का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 2013 तक जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है और उनकी जमीन अवाप्त हुई है, उनको भी सरकार इसमें रिलीफ देगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष: यह मुद्दा अभी...

श्री मान सिंह (गंगापुर): इसमें मंत्रीजी यह घोषणा करें कि क्या किसानों के साथ में बात नहीं की जा सकती?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी ने घोषणा कर दी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): उनके साथ बैठ कर फैसला करें। उसमें सरकार इंटरवीन करे।

श्री अध्यक्ष: अदालत के फैसले के अनुसार होगा।

अगला सवाल। श्री खेमाराम।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, किसानों ने ऐसा कौनसा गुनाह किया है, व्यापारी ने ऐसा कौनसा गुनाह किया है कि हम उनसे बात नहीं कर सकते? बात तो स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: अदालत का फैसला आ जाए उसके बाद। श्री खेमाराम।

चूरू जिले में प्लान्टेशन के कार्यों पर व्यय राशि

507. श्री खेमाराम (सुजानगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चूरू जिले में वर्ष 2013 से 2017 तक प्लांटेशन के क्या-क्या काम कितने-कितने राशि के किये गये? ग्रामवार तथा कार्यवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2017-8 में कहां-कहां कौन-कौनसे कितनी राशि के कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं? कार्य वार, ग्राम वार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) चूरू जिले में कार्यालय उप वन संरक्षक चूरू द्वारा वर्ष 2013 से 2017 तक की अवधि में कराये गये वृक्षारोपण कार्यों एवं उन पर व्यय की गई राशि का ग्राम वार व कार्य वार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ए' अनुसार है।

(2) चूरू जिले में कार्यालय उप वन संरक्षक चूरू द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में कराये जाने वाले कार्य एवं स्वीकृत राशि का ग्राम वार व कार्य वार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'बी' अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो आंकड़े बताए गए हैं उन आँकड़ों को देखते हुए, मैं स्वयं वहां कुछ क्षेत्रों में गया हूं। मैंने वहां देखा है कि जो पौधे इन्होंने लगाए हैं उसमें से अधिकांश पौधे तो हैं ही नहीं। अब इन्होंने यह नहीं बताया कि कितने पौधे जीवित हैं। उसमें अधिकांश पौधे मर गए हैं। हैं ही नहीं। लगे कि नहीं लगे, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि आप उन पौधों को क्या विडियो ग्राफी के द्वारा या कोई थर्ड पार्टी के द्वारा उसकी जांच कराने की मंशा रखते हैं? उनको सुरक्षित रखने के लिए आपने क्या-क्या उपाय किए हैं, पानी की, खाद की, और की? कृपया बताने का श्रम करें?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो आंकड़े हैं, वृक्षारोपण का कार्य हुआ है, सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र में, तहसीलवाइज हम कर रहे हैं। सुजानगढ़, चूरू, सरदारशहर, रतनगढ़, राजगढ़ और तारानगर। सुजानगढ़ तहसील है उसके अंदर, 2014-15 के अंदर मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, 70 से 80 प्रतिशत सर्वाइवल रेट है, 2015 में 75 से 80 परसेंट सर्वाइवल रेट है, 2016 के अंदर 80 से 90 परसेंट। मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे फीगर्स दिए हैं वह मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक महोदय को बताना चाहूंगा। माननीय सदस्य को मैंने सर्वाइवल रेट के बारे में परसेंटेज दिया है, यदि आपको किसी तरह का डाउट है कि यह सर्वाइवल रेट नहीं है, तो मैं इसकी आवश्यक जानकारी करके आपको सूचित कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न करना है दूसरा? आ गया जवाब, बढ़िया आ गया। पूरक प्रश्न, श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि राजगढ़..

श्री अध्यक्ष: यह चूरू का मामला है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): चूरू में है राजगढ़।

श्री अध्यक्ष: चूरू में है राजगढ़?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हां।

श्री अध्यक्ष: बोलिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिए हैं कि 75-80 प्रतिशत पौधे जीवित हैं, मंत्री महोदय, क्या आपने भौतिक सत्यापन, किसी भी उच्चाधिकारियों से इन जीवित पौधों के बारे में करवाया है? कब-कब करवाया है? अध्यक्ष महोदय, अगर नहीं करवाया तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि, आपको जो इन्होंने आंकड़े बताए हैं उसके 20 प्रतिशत पौधे भी जीवित नहीं हैं। 2013 से 2017 के बीच मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2-4 ब्लाक में रिकार्ड बताया, घनाऊ और चंनाना, भम्भाड़ा का 01 करोड़ 26 लाख रुपये का व्यय किया है, आप उसका भौतिक सत्यापन और जांच कराएं। अगर वहां 26 लाख का भी काम हुआ हो और पौधे जीवित मिल जाएं तो आप जो कहें, वह हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरीके के आंकड़े सदन में अगर वह पेश करते हैं तो आप इसकी विशेष टीम गठित करके, इसकी जांच कराएं कि 2013 से 2017 तक कितने पौधे जीवित हैं और इनकी परसेंटेज क्या है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी एक प्लानिंग और मानीटरिंग कमेटी है जिसके हैड सीसीएफ है। उसके अंदर डीसीएफ और डिवीजन के रेंजर्स आते हैं। पौधों का एक से पांच साल का मेंटीनेंस होता है।

माननीय सदस्य ने कहा कि आपकी सर्वाइवल रेट 20 परसेंट है। मैं प्लानिंग व मानीटरिंग कमेटी को निर्देश देकर, इसका सत्यापन प्राप्त करके, माननीय सदस्य को जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। अगला प्रश्न। श्री जगदीश नारायण।

जमवारामगढ़ में उद्योग लगाने की योजना

508. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु कोई उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): उदारीकृत आर्थिक वातावरण में उद्योग स्थापित करने एवं उसके स्थान का निर्णय निवेशक द्वारा तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता के आधार पर लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सीधे उद्योग स्थापित नहीं किये जाते है। राज्य में उद्यम सहयोगी नीतियों के माध्यम से सकारात्मक वातावरण सृजित किया जाता है, उद्योग स्थापित करने पर राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार सहायता/सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, नम्बर एक।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि सरकार सीधा उद्योग नहीं लगाती है। उद्योग तो निवेशकों के द्वारा लगाए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, यह बात सही है, सरकार सीधे उद्योग नहीं लगाती लेकिन सरकार कम से कम उस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र तो घोषित करती है। जब औद्योगिक क्षेत्र घोषित होगा तो निवेशक वहां उद्योग लगाने के लिए आएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ जयपुर से मात्र 10 किलोमीटर दूरी से शुरू हो जाता है। जबकि बहुत से विधान सभा क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाकर उनका विकास किया जा रहा है। जमवारामगढ़ में इस बात की कमी है। मैं मानता हूं कि यदि उस क्षेत्र को औद्योगिक रूप से घोषित किया जाता है तो हमारे प्रवासी राजस्थानी और बहुत से निवेशक हैं, जयपुर के नजदीक होने की वजह से वहां आकर्षित होंगे। अपना उद्योग लगाना चाहेंगे। उद्योग लगाएंगे तो उस क्षेत्र में जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है उस समस्या का समाधान होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो चुकी है। उसकी वजह से जो किसान खेती कर रहा था वह लगभग खेती को बंद कर चुका है। जमीन बंजर होती जा रही है। सरकारी जमीन भी प्रचुर मात्रा में पड़ी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार उस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसके बारे में नीति बनाने जा रही है?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय। सुझाव अच्छे आए हैं, आप भी उसमें कुछ जोड़ दीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं करती है। किसी क्षेत्र विशेष के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया जरूर डवलप कर सकती है। जहां तक जमवारामगढ़ का ताल्लुकात है, माननीय सदस्य जानते हैं कि जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र का बहुत बड़ा इलाका इकोलोजिक जोन में है और बाकी का बहुत बड़ा इलाका जेडीए के जोन में है। हम इंडस्ट्रियल एरिया उस इलाके में डवलप करते हैं जहां एवेलेबिलिटी आफ लैण्ड हो। एवेलेबिलिटी आफ लैण्ड के बाद वहां इन्वेस्टमेंट की पोटेंशल हो। इन्वेस्टमेंट की पोटेंशल को तय करने के तरीके दो हैं। एक तो हम अपने स्तर पर, सरकार के स्तर पर तय करें कि अमुक-अमुक स्थान पर इन्वेस्टमेंट की पोटेंशल है या पर्टिकूलर टाइप आफ इण्डस्ट्री को फोरिस करने का इन्वाल्वमेंट है। वहां हम इंडस्ट्रियल एरिया लगाते हैं। या उद्योगपति खुद आकर कहे कि मैं फलां जगह पर उद्योग स्थापित करना चाहता हूं, मुझे जमीन चाहिए। जमवारामगढ़ के अंदर किसी उद्योगपति ने आकर इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया जिसके आधार पर कोई जमीन तलाश करके, उस जमीन की व्यवस्था की जाती।

जहां तक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की बात है, मैंने जैसा कि निवेदन किया हैकि पूरा का पूरा जमवारामगढ़ का बहुत बड़ा इलाका इकोलोजिकल जोन में है और जेडीए के इलाके में है। इन्होंने कहा कि जयपुर के नजदीक होने के कारण इंडस्ट्रियलिस्ट आ सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में नहीं, जमवारामगढ़ के आसपास के इलाके में 8 इंडस्ट्रियल एरिया है, 8 इंडस्ट्रियल एरिया में 754 यूनिट्स काम कर रही है। जहां तक जयपुर का ताल्लुकात है, जयपुर जिले के अंदर 46 इंडस्ट्रियल एरिया है। हमारे पास अभी भी 12 हजार से ज्यादा इंडस्ट्रियल

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

प्लाट खाली है। इसलिए कोई इंडस्ट्रियनलिस्ट इण्डस्ट्री लगाना चाहता है और जयपुर जिले के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हमारे पास में आज की तारीख में 12 हजार से ज्यादा इण्डस्ट्रियल प्लाट्स खाली हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पानी कम होने से लोगों को नया उद्योग मिलने की बात है, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि एम्प्लायमेंट के लिये एम्प्लायमेंट की पोटेंशियल तैयार होना बहुत जरूरी है, स्किलड होना बहुत जरूरी है। अगर स्किलड आदमी है तो जमवारामगढ़ में ही नौकरी मिले, यह कोई जरूरी नहीं है। मैं भी पचार का रहने वाला हूं। मुझे जनता ने जयपुर के बनीपार्क में नौकरी दी, माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिये जमवारामगढ़ का कोई आदमी अगर स्किल्ड होता है तो जमवारामगढ़ उसके लिये बंधन नहीं है। वह जमवारामगढ़ से बाहर आता है तो उसको एम्प्लायमेंट मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्किल डवलपमेंट के दो सैण्टर्स जमवारामगढ़ के अन्दर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से 18 प्राइवेट आई.टी.आइज. जमवारामगढ़ में हैं। मैं समझता हूं जमवारामगढ़ के अन्दर इन आई.टी.आइज. और स्किल डवलपमेंट के दो सैण्टर्स के माध्यम से अगर वहां के युवाओं ने अपनी पोटेंशियलिटी को इम्प्रूव किया, अपनी स्किल को डवलप किया तो निश्चित रूप से जमवारामगढ़ के लोगों को जयपुर जिले के अन्दर और जयपुर जिले से बाहर राजस्थान के अन्दर एम्प्लायमेंट बढ़ेगा। क्योंकि एम्प्लायमेंट जनरेट करने में राजस्थान बहुत तेजी से काम कर रहा है और राजस्थान ने दो-तीन सालों में जितना एम्प्लायमेंट जनरेशन इस सैक्टर में किया है, वह अपने आप के अन्दर हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ज्यादा एम्प्लायमेंट जनरेशन क्रियेट करने वाले राज्यों के रूप में राजस्थान को जाना जाने लगा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जमवारामगढ़ के यूथ अपनी एम्प्लायमेंट एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, अपनी पोटेंशियलिटी को इम्प्रूव करेंगे, स्किल को डवलप करेंगे, और ये दो स्किल सैण्टर्स और जितनी आई.टी.आइज. खुली हुई हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से जमवारामगढ़ के अन्दर पानी की कमी से जो अनएम्प्लायमेंट की स्थिति बनी है, उसको हम कोम्बेट कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे? बड़े विस्तार से जवाब आ चुका है।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: आप अधिकार काम में लीजिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय मंत्री महोदय ने जैसा उत्तर दिया है, मैं उस उत्तर से इसलिये संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की मात्र 06 पंचायतें इकोलोजिकल जोन में आती हैं, क्या 06 पंचायतें होने की वजह से पूरे क्षेत्र को नकार दिया जायेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, जमवारामगढ़ का दुर्भाग्य है कि वहां 85 गांव पहले ही सैंक्चुअरी से प्रभावित हैं। वहां 10 पंचायतें जे.डी.ए. क्षेत्र में आती हैं। 49 पंचायतों में बहुत सारा भू-भाग खाली पड़ा है। बहुत सारी जगह खाली पड़ी है। किसानों की जमीनें खाली पड़ी हैं। पर्यटक दृष्टि से अगर देखें तो सीनरी स्थान भी ठीक हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मन नहीं है तो भी मन बनाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): और मन बना करके जमवारामगढ़ में इस तरह की व्यवस्था देने की कृपा करें ताकि वहां का पलायन भी रुके और वहां के लोगों को रोजगार भी मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मन बनाने की तरफ विचार कीजिये, माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इण्डस्ट्रियल एरिया खोलने की स्टडी कांस्टीट्यूएंसी ओरियेंटेड नहीं होती। जैसे कि मैंने आपसे निवेदन किया कि किस इलाके के अन्दर इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है, कोई रॉ-मैटेरियल वहां पर हो तो मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्री वहां पर आ जाएगी। अगर वहां हाइली स्किल्ड लोग रहते हों तो वहां पर इण्डस्ट्री आ जाएगी। इसलिये इण्डस्ट्रियल एरिया तय करने का पैरामीटर कांस्टीट्यूएंसी नहीं हो सकती। जमवारामगढ़ कांस्टीट्यूएंसी को बने हुए 10 साल हुए हैं, उससे पहले जमवारामगढ़ कांस्टीट्यूएंसी का कम्पोजिशन कोई और था। आने वाले डिलिमिटेशन में जमवारामगढ़ कांस्टीट्यूएंसी का

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कम्पोजिशन कोई और होगा। इसके आधार पर इण्डस्ट्रियल एरिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, तय नहीं किये जा सकते। लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जमवारामगढ़ और जमवारामगढ़ के आसपास के इलाके के अन्दर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिये, कोई इण्डस्ट्रियल एरिया बनाने का पोटेंशियल अगर हम एग्जामिन करने के बाद पाएंगे तो उसको हम एक्सप्लोर कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। निर्मल कुमावत, आप कहां जमुवारामगढ़ पहुंच गये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, जिले का ही है, बगल का ही है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जिले-विले नहीं।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): एक-एक ही, आपकी इजाजत से, छोटी सी बात है।

श्री अध्यक्ष: हां, हां, जिले से नहीं। अगला सवाल, डा. मंजू बाघमार।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): जो इण्डस्ट्रियल एरिया काट दिये, उनमें सुविधाएं भी देते हैं कि नहीं, इतना सा पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, जमवारामगढ़ से नहीं है। अगला सवाल।

नागौर जिले में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी

509. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) नागौर जिले में 'उज्ज्वला योजना' के तहत किस-किस श्रेणी के व्यक्तियों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं तथा इसके लिये कौन-कौन पात्र हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल में 'उज्ज्वला योजना' के पात्र व्यक्तियों के नाम/पता सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत किन-किन व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है और कौन-कौन वंचित हैं? लाभार्थी तथा वंचित के नाम, पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. मंजू बाघमार)

(4) उक्त योजना के तहत बी.पी.एल. कार्ड धारियों को किस प्रकार लाभान्वित किया जा सकता हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री बाबूलाल वर्मा): (1) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग से प्राप्त सूचना अनुसार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत भारत सरकार के निर्देशानुसार बी.पी.एल. परिवार की महिला मुखिया, जिसका कि सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (SECC), 2011 सर्वे की सूची में अभावग्रस्त परिवारों के रूप में नाम दर्ज होगा, वे इस योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी। योग्य उपभोक्ता को खाली सिलेण्डर, डोमेस्टिक प्रैशर रैगुलेटर, 1.2 मीटर सुरक्षा होस व प्रशासनिक प्रभार नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।

उक्त योजना के तहत नागौर जिले में कैटेगरी से निरपेक्ष, SECC, 2011 की सूची के आधार पर दिनांक 01.03.2017 तक 72242 एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किये जा चुके है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल में उज्ज्वला योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र लोगों की सूची लिंक पर उपलब्ध है।

(3) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र जायल में 5224 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है एवं 477 पात्र परिवारों को, जिन्होंने नियमानुसार दस्तावेज जमा करवा दिये हैं, को कनेक्शन देने का कार्य प्रक्रियाधीन है। 477 परिवारों की सूची परिशिष्ट-1 पर एवं लाभान्वितों की ग्रामवार, नामवार सूची तेल कम्पनियों के लिंक पर उपलब्ध है।

(4) उक्त योजनान्तर्गत पात्र परिवारों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (SECC), 2011 के आधार पर किया गया है। राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ ऐसे परिवार जो वास्तव में पात्रता रखते हैं, परन्तु किन्ही कारणों से उनका नाम पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई गई SECC लिस्ट में नहीं आ पाया है, तो उन्हें संबंधित जिला कलक्टर के कार्यालय में सम्पर्क करना चाहिए। गैस वितरक द्वारा ऐसे प्रार्थियों का विवरण अपने डेटाबेस में "On hold" रखा जाएगा, जब तक कि वो SECC सूची में प्रतिबिम्बित नहीं होता।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। पूरक प्रश्न एक, माननीय सदस्या।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने उज्ज्वला योजना को लागू किया। वास्तव में गरीब की रसोई में गैस से खाना बनाना एक जो सपना हुआ करता था, वह सपना साकार किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही पूछना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में जो वंचित पात्र लोग हैं, उन्हें कब तक इस योजना से लाभान्वित कर दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस योजना के तहत पूरे राजस्थान में साढ़े तियालीस लाख का लक्ष्य रखा गया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि फर्स्ट फेज में, फर्स्ट यीअर में 18 लाख का लक्ष्य रखा गया था। उसके तहत अभी तक, 31 मार्च तक 17 लाख 22 हजार 694 कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं। चूंकि यह ऐसी योजना थी जो माननीय प्रधान मंत्रीजी की, भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, और इसके तहत विधायक महोदय के मात्र 477 हमारे पास आवेदन प्रक्रियाधीन हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तेल कम्पनियों से सारी वार्ता करके विदिन टू मंथ्स आपके सारे कनेक्शन जारी करवा देंगे। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगी?

डा. मंजू बाघमार (जायल): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। हो गया। पूरक प्रश्न, श्री रामलाल शर्मा। यह कहां है नागौर, नागौर कहां पहुंच गये आप।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): बिलकुल नागौर से ही, नागौर से बाहर नहीं निकलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नागौर जिले के अन्दर 2011 के अन्दर जो सूची बनी थी, क्या

(श्री रामलाल शर्मा)

उस सूची की पुन: समीक्षा का आप विचार रखते हैं? क्योंकि आज भी कई वंचित परिवार ऐसे हैं, जिनका लाभान्वित होना नितांत आवश्यक है, लेकिन उस सूची के अन्दर आज भी शामिल नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में भी इस बात को आपके माध्यम से कहा है कि यह टोटल भारत सरकार द्वारा 2011 के टाइम जो सेंसस बनी थी, उस समय उनके कुछ पैरामीटर्स से एक सेक्क सूची बनाई गई, मतलब सोशियो इकोनोमिक कास्ट सेंसस जो सूची की गई थी, उसमें यदि संशोधन करने का अधिकार है तो वह भारत सरकार को है। उसमें हम लोग किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: रामहेतसिंहजी, आप भी नागौर पहुंचोगे क्या?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): नहीं, जवाब आ गया, साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं। श्री ज्ञानचन्द पारख, पूरक प्रश्न।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, आपने जो 2011 में प्रोफार्मा भरा था, उसमें लिखा हुआ है, 'गैस कनेक्शन नहीं', पर जब बाद में डाटा फीड किया तो वहां बहुत सारी गल्तियां हुई हैं, एक बार जो प्राफार्मा वहां भरा गया था उनको वापस आप चैक करवा दो तो हजारों वंचित परिवारों को मिल जायेगा। क्या आप इसकी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजिये। जनरल सवाल हो गया, मैं जवाब दिलवा देता हूं। माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इस मामले में जो भी आवश्यक प्रस्ताव होंगे, उसमें भारत सरकार से कार्यवाही करके उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): नहीं, नहीं, यह डाटा यहां जयपुर में ही है। फीड अपने यहां हुआ है। वहां जिसने भी डाटा फीड किया है, वहां गलती हुई है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अगर इस तरह की कोई जानकारी है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अगर वह वापस आप चैक करवा देंगे तो हजारों परिवार जो वंचित रह गये हैं, उनको लाभ मिल जाएगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अगर इस तरह की कोई जानकारी है तो माननीय सदस्य मुझे सूचित करें, मैं निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री शैतानसिंह।

प्रदेश में शहीदों के परिवारजनों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

510. श्री शैतानसिंह (पोकरण): क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा शहीदों के परिवारजनों के कल्याण हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र पोकरण में गत पांच वर्षों में कितने शहीदों के परिवारों को उक्त योजनाओं के तहत क्या-क्या लाभ दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में शहीदों के आश्रितों के लिये राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु क्या मानदंड एवं प्रक्रिया निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण (श्री अमराराम): (1) प्रदेश में सरकार द्वारा वर्तमान में शहीदों के परिवारजनों के कल्याण हेतु निम्न योजनाएं संचालित हैं-

1. दिनांक 01.04.1999 से पूर्व शहीद सैनिक के आश्रित को देय सुविधा।
2. कारगिल पैकेज - दिनांक 01.04.1999 के बाद शहीद सैनिक के आश्रित को देय सुविधा।

(राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण)

3. सम्मान भत्ता - दिनांक 01.04.1999 से पूर्व शहीद सैनिक के आश्रित को मासिक सम्मान भत्ता।

निर्धारित मापदंड परिशिष्ट - '1' , '2' एवं '3' संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पोकरण के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में कारगिल पैकेज के तहत शहीदों के परिवारों को दिये गये लाभ का परिशिष्ट- '4' संलग्न है।

(3) शहीदों के आश्रितों को राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु मापदंड एवं प्रक्रिया परिशिष्ट-'5' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-एक।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत एक नियम विरुद्ध बात इस सदन में करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर पिछले वर्ष नवम्बर में नरपत सिंह शहीद हुए। उनके पिताजी पहले आर्मी में थे और अब वह भी बीमार हैं और सीरियस है क्योंकि उनको पैरालिसिस हो रखा है एवं माताजी भी हार्ट की पेशेंट है। वह बड़े थे और उनका छोटा भाई 18 साल का है। बच्चे, तीन बच्चियां हैं, वह बड़ी से बड़ी बच्ची 10 साल की है, बाकी सब उससे छोटे हैं। उसकी मिसेज भी बीमार है। उस वीरांगना ने माननीय मुख्य मंत्री महोदया से मांग की थी कि जो अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है, वह मेरे देवर को दी जाए, हालांकि वह नियम में नहीं है।

फिर भी, मैं इस सदन के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि उस विशेष परिस्थिति को देखते हुए, उसके घर की कंडिशंस को देखते हुए क्योंकि उसका बड़ा लड़का मातृभूमि को समर्पित हो गया और उस घर की स्थिति की आप जांच करवा लें। तो ऐसा कुछ हो सकता है तो उस परिवार को राहत मिल जाएगी, अन्यथा परिवार बहुत दुर्गम परिस्थिति में है। इसलिए मैं आपके मार्फत से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों

(श्री अमराराम)

के अनुसार अगर कोई भी शहीद होता है तो उसके एक पुत्र को, उसकी पत्नी को और अविवाहित लड़की को हम अनुकंपा पर नौकरी लगाते हैं लेकिन आपका कहना दूसरा है कि बच्चे छोटे हैं, इसलिए उनके भाई के लड़के को, कोई मतलब है नहीं कि नौकरी दें इसमें, क्योंकि नियमों में तो अगर यह नहीं, लेकिन कोई प्रस्ताव सैनिक कल्याण विभाग से आएगा तो इसका परीक्षण करके जो भी होगा, वह कोशिश करेंगे कि उनको नौकरी दें। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष: शैतान सिंहजी, दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे?

श्री शैतानसिंह (पोकरण): बाकी प्रश्न का जवाब आ गया, मेरा यही विषय था तो थोड़ा सा, राजेन्द्र राठौड़ साहब भी आए थे, वहां घर की स्थिति देखकर आए हैं तो इसके लिए कोई विशेष हो सकता है तो आप करें।

श्री अध्यक्ष: शंकरसिंह राजपुरोहित, आप क्या पूरक प्रश्न करेंगे इसमें? प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो गये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, निवेदन कर दो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): यह सैनिक कल्याण का विषय है और अपने आप में एक बहुत ही मार्मिक विषय है। इसमें नियमों में शिथिलता के लिए सरकार को लिखना चाहिए, आगे केन्द्र सरकार को भी लिखना चाहिए, सैनिक विभाग को भी लिखना चाहिए कि कहीं न कहीं, जैसा कि आपने कहा कि उसके पुत्र को दी जाएगी अगर उस शहीद सैनिक के पुत्र नहीं है तो क्या करोगे? बेटी नहीं है तो क्या करोगे? तो अगर सैनिक परिवार के लिए कल्याण हेतु कहीं न कहीं नियमों में शिथिलता प्रदान करने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यह आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कहा कि परीक्षण करवाएंगे। शकुन्तला रावत, आपका भी यही सवाल होगा। उसमें क्या है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नहीं, साहब, मेरा दूसरा है थोड़ा सा।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप कर लीजिए, पर इधर-उधर मत जाइए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सही पाइंट पर ही है। साहब, शहीदों से इधर-उधर कैसे क्या जा सकता है कोई आदमी?

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ऐसे परिवार हैं शहीदों के जो अपनी जमीन के लिए या अपने बच्चों की नौकरी के लिए कलेक्ट्रेट आफिस हो या चाहे एस.डी.एम. आफिस हो, चक्कर पर चक्कर, चक्कर पर चक्कर काटे जा रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कोई प्रावधान है कि इतने दिन तक हम उन्हें जमीन दे देंगे? क्या कोई नियम है? क्या मंत्री महोदय इसमें कोई कदम उठाएंगे? जैसा कि कहा कि नौकरी दे सकते हैं, तो एक जमीन का जो मैटर था, मैंने पहले भी विधान सभा में उठाया था कि सरोज देवी वाइफ आफ जगदीश, कल्याणनगर, लाडपुरा, ग्राम पंचाचत-चूड़ा....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: यह विषय आप नया ले आईं। नहीं, यह नहीं। इसमें नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नहीं, यह जमीन देंगे या नहीं देंगे?

श्री अध्यक्ष: हां, बस यह पूछिये आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): और उनकी बेटी विकलांग है, उसको पैरालिसिस हो गया।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): तो आप उसको सर्विस दें। यह मेरी मांग है इस सदन के माध्यम से, जिनके बच्चे बालिग हैं, लड़का हो या लड़की हो, उनको नौकरी दें।

श्री अध्यक्ष: हां, आप लिख कर भी भेज देना, परीक्षण हो जाएगा। विराजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): साहब, परीक्षण होते तीन वर्ष हो गये, उसको नौकरी नहीं दी जा रही है, बच्ची को। दूसरा, उसको जमीन नहीं दी जा रही है। यह शहीद की पत्नी का ही तो मैटर है, यह कौनसा अलग से मैटर है? दूसरा, बाहर का तो है नहीं। कोई दूसरे डिपार्टमेंट का नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आशीर्वाद हो जाए तो उस परिवार का उद्धार हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, मैं जवाब दिलवा दूंगा। हां, उद्धार करने के लिए वह विचार करेंगे। माननीय मंत्री महोदय, विचार कीजिए, सुझाव अच्छा है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, आहौर से आने वाले माननीय सदस्य ने और माननीय सदस्या ने जो बात कही है, इस पर जरूर विचार करेंगे और प्रस्ताव आने पर पूरी कोशिश करेंगे।

आपने कहा कि पेंशन के लिए या और नौकरी के लिए कलक्टर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वह नहीं पड़ने देंगे, अगर जो भी कानून के अनुसार होगा, उनको अनुकंपा पर नौकरी देंगे। उनके पेंशन, उनके माता-पिता को पेंशन और अभी तो हमने यह सुधार किया है, पहले 1500 रुपये हम देते थे, वह अब तीन लाख की फिक्स डिपोजिट करवा देते हैं, एफ.डी., ताकि वह अपने आप हिसाब से, उसके ब्याज से अपना काम चला लें। बार-बार चैक नहीं काटना पड़े, इस प्रकार की हमने सुविधा की है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न- श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक सवाल मुझे भी पूछना है। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: विराजिए आप। आप सवाल पहले ही कह चुके हैं, बैठिये।

कोटा शहर में निजी विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा बिलों की राशि में बढ़ोतरी

511. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर की विद्युत वितरण व्यवस्था निजी कम्पनी को दे दी गई है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कम्पनी द्वारा भारी राशि बढ़ाकर बिल भेजे जा रहे हैं?

(3) उक्त कम्पनी के आने से तीन माह पूर्व तथा तीन माह बाद शहर में वितरित किये जाने वाले बिलों की अन्तर राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री पुष्पेन्द्र सिंह): (1) हालांकि कोटा शहर का

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

विद्युत वितरण लाइसेंस जयपुर विद्युत वितरण निगम के पास ही है, किन्तु विद्युत वितरण व्यवस्था फ्रेन्चाइजी के रूप में निजी कम्पनी को दिनांक 01.09.2016 से दे दी गई है।

(2) जी नहीं। कम्पनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को बिल उपभोग व राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत दरों के आधार पर भेजे जा रहे हैं।

(3) कम्पनी के आने से तीन माह पूर्व बिलों का मासिक राजस्व निर्धारण निम्नानुसार है:-

माह		**राशि (लाखों में)**
जून, 2016	-	5934.83
जुलाई, 2016	-	7025.38
अगस्त, 2016	-	6051.15

कम्पनी आने से तीन माह पश्चात् बिलों का मासिक राजस्व निर्धारण निम्नानुसार है:-

माह		**राशि (लाखों में)**
सितम्बर, 2016	-	6090.48
अक्टूबर, 2016	-	5845.57
नवम्बर, 2016	-	6673.11

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-एक।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब निजी कम्पनी के हाथों में यह व्यवस्था नहीं आई थी और सर्वाधिक बिजली की खपत जून के महीने में होती है तब कोटा शहर का जो राजस्व निर्धारण था वह 59 करोड़ 34 लाख था और आज नवम्बर में जब बिजली की सबसे कम खपत होती है और उसके बाद आज तक सरकार यह बोल रही है कि बिजली की खपत कम हो रही है और इस कारण से कोटा थर्मल की सात में से पाँच इकाइयां बंद हैं। उसके बाद यह कौनसे कारण हो गये कि

(श्री प्रहलाद गुंजल)

नवम्बर के महीने में जून की तुलना में 80 प्रतिशत खपत होती है और बिल उससे सवाया आ गया? 67 करोड़ रुपये का नवम्बर में बिल, जो 20 परसेंट कम होना चाहिए था, 45 करोड़, 48 करोड़ वह बढ़कर हो गया 67 करोड़। तो इसके क्या कारण हैं?

बिजली कम्पनी ने अभी तक कोई स्टाफ तरीके से लगाया नहीं, कोई मीटर रीडिंग नहीं। पुराने बिलों को असेस करते हुए उसमें राशि बढ़ा-बढ़ाकर भेज दीं और मैंने तीन महीने का क्वेश्चन में मांगा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, नवम्बर-दिसम्बर के बाद जिस तरीके से अंधाधुंध बिलों में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार दुगने-दुगने बिल, चार-चार गुना बिल तक की भी रिपोर्टिंग कोटा शहर में हुई है और इससे लोगों में भारी आक्रोश है।

मैं यह समझता हूं कि उस निजी कम्पनी पर सम्पूर्ण मोनिटरिंग व्यवस्था, मीटर रीडिंग अगर गलत हुई है, उपभोक्ता अगर शिकायत देता है तो विभागीय अधिकारी त्वरित कार्यवाही करें। अब ऐसी स्थिति हो गयी है जैसे कोई विभाग निजी कम्पनी के सामने लाचार हो गया, उसके सुपरवीजन में, उसकी सरपरस्ती में काम कर रहा है और इससे कोटा का उपभोक्ता असहाय और ठगा सा महसूस कर रहा है और इस कारण विस्फोटक स्थितियां पैदा हो सकती हैं, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की जो माननीय सदस्य ने बात कही है कि जून में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति होती है और सबसे ज्यादा कंज्यूम बिजली जून में होती है, मैं भी इस बात को मानता हूं पर मैंने आपको यह बताया कि टोटल नम्बर जो हमारा पैसा, जो बिलिंग की थी, वह 70 करोड़ की थी। और हमको जो रेवेन्यू मिला है, वह रेवेन्यू 59.34 लाख ही मिला है।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि 01.09.2016 को नियामक आयोग में पिटीशन लगाने के आधार पर पूरे राजस्थान में तीनों डिस्कॉम में हमारे 9 प्रतिशत दरें हमने बढ़ायी हैं, जिसके तहत भी उसका असर आपके बिलों में आना शुरू हुआ है।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि छीजत एक बहुत बड़ा कारण था, जब हमने कोटा शहर में जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी देने का हमने मानस बनाया, उससे कोटा शहर की गत वर्ष की जब छीजत देखी मार्च 2016 तक, वह लगभग 29 प्रतिशत के ऊपर उसकी छीजत थी। जब इस कम्पनी ने अपने हाथ में यह टेक-ओवर किया है, वह छीजत आज घटकर लगभग 14 परसेंट हो गयी है और इन तीन महीनों की अगर आप बात करो और जब इन्होंने टेक-ओवर किया उससे पहले छीजत लगभग 22 परसेंट की थी कोटा शहर में, जो इन तीन महीनों जून, जुलाई और अगस्त की बात की है और सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर में जब कम्पनी ने वापस इसको लिया है, उस समय छीजत 22 परसेंट से घटकर आज छीजत 16 परसेंट पर आ गयी है, जिससे 6 परसेंट छीजत कम हुई है। इन आंकड़ों के तहत जो रेवेन्यू आपको दिख रहा है, यह रेवेन्यू बढ़ा हुआ मिला है।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि सरकार का इस पर कोई कंट्रोल है या नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक महीने हमारे एम.डी. और चेयरमैन के लेवल पर हम कम्पनी के साथ मीटिंग करते हैं और जो भी हमारे पास ऐसे ग्रीवन्सेज हैं, हम उनको ऊपर के लेवल पर जो हमारे एस.ई. हैं, वह पूरी मानिटरिंग देखता है, हर 10-15 दिन में इसकी पूरी मानिटरिंग करता है। इस कम्पनी को हमने ऐसे ही खुला नहीं छोड़ रखा है। हमने इसको बिलकुल पाबन्द कर रखा है और यह 20 साल का जो कान्ट्रैक्ट है, इस कान्ट्रैक्ट के तहत कोटा शहर में 20 साल के अंदर डिस्काम को लगभग 915 करोड़ का अनुमानित फायदा होने जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय ने कहा कि हम हर महीने समीक्षा बैठक कम्पनी के साथ करते हैं। कोटा की जनता को पता नहीं है, कोटा की जनता को यह पता है कि अगर उसके दिसम्बर का बिल जून से दुगुना आ गया, ढाई गुना आ गया तो उसकी शिकायत लेकर कहां जायेगा? विभाग के अफसर लाचार हैं, कम्पनी पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है, कम्पनी द्वारा दिये गये फैसले को हम संशोधित करा नहीं सकते हैं। इन स्थितियों में विस्फोटक स्थितियां

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बनी हुई हैं, उपभोक्ता अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उससे आने वाले समय में हमारे लिये दिक्कत होगी।

दूसरी बात, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि कोटा की छीजत 29 परसेंट थी, इस आधार पर हमने निजी कम्पनी को दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर, बारां, धौलपुर, झालावाड़, मैं राजस्थान के कितने ही जिले गिना दूं जहां 40-50 परसेंट छीजत थी, सबसे पहले उनको दिया जाना चाहिये था।

इस बारे में माननीय मंत्री महोदय अब वास्तविक उपभोग के आधार पर बिलों का निर्धारण हो, इसके लिये कम्पनी पर चैक पाइंट लगाने के लिये बिल्कुल सतर्क तरीके से विभाग की क्या कार्य योजना है, ताकि कोटा की जनता आश्वस्त हो कि हमारे साथ लूट नहीं होगी, डकैती नहीं होगी। कम्पनी आ गयी कलकत्ता से और मर्जी से उठा-उठाकर बिल भेज रही है, जिसको हजार रुपये का उपभोग होता था, उसके पाँच हजार का बिल आ रहा है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृष्णा विहार में एक उपभोक्ता का जीवन में 1200 से ज्यादा का बिल नहीं आया, उसके अभी 12 हजार रुपये का बिल आ गया।

श्री अध्यक्ष: बिराजिये, मैं आपकी इस बात का जवाब दिलवा रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य को यही कहना चाहूंगा कि हमने इसकी जो बिडिंग रखी है, वह बिडिंग हमने इतने स्टैण्डर्ड बेस से रखी है कि ऐसे कोई कम्पनी आकर इसमें एंटर नहीं करे जिससे आम जनता का पूरा वातावरण खराब हो जाए। वह वास्तव में अच्छी सेवाएं दे सके, जनता का पूरा ध्यान रख सके, उसकी प्रोपर बिलिंग हो। उपभोक्ता का इलेक्ट्रिशियन फाल्ट हो तो उसको टाइम पर ठीक करने के लिये हमने उनको पाबन्द किया है कि इस टाइप की फाल्ट इतने समय में ठीक होनी चाहिये। हमने यह जो सी.एस.सी.कम्पनी है, यह मैं आपको कहना चाहूंगा, लगभग 100 वर्ष से इस फ्रेंचाइजी के रूप में पूरे भारत में काम कर रही है और बहुत ही एक रेपुटेड कम्पनी है और जहां तक मुझे मालूम है, आज दिन तक भरतपुर

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

में लोग काफी परेशान रहते थे, मुझे भरतपुर जाने का मौका मिला, आज वहां पर लोग कह रहे हैं कि एक फोन पर ही 15 मिनट के अंदर उनके घर के आगे गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। 10-15 मिनट में उनको पूरी सर्विस देकर वापस रिपोर्टिंग करते हैं।

इस कम्पनी के माध्यम से हमने कंट्रोल रूम भी खोल रखा है। कोई भी ऐसी समस्या हो तो कंट्रोल रूम तैयार है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, हाउस को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि डिस्काम के पास था, तब हमारे पास कितने ग्रीवेन्सेज थे और अभी जब इस कम्पनी ने टेक-ओवर किया, उसके बाद ग्रीवेन्सेज सुनना स्टार्ट किया है। काल सेंटर मतलब टोल फ्री नम्बर वहां पूरे शहर के बिलों में भी दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको तुलना बताना चाहूंगा कि सितम्बर में आप देखें जब हमारे पास डिस्काम में था, तब इसके पास 15 हजार ग्रीवेन्सेज आये थे, उसके बाद इस कम्पनी ने टेक-ओवर किया तो 21,900 ग्रीवेन्सेज आये। ग्रीवेन्सेज बढ़े हैं, मैं यह कहना चाहता हूं, पर इसके ग्रीवेन्सेज के साथ-साथ हमने उसको कंज़ूमर को सैटिसफाई भी किया है। आज दिन तक ऐसी शिकायत आयी नहीं है।

फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको ऐसा लगता है कि कम्पनी उपभोक्ता को बिना उपभोग किये ही ज्यादा बिल दे रही हैं तो इसके लिये मैं मेरे चेयरमैन डिस्काम को, एम.डी. डिस्काम को भेजकर, जनता के साथ रूबरू होकर, इंजीनियर्स के साथ बैठकर, जो भी ऐसी समस्याएं होंगी, उनका निश्चित रूप से निस्तारण करेंगे। किसी भी आम उपभोक्ता के साथ ऐसा अन्याय नहीं हो कि कम्पनी किसी भी उपभोक्ता के साथ पैसा लूटकर चली जाये।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री भवानी सिंह राजावत।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा की बिजली निजी कम्पनी को देने से पहले हमने माननीय मंत्री महोदय और सरकार से आग्रह किया था कि कोटा की बिजली निजी कम्पनी को मत दो। राजस्थान के कई जिले हैं जहां 80 प्रतिशत छीजत और चोरी होती है। कोटा में अच्छी रेवेन्यू आ रही है, लेकिन दुर्भाग्य निजी कम्पनी को देने के बाद

(श्री भवानी सिंह राजावत)

कोटा की जनता को कम्पनी से लुटने के लिये छोड़ दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि गरीब आदमी दो बल्ब जलाता है और उसके दस हजार का बिल आता है। हालत यह भी है कि कोटा में छह-छह घंटे तक बिजली की कटौती होती है। क्या यह निजी कम्पनी का काम था? हमें कहा गया था कि छीजत रूकेगी, चोरी रूकेगी और बिजली आपको 24 घंटे मिलेगी। लेकिन न तो बिजली 24 घंटे मिल रही है, न छीजत रूक रही है, न चोरी रूक रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विद्युत वितरण निगम था, हम एक्स.ईएन को फोन करते थे तो तत्काल फाल्ट ठीक हो जाता था, लेकिन इस कम्पनी का कौन जिम्मेदार है, हम किसको फोन करें, किसको रोयें? कोटा अंधेरे में डूब जाता है, जनता त्राहि-त्राहि कर रही है।

इसलिये मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिजली कम्पनी पर पुनर्विचार करो। इस बिजली कम्पनी की जगह बिजली कोटा की राजस्थान विद्युत वितरण निगम को दे दो। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुख्य सचेतक महोदय डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मुख्य सचेतक महोदय, माननीय सदस्य को डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): वह बहुत अच्छे ढंग से विद्युत सप्लाई करेगी और इसलिये आप नेकल डालो या तो, या इस कम्पनी को अपने हाथों में ले लो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये, इस तरह नहीं। जवाब आ रहा है। माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि आम उपभोक्ता को लूटने के लिये हमने कम्पनी को भेजा हो। हमने इस फ्रेंचाइजी जो सिस्टम दिया है, इसमें आप देखें पूरे हिन्दुस्तान में ऐसे कई प्रदेश हैं जहां 10-15 शहर फ्रेंचाइजी में दिये हुए हैं। आप यू.पी. में चले जाओ, कोई भी प्रदेश में चले जाओ, फ्रैंचाइजी सिस्टम को ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप शांत रहिये, डिस्टर्ब मत कीजिये, रमेश जी। नो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): इसलिये आपसे अनुरोध है कि उपभोक्ता को बैटर सर्विसेज मिले और डिस्काम की माली हालत को देखते हुए हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की राय है, इनपुट एण्ड इन्वेस्टमेंट आधारित डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैंचाइजी माडल पर ही हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप इनको यह बताओ, यह चालू किसने किया था। यह फ्रैंचाइजी का कान्सेप्ट लेकर कौन आया था, यह तो बताओ इनको जरा। सामने बोल रहे हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): यह फ्रैंचाइजी कन्सेप्ट अगर कोई लेकर आया था तो वह आपकी पूर्व की सरकार के कार्यकाल में लाया गया था।

मेरा आपसे अनुरोध है कि लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं वापस दोहराना चाहता हूं कि मैं मेरे एम.डी., चेयरमैन, मैं खुद, मेरे चीफ इंजीनियर के साथ आपके साथ बैठूंगा और आप कहोगे तो हम आपके साथ दो दिन बैठकर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपको लगता है कि कोई गरीब आदमी के साथ अन्याय हुआ है तो निश्चित रूप से हम उसकी पूरी सुनवाई करेंगे और ऐसी बात नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के जो एस.ई. हैं, उनका पूरा कंट्रोल है, वह पूरा इसको कंट्रोल करते हैं और जो आपके सब-डिवीजंस हैं, उसमें 33 प्रतिशत हमारे अधिकारी-कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि भरतपुर जैसा शहर जहां मैं मीटिंग लेने गया और आम उपभोक्ताओं से मिला, व्यापारियों से मिला तो सबने प्रशंसा की कि जो काम हमारे छह महीने में नहीं होते थे, दो महीने में नहीं होते थे, आज वह काम हमारे दस मिनट में हो जाता है। रिलीज ऑफ कनेक्शंस में आप देखो, उसका बिलिंग का सिस्टम देखो आप, बिल उसको मिलता नहीं था टाइम पर।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। प्रश्न काल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में गैर आबादी गांव-ढाणियों में विद्‌युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाए, अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से खेतड़ी के ग्राम डाडाफतेहपुरा में विद्‌युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से एलटी लाइन में 11 के.वी. विद्‌युत प्रवाहित कर दिये जाने से मां बेटे की जल कर मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर में पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जिला नागौर के पुलिस स्टेशन बड़ी खाटू के क्षेत्र सिलारिया में पुलिस द्‌वारा कथित रूप से खानाबदोश बनबागरिया परिवार के व्यक्ति को गोली मारने के सम्बन्ध में।

(5) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में सोनड़ी लिग्नाइट परियोजना के लिए किसानों की सैंकड़ों बीघा भूमि अवाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री पूरणमल सैनी, श्री सुखराम विश्नोई, श्री हनुमान बेनीवाल एवं श्री मेवाराम जैन को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नागौर के नागौर शहर में 'अमृत कलश योजना' के अंतर्गत कतिपय कॉलोनियों में सीवरेज, पानी की लाइन, सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी फीस वसूलने के सम्बन्ध में।

(4) श्री जगदीश नारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की कतिपय सड़कों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से कोटपूतली नगरपालिका में चल रही अव्यवस्थाओं व अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती शोभारानी कुशवाहा, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती सोनादेवी, सदस्य की ओर से प्रदेश में नव चयनित स्कूल व्याख्याताओं को नियुक्ति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से जिला सीकर में किसानों को फसल बीमा क्लेम दिलाने एवं प्याज व सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद जल्द शुरू किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से कोलायत तहसील में 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' के अंतर्गत कार्यों में की जा रही गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में खेल सुविधाओं का विकास किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने तथा शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से जिला अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय का दिनांक 19.04.2017 को आयोजित बी.ए. द्वितीय वर्ष भूगोल का प्रश्न पत्र परीक्षा होने से पूर्व ही आउट हो जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

क्र.सं.	**नाम माननीय विधायक**	**विषय**
1	श्री हीरालाल नागर	कोटा-बारां जिले में बजरी खनन हेतु जारी किये गये बड़े खनन पट्टे निरस्त कर ई-नीलामी करते हुए छोटे खनन पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री गोविन्द सिंह डोटासरा	प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में।
3	श्री देवेन्द्र कटारा	डूंगरपुर से पालपादर सड़क के नवीनीकरण तथा पीपल्दा से डचकी सड़क पर पुलिया निर्माण किये जाने के सम्बन्ध मे।
4	श्री हरिसिंह रावत	बजट घोषणा के अनुसार आमेट से देवगढ़ 40 किलोमीटर सड़क का अनुमोदन नहीं किये जाने तथा गौरव पथ को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

श्री पूरणमल सैनी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

खेतड़ी के ग्राम डाडाफतेहपुरा में एलटी लाइन में 11 के.वी. विद्‌युत प्रवाहित कर दिये जाने से मां-बेटे की जल कर मृत्यु

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर मेरे विधान सभा क्षेत्र में विद्‌युत निगम के द्‌वारा दिनांक 17.04.2017 को रात्रि 3 बजे 230 के.वी. लाइन में 11 हजार किलोवाट की लाइन के प्रवाह से डाडाफतेहपुरा के चौधरियों की ढाणी में रात्रि साढ़े तीन बजे एक महिला संतोष देवी और उसके बेटे की, क्योंकि उसकी अगले दिन परीक्षा थी इसलिए बेटे ने पढ़ने के लिए लाइट का स्विच ऑन किया, उस समय उसमें 11 के.वी. का प्रवाह था और उनके बेटे की और उन महिला संतोष की वहीं मौके पर दुर्घटना हो गयी ...

श्री अध्यक्ष: कृपया अपने-अपने स्थान को ग्रहण कीजिए, आपसी बातचीत नहीं। अव्यवस्था नहीं फैलाएं।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्घटना होने के बाद ज्यों ही जबरन खुड़का हुआ तो वहां धीरे-धीरे कर के ग्रामीण लोग इकट्‌ठे हुए और उन्होंने विभाग के विभिन्न कर्मचारियों को फोन किया तो वहां के एक्स.ईएन. ने ग्रामीणों का फोन तक नहीं उठाया। उसके बाद जब हम तक यह सूचना पहुंची तो हमने अजमेर विद्‌युत निगम के एम.डी. साहब से जब बात की तो उन्होंने एक बार तो यह कहा कि हम दिखवा लेते हैं, जांच करवा लेते हैं, मौके पर दो लाशें पड़ी हुई थीं और ग्रामीणों का उसमें बहुत बड़ा चारों तरफ से कवरेज था, उसके बावजूद भी उन्होंने सुनवाई नहीं की। एम.डी. साहब के कह देने के बाद एक्स.ईएन. साहब वहां मौके पर करीब साढ़े आठ पौने नौ बजे पहुंचे जबकि प्रशासन के दूसरे अधिकारी, पुलिस और रेवेन्यू के अधिकारी वहां पहुंच चुके थे और उनके कहने से, पुलिस और तहसीलदार जी के कहने से उसको डिसकनेक्ट किया गया। चार घंटे तक वो 11 के.वी. प्रवाहित होती रही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 के.वी. प्रवाहित होने का जब कारण जाना गया तो उसमें पाया गया कि टी वी के लिए उन पोलों पर जो लाइनें एक्स्ट्रा डाली गयीं उनके माध्यम से वहां भी विद्‌युत विभाग का जो ऑफिस

(श्री पूरणमल सैनी)
है, उसमें भी टी वी जली और उनके घर में भी टी वी जली। इसका कारण यह था कि उस केबल में प्रवाह हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व में भी मंत्रीजी से मिल कर यह बात निवेदन कर चुका हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पिछले चार-छह महीने में चार मौतें ऐसी हो चुकी, जो बारबार एक्स.ईएन. साहब को जाकर बताते हैं और माननीय मंत्री महोदय को भी अवगत करवा चुके हैं कि एक्स.ईएन. की प्रॉपर मोनीटरिंग के अभाव में विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में यह हो रहा है। जब वो एक्स.ईएन. साहब मौके पर आये और पब्लिक द्वारा उनसे पूछा गया कि वास्तव में गड़बड़ कहां रही, तो उन्होंने गलती मानी कि निगम की गलती रही है और उसके चलते इनको मृतकों को पांच-पांच लाख रुपये दे दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे परिवार बंद होते जायेंगे और पांच-पांच लाख रुपये का अनुदान देने से यह कब तक खेतड़ी की जनता बर्दाश्त करती रहेगी? मैं मांग करना चाहता हूं कि इसकी जांच करवायी जाए।

पूर्व में भी एम.डी. के कह देने पर भी जांच हई लेकिन उस जांच में मौके पर जो अधिकारी दोषी रहे वो मौके पर बैठे रहते हैं इसलिए वो जांच को प्रभावित करते हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): तो मेरी मांग है कि उस पीड़ित परिवार को अनुदान की राशि दिलवायी जाए और जो वास्तव में दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही कर के और मैं तो यह चाहूंगा ...

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है। विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय रेस्पांड कर रहे हैं। वो आ गया, आपका मुख्य बिंदू आ गया।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी को भी पता है, उस एक्स.ईएन. को अविलम्ब वहां से हटाया ही नहीं जाए, जब तक जांच पूरी नहीं होती है सस्पेंड किया जाय। ...(व्यवधान)... मैं यह मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, आपने मांग रख दी, मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी में चौधरियों की ढाणी ग्राम डाडाफतेहपुरा में दिनांक 17.04.2017 को रात्रि में उक्त दुर्घटना घटित हुई जिसमें कि मोहित पुत्र विक्रम सिंह उम्र 12 वर्ष और उसकी मां श्रीमती संतोष पत्नी विक्रम सिंह की मृत्यु हो गयी।

उक्त क्षेत्र में जो एल.टी. लाइन विद्युत पोलों पर खींची हुई है उन्हीं खम्भों के टेलीविजन की डिश की केबल भी डली हुई है। डिश केबल में जगह-जगह पर एम्प्लीफायर भी लगे हुए हैं। उक्त घर पर टेलीविजन चालू करने के दौरान दुर्घटना घटित हुई है, जैसे आपने यह बात कही है, रात को तीन बजे। क्षेत्र में सिंगल फेस का 16 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिस पर कुल 19 घरेलू कनेक्शन जारी किये हुए हैं।

दुर्घटना वाले दिन किसी भी उपभोक्ता का मीटर नहीं जला, किसी भी लाइन, मतलब कोई केबल नहीं जली और हुकुम, डेढ़ सौ मीटर के पास में ही वहां 33 के.वी. जीएसएस है, आपने कहा कि वहां टी वी थी वो भी जल गयी, अभी हमारे पास जो पूरी रिपोर्ट है उसके आधार पर वो टी वी भी जली नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई भी फॉल्ट हो, फॉल्ट के तहत रात को तीन बजे कोई टी वी देखना भी चाहे और टी वी ऑन करने से उसका हो गया, तो कोई न कोई मैं तो कहूं केबल जले, शॉर्ट सर्किट हो, कोई स्विच जले, इस तरह से ऐसी कोई चीज होनी चाहिए या मीटर से जो केबल आ रही है वो जले, मीटर जले, कोई लाइन में फॉल्ट हो, किसी प्रकार भी कोई फॉल्ट नहीं है। फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं हमने विभाग के द्वारा इसमें एफ.आई.आर. दर्ज करी है।

पुलिस इसमें जांच कर रही है। पुलिस की जांच के उपरांत अगर डिस्कॉम की कहीं भी कमी पाई जाती है तो निश्चित रूप से अधिकारियों के खिलाफ जो कार्यवाही करनी होगी, वह कार्यवाही भी करूंगा। परिवार को जो मुआवजा राशि मिलनी चाहिए, वह राशि भी उस परिवार को हम दिलाएंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री सुखराम जी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय मंत्रीजी के पास सूचना गलत है।

श्री अध्यक्ष: आ गया, जवाब आ गया।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): सूचना के लिए निवेदन करुंगा।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय मंत्री महोदय मैं सी.डी. बनाकर के लाया हूं कि वहां टीवी जला है। इनको सूचना गलत दी गई है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया ...(व्यवधान)... जवाब आ गया। ठीक जवाब आया है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): इसी में मेरा निवेदन है कि टीवी जला है माननीय मंत्री महोदय, मौके पर। उसकी सी.डी. बनाकर के लाया हूं। आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, वह जांच का विषय है ...(व्यवधान)...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): दे देना, जांच करा लेंगे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: पूरणमल जी यह जांच का विषय है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरासर अन्याय है खेतड़ी की जनता के साथ। दो-दो मौतें हो गई। माननीय मंत्री महोदय को रिपोर्ट गलत आई है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। आप मिल लेना। मैं आपको कह रहा हूं कि आप बैठिए। जवाब पर्याप्त आ गया। जांचें हो रही हैं। वह सब कराएंगे फिर क्या रह गया? बिलकुल ठीक है। हां, श्री सुखराम विश्नोई।

सांचौर में गम्भीर पेयजल संकट

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में नर्मदा मुख्य कैनाल चलती है। उस कैनाल पर तीन प्रोजेक्ट पानी के बने हुए हैं। एक ईआर नाम से, एक एफआर नाम से और एक डीआर नाम से। एफआर प्रोजेक्ट को चालू हुए एक साल हो गया है। इसमें करीब 14 गांव मेरी विधान सभा क्षेत्र के भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक उन 14 गांवों में से एक भी गांव को नहीं जोड़ा गया है। जबकि वहां से पानी जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही ईआर प्रोजेक्ट से मेरी विधान सभा के 80 परसेंट गांव जुड़े हुए हैं। उसका काम भी धीमी गति से चल रहा है।

(श्री सुखराम विश्नोई)

साथ ही इसका क्लस्टर कार्य भी बंद पड़ा है। जो ईआर प्रोजेक्ट है, उससे हमारे सांचौर शहर में पानी आ रहा है, लेकिन जो बाकी गांव हैं उनको इससे नहीं जोड़ा गया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पूरे विधान सभा क्षेत्र में अकाल घोषित है। जब अकाल घोषित होता है तो सरकार की यह योजना होती है कि टैंकरों से, ट्रेक्टर से, किसी भी तरीके से वहां पानी सप्लाई किया जाए। लेकिन आज यह हालात बने हुए हैं कि अप्रैल में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और वहां आज एक भी टैंकर की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी जो स्कीमें हैं, वह बंद पड़ी हुई हैं।

(12.12 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 60 परसेंट स्कीमें बंद पड़ी हैं। हकीकत में स्थिति यह है, नहर में पानी हैं लेकिन फिर भी स्कीमें बंद पड़ी हैं क्योंकि उनके मूल स्रोत सूख गए थे। यह हालात पानी के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में बने हुए हैं। अकाल होने से पशुओं के लिए पानी नहीं है। आदमियों के लिए पानी नहीं है। टैंकरों से या उन स्कीमों को पुन: चालू करके या नहर पर बूस्टर लगाकर के उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात सांचौर विधान सभा क्षेत्र की कही है, मैं आपके माध्यम से उसमें निवेदन करना चाहता हूं कि सांचौर शहर को तो नर्मदा नहर से पानी पिला दिया गया है और 38 लाख लीटर रोज पेयजल सप्लाई हो रहा है। जहां तक आपने नहर क्षेत्र के लिए कहा है, वहां पर परिवहन के लिए, इन गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 14 योजनाएं 48 गांवों हेतु 10.18 करोड़ की स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन हैं। वह जल्दी से जल्दी स्वीकृत कर दी जाएगी।

इसके अलावा वर्तमान में ग्रीष्म ॠतु में टैंकरों से व्यवस्था करने के लिए जो कहा है, मैं इस संबंध में इनको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की प्राथमिकता है कि जहां पर भी पानी की समस्या होगी, वहां पर आपको

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

पानी टैंकरों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें किसी प्रकार के संकोच की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इस संबंध में जो आपकी फाइलें होती हैं उनकी प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी हो जाती हैं लेकिन फाइनेन्स में जाकर के वह फाइलें अटक जाती हैं। दो-दो महीने तक फाइलें नहीं आती हैं। आज आप मेरे क्षेत्र के गांवों में जाकर के देखो कि हालत यह है कि लोग रोड पर मटके लेकर के खड़े रहते हैं। इनके पास कोई योजना ही नहीं है। आप इनको कहो न यह बात। आप इनको आदेश दो न कि यह क्या कर रहे हैं? इनके पास पानी की कोई योजना ही नहीं है। इनकी फाइलें फाइनेन्स में जाती हैं और वहां 2 महीनों से फाइलें पड़ी हैं। यह कहते हैं कि वित्तीय स्वीकृति निकलेगी, पैसे आएंगे तब देंगे। फिर यह प्रशासनिक स्वीकृतियां क्यों निकाल रहे हैं? पहले प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति साथ निकलती थी।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): क्या कह रहे हैं?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप रुकें एक बार। आपके समस्या नहीं होगी लेकिन हमारे यहां समस्या है। हम दुःखी हैं इस बात से। अब इन्होंने क्या कर दिया कि फाइनेन्स में फाइल जाएगी और वहां से 2 महीने बाद फाइल आएगी तब वित्तीय स्वीकृतियां निकालेंगे। आप यह बताओ कि 2 महीनों की गर्मी निकल जाएगी उसके बाद क्या करेंगे? अब तक इन्होंने टैंकर चालू नहीं किए हैं। अब कह रहे हैं मई में चालू करेंगे। गर्मी की हालत आप जानते ही हो कि क्या है? 46 डिग्री टेम्परेचर है। अब यह कह रहे हैं कि मई में चालू करेंगे तब तक तो लोग मर जाएंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा था, वह बात सही है। शिड्यूल ऑफ पॉवर्स में कुछ क्लेरिकल मिस्टेक होने के कारण दिक्कत हुई थी, उसमें सुधार कर दिया गया है। उसके निर्देश दे दिए गए हैं। जल्दी से जल्दी वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी जाएंगी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपने विधान सभा में यह बात कही थी कि मैं फाइनेन्स वाली बात सुलटा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट विराज जाओ। Let him complete it.

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि शिड्यूल ऑफ पावर्स में कोई क्लेरिकल मिस्टेक के कारण संशोधन की आवश्यकता थी। उसका संशोधन करवा दिया गया है। हमने निर्देश भी दे दिए हैं। प्रशासनिक स्वीकृतियां जो जारी हुई हैं, उसकी वित्तीय स्वीकृतियां जल्दी से जल्दी जारी कर दी जाएंगी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक महीना तो हो गया, जल्दी कब जारी करोगे? जल्दी क्या होती है? जल्दी का मतलब एक महीना, दो महीना, तीन महीना, मार्च में आपने कहा था, अब अप्रैल आ गया, मई आने वाला है, जून आ जाएगा। जुलाई में बरसात हो जाएगी। फिर फायदा क्या हुआ? आपने यह कहा था कि कल की तारीख में फाइनेन्स से फाइल आ जाएगी और काम हो जाएगा। अब मई आने को हो गया है और फाइल ही नहीं आई है। आप बता दें अगर यह बात असत्य है तो? आपने कही थी ना यह बात कि फाइनेन्स से फाइल आ जाएगी। आई क्या आज तक? आपका कोई डिस्क्रिएशन ही नहीं है। आपका कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है। सरकार डिले करके बजट को बचा रही है। वह काम करना नहीं चाहती है। यह सरकार है क्या? सब लोग प्यासे मर रहे हैं और आपके दिमाग में कोई भावना ही नहीं है।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): सरकार है, सरकार है एकदम बढ़िया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

नागौर के सिलारिया में बनबागरिया परिवार के व्यक्ति की पुलिस की गोली से मृत्यु

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन के माध्यम से एक गंभीर घटना की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान पुलिस ने 21 अप्रैल, 2017 को नागौर जिले के बड़ी खाटू थाना क्षेत्र के सिलारिया गांव में बनबागरिया जाति, जो एक खानाबदोश जाति है, कहीं पर बनबागरिया जाति को एस.सी. के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और कहीं मोगिया के साथ जोड़कर के ओ.बी.सी. के अंदर माना जाता है, स्थाई वारंट के नाम पर एसएचओ बड़ी खाटू 6 सिपाहियों को लेकर, शाम को साढ़े 5 बजे

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सिलारिया गांव में बनबागरिया जाति के 2 डेरों पर पहुंचे। इन लोगों का कोई स्थाई निवास नहीं होता। यह अस्थाई रूप से घूमते रहते हैं। खेतों की रखवाली करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई बहुत बड़ा स्थाई वारंट भी नहीं था, शिकार का कोई पुराना प्रकरण था। वहां 7 जवान और 2 बनबागरिया थे। वहां पर 2-3 औरतें थी, छोटी बच्चियां थीं। पुलिस यह कह रही है कि उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया और आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। उपाध्यक्ष महोदय, आत्मरक्षा में तो गोली वहां चलानी पड़ती है जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए या कोई हथियार बंद लोग आ जाएं और पुलिस को भीड़ घेर ले।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि कोई बहुत बड़ा स्थाई वारंट नहीं, वह कोई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नहीं था। कोई शिकार का स्थाई वारंट था। पहले तो पुलिस ने उसके 2 भाइयों पेमाराम और शंकर को, जो रास्ते में चल रहे थे, उनको गांव की सड़क से गिरफ्तार किया। फिर डेरे के अंदर साथ लेकर के गए और उसको जबरन जीप के अंदर उठाकर के जब डाल रहे थे तो औरतों ने विरोध किया। वह नशे की हालत में था। औरतों के विरोध से घबराकर के पुलिस जाब्ते ने ढाई फीट दूर से, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, ढाई फीट दूर से एसएलआर से उसको पकड़कर के उसके पेट के नीचे गोली मारी। यह निर्मम हत्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े 3 साल में पता नहीं राजस्थान में क्या हालात हो गये? मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं दूसरे दिन वहां गया तो 400 पुलिस कर्मियों का जाब्ता नागौर एस.पी. ने बुलाया और पूरे गांव को डराया-धमकाया। पूरी रेंज का जाब्ता वहां पर आ गया। जैसे कि कोई बहुत बड़ी आतंकवादी घटना हो गई हो।

उपाध्यक्ष महोदय, उस गरीब परिवार के जो दूसरे दोनों भाई थे, उनको पुलिस पकड़कर के ले गई। जिस वकील ने एफआईआर दी थी, उस एफआईआर को फाड़कर के पुलिस ने उसी की तरफ से नई एफआईआर लिखवाई और अंगूठे करवाकर के उनको दूसरे दिन रात को हवालात में बंद रखा। उसके भाई की लाश वहां पड़ी थी। उस गांव के अंदर उसका दाह संस्कार नहीं करके जबरन पुलिस के भारी जाब्ते के साथ दूसरे गांव में

(श्री हनुमान बेनीवाल)
उसका दाह संस्कार किया। गृह मंत्री जी के ओएसडी से मेरी बात हुई थी। डीजीपी से मेरी टेलीफोन पर बात हुई थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद घटनास्थल पर गया और गांव वालों से पूरी बात की, मैं उस परिवार से भी मिला, उस पूसाराम, जिसकी हत्या पुलिस ने की है, उसके दस बच्चियां हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई दो साल की है, कोई तीन साल की है, चार साल की, उन बच्चों के दो दिन तक खाने की व्यवस्था भी किसी ने नहीं की, सरकार ने उनको नहीं सँभाला। यह कौनसी संवेदनशीलता है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी यहां विराजे हैं, गृह मंत्रीजी, मैं आपसे एक ही मांग करूंगा कि इतनी गम्भीर घटना हो गई, आज सुबह गांव से फोन आया था कि थानेदार के आदमी आएं हैं और उसके भाई को यह कह रहे हैं कि आप बयान बदल दो, लाख-दो लाख रुपए आपको दे देंगे, हम आपके रहने के लिए घर की व्यवस्था कर देंगे। हां, गृह मंत्रीजी ने वहां पर आईजी को भेजा है, यह संवेदनशीलता दिखाई, आईजी ने उनके बच्चों को लाड-दुलार किया, गोद में खिलाया और कहा कि मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कर दूंगी लेकिन आईजी ने कौनसी व्यवस्था की रेंज में, यह हम जानते हैं। हम उस रेंज के अंदर रहते हैं, यह वही नागौर जिला है, जहां से आनंदपाल भागा था, दूसरी बार, पुलिस के जवानों को जख्मी करके भाग गया, इस नागौर की पुलिस को गृह मंत्रीजी, इतनी छूट आप नहीं दें और अगर मारना होता तो पुलिस उस समय कहां गई थी जब आनंदपाल ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जब वह पूरे जाब्ते के बीच से हाई सिक्योरिटी जेल का जाब्ता था उसको छोड़कर भाग गया, तब आपके जवानों ने गोली क्यों नहीं चलाई? अब नागौर के अंदर तो यह स्थिति हो गई कि अगर पुलिस का मन हो जाए तो कहीं जाकर, आमोद-प्रमोद के लिए गोली चलाकर मार दे किसी को और अब आपने, सरकार ने बना रखा है, गोली मार दो, फायरिंग से अगर मौत होती है तो पांच-दस लाख का मुआवजा दे देंगे, ज्यादा हल्ला मचेगा तो नौकरी दे देंगे, यह आपने राजस्थान के अंदर किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी जो संवेदनशील हैं, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन गृह

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मंत्रीजी हमेशा पुलिस की पैरवी करते हैं तो आम आदमी कहां जाएगा? गरीब आदमी कहां जाएगा? यह भी तो गृह मंत्रीजी आपके ही हैं, उन गरीबों का कोई धणी-धोरी नहीं है, सरकार शीघ्र इनके पुनर्वास की व्यवस्था करें, सत्तर साल हो गये, ऊँट गाड़ों पर वह अपना जीवन यापन करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, न तो उनका कोई वोटर आईडी कार्ड बनता है, न कोई आधार कार्ड बनता है, न वोटर लिस्ट में उनका नाम होता है, न इनका कोई वोट बैंक है, इसकी वजह से चाहे जब इनको मार दिया जाता है, चाहे जब छोड़ दिया जाता है। चाहे जब इनके मुदकमे दर्ज करके इनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस ने गांव के लोगों को डराया और दूसरे दिन दो बजे तक गांव के किसी भी व्यक्ति को उस डेरे के पास में नहीं जाने दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं गया हूं और उस खेत के मालिक जो मेघवाल है, उनसे भी मेरी बात हुई, आसपास के लोगों से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि सात जवान थे और दो ही बागरिया थे, जिनको, दो को तो गिरफ्तार करके लाए और एक पूसाराम जो नशे में था, तीन आदमी थे, गोली चलाने की आवश्यकता नहीं थी, वह उनका कोई इलाका नहीं था, वहां कोई भीड़ नहीं थी और अगर पुलिस चाहती तो और जाब्ता मंगवा सकती थी लेकिन नजदीक से गोली मारी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और गोली मारने के बाद आज तीन दिन हो गए इस घटना को, आईजी मौके पर चली गई और एसपी यह बयान दे रहे हैं कि यह बात सामने आई है कि तीन टोपीदार बंदूक थी, थानेदार कह रहा है कि हमने टोपीदार बंदूक बरामद कर ली, एसपी कह रहा है कि गोली चलाने के आदेश इंस्पेक्टर ने दिए, इंस्पेक्टर कह रहा है कि मैंने आदेश नहीं दिए, जो मौके पर था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौनसी व्यवस्था है आप बताएं? इस तरह से तो सारी व्यवस्थाएं ही खतम हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे अंग्रेजों का राज आ गया वापस, यहां तो कोई धणी धोरी ही नहीं है। जो बोलता है उन पर मुकदमे दर्ज कर लो, पुलिस की गोली मरवा दो, एन्काउन्टर करवा दो, यह कर दो, वह कर दो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मैं गृह मंत्रीजी से इतनी ही मांग करता हूं कि आज वह जो दोषी हैं, जिनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, पहले तो नामजद एफआईआर जो उन्होंने दर्ज करवाई थी, वह नामजद एफआईआर पुलिस ने दर्ज नहीं की, उनसे अंगूठा दस्तखत करवा कर जाब्ते के नाम से झूठी नई एफआईआर उन्होंने लिखी। एक तो मूल एफआईआर दर्ज हो, तब तक जब तक इस घटना की जांच नहीं हो। उस थाने के सारे के सारे, उस थानेदार सहित, उन लोगों को को आप लाइन हाजिर करो, सस्पेंड करो। इतना गम्भीर मामला है गृह मंत्री महोदय, आप संवेदनशील हैं, कई बार गंभीरता दिखाते हैं और कई बार आप पब्लिक को भूलकर पुलिस की पैरवी करते हैं, तो हमारा धणी-धोरी कौन होगा गृह मंत्रीजी? ऐसे मामले के अंदर आप कार्यवाही नहीं करेंगे तो कौनसे मामले के अंदर कार्यवाही करेंगे, आप यह बताओ? उन गरीबों का कोई रखवाला नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनके खाने की रोटी भी नहीं ही है, वह व्यवस्था भी गांव के लोगों ने कराई, हम लोगों ने मिलकर आप तीन दिन हो गए उनके अनाज की व्यवस्था कराई, जो कमाने वाला व्यक्ति था वह पुलिस की गोली का शिकार हो गया। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, अगर सीबीआई जांच आप नहीं कराएं तो आज ही एसओजी को यह पूरा मामला हैंडओवर करके आज ही एसओजी को वहां भेजिए गृह मंत्रीजी, इस मामले में आप कार्यवाही करें, पूरा राजस्थान आपकी ओर देख रहा है और आप धौलपुर के चुनाव और यूपी के चुनाव के मद में इतने ज्यादा मत हों कि हम जो चाहे करेंगे राजस्थान के अंदर। ...(व्यवधान)... यह राजस्थान की जनता सड़कों पर आएगी और आपको काम नहीं करने देगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक आनंदपाल तो पकड़ा नहीं गया आपसे और चाहे जैसी...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आप अपने मूल विषय से भटक जाते हैं। आप ठीक तरह से अपने विषय को लेकर आ रहे थे और फिर आप कहीं न कहीं इधर-उधर हो गए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी गृह मंत्रीजी से मांग है कि एक तो उसके दस बच्चियां हैं, उनके पूरे पुनर्वास की व्यवस्था हो, उनको मुआवजा मिले और 302 के जो आरोपी हैं वह सारा जाब्ता, पूरा गिरफ्तार हो।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाएं। Let us see.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एफआईआर जो गलत तरीके से पहले दी, उसको उन्होंने फाड़कर फेंक दी, उनका तो कोई धणी-धोरी ही नहीं है, गांव के लोग साथ नहीं थे। वहां पर 400 पुलिसकर्मियों ने रात को, वहां जैसे कोई दंगा हो गया हो, इतनी ज्यादा तादाद में गांव को घेर कर यह काम किया।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप कुछ फर्माना चाहते हैं? आप विराज जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम गृह मंत्रीजी से सरकार से मांग नहीं करेंगे तो किससे करेंगे बताओ? या तो आप यह कह दो कि हमारे जो विरोधी हैं उनका हम सरेआम एन्काउन्टर करेंगे जैसे पहले करने की आदत है आपकी। चाहे जैसे हम करेंगे, जब-जब हमारी सरकार आएगी, जो भी हमारे सामने बोलेगा उसको झूठा मुकदमा दर्ज करके उसको अंदर बैठाने का काम करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: अब चलिए आप विराज जाइए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह राजस्थान की जनता आपसे डरने वाली नहीं है। हो सकता है कि यह लोग डर गए हों लेकिन हम लोग आपसे डरने वाले नहीं हैं, 2018 के अंदर सबक भी आपको राजस्थान की जनता सिखाएगी। गृह मंत्रीजी, आप इस मामले के अंदर कार्यवाही करें। नागौर वह जिला है जहां पुलिस की साख सबसे ज्यादा राजस्थान में खराब हुई है। दो साल हो गई उस रिपोर्ट को आपने विधान सभा में रखा नहीं। हार्ड कोर क्रिमिनल हाई सिक्योरिटी जेल से भाग गया और वापस पुलिस के जवानों को ...(व्यवधान)... पुलिस के जवानों को गोली मारकर ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाओ। आप चेयर की पूरी लिबर्टी का फायदा उठा चुके हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और तो और जो आपने घोषणा की थी। ...(व्यवधान)... एक करोड़ का चंदा करके, शहीद के परिवार का एक करोड़ का चंदा करके वहां के आईजी और एसपी खा गए।

श्री उपाध्यक्ष: यह भी आप पहले कह चुके हो। यह पहले आपके अभिलेखों पर आ चुका है। This is again a repetition, after about 15-20 days.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कार्यवाही नहीं हुई, कह ही चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप अब विराज जाओ। जो विषय आज आपने उठाया है कार्यवाही उस पर करा लो पहले। अब आप विराज जाओ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान)... सीबीआई से जांच करा लो, पीड़ित परिवार के पुनर्वास की और मुआवजे की व्यवस्था करें और नागौर की पुलिस पर लगाम कसें आप।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): भारी पुलिस और उनकी तरफ से पहले हमला नहीं किया गया, हमले में कोई पुलिस घायल हो गई हो, गम्भीर रूप से, ऐसी परिस्थिति बनी हो कि सुरक्षा में गोली चलाना जरूरी है, ऐसी परिस्थिति बनी ही नहीं। जो यह बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से फायरिंग की ऐसा कोई हथियार उनके पास था भी नहीं तो इसलिए गोली चलाने का आदेश किसने दिया और गोली चलाने के बाद उन्हीं को गिरफ्तार करके ले गए तो यह गम्भीर प्रकरण है। स्थानीय वहां की पुलिस इसमें इन्वॉल्व है इसलिए गृह मंत्रीजी से मैं चाहूंगा कि वहां की पुलिस से भी जांच करवा कर दूसरी एजेंसी से या बाहर किसी दूसरे जिले के निष्पक्ष अधिकारी से इसकी जांच करवाएं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं इस बात के लिए कि स्थायी वारंटी को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? पहले इस बात का फैसला कर लें। अगर आपको लगता है कि पुलिस के पास कोई स्थायी वारंटी है और उसके तहत भी उस आदमी को जा करके गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ...(व्यवधान)... अगर करना चाहिए ...(व्यवधान)... डॉक्टर साहब, बैठो तो सही। पुलिस अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए स्थायी वारंटी, पूसाराम को गिरफ्तार करने के लिए गई। पुलिस के केवल सात आदमी थे, उन पर सारे के सारे जितने लोग थे, आदमी और औरतें, उन्होंने सबने लट्ठ से हमला किया। हमारे पुलिस के चार आदमी इन्जर्ड हैं जो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। पहले पुलिस ने हवाई फायर किया, उससे भी जब कंट्रोल नहीं हुआ तो आपस में गुत्थम-गुत्थी हुई और उस समय क्योंकि भरी हुई थी और उसके कारण से उसके जो लगी वह, पूसाराम को लगी, लगी, गलत है सही है, यह जांच से निकलेगा। लेकिन यह कहना कि पुलिस कुछ कार्यवाही नहीं करे और पुलिस पर हमला हो जाए और वह हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए, तब तो पुलिस, पुलिस नहीं रह पाएगी। मैं सोचता हूं कि आपने तो अभी भाषण दिया, मैंने इसके पहले सारी व्यवस्था की है। जो बात आप बोल रहे हैं, मैंने आईजी को मौके पर भेजा, एसपी मौके पर गया। जाने के बाद सारे घटनाक्रम को समझा, आप तो जांच की मांग आज कर रहे हैं, मैंने वहां से जांच निकाल कर अजमेर के एडीशनल एसपी को पहले से दे दी। एसडीएम को जांच अधिकारी बनाकर सारे प्रकरण की जांच का काम उसको सुपुर्द कर दिया और दोनों के जो दर्ज हुए हैं जो पुलिस के साथ मारपीट हुई है उसका केस नम्बर 21/17 दर्ज हुआ, केस नम्बर 22/17, धारा 302 का उन्होंने दर्ज कराया, वह 302 में दर्ज किया। जो घटना हुई है उसको हमने कहीं छुपाया नहीं है। यह तो उसमें से ही निकलेगा कि जांच के बाद कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जाए और सामने वाला हथियार से पुलिस पर हमला कर दे और उसके बाद पुलिस हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए तो फिर पुलिस, पुलिस नहीं रह पाएगी, उसे कार्यवाही करनी पड़ती है, उस कार्यवाही के तहत कहां क्या गलती हुई है, इसकी जांच में से आकर के निकल जाएगा, जो परिणाम आना है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही कर देंगे और दोषी नहीं होगी तो पुलिस को सज़ा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मेवारामजी जैन।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह तो नीचे से जो भाषण आया वह ही पढ़ दिया, बीट कांस्टेबल और एसपी का। आप तो यह बताओ, हम तो एसओजी और सीबीआई से ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाओ। I won't allow this now. अब आप विराज जाएं, आप विराज जाएं। अंकित नहीं हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है, इतना ज्यादा जोर से बोलने से कोई बात को इधर से उधर नहीं कर दूंगा। जो मैं कर सकता हूं वह मैंने कर दिया। आपने तो भाषण अब दिया, मैंने यह कार्यवाही पहले ही कर दी। मैंने मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम कराया है, ऐसा नहीं है नहीं कराया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): केवल यह कहकर बातें इधर-उधर घुमाने से यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री उपाध्यक्ष: मेवाराम जी जैन।

बाड़मेर की सोनड़ी लिग्नाइट परियोजना में किसानों की भूमि की अवाप्ति

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बाड़मेर तहसील में और मेरे विधान सभा क्षेत्र में आधी से ज्यादा जमीन सरकार को लिग्नाइट के लिए अवाप्ति हेतु किसानों ने सस्ते दामों पर दी। किसान चाहते थे कि हम ये जमीन दें तो हमारे यहां हमें रोजगार मिलेगा, पानी की सुविधा होगी, बिजली की सुविधा होगी। उन्होंने आनन-फानन में सस्ती दर पर किसानों ने जमीन दी। आज हालात है वहां चार प्रोजेक्ट लग गये, सोनड़ी लिग्नाइट, जालीपा-कपूरड़ी लिग्नाइट प्रोजेक्ट, शिवकर-कुड़ला प्रोजेक्ट हेतु पूरी तहसील की आधी जमीन किसानों ने सस्ते दामों पर सरकार को दी। किसानों की हालत यह है कि पीने के पानी के लिए नहीं है, जो वादे किये थे भूमि लेने के लिए कि आपको हम सारी सुविधाएं देंगे, वे पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। थूमली से सोनड़ी पाइप लाइन आ रही थीं, वहां उन गांवों को पानी मिल रहा था, 500 ढाणियों को पानी मिल रहा था। वह पाइप लाइन बंद कर दी, पाइप लाइन को नष्ट कर दिया। वहां कहा था हम वहां के लोगों को रोजगार देंगे। वहां के एक आदमी को रोजगार नहीं। बाहर के लोगों को रोजगार देना, बाहर की गाड़ी लगाना, प्रदूषण के कारण गंदा

(श्री मेवाराम जैन)

पानी निकलने से किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। इस प्रकार किसानों से ज्यादती हो रही है। किसानों ने अपनी जमीन सस्ती दरों पर इसलिए दी थी कि हमारे यहां का विकास हो, हमारे यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमें सारी सुविधाएं मिलेगीं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि किसानों के लिए जो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सीएसआर फण्ड था, करोड़ों रुपये की आय सरकार को हो रही है। वह पैसा कहां लग रहा है? उन किसानों के लिए कहीं पैसा नहीं लग रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको आप दिलवाएं ताकि किसानों को लाभ मिल सके। मैं मंत्रीजी से यह भी कहना चाहूंगा कि शिवकर-कुड़ला प्रोजेक्ट की भूमि तीन साल से आपने अवाप्त कर रखी है, न तो आप ले रहे हो, न छोड़ रहे हो, न किसानों को उसमें कुछ मकान बनाने दे रहे हो, न पानी लेने दे रहे हो। आप या तो लो या छोड़ दो, एक कर लो। वह भी साथ में आप बता दें।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोनड़ी लिग्नाइट परियोजना के बारे में इन्होंने बताया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा इस परियोजना हेतु 7937.5 बीघा खातेदारी भूमि अवाप्त किये जाने हेतु राज्य सरकार के खान (ग्रुप-1) विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना दिनांक 10.3.2008 को तथा धारा 17 क्लॉज 1, सहपठित धारा 6 के तहत अधिसूचना दिनांक 16.12.2008 को जारी की गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के खान (ग्रुप-1) विभाग के पत्र इतने-इतने के द्वारा 10(17)खान/ग्रुप-1/2005 पार्ट दिनांक इतना-इतना व 29.10.2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों द्वारा दर रुपये दो लाख प्रति बीघा अन्य परिलाभों सहित अधिनियम की धारा 11 क्लॉज 2 के प्रावधानों के तहत कुल 112 मुआवजा प्रकरणों के हितबद्ध खातेदारों द्वारा समझौता इकरारनामा प्रस्तुत किये गये। उनमें धारा 11(2) के तहत समझौता अवार्ड

(श्री अमराराम)

तथा दो मुआवजा प्रकरण, जिनमें हितबद्ध खातेदारान द्वारा समझौता इकरारानामा प्रस्तुत नहीं किया गया उनमें धारा 11(1) के तहत राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात फाइनल अवार्ड दिनांक 16.12.2010 को जारी किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा फाइनल अवार्ड जारी होने के पश्चात राज्य सरकार के खान (ग्रुप-1) के पत्र क्रमांक 10 व खान (व्यवधान) आपने तो उसके मुआवजे और उत्पन्न स्थिति के बारे में (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आपने उनका पानी बंद कर दिया, उनका रोजगार बंद कर दिया, उनकी बिजली बंद कर दी।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): आपके सारे प्रकरण उसी के तहत हैं। आपने जो मुआवजा, कायदे से जो रेफरेंस होता है, जिला न्यायालय में होता है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मुआवजे की बात ही नहीं कर रहा हूं।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): सारे मुआवजे के एक-दो प्रकरण बाकी रहे हैं। सारे लाभ लेने के बाद भी आप (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं मुआवजे का पूछ ही नहीं रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वहां आपने जो सोनड़ी प्रोजेक्ट की भूमि ली है, वहां के किसान जो सोनड़ी में बस रहे थे उनकी पाइप लाइन तोड़कर बंद कर दी। 500 ढाणियों का पानी बंद कर दिया। उनकी लाइट बंद कर दी। उनको रोजगार लगाने की इस एग्रीमेंट में बात हुई थी। एक भी रोजगार वहां की लेबर को नहीं मिला है। गाड़ियां लगी हैं तो बाहर की लगी हैं। 200-200 ट्रक डेली जा रहे हैं, लिग्नाइट मिल रहा है। मैं तो वह बात कर रहा हूं।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय सदस्य, आपने सोनड़ी लिग्नाइट परियोजना के किसानों का कहा, सोनड़ी परियोजना का मैंने जवाब दे दिया।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैंने जो दिया उसको पढ़ा उसमें क्या लिखा है?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): आप कह रहे हो, उन्होंने जमीन छोड़ दी, हमने कब्जा ले लिया, उसके बाद में जहां-जहां उनको एस्टेब्लिश करना है, अगर कोई नहीं हुए हैं तो हम करेंगे।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): कहीं नहीं हुए। कहीं भी एस्टेब्लिश नहीं हुए। आज तक उनको एक बीघा जमीन नहीं दी है। एक बीघा जमीन उनको रहने के लिए आपने नहीं दी है। किसी को दी है तो बता दें।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): अब आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा। मौके की स्थिति है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आज तक नहीं दिया। पीने के लिए पानी तो चालू करो, पाइप लाइन आपने तोड़ दी। पानी तो चालू करो। बसाओगे वह अलग बात है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): आप जमीन के पैसे लेकर, 2 लाख 30 हजार हुआ, उसके बावजूद आप कह रहे हो, आप दूसरी जगह चले जाओगे तो पानी नहीं आया। वह जमीन तो आपने हमको सरेण्डर कर दी। हमने एक्विजिशन कर लिया, हमने खान विभाग को आगे दे दी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): वह खाली हो गयी। वह जमीन खाली हो गयी। जिस गांव से पाइप लाइन आती थी वह तोड़ दी। सोनड़ी गांव के लोग रहते हैं उनके लिए पाइपलाइन तोड़ दी।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): ऐसी टूटी हुई पाइप लाइनें हैं तो हम ठीक करा देंगे, आपको आश्वासित करते हैं। कोई टूटी हुई पाइप लाइन है तो उसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): खेतों में गंदा पानी आ रहा है उसको रोका जाय। वहां के लोगों को रोजगार दिया जाए, यह मैं कह रहा हूं।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): स्वच्छ पानी आएगा, पूरे प्रयास करेंगे, पीएचईडी से बात करेंगे। आप कोई चिन्ता न करना। मूलभूत सुविधाओं की पूरी व्यवस्था करेंगे।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): शिवकर-कुड़ला का क्या करोगे, यह तो बताओ। चार साल हो गये। यह जमीन आप लोगे या छोड़ोगे, एक तो करो। चार साल से किसान बैठे हैं, रो रहे हैं। आप या तो ले लो या छोड़ दो, एक तो करो। आपका गृह जिला है। आप या तो वह किसानों की जमीन लो या छोड़ दो। कुछ तो करो। जो करना चाहो एक तो करो।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): श्रीमान, आप जो यहां बता रहे हो राजनैतिक लाभ के लिए। कल मैं वहीं था, आपने कल नहीं बताया। मैं कल बाड़मेर ही था।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या किया, आप यह बताओ न। आप कर क्या रहे हो, यह बता दो। बाड़मेर तो आप रहते ही हो। आप किसानों की जमीनों का क्या कर रहे हो? आप वह जमीन ले रहे हो तो ले लो या छोड़ दो। दोनों में एक तो करो। जो भी करना चाहो वह करो। आप बाड़मेर रहते हो, हमारे हो, उसमें कोई दो राय नहीं। उन किसानों की चार साल से जमीन आपने अवाप्त कर दी, बेच सकते नहीं, उनको पैसे दे नहीं रहे हो। आप कुछ तो करोगे। आप क्या करना चाह रहे हो यह बता दो आप। उपाध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलाओ।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब हो गया।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): कहां जवाब हो गया साहब?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): मैंने निवेदन किया था कि इनके जितने भी थे, जिनकी जमीन अवाप्त....

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं। इनका पूछने का तात्पर्य इतना सा है कि जिस वक्त यह भूमि अवाप्त की गई थी, अगर उस वक्त कुछ कमिटमेंट्स हुए थे, रिहैबिलिटेशन के हुए होंगे, यहां जो कुछ भी जिस परियोजना से आपने करी है वहां लोगों को नौकरी लगाने के, क्या उन कमिटमेंट्स को आप पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? यही पूछना चाह रहे हैं? बस, यही पूछना चाह रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैडम से पूछकर बता देना।

श्री उपाध्यक्ष: यह आपको किसने इजाजत दी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सॉरी-सॉरी।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): ऐसा है कि खासतौर से जो जिन लोगों से, किसानों से अपना एग्रीमेंट हुआ उनका मुआवजा हमने दे दिया और कुछ एक-दो प्रकरण बाकी हैं जिनका रेफरेंस अपर जिला न्यायालय, बाड़मेर में पैण्डिंग है। बाकी जो मूलभूत सुविधाओं के बारे में है वह अगर हमारे उस एग्रीमेंट में है तो हम करेंगे। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): यह शिवकर कुड़ला का क्या करोगे, जमीन छोड़ोगे या लोगे? यह बता दो न।

श्री उपाध्यक्ष: अब ये जो कुछ कमिटमेंट हैं वो सब पूरा करेंगे। अब विराज जाओ, इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ये उसके लिए तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जब आसन यह कह रहा है कि ये जितने कमिटमेंट हैं वो पूरा करेंगे। करेंगे तो करेंगे, दैट्स द एंड ऑफ इट।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): शिवकर कुड़ला के लिए नहीं बोल रहे हैं, साहब। (व्यवधान)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज 12 तो विश्वविद्यालयों के विधेयक हैं, एक भामाशाह विधेयक है, हालांकि बोलने वाले तो कॉमन हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनको पारित करवाना पड़ेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रक्रिया के नियम 295 को यदि पढ़ा हुआ मान लिया जाए तो समय की बचत होगी क्योंकि 5 बजे कार्यशाला भी है। यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की इजाजत है तो 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

(स्वीकृत)

पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री हीरालाल जी नागर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

कोटा-बारां में बजरी खनन हेतु छोटे खनन पट्टे

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा और बारां जिले में बजरी का अवैध खनन हो रहा है। उस अवैध खनन की वजह है कि वहां पर 2013 में पूर्ववर्ती सरकार के समय सांगोद, कनवास, दीगोद, अन्ता, मांगरोल और किशनगंज तहसीलों को मिलाकर इसमें आने वाली कालीसिंध नदी, परवन, पार्वती सहित पूरे क्षेत्र को मिलाकर एक 1609 हैक्टेयर क्षेत्र का एक पट्टा जारी किया गया परन्तु पट्टा जारी करने के बाद में आज दिन तक उस लीजधारक को, पट्टा धारक को ई.सी., पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिलने से वहां पर खनन की परमिशन नहीं है। उसने सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर रखा है और पाँच साल में भी उसकी ई.सी. जारी नहीं हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इतने बड़े पट्टे पर ई.सी. नहीं मिल रही है जबकि प्रावधान के अनुसार 5 से 50 हैक्टेयर के पट्टे जारी किये जा सकते हैं और उसके लिए केवल जिला स्तर पर या राज्य सरकार के स्तर पर ही पर्यावरण की स्वीकृति जारी की जा सकती है।

एक बड़ी समस्या वहां उस पूरे क्षेत्र में आ रही है कि वहां के जो छोटे-छोटे निर्माण करने वाले हैं चाहे जिनको भी प्रधान मंत्री आवास मिल रहे हैं वो हों या स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय बनाने वाले ग्रामीण क्षेत्र के हमारे गरीब व्यक्ति हों या पंचायती राज के जो काम चल रहे हैं उन सब कामों को यह प्रभावित कर रहा है। इसके कारण से निर्माण कार्य हो नहीं पा रहे हैं और अवैध खनन हो रहा है या फिर उन्हें बड़े महंगे दाम पर बनास की बजरी खरीदनी पड़ रही है जो उन गरीब व्यक्तियों की पहुंच से बाहर की है। मेरा निवेदन है कि इतनी बड़ी मात्रा में वहां बजरी उपलब्ध है और केवल स्वीकृति नहीं मिलने से एक तो अवैध बजरी का वहां पर खनन हो रहा है और भ्रष्टाचार के तहत हो रहा है। जितने भी वहां पर नीचे लगे हुए पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो सब इस खनन माफिया में लिप्त हैं और उनके द्वारा भ्रष्टाचार होता है और रेती का कारोबार वो कर रहे हैं। अगर किसी किसान को स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय बनवाना है और वो

(श्री हीरालाल नागर)

एक ट्रॉली रेत लेने चला गया तो वहां जो जिस तरह का कॉकस बना हुआ है, वो खनन माफिया उसकी शिकायत करते हैं जिससे उस एक ट्रॉली वाले को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है और जो मिलीभगत करके खनन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। कभी हम कहते भी हैं और कार्यवाही होती है तो उनको पहले सूचित कर दिया जाता है ताकि वो जो मिलीभगत करने वाले लोग हैं वो वहां से भाग जाते हैं और वो गरीब लोग जो अपने छोटे से काम के लिए लेने जाता है उसे अनायास ही पकड़ कर बड़ा भारी जुर्माना उस पर लगा दिया जाता है।

इस प्रकार एक तरह से यह भ्रष्टाचार बड़े लेवल पर वहां पनपा हुआ है, वहां पुलिस के थाने केवल इसी में लगे रहते हैं कि किसका अवैध खनन हो रहा है, कौन हमारे पास नहीं आ रहा है, इसी जुगत में वो लगे रहते हैं जबकि पूरा माइनिंग डिपार्टमेंट इसको रोक नहीं सकता चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। वहां न तो माइनिंग डिपार्टमेंट के पास इतनी व्यवस्था है और न इनके पास इतने कर्मचारी हैं और पुलिस उसका दुरुपयोग कर रही है तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पर छोटे पट्टे दिए जाएं, उसको निरस्त करके 50 हैक्टेयर या 5 हैक्टेयर के पट्टे दिये जाते हैं। पहले हमारे छोटे लोग, हमारे यहां तीर, तलहटी पर रहने वाले कीर लोग बजरी का यह काम करते थे, उनकी आजीविका चलती थी और उसके कारण से उन्हें रोजगार मिलता था। आज उनका रोजगार छिन गया है। अगर 5 हैक्टेयर के पट्टे दिये जाते हैं तो छोटे-छोटे कीर परिवार, जिनकी आजीविका इस पर ही निर्भर है उन्हें भी इसमें रोजगार मिलेगा, 50 हैक्टेयर के पट्टे दिए जा सकते हैं, स्टेट लेवल पर ई.सी. ग्रांट हो जाएगी तो निश्चित रूप से अवैध खनन भी रुकेगा। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए आप छोटे पट्टे जारी करते हैं तो निश्चित रूप से पॉलिसी के तहत काम भी होगा और आम व्यक्ति को अपना घर बनाने के लिए, अपने निर्माण कार्य के लिए सही मायने में, सही रेट पर वो रेत भी मुहैया हो जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अपेक्षा करता हूं कि 5 साल हो गये हैं, निर्णय हो नहीं रहा है और सर्वोच्च

(श्री हीरालाल नागर)

न्यायालय में आज भी वो लम्बित है तो इस पर कहीं न कहीं राज्य सरकार के स्तर पर प्रयास करके इसको रोका जाए और बड़े स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा-बारां जो जिले हैं वहां कुल 7 मंशा पत्र, एल.ओ.आई. जारी किये गये थे लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट और एन.जी.टी. का यह आर्डर आ गया कि बगैर ई.सी. के आप कोई भी खनन पट्टा जारी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ टेम्परेरी परमिशन दी उसमें कुछ लोगों ने तो शर्तों का पालन करते हुए खनन के काम चला रखे हैं लेकिन यहां केवल दो ही लोग हैं जो यहां खनन में टेम्परेरी परमिशन से काम कर रहे हैं, पाँच खनन क्षेत्र में कार्य बन्द हो गये हैं। अब सवाल यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि पाँच साल के लिए जो एल.ओ.आई. हुई है और उसके अन्दर जो टेम्परेरी आदेश है, जो उनके डायरेक्शन हैं कि रॉयल्टी और सब कलेक्शन करके वो देंगे तो उसके आधार पर खनन का काम चल रहा है। अवैध खनन न हो इसके लिए हम खूब प्रयास कर रहे हैं और इसके अन्दर काफी पैनल्टी का और सज़ा का भी हमने प्रावधान किया है। पिछले 39 माह में 57 प्रकरण इस अवैध खनन को रोकने के लिए बनाये हैं। 661 एफ.आई.आर. दर्ज की हैं, 79 इस्तगासे दायर किये हैं और 58.53 करोड़ की हमने पैनल्टी वसूल की है। इस तरह से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवैध खनन रुके। अब जैसा आप कह रहे थे कि उसमें हैवी पैनल्टी का प्रावधान है 50 हजार ट्रैक्टर पर और एक लाख रुपया बड़ी मशीनरी है उस पर है तो हम प्रयास तो पूरा कर रहे हैं पर क्योंकि यह 4-5 विभागों का मामला आ जाता है।

पर्यावरण की मंजूरी का जहां तक प्रश्न है तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। विभाग को लिखा भी है कि आप इसमें जितनी जल्दी हो सके उसमें पर्यावरण क्लियरेंस दें पर क्योंकि यह एन.जी.टी. का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और पाँच साल की अवधि पिछली सरकार तय कर गई। बड़ी-बड़ी लीज, 50 हैक्टेयर से बढ़ा-बढ़ाकर लम्बी-लम्बी लीज भी पिछली सरकार कर गई तो न तो हम अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा सकते हैं पर हमारा पूरा प्रयास है कि अवैध खनन पर हम सख्ती से कार्यवाही करें।.....

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

और जहां तक आगे कार्यवाही का सवाल है तो जैसे ही कोई डाइरेक्शन्स, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा तो निश्चित तौर पर हम उसका परीक्षण कराकर और आगे से अवैध खनन पर ज्यादा से ज्यादा रोक लगे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे लेकिन क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का फैसला है कि ई.सी. के बगैर हम दे नहीं सकते और ई.सी. पर्यावरण विभाग देता है। उसके अंदर हमने प्रयास किया है और पर्यावरण विभाग को लिखा भी है कि आप जल्दी ई.सी. जारी करें ताकि जो लोग, जिनको एलओआई हो चुकी है, वह ई.सी. की प्राप्ति के बाद अपना काम शुरू कर सकें तो निश्चित तौर पर हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सख्ती करके अवैध खनन भी रोकें और ई.सी. भी जल्दी आये और आगे भी परीक्षण करवाकर, और ये छोटे बन सकें, इस बात का भी हम पूरा ध्यान करेंगे। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, निश्चित तौर पर हम इसमें पूरी संवेदनशीलता से काम करेंगे।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय मंत्री महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, मैं इसमें डिबेट अलाउ नहीं करूंगा। इस पर्ची सिस्टम में जो आप कहना चाहते हैं, कह दिया I can't even force the Minister to reply. यह तो रिप्लाई कर रहे हैं, यह उनकी लार्जेसी है, But don't unnecessarily take advantage of that. श्री गोविन्द सिंह जी डोटासरा।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की बदहाली है, तीन साल से हम देखते आ रहे हैं। बार-बार सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को, माननीया मुख्य मंत्रीजी को हम निवेदन करते आ रहे हैं कि आपने जो वादा किया था सुराज संकल्प यात्रा में कि हम कानून व्यवस्था ठीक करने का काम करेंगे, उसकी धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? अपराध दिन दूने, रात चौगुने क्यों बढ़ रहे हैं? जो दलित हैं, उनके साथ में अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। राजस्थान की जो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

तीन साल की स्थिति है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से माननीय गृह मंत्रीजी की सेवा में पेश करना चाहता हूं। मेरे अतारांकित प्रश्न के जवाब में आया है, इसी सत्र का प्रश्न है, उसके जवाब में आया है, मैं समझता हूं गृह मंत्रीजी, उसको स्वीकार भी करेंगे। तीन साल में हत्याओं के 4,756, हत्याओं के प्रयास के 5,081, दुष्कर्म के 9,943, चैन स्नैचिंग के 1,234, सामूहिक दुष्कर्म के 1,248, छेड़छाड़ के 15,632, डकैती के 199, चोरी के 3,475 और दलित उत्पीड़न के 21,803 प्रकरण दर्ज हुए हैं। तीन साल में 4,816 लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई हैं जिसमें 481 बच्चियां आज भी मिली नहीं हैं। विगत तीन वर्षों में 10,033 अपराधियों को भगोड़ा घोषित किया गया है और वर्तमान में 23,603 अपराधी फरार हैं। कुल 1,691 अपराधियों पर इनाम घोषित है। यह प्रदेश की मोटी-मोटी स्थिति है। गृह मंत्रीजी जहां से आते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें हत्या के प्रयास में उदयपुर एक नम्बर पर है, 295 प्रकरण दर्ज हुए हैं। दुष्कर्म में उदयपुर एक नम्बर पर है, 605 प्रकरण दर्ज हुए हैं और छेड़छाड़ में भी उदयपुर, जहां से माननीय गृह मंत्रीजी आते हैं, 15,632 में से 1,115 प्रकरण आपके इलाके से दर्ज हुए हैं। यह स्थिति है। इसी प्रकार से दलित उत्पीड़न के 21,803 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें एक-एक जिले में 1,469, सवाई माधोपुर एक नम्बर पर है, आपका भरतपुर एक नम्बर पर है, दो नम्बर पर अलवर है, तीन नम्बर पर गंगानगर है और 705 प्रकरण सीकर में भी दर्ज हुए हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। जिस प्रकार से कोई छोटी-मोटी घटना को साम्प्रदायिक रंग देकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और एक इस तरह का वातावरण प्रदेश में निर्मित किया जा रहा है कि पता नहीं, क्या हो जाएगा। केवल एक वर्ग के ये खुद हितैषी हैं, और नहीं हैं, 60 साल से भी ज्यादा इनका इतिहास इस बात का गवाह है कि देश की एकता और अखण्डता के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिये, शहीद हो गये लेकिन आज जिस प्रकार का वातावरण निर्मित किया जा रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर में

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पहले हाउसिंग बोर्ड में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, नीमकाथाना में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद में रेलवे स्टेशन के ऊपर इन्हीं के कार्यकाल में, आपके ही कार्यकाल में, पिछली बार वहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। कुछ दिन पहले, पाँच-सात रोज पहले, छोटे से बच्चों में झगड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के, सत्ता पक्ष के लोगों ने, नेताओं ने इस प्रकार का वातावरण निर्मित किया माननीय गृह मंत्रीजी, हम सबके लिए शोचनीय विषय है। उसको एक तरीके का साम्प्रदायिक दो समुदायों के बीच झगड़े का रंग देने का प्रयास किया गया और मैं भगवान का, अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि वह आगे ज्यादा बात नहीं बढ़ी लेकिन उसकी आड़ में जो खेल खेला गया माननीय गृह मंत्रीजी, उसकी ओर मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं। पिछले डेढ़-दो साल से आपके सत्ता पक्ष के नेता इस प्रयास में थे कि एस.पी. ठीक काम नहीं करे। हम कहें, केवल वही काम करे। डीवाईएसपी हम जो कहें, वह करे। आपकी पुलिस, सत्ता पक्ष के नेताओं के इशारे पर नाचे। जब वह नहीं नाची, तो आपने उसका बहाना लेकर, दो-तीन दिन पहले एस.पी. का ट्रांसफर करवा दिया, वहां धौलपुर जाकर मुख्य मंत्रीजी को शिकायत की। एक दिन में एस.पी. का ट्रांसफर, एडिशनल एस.पी. एपीओ, आपका डीवाईएसपी एपीओ, कोतवाल एपीओ, एडीएम एपीओ, एसडीओ एपीओ। एक सिपाही वहां सीकर में घंटाघर के पास में कहता है कि आज का एसपी तो इस जिले का मैं हूं। भइया, तुम्हें खुली छूट है। अपराधियों, तुम्हारा कुछ नहीं होना है। जिले में कोई पुलिस का अधिकारी नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी भी एडीएम और एसडीएम चले गये। हुआ यह कि कल दोपहर में, दिन में जाटिया बाजार में पतासे वालों की गली में एक दस साल की नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौन देखने वाला था वहां? कौन रखवाली करने वाला था? पहले तीन अधिकारी शाम को 10 बजे एपीओ और स्थानान्तरित हुए। यह खेल चला। वहां पर भाजपा में दो गुट बने हुए हैं। एक गुट ने कहा, हमारे अधिकारियों को लाये हुए को आपने कैसे भेज दिया?

माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप काफी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

संजीदा हैं। मैं विश्वास करता हूं, आपके ऊपर पूरा प्रदेश विश्वास करता है लेकिन यह हो क्या रहा है? आपको पता नहीं चला, रात को फिर खेल चला दूसरे ग्रुप का कि हमारे अधिकारियों को निकाल दिया, हम भी तुम्हारे अधिकारियों को निकालते हैं और हुआ यह कि छह-छह, सात-सात अधिकारी, सारे के सारे एपीओ, लाइन हाजिर हुए और उसका परिणाम एक नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार के रूप में परिणत हुआ। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्रीजी, क्या आपकी नालेज में यह स्थानान्तरण हुए? क्या आपकी सहमति से ये स्थानान्तरण और एपीओ का खेल चला? क्या केवल सत्ता पक्ष के नेताओं को राज़ी करने के लिए इस प्रदेश की जनता के साथ में इस प्रकार का खेल खेला गया? इस प्रकार का अन्याय किया गया। यह जवाब सदन में गृह मंत्रीजी, आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी नोलेज में हुआ, आप बताइये, किस अधिकारी की क्या गलती रही? उसके खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रहे हैं? यह खेल नहीं चलेगा कि एक ग्रुप के नेताओं को नाराज करने के लिए, एक ग्रुप को राज़ी करने के लिए तीन आदमियों के स्थानान्तरण और एपीओ कर दिया। रात को जब दूसरा ग्रुप गया तो फिर तीन का कर दिया गया। इस पुलिस का मनोबल अगर माननीय गृह मंत्रीजी, इसी तरह से गिरता रहेगा। कोटा की घटना का आज तक पता नहीं, हम माननीय सदस्य हैं, हमारी माननीय सदस्या गायब हैं, यह पता नहीं पुलिस की गलती थी या हमारे एमएलए की गलती थी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गलती थी या वहां पर जो आग लगी पैट्रोल पम्प पर, वह आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाई गई या स्वत: लग गई? यह बताना पड़ेगा। नाथद्वारा में एक घटना हुई कल परसों। वहां पर जोधपुर जिले में एक पेड़ को बचाने के लिए एक ललिता देवी की हत्या कर दी गई। नाथद्वारा में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं?

जिस प्रकार हाई-प्रोफाइल जो सैक्स कांड जयपुर में हुआ है। हमारी नाक कट गई माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम दिल्ली में एमसीडी चुनावों में थे। हमें कहा, वही राजस्थान क्या, जहां पर नेता पुलिस के अफसर हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग कांड में शामिल हैं। आपके डीजी दिनेश एम.एन. ने कहा है कि हां, शिकायतें मिली हैं। पुलिस के अधिकारी भी इसमें शामिल थे। मैं पूछना

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

चाहता हूं, कहां उनकी रिपोर्ट है? कौन-कौन लोग दोषी थे? सवा साल से रट-रटकर हम कह गये माननीय गृह मंत्रीजी, आनन्द पाल को बुला लो, माननीय गृह मंत्रीजी, आनन्दपाल को बुला लो...

(13.00 बजे)

अब आप क्यों नहीं बुला रहे हैं, क्या ऐसी नौबत आ गयी कि एक इतने बड़े अपराधी को खुले आम छूट दे रखी है या पुलिस नाकाम है। मैं ज्यादा नहीं कह कर केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह सत्ता पक्ष के लोगों की जो सरकार की एंटीइंकंबेंसी है जो कार्यकर्ता और नेता आपकी सरकार से, मुख्य मंत्रीजी से, आपसे नाराज हैं, उनको खुश करने के लिए पुलिस का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। अगर पुलिस का मनोबल गिर गया और इसी तरह से जैसे सीकर में किया आपने दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को राज़ी करने के लिए अगर दुबारा यह दुस्साहस किया तो यह राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। जिस प्रकार से धौलपुर में वाहवाही लूट रहे हो कि हम जीत गये, अच्छी बात है। प्रजातंत्र में दो लड़ते हैं एक चुनाव जीतता है, आप जीत गये। आपको बधाई, लेकिन जिस प्रकार आपने कानून की धज्जियां उड़ाई, जिस प्रकार आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई यह प्रजातंत्र पर काला धब्बा आपने किया है। यह प्रजातंत्र के इतिहास में ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहां से कहां जा रहे हैं ये। धौलपुर की हार ये पचा नहीं पा रहे हैं। धौलपुर में हम जीत गये, इनको अच्छा नहीं लग रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रजातंत्र के इतिहास में काला धब्बा है।

श्री उपाध्यक्ष: अब कनक्लूड कर लीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वहां पता नहीं क्या-क्या किया गया। कितने पैसे बांटे गये।

श्री उपाध्यक्ष: आपका विषय कनक्लूड हो गया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 38 हजार मतों से जीते हैं। आपने पूरा जोर लगाया। गली-गली में चले गये। आपके प्रदेशाध्यक्ष चले गये। जीतकर वो बैठी हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, अल्लाह का नाम लिया है ईश्वर का नाम नहीं लिया है।...(व्यवधान)... कांग्रेस को कितने वोट मिले वो भी बता दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चार में से तीन हारने वाले भी आप ही हैं। चार में से तीन हारने वाले भी आप ही हैं इसलिए ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, मंत्री महोदय।

श्री हीरालाल (निवाई): कांग्रेस के वोट भी बताओ न। इतराने की बात क्या है और अल्लाह का नाम लिया है ईश्वर का नाम ही नहीं लिया है। गुरु गोविन्द सिंह जी का नाम नहीं लिया। धर्म निरपेक्ष बनते हो। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। माननीय गृह मंत्री जी, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं। आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं, लेकिन पता नहीं आपके किसने हाथ बाँध रखे हैं। आप अपने हाथ खुले करिये। अधिकार अगर मांगने से नहीं मिलता तो अधिकार छीनने की भी हिम्मत आप में होनी चाहिए। आप अधिकार छीनिये। मुख्य मंत्रीजी को कहिये कि नहीं, या तो ये अधिकारी अपनी मर्जी, 7-7 अधिकारी दोषी पाये गये आपके एक दिन में 7-7 अधिकारियों को, एडीएम को तीन महीने पहले आपके ही नेता लेकर गये थे। कोतवाल छुट्टी पर था उस छुट्टी के बावजूद भी उसको एपीओ कर दिया। अन्य जो अधिकारी, फिर कलेक्टर को इनाम किस बात का दे रहे हो यह तो बता दो। जब ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे अधिकारी चले गये तो क्या जिला कलेक्टर की नहीं है क्या, वो केवल आपके नेताओं की जी-हुज़ूरी करते हैं, उनकी चिलम भरते हैं इसलिए उनको नहीं हटा रहे हो। या तो सारे दोषी हैं और या पुलिस का मनोबल गिराने का काम आपकी पार्टी के नेताओं को राज़ी करने के लिए गलत रूप से किया गया है। इस नाबालिग बच्ची को न कोई सहायता है न अपराधी गिरफ्तार हुआ है, जो कल घटना हुई है माननीय गृह मंत्री जी, यह बहुत गंभीर घटना है। दिन में

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हुई है, वहां पर कोई नहीं था। उसके बाद में जयपुर रैफर किया गया। आज वह बचेगी कि नहीं बचेगी पता नहीं वो गरीब परिवार है। उसके पास में एक रुपया नहीं है। हमारे नगर परिषद के चैयरमेन ने 5,100 रुपये दिये और लोगों ने भी मदद की। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपराधों की इस श्रृंखला को कम करने का प्रयास करें। मैं समझता हूं कि आप बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, बहुत ही हिम्मत वाले हैं, आप बहुत ही अनुभवी हैं। अगर ये सिस्टम आपके ऊपर से जा रहा है तो आपको कुछ कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे हमारे घनश्याम जी तिवाड़ी ने ले रखा है कि जब अपराध रुके नहीं, कानून व्यवस्था होती नहीं तो ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: फिर आप डीवियेट मत होइये। घनश्याम जी तिवाड़ी का लॉ एंड ऑर्डर से कहां संबंध है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो आपको भी ऐसा कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, लेकिन इस समय के साथ में यह तय कीजिये कि इस प्रकार के अपराध, कितने अपराधी हो गये? रोजाना भाग रहे हैं, भगोड़े हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। नाबालिग के साथ में, स्कूल में बच्ची जा रही है, दुष्कर्म हो गया। बच्चियां गायब हो रही हैं। कल-परसों मोहंती जी का पैसा गायब हुआ। वो पूछते हैं न कि आपके कोड नंबर बताइये तो आपकी पुलिस तीन दिन में उन अपराधियों को ढूंढ कर ले आई, लेकिन प्रदेश के हजारों ऐसे हमारे गरीब हैं जिनकी नासमझी के कारण उन्होंने पिनकोड नंबर बता दिये, उनके पैसे चले गये, लेकिन एक में भी बरामदगी नहीं हुई। एक में भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। इसका मतलब यह कानून केवल सत्ता पक्ष के नेताओं को राज़ी करने के लिए या बड़े अधिकारियों का अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें कार्यवाही करने के लिए है। आम गरीब का, महिला का, दलित का, बच्चों का कोई रखवाला नहीं है। आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाएं। एक मिनट विराज जाइये। प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आपने लॉ एंड ऑर्डर पर पन्द्रह मिनट तक

(श्री उपाध्यक्ष)

वक्तव्य दिया। इस सदन में भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं। आपकी सीमा थी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने टाइम कर रखा है न।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें पाँच मिनट बोलने की सीमा है। आपने तीन गुना ज्यादा कर दिया। मतलब यह भी एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): विपक्ष के संरक्षक तो आप ही हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने लॉ एंड ऑर्डर सदन में है कि नहीं, यह पूछा है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि लॉ तो लॉ मिनिस्टर के पास है और ऑर्डर यहां केवल मैडम का चलता है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन करना चाहता हूं कि ऑर्डर यहां सिर्फ आसन का चलता है।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे अगर आप यह पता करना चाहें कि लॉ एंड ऑर्डर क्या चीज होती है तो उसका मैं एक उदाहरण पेश कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इस प्रकार का कोई उदाहरण पेश किया जाए। आप स्वयं अनुशासित होकर उसकी पालन करें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कानून-व्यवस्था के बारे में बात करना चाह रहा हूं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): यह डिबेट है क्या?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): डिबेट नहीं, मैं ये छोड़ गये, उसमें बोलने में कहां दिक्कत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह पर्ची पर नयी परिपाटी चालू हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मंत्री महोदय, आप भी विराज जाएं। एक मिनट, प्रतिपक्ष के नेता, आप विराज जाएं। वैसे तो पर्ची पर जनरली हम डिबेट अलाउ नहीं करते हैं, चूँकि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, The Chair has

(श्री उपाध्यक्ष)

to be liberal with you. आप बोलना चाहें but that is not a precedent. It will not be ever as a precedent.

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 1 अप्रैल को अलवर जिले के बहरोड़ में नेशनल हाइवे पर जिस तरीके से बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के लोगों के द्वारा जो अन्याय और अत्याचार किया गया, उनको सड़क पर पीटा गया और पीट-पीट कर पहलू खां को मार दिया गया और जब पहलू खां ने...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप अलग से आइये न आपको बोलना है तो। पर्ची के माध्यम से आपको छूट थोड़े मिली हुई है। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आपको छूट थोड़ी मिली है। ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उलाउ किया है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): अलाउ कर दिया, आसन ने अलाउ कर दिया ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): लॉ एंड ऑर्डर की बात है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): विश्व हिन्दू परिषद का एक भी पदाधिकारी नहीं था न बजरंग दल का पदाधिकारी था। ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): वो आदतन अपराधी है। वो आदतन अपराधी है जो कई बार गो तस्करी में पकड़ा गया। जिसके लड़के गो तस्करी में पकड़े गये जो आदतन अपराधी है उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई और अगर मौत हुई है तो सदमे में हुई है और पाँच लोग और भी थे...।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप सब बिराज जाएं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी नरमाई का फायदा उठा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, आप भी विराज जाएं। आप भी विराज जाएं, मंत्री महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप विषय पर बोलें। पर्ची पर बोल रहे हैं। यह बहस का विषय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाएं, सर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं बैठ रहा हूं सर, लेकिन पर्ची पर...।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें, सर, आसन पांवों पर है। मैं प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप कोई पर्टीकूलर इश्यु पर विषय पर अगर आप ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, वैसे नियम दूसरे हैं उसमें आप नियम के माध्यम अपना वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई एकदम ऐसी कोई खास बात है, कोई विषय, पिछली बार भी पर्ची पर क्या विषय उठाया जाए, आसन ने यह बात कही थी कि पर्ची अब इस बात को रैस्ट्रिक्ट करेगी कि Happening of the last 24 hours होनी चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कल ही हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: जो आप वाला विषय था, तत्कालीन विषय था। अगर कोई ऐसा विषय आपको लगता है कि संवेदनशील विषय है, आप नियम में पधारें। आसन भी इस बात के लिए आपको इजाजत देगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट आपने समय दिया है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी बैठे हैं। बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद का नाम आते ही आप उछल रहे हो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद का कोई पदाधिकारी नहीं था। वहां कोई भी पदाधिकारी नहीं था विश्व हिन्दू परिषद का और बजरंग दल का। असत्य आरोप लगा रहे हैं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): बिलकुल गलत बात है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): उस पहलू खां ने मृत्यु से पहले बयान दिया था कि जिन्होंने मारपीट की थी ...(व्यवधान)...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक भी पदाधिकारी नहीं था। ...(व्यवधान)... साबित करिये। ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप पता करें और फिर आयें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बजरंग दल के लोग थे।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक भी पदाधिकारी नहीं था। एक भी नहीं था।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह बहस का विषय नहीं है। अपराधियों को शरण मत दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक भी पदाधिकारी नहीं था।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अपराधियों को शरण मत दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं। अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 000

श्री रमेश (सपोटरा): 000

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, जवाब देना चाह रहे हैं। आप विराज जाओ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी मंशा केवल हल्ला करने की हो, अगर आपकी मंशा सुनने की नहीं हो और केवल हल्ला करके अपने विषय को लाने का हो तो आपको मुबारक। मैं यह चाहता हूं कि जब ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप कौनसा ठीक कर रहे हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): कौनसा ऐसा विषय था जिस कारण से आपने उठाया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाएं और धैर्य से, शांति से मंत्री महोदय क्या वक्तव्य दे रहे हैं, उसको सुनें। ...(व्यवधान)... अब आप सब विराज जाए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश से उन्होंने पर्ची के माध्यम से जो विषय उठाया, मैंने किसी प्रकार से उनको बीच में रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं आज आप सबसे यह चाहता हूं कि जो आपने पचास साल तक राज किया ...(व्यवधान)... आप सब खड़े हो जाओ तो भी मैं अकेला निपट लूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, कम से कम धैर्य से मंत्री जी का वक्तव्य तो सुन लें और अगर आपने पहले से ही यह निर्णय कर रखा है कि आपको वैल में आना है तो एक अलग बात है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: गृह मंत्री महोदय आप अपनी बात कहें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाएं। प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, थोड़ा संयम आप भी रखें। आपसे आसन निवेदन कर रहा है, थोड़ा-सा संयम रखें। आसन पूरे सदन से यह निवेदन कर रहा है, आप संयम रख लीजिए, गृह मंत्री जी अपने आप में सक्षम हैं हर चीज का जवाब देने में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने जो आंकड़े पढ़े हैं कि इतनी हत्याएं हुईं, इतने बलात्कार हुए। शायद ये वर्ष 2016-17 में ही हुए हैं, इसके पहले तो कभी इस राजस्थान में कोई अपराध दर्ज ही नहीं होता था, न उनकी कोई संख्या थी। चाहे 2012 का गिन लो, 2013 का गिन लो, आपके राज का गिन लो, हमारे राज का गिन लो, ये आंकड़े तो हमेशा ही उपलब्ध हैं। अगर आंकड़ों को पढ़कर आप दोनों की तुलना करके बताते कि हमारे टाइम में यह था और अब यह हो गया और उसमें बढ़ गया तो मैं उसको मानने को तैयार बैठा हूं। लेकिन आपने यह कहा कि बलात्कार कभी हुआ ही नहीं और कभी होगा ही नहीं, ऐसी गारंटी तो न आप दे सकते हो, न मैं दे सकता हूं। केवल विषय को बनाने की दृष्टि से। हम लोगों पर से जनता का विश्वास उठ गया, हम केवल डिबेट करते हैं, हम बात की सच्चाई तक पहुंचने की न तो इच्छा रखते हैं, न उसको ठीक करने की व्यवस्था रखते हैं। मैं सोचता हूं कि अपराध घटित हो रहे हैं यह तो सबको मालूम है। यह 840 थाने हमने इसीलिए तो बना रखे हैं कि वहां कोई एफआईआर लिखाएगा। किसी के साथ जुल्म होगा तो उसकी कार्यवाही करेंगे। पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन आपने तो मेरे प्रश्न के जवाब में कह दिया कि इतनी हत्याएं हुईं फिर उसमें 365 का भाग दो, फिर 3,5,8 आती है, यह गिनती तो जिंदगी भर करते रहो तो भी इसका अंत तो होने वाला नहीं है। सवाल यह है कि अगर अपराध बढा है तो अपराध तो क्राइम की रिपोर्ट के आधार पर ही आएगा। क्राइम की रिपोर्ट ही इस बात को तय कर सकेगी कि अपराध किस समय बढ़े और किस समय घटे। मैंने जब जवाब दिया था उस दिन भी कहा था, आप शांति से सुनो यह जो घटनाएं हो रही हैं यह दु:खद हैं, ऐसा नहीं है कि घटनाएं हुई हैं यह कोई बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब केवल ब्लेम करना कि अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। मैंने आपको उस दिन भी कहा भगवान के लिये कम से कम कुछ तो रहम करो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इस देश पर, सच्चाई को स्वीकार करो, उसको सुधार के प्रयत्न के लिये सहभागी बन कर आगे बढ़ने का प्रयास करो। अगर हमने अपराधी को छोड़ दिया हो, अपराधी के साथ हमने कोई पक्षपात कर लिया हो, हमने उसके साथ कोई ठीक प्रकार से केस नहीं बनाया हो, हमारी मंशा खराब हो तब तो आप आलोचना करो, समझ में आ सकता है। लेकिन केवल आलोचना के लिये आलोचना करना, मैंने आपको उस समय भी बताया था, मैंने पूरे आंकडे देकर बताया था, मैं आज एक बार फिर आपसे माफी चाहते हुए आपके सामने रख रहा हूं कि सच में अगर तुलना करना है तो अपने कार्यकाल को भी साथ में रख कर और हमारा कार्यकाल जो पहले का है, वह भी साथ में रखो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस तरह से बात कहना कि जैसे सारा अपराध इसी समय मैंने ही कर दिया होगा, ऐसा तो नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं जब कभी भी आता हूं तो आपकी जन्म पत्री साथ लाता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): विराज जाओ। शायद एपीओ शब्द मेरे टाइम पर ही शुरू हुआ होगा, आपके टाइम पर तो कभी एपीओ हुआ ही नहीं होगा। कोई अधिकारी आपके टाइम पर एपीओ हुआ ही नहीं? आज आप कहते तो मैं आपकी जन्म पत्री यह भी ले आता कि कितने लोगों को आपने थर्ड ग्रेड के मास्टर को डूंगरपुर से जैसलमेर ठोका, यह क्या है? एक थर्ड ग्रेड के अध्यापक को डूंगरपुर से जैसलमेर ठोकना, यह तो न्याय है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ...(व्यवधान)... 2012 में जब आपकी सरकार थी ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): वही बता रहा हूं आपको।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 000

श्री उपाध्यक्ष: विराटनगर के सम्माननीय विधायक, आज आपको हो क्या गया है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, दर्द कहीं है और इलाज कहीं ढूंढ रहे हैं। अपनी झेंप मिटाने के लिये प्रहार करके आप बचने का प्रयास कर रहे हो। सच बात तो यह है कि आपको स्वयं को भी रात को नींद में भी हिचकी आती होगी कि यह दुर्गति क्यों हो रही है, यह दुर्गति क्यों हो रही है, आता तो होगा न? आता तो होगा ना कभी न कभी कि जिस पार्टी का पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में सिमट कर 7 पर आ गई उत्तर प्रदेश में, लग रहा होगा, लग रहा होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेरे न चाहते हुए भी उत्तर प्रदेश में आप 7 रह गये, मैं क्या कर सकता हूं। आप सब लोगों ने अपना सब झोंक दिया फिर भी 38,000 से हार गये, मैं क्या कर सकता हूं। ...(व्यवधान)... मैं आपको बता रहा था, मैंने कहा ऐसा नहीं है अपराध हर समय होते हैं, थाने इसी के लिये हैं, अपराध दर्ज करें, अपराध पर कार्यवाही करें, इसीलिए थाने खोले हुए हैं। अगर इनकी आवश्यकता ही नहीं होती तो अपन इन सबको समेट लें। जब 2012 में 1 लाख 70 हजार थे, 2013 में 1 लाख 96 हजार हुए। उसके बाद 2014 में बढ़ोतरी हुई और 2 लाख 10 हजार हो गये। उसके बाद 2015 में हम इसको रिडक्शन पर लाये, 1 लाख 98 हजार पर आये और अबकी बार जो 2016 निकला है, उसमें 1 लाख 80 हजार अपराध हुए। 1 लाख 96 हजार से घटकर 1 लाख 80 हजार पर आये, इसका मतलब अपराध घटा कि नहीं घटा। राजस्थान हिन्दुस्तान का पहला राज्य है, मैं अभिमान तो नहीं करता हूं क्राइम रिपोर्ट उठाकर देख लेना एक भी राज्य हिन्दुस्तान का ऐसा हो जिसका अपराध घटा हो तो वह बता दे। राजस्थान एक मात्र है जहां 2015 में अपराध घटा, 2017 में भी अपराध घटे हैं, यह आंकड़े हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आईपीसी अपराध की संख्या जो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मेरे पास है, वह बता रहा हूं। सारे के सारे अपराध के जो भी आंकड़े मेरे पास हैं, अपराध घटे हैं। अब आप आ गये घटनाओं के ऊपर कि यहां रेप हो गया, वास्तव में मासूम बच्चियों के साथ जो घटनाएं बढ़ी हैं, वह दुखद हैं। उसकी कोई भी तारीफ नहीं कर सकता लेकिन उनमें से जितने अपराधी है, उन सबको पकड़ने में पुलिस सफल हुई या नहीं हुई? उनको पकड़ा या नहीं पकड़ा? अपराधी को जिन धाराओं में गिरफ्तार करके डालना था, डाला या नहीं डाला?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपके दिमाग में कचरा घुस गया है। आपको सच्चाई समझ में आती ही नहीं है।

जिस घटना के बारे में अभी प्रतिपक्ष के नेता बहुत जोर से बोल रहे हैं। मैं ईमानदारी से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरी बात को सुन लेना उसके बाद जो जवाब देना हो, वह देना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है कि वह बलात्कारी आपसे बात करके गया था कि इनके हटने के तुरंत बाद तू बलात्कार कर देना ताकि मैं वहां भाषण दूंगा। तब मैं यह कहूँगा कि सात हट गए, इसलिए बलात्कार हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप एक मिनट विराज जाएं। मैं इस पर्ची के माध्यम से मंत्री को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। सरकार न तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, न विभाग का मंत्री अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से पीछे हट रहा है, तो आप अपनी अनुशासन वाली जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रहे हो? मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सीकर में एक गरीब बच्ची के साथ घटना हुई, यह दुखद है। लेकिन इसको इससे जोड़ना कि यह तीन अधिकारी हट गए थे। बलात्कारी इंतजार में था कि ये तीन हटें तो मैं करुँ। इसका

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मतलब यह है कि आपने कोई अपनी साजिश तो नहीं कर रखी थी उसके साथ कि यह हटे। इसलिए इस चैप्टर को खोले। कोई साजिश तो नहीं है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर काम ठीक नहीं करेंगे। काम में अगर कोई गलती रह गई तो मैंने इसी सदन में यहां के कलक्टर को। जब वहां पर शराब पार्टी और कुछ हुआ था, तब मैंने इस हाउस में कहा था कि जांच कराने के बाद अगर कलक्टर भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और मैंने उसके खिलाफ कार्यवाही इसी सदन में की। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं की। मैं सोचता हूं कि इस घटना को आपने सारे देश में इतना बढ़ा-चढ़ाकर कि चूंकि ले जाने वाले मुसलमान थे और पकड़ने वाले हिंदू थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में इन सारी घटनाओं को फैलाओ..। जहां पर गो-तस्करी की। क्या हिंदुओं ने गो-तस्करी नहीं की? क्या हिंदुओं की गो-तस्करी को रोककर भी लोगों ने उनके साथ मैन हैंडलिंग नहीं किया? क्या उनके साथ मुक़दमे नहीं बने? या उनको हमने छोड़ दिया। तस्करी करने वाला न हिंदू है, न मुसलमान है। न कोई रामलाल है, न अहिमखां है। जो अपराधी है, वह अपराधी है। इसलिए जब पुलिस को बहरोड़ में सूचना मिली कि इस तरह से छह गाड़ियों में गोवंश जा रहा था। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसका भी दीजिए। आगे बैठे हैं उनको पूछो। इन्होंने क्यों पूछा है मुझसे? बहरोड़ की घटना क्यों पूछी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): तुम्हारी पर्ची पर भी आ रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है। बहुत देर तक भाषण ठोके हैं न। कुछ सुनने की भी हिम्मत रखो न। इस बहरोड़ की घटना के बारे में जब पुलिस को पता लगा तो बहरोड़ के पास बैरिकेड लगाया। हमने चार गाड़ियां रोकीं और 28 नग उसमें भरे हुए थे, उनको उतारा। उनको गोशाला में पहुंचाया और 11

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लोग जो..। एक यहां से पर्ची बनाई हुई थी, जयपुर से। पर्ची बनाने का और ट्रांसपोर्ट करने का अधिकार एडीएम और एस.डी.ओ. से नीचे किसी को नहीं है। अधिकृत पर्ची होती तो ले जाता और उनको ले जाकर भी गोशाला में छोड़ा है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता लगा कि आगे दो गाड़ियों के साथ जो दो लोग निकल गए हैं, उनके साथ जनता मारपीट कर रही है। बहरोड़ से पुलिस गई। जाने के बाद जो लोग नीचे पड़े थे, उनको हास्पिटल पहुंचाया। उसी दिन 308 में मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ। अगर यह मुकदमा में 323 और 341 में होता तो तेरी-मेरी नीयत पर संदेह होता। उस समय तो पहलूखां मरा नहीं था, वह तो हास्पिटल में ही भर्ती था। मैंने उस दिन एक तारीख को ही 308 में मुकदमा दर्ज इसलिए किया कि अटैम्प्ट टू मर्डर और करने वाले लोगों के खिलाफ किया या नहीं किया? (व्यवधान) जो भी स्थिति थी। उन लोगों को गिरफ्तार किया या नहीं किया? अगर मैं उनको गिरफ्तार नहीं करता, अगर मैं उनके खिलाफ केस नहीं बनाता। मैंने दोनों के खिलाफ केस बनाया और मैं यह कह सकता हूं कि 308 में पहले ही दिन केस दर्ज करके मैंने उनको अपराधी माना। वे चाहे किसी भी दल के हों, कोई भी आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो। कानून के सामने न कोई जात है, न कोई बिरादरी है और न कोई धर्म है। आप लोग चलाकर कि आग कैसे लगे, इसकी चिंता में रहते हो। सारे देश में इतना हल्ला हुआ, लेकिन मावली में बंजारा जाति के लोग ले जा रहे थे। उनकी गाड़ी को पकड़कर लोगों ने आग लगाकर जला दिया। हमने उनके खिलाफ भी केस बनाया। तीन महीने तक हाईकोर्ट से उनकी जमानत नहीं हुई। उसके बारे में आप नहीं बोलोगे? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ भूसा, कैसे लड़ाया जाए? लोगों को कैसे लड़ाया जाए। लोगों की शांति भंग करने की कोशिश करते हो। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास करते हो।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इस मुक़दमे 302 में जो कार्यवाही होती है, वही हो सकती है। (व्यवधान)

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): खाली पहलूखां का ..। (व्यवधान) अगर कोई भी होता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। (व्यवधान) कानून तोड़ने वालों को कोई माफी नामा नहीं मिल सकता। कानून के तहत में रहकर कार्यवाही करने का हम लोगों को अधिकार है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): हां, उसके खिलाफ तीन मुक़दमे हैं। उसके खिलाफ तीन मुक़दमे पहले से है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सवाल यह नहीं है। (व्यवधान) जब आपके नहीं है, तो नहीं ले जा सकते हैं। (व्यवधान)

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): (व्यवधान) कोई भी नहीं ले जा सकता। इस राजस्थान में भैरोसिंह जी शेखावत ने 1994 में कानून बना दिया था। राजस्थान हिंदुस्तान में नंबर वन पर है। (व्यवधान)

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): तुम्हारी दोहरी नीति ने ही तुम्हारी गति बिगाड़ी है। आप जिस ढंग से चलते हो न, उसी कारण से जनता तुमको सज़ा दे रही है। तुमने वोटों की खातिर इस देश की जिस प्रकार से जलाने का काम किया है, जनता वह अब समझी है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): तुम्हारा नीचे से वोट खिसक गया है। तुम सोचते थे वोट मेरे काका जी का है। अब तो उन्होंने आपको उलटी मार मारी ना। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जो कानून का उल्लंघन करने पर हिंदू हो या मुसलमान, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: आसन पाँव पर है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय। मंत्री महोदय, आप भी विराज जाएं। पिछले 45 मिनट से You have been discussing on this issue. (व्यवधान) एक मिनट आप विराज जाएं। मंत्री महोदय की तरफ से एक जवाब आ गया। हर विषय जो आपने उठाया। अब आसन आपको आश्वस्त कर रहा है। हर विषय जो आपने उठाया है, अगर वे सही पाए गए तो जांच के बाद उन पर कार्यवाही होगी, यह मंत्री महोदय का पूरे सदन को आश्वासन है and no more debate on this.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाएं। जब आसन आपको कह रहा है। उसमें सीकर का विषय भी समाहित है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आसन ने दे दिया। फिर मंत्री का क्या जवाब चाहते हैं आप? जब आसन ने आपको जवाब दे दिया। आप मंत्री का जवाब चाहते हैं या आसन की तरफ से आश्वस्त होना चाहते हैं? आसन आपको आश्वस्त कर रहा है। (व्यवधान) सब व्यक्तियों के खिलाफ जो दोषी हैं, कार्यवाही होगी। धन्यवाद। देवेन्द्र कटारा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, अब सबको गिनती आती है। आप बार-बार क्यों गिना रहे हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, अनुशासन का पाठ आपको पढ़ाना चाहिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपना.....

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आप फर्माओ। एक मिनट आप विराज जाएं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाह रहा था कि आपने उस पहलूखां को गो-तस्कर बताया। बताया आपने... (व्यवधान) गृह मंत्री जी, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसके खिलाफ इसके पहले भी तीन मुक़दमे बन चुके हैं। ...(व्यवधान)...

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर बिना अधिकृत कागज के ले जाएगा ...(व्यवधान)... तो गो तस्कर ही होगा। अगर बिना कागज के ले जाएगा तो गो तस्कर ही होगा चाहे हिन्दु ले जाए चाहे मुसलमान ...(व्यवधान)... अधिकृत कागज के बिना अगर कोई गो की निकासी करेगा उसका नाम तस्कर ही होता है। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: 000

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इतने पढ़े लिखे आदमी हो, भगवान के लिए कोई शर्म करो रे। नगरपालिका को अधिकार है क्या ...(व्यवधान)... इतने पढ़े लिखे आदमी हो, शर्म करो। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं अकेला ही निपट सकता हूं ...(व्यवधान)... सब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): किसी कमजोर आदमी को देखा होगा आपने ...(व्यवधान)... ईमानदारी के साथ करते हैं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल)

एक माननीय सदस्य: 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आज का पहला दिन ...(व्यवधान)... धौलपुर की हार पचाने का नाटक कर रहे हो ...(व्यवधान)... धौलपुर की हार को पचाने के लिए नाटक कर रहे हो ...(व्यवधान)... धौलपुर की हार पच नहीं रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): धौलपुर की हार पच नहीं रही है ...(व्यवधान)... इसलिए नाटक करके धौलपुर की झेंप निकालना चाह रहे हो। ...(व्यवधान)... ऐसा करके दबाना चाहते हो धौलपुर की हार को। झेंप मिटाना चाहते हो धौलपुर की हार का। ...(व्यवधान)... हार कैसे छिपाए, इसलिए यह सब नाटक कर रहे हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): गृह मंत्री जी आप चलकर (व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): धौलपुर की हार की झेंप मिटाना चाह रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं है ...(व्यवधान)... तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): धौलपुर की हार नहीं पच रही है। ...(व्यवधान)... उत्तर प्रदेश की हार ...(व्यवधान)... पच नहीं रही है। धौलपुर की हार पच नहीं रही।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कानून व्यवस्था चौपट कर दी ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में शोरगुल)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री मान सिंह (गंगापुर): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): नाटक कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इस तरह नहीं हो सकता है ...(व्यवधान)... समझ में आया न। ...(व्यवधान)... यों, यों ...(व्यवधान)... धौलपुर, धौलपुर, पच नहीं रहा है धौलपुर ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.35 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई।)

(14.35 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नमस्कार, कुछ नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: नमस्कार। विराज जाओ।

श्री देवेन्द्र कटारा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

डूंगरपुर से पालपादर सड़क का नवीनीकरण तथा पीपल्दा से डचकी सड़क पर पुलिया निर्माण

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपके माध्यम से माननीय पी.डबल्यू.डी. मंत्री को ध्यान

(श्री देवेन्द्र कटारा)

आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में मुख्य सड़क डूंगरपुर से उदयपुर सीमा तक पालपादर जो है, इसी रोड पर मेडिकल कॉलेज भी बना हुआ है और इसी रोड पर दो किलोमीटर एन.एच.-08 भी आता है। यह रोड काफी व्यस्त रोड है और नौ से दस ग्राम पंचायतों में से हो करके गुजरता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग कर रहा हूं कि यह सड़क व्यस्ततम सड़क हो करके काफी टूट चुकी है। काफी परेशानी है और काफी लम्बे समय से जनता की मांग रही है। उक्त सड़क में से करीबन 12 किलोमीटर गौरव पथ के माध्यम से बन चुकी है, शेष सड़क बाकी है। तो उक्त सड़क के लिये निवेदन है।

दूसरा एक और निवेदन करना चाह रहा था कि 1950 से लेकर अब तक पीपलदा से डचकी, जो दो पंचायतों में, एक तो मेताली पंचायत में डचकी पड़ती है और पीपलदा अपने आप में अलग है। इन दोनों के बीच में नदी पड़ती है। साल में चार महीने वह नदी उफान पर बहती रहती है। काश्तकारों और विद्यार्थियों को चार महीने तक लगभग 10 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है। इस पर हमने पता भी करवाया था, उस नदी पर पुलिया अगर हम बनवाते हैं तो लगभग एक करोड़ के आसपास उन्होंने, पी.डबल्यू.डी. ने लागत बताई। दोनों तरफ से एक किलोमीटर रोड की बात है।

तो मैं माननीय मंत्री महोदय से इन दोनों ही कामों के लिये, डचकी से पीपलदा के बीच में जो नदी है, उस पर पुल बनाने तथा डूंगरपुर से पालपादर, उदयपुर सीमा तक सड़क, चौड़ाईकरण और नवीनीकरण का काम कराने के लिये मैं उनसे डिमाण्ड कर रहा हूं। मैं यही आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन कर रहा था।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो दो इश्यू आज हाउस में पर्ची के माध्यम से उठाये हैं, उसमें डूंगरपुर से पालपादर सड़क है जो विलेज रोड है। यह लगभग सवा तीन किलोमीटर है। यह अभी हम आर.आई.डी.एफ.-23 जब करेंगे, तो माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे तो इसकी स्वीकृति हम जारी कर देंगे।

(श्री युनुस खान)

दूसरा है पीपलदा से डचकी, इसकी कितनी एस्टीमेट आती है, जो आयेगा, इनकी रिकमण्डेशन पर वह भी निर्णय कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिसिंहजी रावत।

आमेट से देवगढ़ सड़क का अनुमोदन एवं गौरव पथ की पूर्णता

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला राजसमंद से आता हूं। राजसमंद जिला मार्बल कहिये, या खनिज उत्पादन का एक भण्डार है। उसके अन्तर्गत मेरा एक रोड पड़ता है। यह रोड स्टेट हाई-वे नम्बर-56 है। यह मादड़ी से 40 माइल नेशनल हाई-वे-08 को जोड़ता है। करीबन 83 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। माइनिंग की वजह से इस रोड की हालत इतनी क्षतिग्रस्त है कि आदमी का मोटर-साइकिल से चलना भी बड़ा दूभर है। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने बजट प्रारम्भ होने के दो दिन पहले बँगला नम्बर-08 में हम सबसे यह लिया था कि आपकी क्या-क्या समस्या है, वह समस्या हमने बताई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उसके अन्तर्गत यह जो रोड निकलता है, यह तीन विधायकों का रोड है। जिसमें प्रथम मादड़ी से हमारा राजसमंद विधान सभा क्षेत्र पड़ता है, बीच में कुम्भलगढ़ और फिर मेरा भीम विधान सभा क्षेत्र है। तीन विधान सभा क्षेत्रों की कनैक्टिविटी यह रोड करता है।

लेकिन इसकी हालत इतनी खराब है कि वहां पर आये दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और इसी के अंतर्गत हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट घोषणा 2017-18, पेज नम्बर-9, पैरा नम्बर-22 पर, इन्होंने घोषणा भी की- सरदारगढ़-आमेट लम्बाई 40 किलोमीटर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पता नहीं क्या कारण रहा कि खनिज विभाग के अंतर्गत यह रोड प्रस्तावित हुआ और प्रस्तावित होने के अंतर्गत इसमें भी पैरा नम्बर-22, राजसमंद, इसमें 40 लाख का इन्होंने व्यय का

(श्री हरिसिंह रावत)

ब्यौरा दिया है और इसके अंतर्गत इन्होंने पूर्व में जो सरदारगढ़ से आमेट तक का पहले रोड आधा कुछ हो चुका है और आमेट से देवगढ़ तक इन्होंने करीबन 55, सारी, जीरो से 55 तक पूर्व में सी.आर.एफ. के अंतर्गत हो गया। इसकी लम्बाई, चौड़ाई सात किलोमीटर थी और उसके बाद वापस 15/0 से 55/0 तक 40 किलोमीटर लम्बाई सुदृढ़ीकरण के लिए इन्होंने सैक्शन निकाली थी, जिसके अंतर्गत जो उन्हें राशि भी आवंटित हो गयी लेकिन अभी खनिज विभाग ने, इसमें जो उन्होंने पता नहीं क्या खनिज वाली त्रुटि रही है, जिसमें इन्होंने लिख दिया कि सरदारगढ़ से आमेट सड़क किलोमीटर 15/0 से 27/0 तक राज्य उच्च मार्ग- 56 का हिस्सा है एवं शेष आमेट आसन चौराहे से गौमती चौराहा, यह पता नहीं बीच में गौमती चौराहा कहां आ गया?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो 40 किलोमीटर का जो रोड है, वह पूरा देवगढ़ तक जोड़े, कम से कम इसका 83 किलोमीटर तक का, नहीं तो कम से कम देवगढ़ तक अगर जुड़ जाएगा तो देवगढ़ से आगे वापस रोड ठीक है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसे पुन:, जो त्रुटि हुई है, उस त्रुटि को पुन: ठीक करके और वापस जो अभी सैक्शन निकाली है इसके लिए, वैसे आपके कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी, इन्होंने एक लैटर प्रेषित किया है, जिसका लैटर क्रमांक 165 और 19.04.2017 को इन्होंने लैटर निकाला है, इसमें पूरा ब्योरा, स्पष्टीकरण दिया है कि यह रोड वास्तव में यही बनना चाहिए, न कि गौमती जाना चाहिए। गौमती, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बिलकुल छोटा रोड है, इसका कोई महत्व नहीं है और इस रोड का पूरा महत्व है इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस त्रुटि को दुरुस्त करके यह रोड पूरा हमारा इधर निकाले।

साथ ही साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक हमारा गौरव पथ बनने जा रहा है। गौरव पथ जो नेशनल हाई-वे नम्बर-8 से देवगढ़ तीन किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है और देवगढ़ में एक हैरिटेज होटल है, उस हैरिटेज होटल में हमेशा हमारे विदेशी पर्यटक आते हैं और पर्यटकों का बहुत

(श्री हरिसिंह रावत)

ही आना-जाना रहता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो अभी डेढ़ किलोमीटर दिया है, अगर इस डेढ़ को पूरा, इसकी जितनी सीमा है, अगर उतने तक इस रोड को बना दिया जाए तो मैं समझता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से और आवागमन का साधन होगा। क्योंकि आये दिन, वहां बहुत ही एक ब्लाइंड कर्व है और ब्लाइंड कर्व तक की वह रोड आप पूर्ण कर रहे हो, अगर इसको डेढ़ किलोमीटर और बढ़ा दें तो यह पूर्ण हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और कम से कम हमारा यह संदेश तो नहीं जाएगा विदेशों में कि क्या यह राजस्थान के हेरिटेज होटल के रोड्स हैं जिनमें आये दिन एक्सीडेंट्स होते हैं और ऊबड़-खाबड़ है तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको भी अगर डेढ़ की जगह तीन कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा दृष्टि होगी। इसके साथ धन्यवाद।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने बजट घोषणा 2017-18 में जो आमेट-देवगढ़ सड़क की चर्चा की है उसमें 0 से 15 किलोमीटर तक में तो हमने सी.आर.एफ. में स्वीकृति दे दी और उसके बाद में 15 से 55 तक जो है 40 किलोमीटर का सड़क था, उसकी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, लेकिन उसके पश्चात् 30 मार्च, 2017 को जब आदेश निकाला, उस आदेश में हमारे माइनिंग विभाग ने यह कह दिया कि सरदारगढ़ से आमेट तक की 15, 12 किलोमीटर सड़क हम, 40 किलोमीटर, मतलब अंदर तो दे दिया, विवरण में तो दे दिया 12 किलोमीटर लेकिन लम्बाई लिख दी 40 किलोमीटर और राशि भी स्वीकृत कर दी 46.90 करोड़ रुपये। तो यह चूंकि, त्रुटि रह गयी इसलिए उसमें जो आपने गौमती चौराहा और देवगढ़ की चर्चा की तो यह आमेट से गौमती चौराहा 18 किलोमीटर पड़ता है, उसको भी इन्होंने इसमें डाल दिया और देवगढ़ को भी डाल दिया, जो 28 किलोमीटर पड़ता है आमेट से।

तो अब हम संशोधन करके, भीम से आने वाले माननीय सदस्य की मंशा के अनुसार यह 40 किलोमीटर सड़क और लगभग 46 करोड़ रुपये की

(श्री युनुस खान)

लागत से जो आपने कहा कि यह मतलब, आमेट से, सरदारगढ़ से आमेट और आमेट से देवगढ़ तक बने, तो उसी को उसी अनुसार संशोधन करके और उसका टेंडर लगाएंगे।

दूसरा, आपने एक इश्यू और उठाया, जो हमने कैलाशपुरी चौराहा से कामली घाट चौराहा गौरव पथ सड़क, नगरपालिका देवगढ़ में 1.60 किलोमीटर दिया जिसमें ढाई करोड़ रुपया लग रहा है, उसमें थोड़ी-बहुत कमी रहेगी तो इसकी सेविंग होगी। तो उन दोनों को मतलब जो है मिलाकर पूरा कर देंगे। आपकी मंशा के अनुसार दोनों सड़कें बना देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही मैं आपसे निवदेन करना चाह रहा था।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव महोदय।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, राजस्थान विधान सभा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 14वीं राजस्थान विधान के वर्तमान सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक:-

(1) राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017

(2) निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2017

(3) राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2017

(4) राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017

(5) भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2017

(6) राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2017

(7) राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 ।

श्री उपाध्यक्ष: अधिसूचनाएं। श्री राजपाल सिंहजी शेखावत।

अधिसूचना

आबकारी विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार आबकारी विभाग की निम्न पाँच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1) वित्त/आब/2017 पार्ट-1, दिनांक 1.4.2017 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किये गये हैं;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ 4(1) वित्त/आब/2017 पार्ट-1, दिनांक 1.4.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(62) वित्त/आब/96, दिनांक 31.3.1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किये गये हैं;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.4 (1) वित्त/आब/2017पार्ट-1, दिनांक 1.4.2017 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साईज (ग्रान्ट ऑफ रेस्टोरेंट बार लाइसेन्सेज) नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1) वित्त/आब/2017 पार्ट-1, दिनांक 1.4.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विदेशी शराब (थोक व्यापार और खुदरा विक्रय की अनुज्ञप्ति की मंजूरी) नियम, 1982 में संशोधन किया गया है; एवं

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1) वित्त/आब/2017 पार्ट-1, दिनांक 1.4.2017 जिसके द्वारा देशी मदिरा की मासिक पूर्ति से अधिक उठाव पर देय आबकारी शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन, श्री गुलाबचन्दजी कटारिया।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा- 25(4) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था

मानवाधिकार आयोग के समस्त लेखा विवरण एक माह में प्रस्तुत हों

श्री उपाध्यक्ष: गृह मंत्री महोदय और संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मानव अधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीनस्थ है। यह अपने आप में एक एक्ट है। विधान सभा के सैक्रेटेरिएट की सूचना के आधार पर और हमारे यहां की जब हमने समीक्षा की तो मानव अधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 13-14 के 1.3.2016 को प्रेषित किये गये, 13-14 तक के। मानव अधिकार आयोग के लेखे 6-7 के उपरांत आज तक नहीं आये।

मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं- The Protection of Human Rights Act, 1993. सबसे पहले तो आप रूल, सेक्शन- 20 को देख लें- "Annual and special reports of the Commission." I will read it for the sake of the record. "The Central Govt. and the State Govt., as the case may be, shall cause the annual and special reports of the Commission to be laid before the House of Parliament or the State Legislature respectively, as the case may be, along with a memorandum of action taken or proposed to be taken on the recommendations of the Commission and the reasons for non-acceptance of the recommendations, if any. " This was Rule 20.

Rule 28. "Annual and special reports of State Commission. (1) The State Commission shall submit an annual report to the State Govt. and may at any time submit special reports on any matter which, in its opinion, is of such urgency or importance that it shall not be deferred till the submission of the annual report.

(2) The State Govt. shall cause the annual and special reports of the State Commission to be laid before each House of State Legislature where it consists of two Houses or where such Legislature consists of one House, before that House along with a memorandum of action taken or proposed to be taken on the recommendations of the State Commission and the reasons for non-acceptance of the recommendations, if any."

Section 35. Accounts and Audit of State Commission. मैं कन्क्लूडिंग पैरा पढ़ रहा हूं- (4) The accounts of the State Commission, as certified by the Comptroller and Auditor-General or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the State Govt. by the State Commission and the State Govt. shall cause the audit report to be laid, as soon as may be after it is received, before the State Legislature."

It's totally a violation of the Act, of the constitutional provisions as well

(श्री उपाध्यक्ष)
as the financial powers of this House called the State Legislature. ...(व्यवधान)...

आप विराज जाओ। I am not asking for any explanation. It is very true that the facts speak for themselves. Why it has not been done? Who are responsible? And action has to be taken against them, and in 1 month's time the report has to come to the Office of the Speaker.

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): निश्चित रूप से आपको एक महीने में भेज देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजय सिंहजी। So your Department also falls under the same. Last session also the reports were placed. अभी भी आपकी रिपोर्ट अब आ रही है। इन रिपोर्ट्स का क्या फायदा है, जब बजट का पूरा सैशन खतम हो गया। यह तो because of other reasons that we are meeting again. I am sure the same will follow in your case also.

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): भविष्य में ध्यान रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अन्तर्गत निम्नांकित आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2015-16

(1) राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2015-16,

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2015-16

(2) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2015-16, एवं

(श्री अजय सिंह)

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2015-16

(3) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2015-16

घोषणा

जी एस टी विधेयक पर कार्यशाला का आयोजन

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को यह सूचित करना है कि सभी सदस्यों के लिये आज दिनांक 24.04.2017 को सायं 5.30 बजे प्रथम तल विधायक कक्ष में जी.एस.टी. पर कार्यशाला आयोजित की गयी है, जिसकी सूचना सभी को विधान सभा सचिवालय द्वारा पूर्व में प्रेषित कर दी गयी है। आपसे पुन: अनुरोध है कि कृपया इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित कार्यशाला में अवश्य भाग लें।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन, श्री कालू लाल गुर्जर।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम सं. 32)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 32वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार दिनांक 20 अप्रैल, 2017 को मध्याहन पूर्व 11.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 24 अप्रैल, 2017 एवं 25 अप्रैल, 2017 को सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

1. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017
2. राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017
3. मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017
4. राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय,

(श्री कालू लाल गुर्जर)

	अलवर (संशोधन) विधेयक, 2017
सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2017	5. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2017 6. गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) विधेयक, 2017 7. कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 8. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017 9. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017 10. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 11. महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017 12. हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर निरसन विधेयक, 2017, एवं 13. राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अन्तरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017 - पर विचार एवं पारण
मंगलवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2017	1. राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017, एवं 2. राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017 - पर विचार एवं पारण।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 32वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 32वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक - राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017, श्री राजपाल सिंहजी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ) संशोधन विधेयक, 2017। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

व्यवस्था का प्रश्न

समान प्रभाव वाले संशोधनों हेतु भिन्न-भिन्न विधेयक के स्थान पर एक ही विधेयक द्‌वारा समस्त अधिनियमों में संशोधन प्रस्तावित किये जाएं

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में सदन की कुछ परम्पराओं को लाना चाहता हूं ताकि हम इसको केवल विभाग और विधि विभाग जिस प्रकार से आकर रख दे, उसी प्रकार सदन उसके अनुसार आचरण करे, यह उचित नहीं है।

अभी इसी सत्र में नगर पालिकाओं से संबंधित चार बिल हैं। एक ही बिल में अमेंडमेंट हैं और चार बार है और चारों को अलग-अलग रखा गया है। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटीज में एक अमेंडमेंट है, उसके लिये अलग-अलग बिल लाये गये हैं। मैं इस पर ज्यादा लम्बा भाषण नहीं देना चाहता, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से फाइनेंस बिल हम लाते हैं तो जितने कानूनों में संशोधन होते हैं, उसका एक कानून लेकर आते हैं। इसी प्रकार विश्वविद्‌यालय अनुदान आयोग का केवल एक क्लॉज हमको इसमें डालना है, उसके लिये अलग-अलग बिल लाना उचित नहीं है। एक बिल के अन्तर्गत ही जिस बिल के जिस सैक्शन में सुधार करना हो या अमेंडमेंट करना हो, उसको लाया जा सकता है। इसी प्रकार नगरपालिकाओं का तो एक ही बिल है, उसमें चार छोटे-छोटे अमेंडमेंट जो एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको अलग लाया गया है। लॉ डिपार्टमेंट ने वेट किया, संसदीय कार्य मंत्रालय ने किया और इस सबके बावजूद भी बिल लाये गये हैं, जो उचित नहीं है और सदन की परम्पराओं के खिलाफ है।

मैं आपको इसका एक निर्णय पढ़कर सुनाता हूं। अपने राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन, पेज 580, विधेयक 31 - एक विधेयक पर निर्भर दूसरे विधेयक का पारण। दूसरा विधेयक सदन में विचारार्थ केवल तभी लिया जाएगा जबकि पहले विधेयक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की अनुमति दी जा चुकी हो। उपाध्यक्ष महोदय, लिखा है 6 नवम्बर, 1958 को जब राजस्व मंत्री ने राजस्थान भू-धारण विधेयक, 1958 को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो श्री भानसिंह ने यह औचित्य का प्रश्न उठाया कि इसको विचारार्थ लेने से कांस्टीट्यूशनल आपत्ति आती है। अभी सदन ने जो राजस्थान टीनेन्सी बिल पास किया, उसके अन्तर्गत क्लॉज 15 (अ) में जो अमेंडमेंट किया गया, 'on or after the commencement of this Act' और वही फोर्थ अमेंडमेंट बिल के द्वारा क्लॉज 15 (अ) में अमेंडमेंट किया जा रहा है। जब तक थर्ड अमेंडमेंट बिल पर राष्ट्रपति की सैंक्शन नहीं आ जाये अथवा राज्यपाल की, तब तक एक्ट नहीं बनता, और जब तक एक्ट नहीं बनता तब तक उसको इस फोर्थ अमेंडमेंट बिल में एक्ट के रूप में उल्लेखित नहीं किया जा सकता। इसकी सैंक्शन आने के बाद ही यह फोर्थ अमेंडमेंट बिल मूव किया जा सकता है।

इस संबंध में अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये, तत्पश्चात् श्री उपाध्यक्ष महोदय ने निर्णय देते हुए कहा - "My observations on this issue are that as the Tenancy Bill is partly dependent on the Rajasthan Tenancy Bill, I, therefore, hold that its consideration be deferred.

तो नगरपालिकाओं के चारों जो बिल हैं, वह एक-दूसरे पर अवलम्बित हैं और जब तक यह बिल यहां से पास होकर नहीं चला जाये और राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर नहीं हो जाएं, तब तक उससे जुड़े हुए जो तीन जो छोटे-छोटे अमेंडमेंट हैं, वह पारित नहीं किये जा सकते।

इसी प्रकार से यह जो बिल लाया गया है, इसकी औपचारिकता सदन का समय, सदन की कार्य व्यवस्था और सदन की प्रणाली, मेरा केवल ध्यान आकर्षित करने का है कि हम जब बिल पास करें, विधेयक लेकर आयें तो यह राजस्थान लैजिस्लेटिव असेम्बली है, राजस्थान विधान सभा है, हम विधान बनाने का काम करते हैं। और विधान बनाने के काम में अगर हमारे विधि विभाग के लोग या हमारे सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इतनी बड़ी चूक करते हों और सदन को टेक-फोर-ग्रांटेड लेते हों कि जैसे ही हम बिल पेश करेंगे वैसे सदन में पास हो जायेगा, तो यह उचित नहीं है।

(15.00 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं समझता हूं कि पहले भी उपाध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था और अब भी उपाध्यक्ष महोदय हैं तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इन विषयों पर आप सरकार को कुछ कहें। बिल पास करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह हमेशा के लिए परम्परा बन कर सदन का समय व्यर्थ, अब आप इन 13 बिलों पर विश्वविद्यालयों पर अलग-अलग बिल रखेंगे, अलग-अलग पास कराएगे, अलग-अलग करेंगे, एक अमेंडमेंट है, तो मैं समझता हूं कि आपको इस पर कुछ निर्देश जारी करना चाहिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष: Will you react on this? एक मिनट आप विराज जाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह विश्वविद्यालय के जितने भी बिल हैं, इसी सदन में इन बिलों को अलग-अलग रूप से पारित किया गया था। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को कहा, यह बात सही है कि इसमें अमेंडमेंट सिर्फ एक ही है, कॉमन है और वो भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो अमेंडमेंट किया 2013 में, उसको लागू करने के लिए है। इसको वैसे भी लाया जा सकता था पर अगर ये अलग-अलग भी लेकर आये तो ऐसी कोई बेजा बात नहीं हुई। हां, यह संभव भी था कि एक बिल में कर के और सारे, जितने यूनिवर्सिटीज के नाम लिख कर कह देते कि इसमें क्लॉज इतने-इतने में अमेंडमेंट है। भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: दूसरा वाला विषय?

वैसे जो आपका सुझाव था, वह अपनी जगह किसी हद तक ठीक है। आसन सिर्फ इतना निर्देश दे सकता है, आइन्दा इन चीजों का सम्पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री महोदय।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक पर विचार

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: मेरा सदन से और प्रभारी मंत्री, आपसे और संसदीय कार्य मंत्री, आपसे यह निवेदन है, जैसा कि पूर्व में भी आप इस बात से सहमति प्रकट कर चुके हैं कि ये जितने संशोधन हैं यूनिवर्सिटीज के, तकरीबन एक प्रकार के संशोधन हैं, 12 ऐसे विश्वविद्यालयों के और उन्हीं सदस्यों के इसमें अमैंडमेंट्स भी हैं। तो अगर सदन उचित समझता हो और इसमें समय भी सेव होगा कि इन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में जिनके अमैंडमेंट्स हैं, वो जब एक विश्वविद्यालय पर बोलें तो वो तकरीबन सारे विश्वविद्यालयों को कवर कर लें। इससे समय भी कम लगेगा और हम अपना विधायी कार्य भी पूरा कर सकेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना यह कर रहा था कि आप प्रस्तुत सबके एक साथ करा दें।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सारे प्रस्तुत करा दें एक साथ।

श्री उपाध्यक्ष: इसका और स्पष्टीकरण दे देता हूं कि क्योंकि अमेंडमेंट्स एग्जैक्टली उन्हीं लोगों ने दिये हैं और वो ही रिपीटीशन सब में है, उसी क्रम से है, उसी तरीके से है। तो जब आप बोलेंगे, हालांकि मैं इनको वोट पर तो लाऊंगा, फ्लोर पर तो लाऊंगा लेकिन जब मैं फ्लोर पर लाऊंगा. At that time, I will not allow you. I will allow you ones for all considering that you will be speaking and you have spoken on your amendment. I will not let you withdraw it. You want to

(श्री उपाध्यक्ष)

withdraw, you withdraw it now. Otherwise, I will put the entire thing to vote.

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): विचारार्थ तो सब ले लेवें, हुकुम। विचारार्थ तो सब को ले लें एक साथ।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, विचारार्थ एक के बाद एक लेंगे। आप अगर बोलना चाहें तो आप बोल लें। ...(व्यवधान)... मैं विचारार्थ तो स्पेसिफिकली लूंगा क्योंकि मुझे अमेंडमेंट्स को फ्लोर पर भी रखना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): फिर, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी अनुमति मिल जाए, जिस तरह अभी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर गोविन्द सिंह जी अपने विचार व्यक्त करेंगे, फिर ये बाकी सब पर भी ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: यही। आसन आपसे यह निवेदन कर रहा है कि अगर आपको, वो ही विचार आपका उन्हीं पर है तो अपने आप मान लिया जाएगा, जो आप बोलेंगे तब अपने आप ही अंकित हो जाएगा। अगर उसके अलावा भी कोई दूसरे विश्वविद्यालय पर और कोई पर्टिकुलर आपका है तो आप एक ही बार में बोल लें now when you are given to permission to speak, you will speak on 12 Bills in one go. But that does not mean by large.

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हुकुम, विचारार्थ तो सब को लेना पड़ेगा तभी तो बोलेंगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आप विचारार्थ लेंगे जब ही तो अगला बोलेगा उस पर। अगर विचारार्थ ही नहीं लेंगे तो अगले पर, बिल पर बोलेगा कैसे?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): विचारार्थ तो लेना ही पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे आप एक बात बताइये, आप जब अमेंडमेंट पर बोलते हैं तो जो विषय है सिर्फ उसी पर बोलते हैं? ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन सर्वोपरि है, अगर आसन की यह आज्ञा है तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं, आसन आपको यह निवेदन कर रहा है जब आप इस यूनिवर्सिटी के बिल पर बोलें तो वो 12 यूनिवर्सिटी के बिल जो विचारार्थ लेने जा रही है, सदन लेने जा रहा है उन पर आप बोल सकते हैं, पृथक रूप से आपको बोलने की इजाजत नहीं दी जायेगी जब वो विचारार्थ आयेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आप इतना संशोधन कर सकते हैं कि एक बिल जब हम ले रहे हैं तो उस बिल पर जितने माननीय सदस्यों के अन्य बिलों पर भी संशोधन दिये हुए हैं वो उसी बिल पर उन सारे विश्वविद्यालयों के बारे में बोल दें, बोल सकते हैं, उसमें बोलने का अधिकार भी है लेकिन एक-दो माननीय सदस्य ऐसे हों जिनका सब विश्वविद्यालयों में नहीं दिया हुआ है, उस एक विश्वविद्यालय में ही दिया हुआ है या दो में दिया हुआ है तो वो उस समय उसमें बोल सकते हैं और उसके बाद, एक पर बोलने के बाद में एक-एक बिल को अपन लाए ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं सोचता हूं ले लेना चाहिए, साहब, विचारार्थ तो ले लेना चाहिए क्योंकि निरसन भी आयेगा इसमें।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे निवेदन करूं, क्रम भी वो ही है, नाम भी वो ही हैं, 12 के 12 के वो ही हैं ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): करो, साहब, करो करो।

श्री उपाध्यक्ष: इसलिए जब उसी क्रम से बोलें, न तो हम किसी का क्रम तोड़ रहे हैं। ...(व्यवधान)...

और वैसे, उप सचेतक महोदय, आप आश्वस्त रहिये, आसन ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो रूल में नहीं आता हो, कानून में नहीं आता हो, परम्पराओं में नहीं आता हो और हो सकता है नई परम्परा भी निभा देगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आसन ने व्यवस्था दी, उसका सम्मान करते हैं और हमारी पार्टी तो बहुत ही अनुशासित पार्टी है। हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, हम तो हमेशा ही आसन का सम्मान करते हैं और आसन के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आदेश और निर्देशों की पालना करते हैं। ये थोड़े से यू.पी. चुनाव से अति उत्साह में हैं इसलिए आसन की अवहेलना करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, जिसमें ये कामयाब नहीं होंगे। ये अति उत्साह ले डूबता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इनको आसन पर भरोसा करना चाहिए और जब मुख्य सचेतक महोदय विराजमान हों ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आसन का पूरा सम्मान है, आपको इसकी सिफारिश करने की जरूरत नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): और इनको यह भी आश्वस्त कर दीजिए कि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई ओलमा नहीं मिलेगा, आसन की तरफ से और हमारी विपक्ष की तरफ से भी आप आश्वस्त हो सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इजाजत दी। आज जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय और 1 2 विश्वविद्यालय हैं जिसमें एक हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) का भी विधेयक है, बाकी सारे के सारे कुलपति की, यू.जी.सी. के हिसाब से विश्वविद्यालय कुलपति की योग्यताओं का निर्धारण करने के ये अमेंडमेंट लाये गये हैं, उसके ऊपर हमें बोलने का अवसर हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि कुलपति की कोई न कोई शैक्षणिक योग्यता, किसी प्रकार की योग्यता तय होनी चाहिए और यू.जी.सी. ने जो निर्देश दिये हैं उसके हिसाब से सरकार ये बिल लेकर के आयी है। लेकिन जो बिल लेकर के आयी है उसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें एक लाइन है, विश्वविद्यालय/शोध/शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में दस वर्ष का अनुभव।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में 10 वर्ष का अनुभव, बहुत अच्छी बात है। इसमें हमें कहीं शंका नहीं है। यह होना भी चाहिए। लेकिन जो आगे का शब्द है, शोध/शैक्षणिक, प्रशासनिक संगठन में 10 वर्ष का अनुभव, इसका सरकार ने खुलासा नहीं किया है। यह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

क्या चीज है और कैसा शोध होना चाहिए? किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति, कहीं भी किसी संस्था में, किसी भी विचारधारा वाले व्यक्ति को अगर वहां पर नामिनेट कर दिया, 10 साल का उसका अनुभव हो गया और उसके बाद में आप राजस्थान विश्वविद्यालय का उसको वी.सी. बना दोगे तो सही नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यह जो छिपा हुआ एजेंडा है, इस पर हमें शंका हो रही है कि कहीं सरकार इस अमेंडमेंट के पीछे ऐसा अधिकार तो नहीं ले रही है कि वह अपनी पार्टी को समर्थन करने वाले अन्य विचारधाराओं के संगठनों से जुड़े हुए व्यक्तियों को प्रशासनिक रूप से 10 साल का अनुभव हो जाए और वह शोध में कोई पीएचडी कर रहा हो, पीएचडी किया हुआ हो, उसको अगर जोड़ दिया तो मैं समझता हूं कि इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर फर्क पड़ेगा।

(15.11 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, जैसे आईसीएचआर है, इंडियन कौंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, अब आप बताइए कि आईसीएचआर में एक हैं सुदर्शन राव, जिनको चेयरपर्सन बना रखा है। उनकी कोई योग्यता तय नहीं है। उनका क्या अनुभव है, किस तरह का उनका बॉयोडेटा है, कुछ भी नहीं है। वैबसाइट पर मैंने इसको अच्छी तरह से देखा है। अगर वह व्यक्ति 10 साल का अनुभव लेकर यह कहेगा कि मुझे प्रशासनिक और शैक्षणिक 10 साल का अनुभव है, मुझे आप वी.सी. बना दीजिए और सरकार ने उठाकर टिका दिया तो मैं समझता हूं कि और ज्यादा गड़बड़ बात हो सकती है।

सभापति महोदय, पहले से ही हमारी उच्च शिक्षा में जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप शैक्षणिक योग्यता तय करना चाह रहे हैं, एक तरफ तो इसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके क्या हाल हैं उच्च शिक्षा में? राजस्थान विश्वविद्यालय जिसकी किसी जमाने में धाक हुआ करती थी।

सभापति महोदय, अगर माननीय मंत्री महोदय चैम्बर में विराज करके चर्चा कर लें, अगर यह चैम्बर बना दिया तब तो मैं बैठ जाता हूं, बाद में बात कर लेता हूं। अगर चैम्बर नहीं बनाया है तो हाउस को आर्डर में लाइए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी सीटों पर बैठें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये सबको पीपीपी सड़क देंगे। विलेज सड़क एक को नहीं देंगे मंत्री जी। काहे के लिए चक्कर लगा रहे हो?

श्री सभापति: अपनी सीट पर बैठें, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या हो गया? आसन की अवहेलना? यह भारतीय जनता पार्टी के गुणों में शुमार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से पेपर लीक हुए हैं इससे पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान की बदनामी हुई है। हम कहां उच्च शिक्षा को ले जाना चाह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? हम पर आरोप लगाते थे कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। अब क्या हो गया? सब कुछ ही लीक हो गया। आपका कुछ बचा ही नहीं। सारे प्रोफेसर, सारे एच ओ डी, चपरासी से लेकर के कोचिंग संस्थानों को पेपर जा रहे हैं। पता नहीं किस-किस को जा रहे हैं? सबको जा रहे हैं।

सभापति महोदय, आज हालत यह हो गई है कि एक भी बच्चा अपनी मेहनत से, लगन से नंबर लाने की बात नहीं कर सकता। आज एक प्रोफेसर है तो उसका बेटा पक्का प्रोफेसर बनेगा क्योंकि उसको पता है कि भूगोल का पेपर किसका आएगा, एबीएसटी का पेपर किसका आएगा, इतिहास का किसका आएगा, पॉलिटिकल साइंस का किसका आएगा, सबका पता है। उसको 2 दिन पहले बता देगा कि यह-यह रट ले। यह 4 क्वेश्चन तुझे करने हैं, यह 4 क्वेश्चन आएंगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सदस्य, यह अभी हुए हैं कि लीक?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अच्छा हो रहा है न? अच्छा हो रहा है न? यह सब कुछ कबाड़ा हो गया। सब कुछ स्वाहा हो गया। फिर भी अगर इस तरह की बातें करोगे तो चलाते जाओ ...(व्यवधान)... आप सुधार के वादे करके आए थे, 163 की संख्या हमको गालियां दे देकर के, पानी पी पीकर के ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): जहां-जहां पाँव पड़े संतन के तहां-तहां बंटाढ़ार। आप दिल्ली जाकर के आए हो दिल्ली में भी वही परिणाम आएगा ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नौकरियां नहीं लग रही हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप दिल्ली जाकर के आए हो, दिल्ली में भी वहीं परिणाम आएंगे जो धौलपुर के आए हैं...(व्यवधान)...

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): कबाड़ा कितना किया था वह तो बताओ ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, अब इसको वाद-विवाद बनाओ तब तो वैसे बता दो। यह जो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, यह अपनी आदत से लाचार हैं। यह बीच-बीच में इसलिए करते हैं कि कोई मुद्दे की बात नहीं आ जाए, कोई गुणवत्ता की बात नहीं आ जाए, कोई उच्च शिक्षा में सुधार की बात नहीं आ जाए। आप ही पेपर लीक करा रहे हो क्या इसका मतलब तो यह हुआ?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सुधार कर रहे हैं हम तो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कहां कर रहे हो? कर दिया न।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): ढांचे को सुधार रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक को तो डेढ़ साल में घर बैठा दिया और दूसरे को बना दिया।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपके राज में जितनी भी एजेंसियां थीं ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले वाले मंत्री जी गए ...(व्यवधान)... पहले वाले मंत्री कालीचरण जी सराफ थे तो 12 प्राइवेट विश्वविद्यालयों की शिकायत हुई। वह रिपोर्ट को लेकर के, दबाकर के घर बैठ गए। कुछ नहीं किया। दूसरे मंत्री जी आए तो पूरा सरकारी सिस्टम ही फेल हो गया। राजस्थान विश्वविद्यालय पूरे में ही पेपर आउट करा दिए। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): वह जोधपुर विश्वविद्यालय की नियुक्तियों को भी लोग पूछ रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, तो करो न ...(व्यवधान)...

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हम ही कर

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

रहे हैं ...(व्यवधान)... हम ही कर रहे हैं उसके ऊपर भी कार्यवाही। अभी भी जो चीज निकली है उसके ऊपर सरकार ही कार्यवाही कर रही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अलाउ कर रहे हो क्या आप?

श्री सभापति: बोलिए आप।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): जोधपुर विश्वविद्यालय में डिग्रियां कैसे बंटीं? वह तो आपका ही बनाया हुआ था। जोधपुर में तो मुख्य मंत्री वहां का था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, अब बताओ, इनको तो यह पता लग गया है कि हमसे भी कम आना है अगली बार। इन्होंने तय कर लिया है इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ ज्ञान की बात भी सीख लो, जिंदगी में काम में आएगी।

सभापति महोदय, आप उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की बात कहते हैं। 2012 में जो विश्वविद्यालय हमने खोले थे, आपके प्रगति प्रतिवेदन में और आपकी वेबसाइट पर 2012 में खोले हुए बताए गए, इसलिए कह रहा हूं कि हमने खोले थे, आपने नहीं खोले। चाहे सीकर का हो, चाहे भरतपुर का हो, चाहे दूसरा हो, उन विश्वविद्यालयों में हमने वित्तीय विभाग से स्वीकृतियां दे दी थी। जैसे सीकर के दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में 53 पोस्टें सैंक्शन की थी, आज 46 पोस्टें खाली हैं। आपने 5 करोड़ रुपया, अब की बार 10 करोड़ रुपया देने की बात की है। साढ़े 3 साल में आपने 5 करोड़ रुपए दिए और चारदीवारी उस विश्वविद्यालय की बनी नहीं। आप क्या समझते हो? कहां ले जाना चाहते हो इस प्रदेश को?

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): आपने खोला तो बिल्डिंग होनी चाहिए, चारदीवारी होनी चाहिए, पोस्टें भर जानी चाहिए, सब होनी चाहिए। फिर क्यों पूछ रहे हो कि चारदीवारी बनी? आपने तो कर दिया था ना सब कुछ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी आंगनबाड़ियों के तो हाल ही बेहाल हैं, काहे के लिए मेरे से कहलवा रहे हो। आंगनबाड़ियों के तो हाल ही बेहाल हैं। वह जो मुरमुरे हैं न मुरमुरे, वह भी मंत्री जी आपसे सही बंटवाये नहीं जाते। मेरे को काहे के लिए बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। वह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मुरमुरों में 30 परसेंट माल भी नहीं डालते और आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): वह लोग आपके ही हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब हमारी यूपीए सरकार थी तो उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए काम किया। वह बात को समझते हैं, बुद्धिमान आदमी है, कि यह सही बोल रहा है, इसको सुनो। उच्च शिक्षा के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने वर्चुअल लैब के लिए कहा था, एनएसक्यू, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन होमवर्क के लिए कहा था। आरवीआरवीएस व्याख्याताओं को कैरियर एडवांस स्कीम का लाभ आपने आज तक दिया नहीं। 31.12 के पश्चात आपने आज तक दिया नहीं। 5 जुलाई, 2016 को वित्त विभाग ने दुबारा प्रस्ताव मांगे थे, आज डेढ़ साल हो गया, इन लोगों को लटके हुए 4 साल से भी ज्यादा हो गया। आपकी सरकार आने के बाद में आपने कुछ किया नहीं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो विश्वविद्यालय नियामक आयोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ठीक करने के लिए, उनकी मोनीटरिंग करने के लिए, अनियमितताएं रोकने के लिए करने वाले थे, पहले कालीचरण जी सराफ थे, कहते थे कि हमने लॉ डिपार्टमेंट को भेज दिया है। लॉ डिपार्टमेंट से वापिस आ रहा है, रास्ते-रास्ते चल रहा है, जल्दी आ जाएगा, जल्दी इसका कर दिया जाएगा, यूं करके और अपने पेट पर हाथ फेरकर के बैठ गए अपनी सीट पर। अब वह तो चले गए। अब हम माननीय मंत्री महोदया किरण माहेश्वरी जी से आशा करते हैं। इन्होंने भी जवाब दिया था इसी सत्र में कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जांच कराएंगे। एक महीने में पता नहीं क्या-क्या कर देंगे। सबको ठीक कर देंगे, नियामक आयोग लाएंगे। यह लाए नहीं।

सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने किसी भी रूप से उच्च शिक्षा का जो हम छोड़कर गए थे, उससे और ज्यादा गिराने का काम किया है। जो हमने कॉलेजेज खोले थे, सैक्शन किए वे समीक्षा के नाम पर बंद कर दिए। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को आपने बंद ही कर दिया। पत्रकार नहीं चाहिए? तीसरी आँख होती है मीडिया, तो मीडिया के लोग अगर अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़कर आएंगे तो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जागरूक नागरिक की भूमिका निभाएंगे और हम सबको सचेत करते रहेंगे चाहे ब्यूरोक्रेसी हो या चाहे हमारे नेता हो। उनको सरकारों को ठीक करने का काम बहुत बढ़िया तरीके से मीडिया करता आ रहा है, करे, इसके लिए हमने खोली थी। आपने तो हरिदेव जोशीजी का नाम, अगर आपको पसंद नहीं था तो कोई दूसरा ले लेते लेकिन उनको करना चाहिए था लेकिन आपने खोला नहीं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपने, जो हमारी है वह अटका ही रखी है। लॉ यूनिवर्सिटी का जो हाल है वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। यह सारी की सारी, यह मैं तो यह समझ रहा था कि इतने बड़े जब आप अमेंडमेंट लेकर आए तो कम से कम इनको मजबूत करने का काम तो करेंगे लेकिन मजबूत करने का काम नहीं करके आपने केवल मात्र इनको यूजीसी का जो आया उसमें एक चीज और जोड़कर आपने अपनी सत्ता पक्ष की।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, माननीय जोशीजी का नाम बांसवाड़ा की गर्ल्स कॉलेज में माननीय भैरोंसिंहजी ने रखा। कॉलेज खोला उनके नाम पर, इन्होंने कुछ नहीं किया माननीय हरिदेव जोशीजी के नाम से, बीजेपी की सरकार ने किया, भैंरोसिंहजी ने किया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): भैंरोसिंहजी अच्छे थे, तब कर दिया, उन जैसे बनो तो सही। उन जैसे आप बनने की चेष्टा कर रहे हो पर आपको कोई मौका नहीं देता तो मैं क्या करूं, मेरा क्या दोष? हम तो चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव मंत्री बने लेकिन कोई नहीं बनाए तो हम क्या करें?

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, एमएमएनटीटी, मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स ट्रेनिंग, के लिए हमारी यूपीए गवर्नमेंट ने उस समय बजट दिया था, साढ़े तीन साल हो गए मंत्री महोदय, कोई उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए आपने यह इसको लागू क्यों नहीं किया, इस पर पैसा खर्च बजट के बावजूद क्यों नहीं किया, इस बात का कोई जवाब है क्या? कोई किसी चीज का जवाब नहीं, न उच्च शिक्षा को ठीक करना है। एक इस अमेंडमेंट के माध्यम से केवलमात्र अपनी पार्टी की विचारधारा के लोगों को जो कहीं कोई शोध में काम कर रहे हैं या कहीं मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, दस साल का उसका अनुभव हो जाएगा

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

और उसके बाद में दस साल किसी भी गैर शैक्षणिक व्यक्ति को आपने उसमें डाल दिया और अगर वह हो गया तो राजस्थान विश्वविद्यालय का आप उसको कुलपति बना देंगे। अभी बनाया था न कुलपति, क्यों हटाना पडा आपको? क्यों हटाया? जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें हम सबको पार्टी लाइन से ऊपर उठकर माननीय सभापति महोदय, सोचना पड़ेगा। मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को इसमें लेना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से पेपर आउट हुए हैं, जिस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है, ठगा सा महसूस कर रहे हैं, वह यूं मतलब, आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है उन लोगों को, हम तो सब रट कर आए हैं, पता ही नहीं यह पेपर किस तरह से आया, जो इंटेलीजेंट बच्चे थे, जो मेहनत करते थे, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया, चौपट हो गया। इन चीजों को देखने के लिए आपको पहल करनी पड़ेगी मंत्री महोदयाजी, इसलिए यह जो प्रकरण हुआ है पेपर लीक का प्रकरण। आप समझिए, हमारे राजस्थान की पूरे हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी बदनामी हुई है। माननीय सामाजिक न्याय मंत्रीजी, आप भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, इसी तरह से पेपर लेकर पास होकर आए थे क्या? इसी तरह?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप भी तो इसी में पढ़े हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, मैं तो नहीं पढ़ा, मैंने तो सीकर-साकर से ही नाका निकाल लिया मेरा। मैंने तो सीकर से ही नाका निकाल लिया लेकिन आप भी इसी तरह से पेपर लेकर आए थे क्या?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपके समय में भी ऐसा ही था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारे समय में नहीं थी यह परम्परा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप तो अपने अध्ययन से, मेहनत से, लगन से, पढ़कर आए हैं लेकिन आज जो हालात बने हैं, उसमें कोई व्यक्ति को, कोचिंग वाले सारों के पास पेपर जा रहे हैं। सारे प्रोफेसरों के पास पेपर जा रहे हैं, सारे बच्चे जो थोड़ा बहुत लिंक रखते हैं प्रोफेसरों से, उनके पास पेपर जा रहे हैं। तो आप बताइए कहां ले जाना चाह रहे हैं इस उच्च शिक्षा

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

को? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, चाहे स्मार्ट क्लास की बात हो, चाहे वर्चुअल लैब की बात हो, इन सबको ठीक करने की बात है, यह पैसा केन्द्र सरकार से आया पड़ा है। रिसर्जेंट राजस्थान में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, कई एमओयू हुए, कहां गए वह एमओयू? केवल नाम बदल दिया, हमने यहां पर बाबा साहब के नाम से लॉ कॉलेज खोली, आपने लॉ कॉलेज ही बंद कर दिया, बाबा साहब का नाम भी हटा दिया वहां से। ...(व्यवधान)...

(आसन द्वारा दिए गए पश्चातवर्ती आदेश द्वारा अंकित नहीं किया गया)

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठें आप।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री सभापति: बिल पर चर्चा हो रही है, आप बिल पर बात करें। बिल पर चर्चा करें। बिल पर ही बोलो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिल पर अपने सुझाव रखें। आप इतने विद्वान सदस्य हो। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री सभापति: आप बैठें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री सभापति: अब आप विराजें। ...(व्यवधान)... मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि विराजें। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें। आप विषय पर अपनी बात करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान) अब आप बैठें। आप बैठें। बैठें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विषय पर बोलें।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री सभापति: आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। अब आप बैठें।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री सभापति: आप बैठें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, आप बैठें। आप विषय पर अपनी बात रखें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालय की गुणवत्ता, शोध को उत्कृष्टता के आधार पर रखी जाती है। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि एमएचआरडी को "रूसा", राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के शोध के लिए क्या प्रावधान था? क्या महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के लिए रूसा के तहत शोध प्रस्ताव आमंत्रित किये गये? इनमें कितने प्रस्ताव एमएचआरडी को भिजवाये गये, कितने की स्वीकति की गयी? इन शोध प्रस्तावों को राज्य सरकार प्रोत्साहित करने का विचार रखती है या नहीं रखती है? जब आप उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाना चाहते हैं (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करेंगे अब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): केन्द्र सरकारों ने समय-समय पर योजनाएं दी हैं, बजट दिया है, प्लान दिया है तो उसका उपयोग ये कब करेंगे या इसी तरह से विश्वविद्यालयों के पेपर आउट कराते रहेंगे? मेरा यह आरोप है, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी को इस्तीफा देना चाहिए और सदन में जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि राजस्थान के उन गरीब परिवारों के बच्चे, वे बच्चे जो एससी, एसटी, ओबीसी से या गांव के गरीब बच्चे आते हैं उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनके साथ बेजा हुआ है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): 000

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर जाएं।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): 000

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य। आप बैठें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री रामचन्द्र (डग): 000

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): मैं वाकआउट करता हूं।

बहिर्गमन

(तदनन्तर माननीय सदस्य श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) द्वारा बहिर्गमन)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापति: बाबा साहब का अंकित न करें। अपमान वाला अंकित न करें।

श्री रामचन्द्र (डग): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापति: आप बैठें।

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री भंवरसिंह (कोलायत): 000

श्री रामचन्द्र (डग): 000

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री सभापति: बैठिए आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): 000

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, ऐसी कोई शब्दावली है तो उसे डिलीट करो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

(कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): 000

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री सभापति: आप बैठिए। (व्यवधान) विजय जी बंसल का (व्यवधान) जो भी आपत्तिजनक होगा उसको हटा दिया जाएगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, सभापति महोदय (व्यवधान)

श्री सभापति: सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की ओर से जो भी वक्तव्य दिये गये हैं वे डिलीट कर दो आप। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की ओर से जो भी डिबेट में विवाद हुआ है उसको आप डिलीट कर दो। वह सारा वक्तव्य। (व्यवधान) आपत्तिजनक जो भी है, आपत्तिजनक जो भी बातें हैं वे कार्यवाही से हटा रहे हैं। आपत्तिजनक बातें। (व्यवधान)

जो भी आपत्तिजनक शब्द हैं उनको कार्यवाही में अंकित न किया जाय। कुछ भी अंकित न हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं हो। यह कुछ भी अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा कुछ भी। कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 000

श्री सभापति: बाबा साहब के बारे में जो भी डिबेट हुई है वो अंकित नहीं हो। बैठ जाओ। आप बैठिये। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे सबके लिए श्रद्धायोग्य थे और उनका इस देश में जो कंट्रीब्यूशन रहा उसको कोई भूल नहीं सकता। माननीय सदस्य ने कोई ऐसी बात कही नहीं, कोई ऐसी टिप्पणी की नहीं और फिर भी कोई ऐसी टिप्पणी ये महसूस करते हैं तो हम क्षमा याचना करते हैं। छोड़ें न अब। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं न।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): फिर भी किसी माननीय सदस्य की भावना आहत हुई है तो संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मैं क्षमा याचना करता हूं। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, संसदीय कार्य मंत्री जी ने अगर ऐसी टिप्पणी हुई है तो क्षमा मांग ली है। आप बैठें अपने स्थान पर। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री सभापति: संसदीय कार्य मंत्री जी ने यदि कोई ऐसी टिप्पणी हुई है तो उसके लिए खेद प्रकट कर दिया है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

(15.44 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): 000

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 000

श्री मान सिंह (गंगापुर): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये विराजिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री मान सिंह (गंगापुर): 000

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। आप विराजिये न। आपके प्रतिपक्ष की तरफ से तो ओपनिंग स्पीकर थे। This House likes to hear. अब आप विराज जाएं। (व्यवधान) कुछ निर्णय तो आसन को भी करने दीजिये। अब आप विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाएं, आप सब विराज जाएं। Let's try and bring House in order. (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यदा-कदा कई बार सदन में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। आज सदन के अन्दर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जिस प्रकार की टीका-टिप्पणी हुई, उपाध्यक्ष महोदय, बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर संविधान के निर्माण में जो योगदान रहा वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। (व्यवधान) हम सब लोग चाहे किसी भी दल के रहे हों, हमेशा सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर का आदर भी करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, उनके बताये हुए मार्ग पर चलने की सब कोशिश भी करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जिस प्रकार की टीका-टिप्पणी हुई और किसी की भावना आहत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हुई हो, किसी भी माननीय सदस्य की भावना आहत हुई तो संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मैं क्षमा याचना करता हूं। दोनों तरफ से भी अगर इस पूरे वाद-विवाद में बाबा साहब के मान और अपमान की बात को लेकर किसी की भावनाएं अगर आहत हुई हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में क्षमा याचना करता हूं और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं इन पर बहस करें और आज साढ़े पाँच बजे जी.एस.टी. बिल पर भी एक प्रस्तुतीकरण वित्त विभाग का है इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि आप हाउस ऑर्डर में लाने के लिए कहें। कहीं किसी भी माननीय सदस्य की बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति किसी प्रकार की मानहीन टीका-टिप्पणी करने की न हमारी मंशा है, न मंशा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात की प्रबल समर्थक रही है कि बाबा साहब का जो योगदान देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर संविधान निर्माण तक रहा है उसको कोई भूल नहीं सकता। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लायें।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री उपाध्यक्ष: अब संसदीय कार्य मंत्री जी ने किसी भी इस प्रकार की टिप्पणी पर जब क्षमा याचना सदन को कर दी और उनके वक्तव्य में उन्होंने यह कहा है कि मैं.....

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्रीमती कमसा (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार हिन्दुस्तान के हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने जब भीमराव अम्बेडकर की हर ग्राम पंचायत पर जयंती मनाने की घोषणा की थी तो एक भी गांव के अंदर बाबा साहब की मूर्ति या तस्वीर नहीं मिली। यह कांग्रेस की देन है कि इन लोगों ने बाबा साहब को गांव तक पहुंचने नहीं दिया और लोग उनको पहचानते नहीं हैं। (व्यवधान) जब बाबा साहब ने आरक्षण लिखा, पहली बार भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री बने तो 1995 में लागू किया। कांग्रेस ने आज तक दबाकर रखा, बाबा साहब की पहचान नहीं बनने दी। इनका कोई योगदान नहीं है। जबरदस्ती, ये जान बूझकर... क्या किया आप लोगों ने बाबा साहब के लिए? कहीं भी आपने मूर्ति नहीं

(श्रीमती कमसा)

लगाई। बाबा साहब के नाम पर आपने कुछ भी घोषणा नहीं की। बिलकुल आप झूठी बात कर रहे हो। बाबा साहब सबके आदरणीय थे, हैं, और रहेंगे। कांग्रेस ने आज तक बाबा साहब के नाम पर कुछ नहीं किया। आपने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। बिलकुल आप झूठी बातें कर रहे हो। आप यहां खड़े होकर नाम ले रहे हो बाबा साहब का। क्या किया आपने बाबा साहब के नाम पर आज तक? (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलना चाहेंगे? फर्माओ।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फर्माऊं?

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाबा साहब की यहां पर चर्चा करना, इस सदन में किसी का नाम लेकर चर्चा करते नहीं हैं और इस विषय को जबरदस्ती उछाला जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस विषय पर न तो कोई चर्चा करे और न सदन को भटकाये क्योंकि बाबा साहब के बारे में चाहे प्रतिपक्ष के लोग हों और चाहे पक्ष के लोग हों, जिस प्रकार से बोल रहे हैं, निश्चित रूप से माननीय सदस्यों के अंदर से आत्माएं झकझोरती हैं और इसके प्रति मन उद्वेलित होता है कि कोई बात करें। बाबा साहब ने इस देश में काम किया है चाहे संविधान निर्मात्री सभा के वे अध्यक्ष रहे या संविधान बनाया या देश को एक करने का काम किया, पूरे देश को संविधान देने का काम किया। मैं यह चाहता हूं कि ऐसे महान पुरुष जो भारत-रत्न से उपाधित हैं, ऐसे विषय पर यह राजनीति करने का जो ढोंग यहां हो रहा है और जिस प्रकार से ये माहौल सदन का खराब कर रहे हैं और जिस प्रकार ये संदेश देना चाहते हैं, 1990 के अंदर पहली बार बाबा साहब को भारत-रत्न का पुरस्कार मिला था। लम्बे समय तक कांग्रेस राज में रही। कभी बाबा साहब को पूछा नहीं। माननीय प्रधान मंत्रीजी ने समरसता दिवस मनाकर पूरे देश में संदेश दिया और माननीय प्रधान मंत्रीजी, माननीय सरकार, माननीय भाजपा की सरकारें जहां पर भी हैं, आज बाबा साहब के पूरे चरित्र को, उनके लेखन को, संविधान के प्रति उनकी सारी धाराओं को जिस प्रकार से गांव-गांव और ढाणी-ढाणी पहुंचा रहे हैं, ये सिर्फ एकमात्र

(श्री रामचन्द्र)

बाबा साहब के नाम से जो ढिंढोरा पीटकर, बाबा साहब को यहां पर जिस प्रकार से दिखा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार की सदन की कार्यवाही में बाबा साहब का नाम लिया है, वह सारी की सारी कार्यवाही को अपलिखित किया जाये। इस सदन की कार्यवाही में नाम उनका आया है, वह हटाया जाये और सदन जिस प्रकार से चल रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जब चर्चा ही किसी और विषय पर हो रही है और सदन में विषय ही कुछ और है तो माननीय वक्ता हैं, वह उस विषय को उस तरफ क्यों डाइवर्ट करते हैं? क्यों लोगों की भावनाएं भड़काते हैं? मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी वक्ता हैं, वह निश्चित रूप से अपने विषय पर चले और ऐसे महान विभूतियों के बारे में ज्यादा चर्चा करके बिना मतलब का संकट खड़ा न करें। धन्यवाद।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये उसी पार्टी के लोग हैं क्या जिन्होंने उनको लोक सभा में नहीं जाने दिया था। जिन्होंने उनको हराया था। ये उसी पार्टी के लोग बाबा साहब के बारे में नारे दे रहे हैं क्या? यह पूछना चाहती हूं मैं उनसे कि उसी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने उनको लोक सभा में जाने से रोका था? तो इतने वर्ष लगे उनको बाबा साहब को समझने में। (व्यवधान) साठ साल लगे, जिस पार्टी के लोगों को बाबा साहब को समझने में।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बाबा साहब को लोक सभा में जाने से रोकने के लिए कांग्रेस ने... (व्यवधान) इन्होंने बाबा साहब को लोक सभा में जाने से रोका था। माननीय नरेन्द्र भाई मोदी ने जहां बाबा साहब लंदन में पढ़ते थे...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): वोट बैंक खिसकता हुआ देखकर अब बाबा साहब याद आ रहे हैं। बाबा साहब की कभी जयंती मनाने का प्रयास किया क्या? राज्य से आपके इतने मुख्य मंत्री रहे, वर्षों से मुख्य मंत्री रहे, कभी भारतीय स्तर पर बाबा साहब की जयंती मनाई? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप सारे विराज जाओ। एक बार आप सब विराज जाओ। (व्यवधान) एक मिनट आप विराज जाए। (व्यवधान) डाक्टर साहब, आप भी विराज जाओ। एक क्षण के लिए आप शांति रखें।

मैं यह मानता हूं कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची होगी। (व्यवधान) ऐसा है, ऐसा कौनसा व्यक्ति है इस भारत में, जिसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, अगर इस महापुरुष के बारे में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां की जाएं। यह किसी एक संगठन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। वह इस भारत के लिए एक महान व्यक्तित्व था, मनस्वी जीव था। आज जो आप और हम यहां कर रहे हैं, कहीं न कहीं उस व्यक्ति के दिये हुए नियमों की हम पालना कर रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है, आप विश्वविद्यालय पर चर्चा कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के संबंध में आज आपके बीच में वाद-विवाद हो रहा है, वह राष्ट्र में ही नहीं, पूरे संसार में सम्मानित है। अनेक विश्वविद्यालयों में गये और बाहर के विश्वविद्यालयों ने उनकी मूर्ति भी लगा रखी है लेकिन वह जहां भी हैं, आज इस सम्पूर्ण कृत्य को देखकर उनको ज्यादा हर्ष नहीं हो रहा।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

कोई भी व्यक्ति इस प्रकार महान नहीं होता, अगर किसी महान पुरुषों के बारे में अनुचित टिप्पणी करता है, यह उस व्यक्ति के विवेक पर छोड़ दीजिये अगर कुछ ऐसा हुआ है तो, ऐसे उस व्यक्ति के विवेक पर छोड़ दीजिये। इस पूरे सदन का सामूहिक विवेक यह है कि हमारे सामने जो आज का कार्य है, उसको हम निष्ठापूर्वक सम्पूर्ण करे और इसके लिए मैं 15 मिनट का समय आपको देता हूं और 15 मिनट के लिए मैं इस सदन को स्थगित करता हूं। अगर आप विवेक से इस सदन को चलाना चाहें तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं 15 मिनट बाद में, वर्ना फिर आसन को जो कार्य करना है, वह करेगा। 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.57 बजे, 15 मिनट के लिए स्थगित हुई)

(16:12 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

विधेयक पर विचार

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधयेक, 2017

श्री उपाध्यक्ष: नमस्कार। आप कन्टीन्यू करना चाहेंगे? आप कनक्लूड कर लें क्योंकि साढ़े पाँच बजे वर्कशॉप भी है तो एक-डेढ़ घंटे में...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विश्वविद्यालयों के संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए केवल इतना कहा था सभापति महोदय की अनुमति से कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी ...(व्यवधान)... आपको पूछ कर थोड़े बोलूंगा। जैसे आप जीतकर आये हों न, वैसे ही मैं आया हूं, बार-बार मत खड़े होओ। ऐसे नहीं होना चाहिए जब उपाध्यक्ष महोदय अनुमति दे रहे हैं तो आप जबरदस्ती क्यों खड़े हो रहे हो। आपके तकलीफ है क्या? आप श्री विजय बंसल की विचाराधारा का समर्थन करते हो क्या? आपकी पार्टी समर्थन करती है क्या? +++ बाबा साहेब का अपमान कर रहे हो ऊपर से +++

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हमारी पार्टी ने भीम एप लागू किया है केन्द्र सरकार ने और हमारी राजस्थान सरकार ने भी भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह बातें आप मत करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या कर दिया? हां, कर दिया होगा। बाबा साहेब का अपमान इस हाउस में कर रहे हो आप। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): भीमराव अम्बेडकर का सम्मान हमने ही किया है। आपने आज तक कोई सम्मान नहीं किया है। फालतू की वाहवाही लूटने का काम कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप सब लोग शांति से अपने-अपने स्थान पर विराजे रहें और सम्माननीय प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आप जबरदस्ती उत्तेजित करने की कोशिश मत करिये। सामान्य भाषा भी सदस्यों को समझ में आती है। ज्यादा सरल भाषा से ठीक तरह से लोग-बाग़ समझ पाते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, मैं दो मिनट में अपनी बात कहता हूं। बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं आपके हर आदेश की पालना करूंगा, लेकिन ये बीच में खड़े नहीं होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतनी चर्चा हुई थी आप आसन पर विराज नहीं रहे थे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी को आपकी सरकार ने बंद किया और आपके माननीय सदस्य, मैंने यह कथन निवेदन किया था कि आपके माननीय सदस्य बाहर मीडिया में यह कहते हैं कि बाबा साहेब कोई संविधान के निर्माता नहीं थे। इसी बात को लेकर के माननीय सदस्य विजय बंसल जी ने यह कहा कि मैं मेरे बयान के ऊपर अटल हूं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कोई संविधान के निर्माता नहीं थे। हमने विरोध किया। इन्हीं के माननीय सदस्य सुन्दर लाल जी ने जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं। इन्होंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगिये। वो माननीय सदस्य माफी नहीं मांग रहे।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाएं। श्रीमान् आप विराज जाएं।

श्री हीरालाल (निवाई): राज्य मंत्री नहीं कैबिनेट मंत्री। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमान् इस प्रकार की एक-दूसरे से वार्तालाप न करें। उचित नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिकार्ड पर अंकित है। हमने उनके इतना कहने पर यह पूछा था कि क्या यह आपकी पार्टी सत्ता पक्ष की पार्टी की विचाराधारा है जो यह माननीय विजय बंसल जी कह रहे हैं। अगर विचाराधारा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपकी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य विजय बंसल जी को पूरे सदन में माफी मांगनी चाहिए। अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाएं। जब संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात के लिए क्षमा मांग ली तो फिर अब रह क्या गया? उन्होंने सामूहिक रूप से क्षमा मांग ली।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं मांगी। बात ही नहीं हुई। फिर तो हल्ला ही हल्ला हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: रिकार्ड पर है वरबैटम में है और इसको मैंने पूरा सुना है और मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं। क्षमा मांग ली, अब इस विषय से आप आगे पधारें। आसन यह आश्वस्त कर रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस प्रकार के कथन पर क्षमा भी चाही है और उसका खंडन भी किया है। ठीक है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बंसल जी इनकी पार्टी के माननीय सदस्य हैं। क्या विजय बंसल जी इस सदन में माफी मांगने में संसदीय कार्य मंत्री जी से बड़े हो गये क्या? क्या विजय बंसल जी माफी नहीं मांग सकते क्या? इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि विजय बंसल जी के साथ-साथ सत्ता पक्ष की पार्टी की विचाराधारा बाबा साहेब को अपमानित करने की है उनके बारे में यह विचार है। इसलिए हम सबको ठेस पहुंची है। हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक को ठेस पहुंची है उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो आप और हम यहां नहीं होते। यह हिन्दुस्तान जिस प्रकार से चल रहा है सामाजिक समरसता छत्तीसों क़ौमों के लोग हिन्दुस्तान में रहते हैं हिन्दू भी, मुस्लिम भी, ईसाई भी सब रहते हैं यह बाबा साहेब की देन थी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी ने क्या कहा वो अलग बात है, लेकिन माननीय विजय बंसल जी इस माननीय सदन के सदस्य हैं। माननीय विजय बंसल जी जब तक इस सदन में अपने शब्दों को वापस लेकर माफी नहीं मांगते, हमारे आघात पहुंची है बाबा साहेब के सम्मान पर। यह हम न आज बर्दाश्त करें न ही कल करें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विजय बंसल जी के साथ हो क्या?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं, हम संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): विजय बंसल जी के साथ नहीं हो? विजय बंसल जी के साथ नहीं हो?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): संसदीय कार्य मंत्री जी ने जब कह दिया तो बात खतम हो जानी चाहिए। आप इस विषय को बार-बार नहीं कहें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं-नहीं, आप विजय बंसल जी को अपनी पार्टी का ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान)...बार-बार बाबा साहेब का नाम ले-लेकर बाबा साहब वाले विषय पर आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप जैसे लोगों ने मजबूर किया उनको कि बोद्ध धर्म अपना लें वो। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इतने बड़े हो गये विजय बंसल जी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि सदन में माफी नहीं मांगे। करोड़ों-करोड़ों लोगों के ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तो फालतू इस विषय को मुद्दा बना करके अखबारों की सुर्खियों में आने का एक मौका ढूंढ रहे हैं। ये फालतू की बात है आप इस प्रकार की चर्चा ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अच्छा, बाबा साहेब के बारे में मांग फालतू है?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ये केवल अखबारों की सुर्खियों में आने के लिए इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): यह फालतू की बात है? ...(व्यवधान)... बाबा साहेब के बारे में जो बात की गयी वो फालतू की बात नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट अब आप विराज जाएं। एक क्षण के लिए विराज जाएं। अब आप भी विराज जाएं। मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं। अब आसन हो सकता है कि आप जितना बुद्धिमान नहीं हो,

(श्री उपाध्यक्ष)

लेकिन थोड़ी बहुत बुद्धि तो आसन भी रखता है। इस विषय से संबंधित जो सार था, आपके विचारों के प्रकटीकरण से इस सदन के अभिलेखों में आ गया। संसदीय कार्य मंत्री की अभिव्यक्ति अपने-आप में अभिलेखों का अलंकरण कर रही है।

जब बात आप सबके समझ में आ गई, जिसके समझ में नहीं आई, देर सवेर उसके भी समझ में आ जायेगी। अब कम से कम हम विश्व विद्यालय पर चर्चा कर लें। जिस विषय पर चर्चा करनी है उस पर अब आप चर्चा करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन सर्वोपरि है, आसन का हम सम्मान करते हैं, लेकिन क्या आसन इतना मजबूर हो गया, क्या संसदीय कार्य मंत्री इतने मजबूर हो गये कि एक माननीय सदस्य से माफी नहीं मंगवा सके। संसदीय कार्य मंत्री माफी मांग रहे हैं तो आपका माननीय सदस्य क्यों नहीं मांग रहा। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप आसन को कमजोर नहीं समझें। आसन कभी भी मजबूर नहीं होता है। ...(व्यवधान)... इस प्रकार की अनर्गल बातें नहीं करें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान)... रिपीट करके गये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ...(व्यवधान)... उपाध्यक्ष महोदय, पूरे भारत में चारों खाने चित हो जाएगे तब उनको आपकी जगह +++ ...(व्यवधान)... इनको अब बाबा साहब याद आये। ...(व्यवधान)... जब राज करते थे तब कभी बाबा साहब याद नहीं आये। अब याद कर रहे हो बाबा साहब को ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान)... यह सदन का ही नहीं, सवा सौ करोड़ लोगों का अपमान है। ...(व्यवधान)... यह हिन्दुस्तान के सवा सौ करोड़ लोगों का अपमान है। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराजें, आप भी विराज जाए। आसन एक चीज को स्पष्ट कर देना चाहता है बाबा साहब अम्बेडकर हों, या और भी

(श्री उपाध्यक्ष)

हमारे महापुरुष हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, अगर इस प्रकार की सदन में टिप्पणी की गई है, आसन उसकी पूरी तरीके से भर्त्सना करता है और न आसन इतना मजबूर है कि ऐसी टिप्पणी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये निर्देश भी दे सकता है। संसदीय कार्य मंत्री महोदय पहले तो इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि सदन के अंदर अगर इस प्रकार की टिप्पणी बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर की गई है तो उस पर जो आपको कार्यवाही करनी है, आसन आपको निर्देश देता है अगर यह सही है तो कार्यवाही की जाये। अब आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आसन ने जो व्यवस्था दी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आसन जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था दे सकता था, इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं दे सकता था। उसका सम्मान करते हुए मैं मेरी बात को कनक्लूड करता हूं कि निजी विश्वविद्यालयों के लिये नियामक आयोग शीघ्र बनना चाहिये जिससे उनमें हो रही अनियमितताओं के ऊपर कार्यवाही हो सके, अंकुश लग सके और विश्वविद्यालयों में जो रिक्त पद हैं, स्वीकृत हैं, उन स्वीकृत पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिये। केन्द्र द्वारा जिन जिन योजनाओं के लिये उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिये जो जो बजट आया हुआ है, जो जो योजनाएं आयी हुई हैं, उनको शीघ्र लागू करना चाहिये। एक काला इतिहास जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पेपर लीक के मामले में हुआ है उसके ऊपर कार्यवाही करके आज जब मंत्री महोदय इन विधेयकों पर जवाब दें तो कठोर से कठोर कार्यवाही करने का हमें यहां पूरे सदन को विश्वास दिलाये और जिन जिन लोगों ने यह कुकृत्य किया है और हमारे प्रदेश को पूरे देश में बदनाम किया है, उसके बारे में भी अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। इन विश्व विद्यालयों को जिस प्रकार से एक साथ एक बिल में लाते तो बहुत अच्छा होता।

इसलिए मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो शैक्षणिक योग्यता का 10 वर्ष का अनुभव है, वहां तक तो ठीक है लेकिन जो शोध संगठन और शैक्षिक प्रशासनिक संगठन का जो क्लाज डाला जा रहा है, उसके माध्यम से हमें अंदेशा है कि किन्हीं संगठनों में काम कर रहे

(श्री उपाध्यक्ष)

आरएसएस के लोगों को 10 साल किसी संगठन में काम कर लिया, उसको यहां पर विश्वविद्यालयों के वी सी बनाये जाने की कुचेष्टा है, जिसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं। इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिये कि राजस्थान विश्व विद्यालय में हो तो उनको प्रोफेसर का 10 साल का अनुभव होना चाहिये। जो कालेजों में व्याख्याता हैं, उनका यूजीसी ने कह दिया कि आप नामकरण प्रोफेसर कीजिए, लेकिन आज की तारीख तक वह फाइल इधर से उधर घूम रही है। उनको जब तक प्रोफेसर नहीं करोगे, यूजीसी व्याख्याता के नाम से उनको रिकोग्नाइज नहीं करेगी और अगर वह 10 साल का अनुभव रखता है तो एक कालेज का प्रोफेसर जिसको आज व्याख्याता कहा जा रहा है, वह कल को आगे चलकर कभी भी जिंदगी में किसी भी विश्व विद्यालय का कुलपति नहीं बन पायेगा। इसको भी जल्दी से जल्दी किस प्रकार से आप ठीक कर सकते हो, इसको करने की चेष्टा करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मौका दिया और आपने जिस प्रकार बाबा साहब का मान बढाने के लिये, सम्मान बरकरार रखने के लिये जो आपने व्यवस्था दी है, उसका हम सब सम्मान करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयनारायण व्यास विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 ...

श्री उपाध्यक्ष: पंडित दीनदयाल का है लेकिन आप सारा ले लें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): 11 विश्वविद्यालय..

श्री उपाध्यक्ष: 12

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): 12 संशोधन विधेयक सदन में विचारार्थ लिये गये हैं और विश्वविद्यालय निरसन विधेयक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जून, 2013 को एक अधिसूचना जारी की और 24 जुलाई, 2013 को भारत के राजपत्र में वह प्रकाशित हुआ। जिसमें विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर को किस योग्यता का व्यक्ति होना चाहिये, इसको लेकर संशोधन किये। वाइस चांसलर के लिये

(श्री प्रहलाद गुंजल)

स्क्रीनिंग कमेटी होगी उसमें कौन कौन लोग होंगे, इसको लेकर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2013 में एक अधिसूचना जारी की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2013 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस अधिसूचना के बाद भारत के राजपत्र के बाद इस प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं उन तमाम विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की जो योग्यता उनके इंडिविजुअल एक्ट में निहीत की गई थी उसमें संशोधन आवश्यक हो गया। जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 में और वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम की धारा 8 और बाकी तमाम विश्वविद्यालयों की धारा 11 में कुलपति की योग्यता का निर्धारण। तमाम विश्वविद्यालयों के अधिनियम की धारा 11, ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की धारा 8 और राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 में संशोधन किये गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक छोटा सा संशोधन गोविंद गुरु विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11 उसके साथ इस अधिनियम की धारा 20 और 22 की उप धारा (1) के खंडों में मामूली संशोधन किया गया। जहां पर अनुसूचित जाति उल्लेख था वहां पर अनुसूचित जनजातियां उल्लेखित किया गया।

(16.29 बजे)

(श्री ज्ञानचंद पारख, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, यह संशोधन बहुत मामूली है, लेकिन मैं इस विषय में आपके माध्यम से सरकार से और मंत्री महोदय से केवल यह जानना चाहता हूं... कि आपने इस संशोधन विधेयक में कुलपति धारा-11 में 'कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा' और उप धारा-2 में आपने लिखा है कि 'कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/ या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं हो'।

माननीय सभापति महोदय, जब यू.जी.सी. ने अमेडमेंट किया तो इस राजस्थान के तमाम महाविद्यालयों के जो व्याख्याता हैं, उन तमाम

(श्री प्रहलाद गुंजल)

व्याख्याताओं ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखना प्रारंभ किया कि हमारे समकक्ष पात्रता रखने वाला व्यक्ति, हमारे समकक्ष अध्यापन का काम करने वाला व्यक्ति अगर वह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है तो प्रोफेसर कहलाता है और वही समकक्ष योग्यता वाला व्यक्ति अगर महाविद्यालय में काम कर रहा है तो व्याख्याता कहलाता है। विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के लिए यू.जी.सी. ने जो नियम निर्धारित किए उसमें जब तक उसको प्रोफेसर पदनाम से संबोधित नहीं किया जा सकता, तब तक वह उसकी पात्रता नहीं रखता। माननीय सभापति महोदय, कालेज के व्याख्याताओं के विरोध के बाद सरकार इस दिशा में विचार कर रही है। यू.जी.सी. ने भी इस दिशा में निर्देश जारी कर दिए कि प्रोफेसर के समान योग्यता वाले अध्यापन में जुटे राजस्थान के तमाम व्याख्याताओं को प्रोफेसर के पदनाम से संबोधित किए जाने के लिए राज्य सरकार व्यवस्था करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बड़ा सवाल करना चाहता हूं कि कालेज के व्याख्याताओं को आपने प्रोफेसर के पदनाम से संबोधित करने का आदेश जारी कर दिया। आज नहीं, कल करना पड़ेगा। यह सरकार और यू.जी.सी. के स्तर पर तय हो गया है और वह करने के बाद और इस एक्ट के बाद माननीय सभापति महोदय नई स्थितियां पैदा होंगी। आपने इस एक्ट में केवल इस राजस्थान के 15-16 विश्वविद्यालयों में जिसने दस साल पढ़ाया होगा, वह दस साल विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला व्यक्ति ही केवल वाइस चांसलर की पात्रता रखेगा और जो राजस्थान के सैकड़ों महाविद्यालयों में व्याख्याता, जिन्हें हम चंद समय बाद प्रोफेसर के पदनाम से सुशोभित करने वाले हैं, अपने दस-पंद्रह साल के अनुभव के बाद भी वह वाइस चांसलर की पात्रता से वंचित रह जाएगा। एक बड़ा मुद्दा इस राजस्थान के हायर एजुकेशन जगत के सामने विचार में आने वाला है। राजस्थान के तमाम व्याख्याता पदनाम परिवर्तन के बाद प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, वे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की दौड़ से अपने आप को बाहर समझकर आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, सरकार के सामने अपने हक की बात करेंगे। माननीय सभापति महोदय, अच्छा होता कि राजस्थान की उच्च शिक्षा मंत्री जी जो सुधार और अमेडमेंट का बिल लेकर आ रही हैं, यह बिल लाते

(श्री प्रहलाद गुंजल)

समय..। जब सरकार ने यह तय कर दिया कि कालेज का व्याख्याता प्रोफेसर से पदनामित किया जाएगा। तो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में 'आचार्य के रूप में काम करने वाला' यह शब्द अगर इसमें जोड़ा जाता तो राजस्थान के सैकड़ों लोग, लिमिटेड लोगों के दायरे से विश्वविद्यालय की प्रतियोगिता बाहर निकलती। वाइस चांसलर के लिए दावेदारी करने वाले योग्यतम लोगों की लंबी कतार होती और जब लंबी कतार होती तो बेहतर वाइस चांसलर का चयन होता। अधिक लोगों में से अधिक योग्यतम व्यक्ति का चयन होता।

माननीय सभापति महोदय, अगर आप कालेज के व्याख्याता को प्रोफेसर कहकर इसमें पात्रता के लिए एलिजिबिल करेंगे तो एक और संशोधन एक्ट आपको इस विधेयक में हर सूरत में लाना पड़ेगा और इसलिए मैं आज सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आपने अगर यह तय कर दिया कि कालेज का व्याख्याता प्रोफेसर पदनाम से संबोधित किया जाएगा तो आज ही सदन में पारित होने से पहले एक आंशिक संशोधन इस सदन में रखा जाना चाहिए कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में आचार्य के पद पर..। चूंकि हमने तय कर दिया। चंद दिनों बाद ही एक अधिसूचना जारी होगी कि कालेज के व्याख्याता को आचार्य के नाम से संबोधित करेंगे, प्रोफेसर के नाम से। जब प्रोफेसर के नाम से संबोधित करेंगे और उसको वाइस चांसलर की पात्रता का हकदार नहीं मानेंगे तो एक लीगल काम्पलीकेसी बनेगी, अदालत में जाएगा, सरकार के सामने विरोध जताएगा। व्याख्याता समझेगा कि मेरे हक और अधिकार को मारा जा रहा है और अगर आपने यह नहीं किया तो फिर क्या करना चाहते हैं? राजस्थान की यूनिवर्सिटीज पर तो हम कालेज के आचार्य को तो मौका नहीं देंगे और मौका देंगे हम किसी प्रतिष्ठित शोध संस्थान..

माननीय सभापति महोदय, आपका अनुभव राजस्थान के बारे में हमसे ज्यादा है। हायर एजुकेशन मिनिस्टर बैठी हुई हैं। विश्वविद्यालय के अतिरिक्त जहां किसी शोध संस्थान में काम करने वाला व्यक्ति जो वाइस चांसलर की योग्यता की पात्रता रखता हो। केवल और केवल एक्सक्ल्युजिवली शोध का काम करने वाला हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस राजस्थान में एक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

भी नहीं है, सिंगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट..। फिर हम किस को एलिजिबल करना चाहते हैं? एक तो यह प्रोविजन करके कि राजस्थान के बाहर के लोग जो हायर एजुकेशन के शोध संस्थान चला रहे हों, उनके मानकों के बारे में राजस्थान में क्या स्थिति है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। केवल वे शोध संस्थान चला रहे हैं। हायर मानकों के और राष्ट्रीय लेवल के इस आधार पर हम एक्ट में हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के लिए उनको निमंत्रण दे रहे हैं। उनके लिए रास्ता खोल रहे हैं। यह भी एक गलत बात है। या तो फिर राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में शोध संस्थानों की और शोध की कितनी बुरी स्थिति है।

इस बारे में अगर चर्चा हाउस करें तो मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां शोध और रिसर्च के नाम पर केवल पी.एच.डी. बची है। माननीय सभापति महोदय, पी.एच.डी. में भी मैंने एजुकेशन की डिमांड पर बोलते हुए कहा था कि दस-दस, पंद्रह-पंद्रह साल पुराने पी.एच.डी. असाइनमेंट कलेक्ट करके लोग असाइनमेंट लिख रहे हैं, डाक्ट्रेट की उपाधि पा रहे हैं। पिछले दस साल में पी.एच.डी. के किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ने एक नया असाइनमेंट लिखा और शोध एवं शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मानक वाला आदर्श स्थापित किया हो, यह स्थिति कहीं देखने को नहीं मिल रही है। जब शोध के क्षेत्र में इस राजस्थान में हायर एजुकेशन की स्थिति दयनीय बनी हुई है तो हम शोध के नाम पर कौनसे इंस्टीट्यूट को निमंत्रण देना चाहते हैं?

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, हमने यह कहा है कि शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस साल का अनुभव रखने वाला..। यह शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन कौन है? माननीय सभापति महोदय, यह शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जितने भी पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वे प्रोफेसर नहीं हैं। वे प्रशासनिक काम कर रहे हैं। वे व्यवस्था का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत तकलीफ है कि विश्वविद्यालय ग्रांट कमीशन में बैठे हुए अधिकारी छोटा हो या बैठा हो, छोटा-बड़ा बाबू जिनको बाबुओं की व्यवस्था के नाम से परिभाषित किया जाता है, उन लोगों को

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इस देश के हायर एजुकेशन संस्थानों में वाइस चांसलर की पात्रता देना, मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है।

माननीय सभापति महोदय, हम यह प्रयोग कब तक करते रहेंगे? हमें कहीं-न-कहीं तो कोई-न-कोई लाइन देनी पड़ेगी। इन प्रयोगों को करते समय यह विचार करना पड़ेगा कि आखिर जब हिंदुस्तान की शिक्षा की व्यवस्था दुनिया में सबसे पुरानी शिक्षा व्यवस्था रही है। हम सब लोग नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और न जाने किन-किन विश्वविद्यालयों का नाम लेकर, वल्लभी लेकर, दुनिया में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय दुनिया के पुराने विश्वविद्यालय हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज अफसर ने हमारे यहां इस विषय पर सर्वे करने के लिए लिखा। अंग्रेज अफसर ने जब हमारे यहां की शिक्षा के बारे में 1800 के समथिंग में कहा कि भारत में शैक्षणिक संस्थाओं का अध्ययन करो। अँग्रेज़ों ने हमारे यहां शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित नहीं की। उस सर्वे में आया कि बंगाल से लेकर, पृथ्वी राज के काल से लेकर, राजस्थान, गुजरात तक इस मुल्क में 18वीं सदी में दुनिया के तमाम देशों से ज्यादा प्राइमरी और हायर एजुकेशन संस्थान स्थापित थे। यह दुनिया के लोगों के लिए आश्चर्य था कि भारत जैसे राष्ट्र में, सनातन काल से हम जो विश्व गुरु कहलाते थे, हमारी शिक्षा का स्तर, नालंदा और तक्षशिला का, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब दुनिया में इस प्रकार के संस्थान नहीं थे, लोग आते थे। दुर्भाग्य यह रहा कि जब-जब हमारे यहां पर सत्ताओं का परिवर्तन हुआ। मुग़ल काल से लेकर अँग्रेज़ों के काल तक हमारी बेसिक शिक्षा के ढाँचे को खराब करके मुग़ल शासन ने अपने अनुकूल शिक्षा की स्थापना की और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने शासन के अनुकूल चलने वाली शिक्षा पद्धति को इस मुल्क में स्थापित करने का प्रयास किया और हमारी सनातन शिक्षा पद्धतियों का सत्यानाश किया।

आज हम जिस कुलपति के पदनाम पर चर्चा कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कुलपति की परिभाषा हमारे यहां की सनातन शिक्षा पद्धति में दी गई है। उस समय के क्या पैटर्न थे। मुनीनाम दशसाहस्रम योडन्नादानादि पोषणात। अध्यायपति विप्रर्षिर सौ कुलपतिः स्मृतः। उस समय 10 हजार मुनि विद्यार्थियों को अन्न आदि पोषण करता हुआ उन्हें विद्या पढ़ता था उसे कुलपति कहते थे। यह सनातन व्यवस्था में कुलपति थे। हमें गुरूकुल के नाम पर, कांगड़ी के नाम पर, आश्रम व्यवस्था के नाम पर, पुरातन पंथी कहकर हमारे आदर्शों से हमको विमुख करने वाले लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमारी गुरूकुल की परम्परा में भी कुलपति की व्यवस्था हुआ करती थी। उन कुलपतियों का इतना बड़ा सामर्थ्य होता था कि 10-10 हजार विद्यार्थियों के लिए अन्न, शिक्षा आदि करने का प्रबंध करते थे। प्रबंध ही नहीं करते थे, सत्ताओं को निर्देश देते थे कुलपति कि आश्रम की व्यवस्था के लिए सत्ताएं समुचित प्रबंध करें। यहां तक कि हमारे यहां के उदाहरण मौजूद है कि एक गरीब विद्यार्थी शिष्य कौत्स ने वाइंस चासंलर कुलपति के सामने प्रपोजल रख दिया मेरी इच्छा है कि मैं सम्पूर्ण शिक्षा के बाद गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं तो गुरु ने रूष्ट होकर 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग ली कि गरीब आदमी तू कहां से देना चाहता है, अगर आपके अंदर इतना सामर्थ्य है तो फिर जा और 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गुरु दक्षिणा में दें। उस समय हमारे देश में यह परम्पराएं थी कि राज सत्ता का सम्पूर्ण दायित्व है कि वह शिक्षा की समुचित व्यवस्था करें। राजा रघु ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं शिष्य कौत्स के लिए इकट्ठा करने का प्रयास किया। गुरु शिष्य परम्परा, आश्रम परम्परा में, गुरु दक्षिणा परम्परा में। ऐसी बेहतरीन शिक्षा पद्धति किस प्रकार से रोज-रोज प्रयोगों में। माननीय सभापति महोदय, आज मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि इस मुल्क की, वैश्विक चपेट में हमारी शिक्षा प्रणाली आ रही है इसको रोकने की जरूरत है।

अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पेपर लीक हो रहे हैं। चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों का मामला हो, विश्वविद्यालयों में हमको यह तय करते समय विचार करना पड़ेगा कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। इस मुल्क में किस प्रकार की व्यवस्था कायम कर रहे हैं।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां की जो पुरातन शिक्षा पद्धति थी उसमें गुरु शिष्य का आध्यात्मिक संबंध स्थापित किया जाता था। सत्यम दम शम द्वारा दृढ़ चिंतन निर्माण किया जा रहा था। स्वाध्याय और अपरा विद्या की प्राप्ति, आज हमारे संस्कारों में हमारे जीवन में स्वाध्याय नहीं। जप तप नहीं। दम शम नहीं है। गुरु शिष्य के बीच में आध्यात्मिक रिश्ते नहीं है। इन रिश्तों के गिर जाने के बाद पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में व्यक्ति इतना गिर गया, व्यक्ति के संस्कार का इतना शमन हो गया कि विश्वविद्यालय का कुलपति सत्ताओं पर निर्देश हमारी परम्पराओं के हिसाब से दिया करता था, वह आज सत्ताओं के सामने सर हुजूर की स्थिति में खड़ा रहता है। खड़ा ही नहीं रहता वह विश्वविद्यालय के उन उच्च मानकों को भी गिराने में पीछे नहीं हटता।

इसलिए केवल यह विश्वविद्यालय के वाइस चासंलरों के निर्माण के लिए संशोधनों से इस मुल्क की शिक्षा पद्धतियों में सुधार नहीं किया जा सकता। आज तो चैलेंज यह है कि पाश्चात्य चपेट में आने वाली हमारी शिक्षा पद्धति और परम्पराओं को बचाकर कैसे चले। जहां आदर्श गुरु हुआ करते थे, जहां की शिक्षा का लोहा दुनिया माना करती थी आज हम वहां क्या कर रहे हैं? शिक्षा मित्र, शिक्षा सहयोगी, पैराटीचर, दसवीं, बारहवीं पास, इस मुल्क की सबसे पुरानी, सबसे बेहतरीन विश्व का गुरु, जगत का गुरु, गुरूकुल कांगड़ी की परम्परा, तक्षशिला नालंदा की परम्परा, ऐसे आदर्श उच्च मानको वाली शिक्षा की स्थिति का हमने राजनीतिकरण करके किस प्रकार से, इसीलिए आज हमको शिक्षा में उन आदर्शों का समावेश करना पड़ेगा कि अगर गुरु शिष्य का हमें आध्यात्मिक संबंध स्थापित करना है तो फिर हमें हमारी शिक्षा पद्धति में वह चीज लानी पड़ेगी। हमको सत्य, तप दम और श्रम, पुरूषार्थ शिक्षा के आधार पर, सत्कर्म की प्रेरणा शिक्षा के आधार पर, हमारे बच्चों में लानी है। त्याग और तपस्या की भावना हमारे बच्चों में लानी है तो यह भी आज शिक्षा में समाहित करने की आवश्यकता है। स्वाध्याय, स्वयं का अनुशासन, तब तक देश में अनुशासन कायम नहीं हो सकता। आज जब व्यक्ति गिर रहा है,व्यक्ति गिर रहा है तो देश पर जिस प्रकार के सवाल उठा रहे है, शिक्षा में जब तक संस्कारों का समायोजन नहीं होगा तब तक हम गिरते हुए देश को नहीं बचा सकते।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मैं इसलिए आज के इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि शिक्षा को हमें प्रयोग नहीं बनाना चाहिए। शिक्षा को प्रयोग बनाने से पहले हमें शिक्षा को किस प्रकार से सांस्कारिक बनाना होगा, शिक्षा में संस्कारों का समावेश करना होगा। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि उसी का प्रभाव आज हमें देखने को मिल रहा है। हमारी शिक्षा में संस्कारों का पतन हुआ है, मैं समझता हूं कि तमाम विश्व विद्यालय के संशोधन विधेयक हैं इन पर जवाब देने से पहले मंत्रीजी अच्छा हो कि कालेज के व्याख्याताओं को प्रोफेसर पदनाम घोषणा करने वाले हैं, जब भी करेंगे, उनको भी यदि कुलपति की योग्यता में शामिल, संशोधन करके कर लें, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के हजारों लोगों के मन में जो शैक्षणिक दृष्टि से योग्यतम है यह विश्वास बनेगा कि सरकार उनकी योग्यता का सम्मान करती है। योग्यता का सम्मान करना तो भारतीय जनता पार्टी की परम्परा है। शिक्षा के गिरते हुए स्तर के कारण हमने जो हमारा चरित्र बनाया है वह दृश्य हमने देखा। आज शिक्षा के महत्वपूर्ण संशोधन पर चर्चा हो रही है। इस सदन में बाबा साहेब मुद्दा बन कर आ गए।

माननीय सभापति, मैं इस पर आज मन की पीड़ा कहना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने सदन के बाहर कह दिया और एक माननीय सदस्य सदन में बोलते समय राजनीतिक स्कोरिंग के लिए सदन की सारी परम्पराओं को तोड़ने का प्रयास करें तो मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि वह बाबा साहेब के प्रति सदभाव और समर्थन का विचार नहीं था।

जब से इस मुल्क में नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने उन्होंने इस मुल्क में तय कर दिया कि जिस महात्मा गांधी के नाम पर वर्षों तक कांग्रेस सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ती रही, उस महात्मा गांधी के स्वच्छता के नारे का अगर सबसे ज्यादा पतन किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। इस मुल्क में प्रधान मंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने कहा 02 अक्टूबर, 1922 गांधी की जब 150वीं जयंती आएगी यह मुल्क सम्पूर्ण रूप से स्वच्छ होगा। 02 अक्टूबर, 1918 का, सम्पूर्ण स्वच्छता का नारा भारत में साकार करेंगे। यह हमारी परम्परा है। इनको लग रहा है गांधी जी के विचार और चिंतन का दमन और शमन हमने किया है, नरेन्द्र मोदी ने पूरे मुल्क के सामने

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कांग्रेस के उस चरित्र को उजागर करके रख दिया। इसकी पीड़ा अगर कोई सदन में रखे तो मैं समझता हूं कि यह परम्परा गलत है।

अगर बाबा साहेब के बारे में कोई टिप्पणी विधायक ने कही, मैं माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब के समर्थन की दुहाई देने वाले लोगों को संविधान सभा की कार्यवाही का वर्णन पढ़ना चाहिए। बाबा साहब को जिस रोज संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया जा रहा था, जवाहर लाल नेहरू ने उस मीटिंग में खड़े होकर विरोध किया था। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इसको पढ़ें और सदन में टेबल करें। उन्होंने यह प्रस्ताव दे दिया कि भारत में वर्षों की गुलामी के बाद शैक्षणिक दृष्टि से भारत में इतना उन्नयन है कि नहीं है। संविधान का निर्माण करते समय कोई त्रुटि और चूक नहीं रह जाए इसलिए किसी बिट्रिश के पढ़े लिखे लर्नेड बैरिस्टर को हम इस ड्राफ्ट कमेटी में शामिल कर लें। महात्मा गांधी ने कहा नेहरू जी कांग्रेस का यह फैसला इस बनाए हुए संविधान के प्रति भारत के विश्वास को खो देगा। भारत के विश्वास को ही नहीं खोएगा, दुनिया के बुद्धिमान और लिटरेट, ना जाने कितने डी-लिट की उपाधियां प्राप्त बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों का अपमान भी इस फैसले में होगा। यह संविधान सभा की कार्यवाही में लिखा गया है। आज किस मुंह से बाबा साहब के पक्ष में पैरवी करना चाहते हैं? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं बाबा साहेब को आरक्षण में एस सी का पैरोकार करके, परिभाषित करके, उसको सीमित मत करो। बाबा साहेब का विचार राष्ट्रीय विचार है, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी केवल आज मोदी जी के नारे से खड़ी नहीं हुई। सबका विकास, सबका साथ, बाबा साहेब ने जिस दलित, पलित, पतित की पैरवी की है, बाबा साहेब ने केवल उसको भारत का एक आम नागरिक समझकर, कि संविधान सम्मत तरीके से भारत के नागरिकों को समानता का अवसर कैसे दें, विकास में कदम ताल लगाने के लिए हम उसको कैसे खड़ा करें।

माननीय सभापति महोदय, आज धारा 370 के कारण भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है। संविधान सभा में सबसे पहले खड़े होकर अगर विरोध किया तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने धारा 370 का विरोध किया।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बाबा साहब के विचार का कत्ल अगर संविधान सभा में किसी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारत का कानून मंत्री बनने के बाद संविधान संशोधन से भारत में समान नागरिक संहिता और हिंदू कोड बनाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक क्रांतिकारी पहल की थी और जवाहर लाल नेहरू ने उनके राष्ट्रीय विचार का जिस प्रकार से कत्ल किया, कानून मंत्री की कुर्सी को ठोकर मार कर आत्म सम्मान, स्वाभिमान का परिचय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया।

इस मुल्क में 50 साल राज करने के कारण बाबा साहब के साथ क्या कुठाराघात और उस राष्ट्रीय विचार को किस तरीके से कत्ल करके इस मुल्क की आंखों में धूल झोंक कर शासन करते रहे। कभी गांधी के नाम पर, कभी अम्बेडकर के नाम पर सत्ता सिंहासन की सीढ़ियां चढ़ने वाले लोगों को आज पता चल गया कि बाबा साहब केन्द्रित व्यवस्था चाहते थे, जो मुगलों और अंग्रेजों से लड़ते-लड़ते दलित-पतित हो गया, सत्ता और समाज में उसकी बराबरी होनी चाहिये इसलिये आरक्षण का सहारा चाहिये। इसलिये उस पर दीनदयालजी ने कहा, 'एकात्म मानववाद', व्यक्ति केन्द्रित व्यवस्था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप दो मिनट बैठें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

विधेयक पर विचार

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के समर्थन में कांग्रेस कभी नहीं रही। कांग्रेस ने विचारधारा के नाम पर देश की आंखों में धूल झोंकी है। दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद बाबा साहब के दलित-पतित के उत्थान के विचार से मिलता है। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, इस मुल्क में जब इमर्जेंसी के बाद इस देश का राजनीतिक भूगोल बदला और जब राजस्थान में भैरोंसिंह शेखावत पहले मुख्य मंत्री बने तो दलित-पतित के उत्थान की बात आजादी के बाद पहली बार बाबा साहब के विचार को आत्मसात करते हुए अंत्योदय की योजना इस मुल्क में कोई लेकर आया तो भैरोंसिंह शेखावत लेकर आये। यह बाबा साहब का विचार था। यह बाबा साहब का चिंतन था कि विदेशी सत्ताओं से, आक्रांताओं से लड़ते-लड़ते जिसका अंत हो गया, जिसका वजूद खतम हो गया, जो थपेड़ों से धरती पर, जमींदोंज हो गया उसका उदय करेंगे, उसको हाथ पकड़ कर खड़ा करेंगे, उसको ताकत देंगे। बाबा साहब के विचार को अंत्योदय के कानून की योजना के रूप में मूर्त रूप देकर मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत लेकर आये। आज कांग्रेस कहती है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के पुजारी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का जितना अपमान, अगर मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सारे दृष्टांत, एक-एक करके, किस तरीके से, मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा करके उनको पराजित कर दिया। यह राजनीतिक कुटिलता कांग्रेस की हो सकती है जो सदियों से हमेशा करती हुई आई है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आज पीड़ा अगर आपको कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर के उस यथार्थ को, उस विचार को नरेन्द्र मोदीजी ने एक नारे में सम्माहित कर दिया कि हम 'सबका साथ-सबका विकास', न दलित, न पतित, न कोई, एक-एक गरीब आदमी, एक-एक दलित आदमी, एक-एक पीड़ित आदमी, एक-एक वह जरूरतमंद आदमी जिसको हम विकास के समान अवसर नहीं दे देते, उसको व्यवस्था में बराबर की भागीदारी नहीं दे देते, जिसको आत्म सम्मान के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

साथ जीने के अवसर प्रदान नहीं कर देते, तब तक हम लगातार बिना रुके काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम देश में समरसता का माहौल देंगे, देश में एक समानता का भाव देंगे, जरूरत पड़ने पर इसको कानूनी अमली जामा पहनाएगे। पूरे देश में कह दिया, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के रोज एक-एक कार्यकर्ता जाए और 06 अप्रैल से बाबा साहब अम्बेडकर की जयन्ती 14 अप्रैल तक देश में सामाजिक समरसता का सप्ताह मनाए और बाबा साहब के विचार को राष्ट्रीय विचार के रूप में इस मुल्क के सामने मूर्त रूप में स्थापित करने के लिये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करें। कांग्रेस के पेट पीड़ा उठी। उस पीड़ा का समाधान इस सदन में स्कोरिंग करने से नहीं निकलेगा। बाबा साहब का वर्षों से जो अपमान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है, राष्ट्र के सामने खुले मंच पर माफी मांगने से उसका समाधान होगा। इस सदन को स्कोरिंग का अखाड़ा बनाने से कोई पाने वाला, कोई मिल जाने वाला नहीं है कि हम कोई संदेश के लिये, अख़बार में छपने के लिये बाबा साहब के पैरोकार बन जाए। बाबा साहब के विचार को इस देश में राष्ट्रीय विचार के रूप में कांग्रेस ने उसको दलित, पतित, आरक्षण समर्थित कह कर बौना और छोटा करने का काम किया। उसको राष्ट्रीय, अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातनाम करके इस राष्ट्र के मौलिक विचार के रूप में स्थापित करने का काम दीनदयालजी के एकात्म मानववाद, भैरोंसिंहजी की अंत्योदय योजना से लेकर मोदीजी के 'सबका साथ-सबका विकास' और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने सामाजिक समरसता के नारे के साथ जो काम किया है, मैं समझता हूं, यह मुल्क अब समरसता के साथ आगे बढ़ेगा। मुझे इस अवसर पर इतना कहना था। मंत्री महोदय, निश्चित रूप से मैंने जो जरूरी बात कही है, उस पर आंशिक संशोधन लायेंगी तो बहुत अच्छा होगा। आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगाराम पटेल। (अनुपस्थित)

श्री मान सिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, आज जयनारायण विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय और जो अन्य विश्वविद्यालयों पर बहस चल रही है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान

(श्री मान सिंह)

सरकार को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो सिफारिशें हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा संशोधन नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले पाँच सालों में शैक्षिक वातावरण बिगड़ा था और सरकार ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्दर जिस प्रकार का ध्यान दिया है, प्रतिपक्ष के मेरे बहुत से साथी इस बात पर कह रहे थे कि अनुभव के आधार पर गलत नियुक्तियां हो सकती हैं। मैं समझता हूं कभी भी सकारात्मक सोच को हम लेंगे तो राजस्थान का सपूत अर्जुन प्रजापति, जो अनपढ़ होकर पद्मश्री प्राप्त करता है तो हमारा गौरव बढ़ाता है। ऐसे आदमी को अगर हम कभी सम्मान नहीं देंगे, अगर अर्जुन प्रजापति को वह चांस नहीं मिलता, अनपढ़ होकर भी जब वह पद्मश्री प्राप्त करता है तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई अनुभव के आधार पर एकाध नियुक्तियां अगर कहीं होती हैं तो इस मामले में कोई ज्यादा संकोच करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोगों ने एकमात्र ठेका नहीं ले रखा है। इस मामले में चाणक्य ने भी कहा है कि इस देश की व्यवस्था के लिये एकमात्र वे ही लोग जिम्मेदार नहीं हैं जिन 10-12 प्रतिशत को हम ठहराते हैं। हम लोग भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमको भी उसको ठीक करना है। इसलिये मैं इस पर ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा कि यह एक सुधारात्मक कदम है और मैंने इन विश्वविद्यालयों के मामले में जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था, मैं उसको वापस लेता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, सदन में आज जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 और 12 जो संशोधन विधेयक लेकर आये हैं, इसमें मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया था।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इन विधेयकों के उद्देश्यों और कारणों के कथन पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुलपति के अनुभव और चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मानकों के अनुसरण के उपाय सम्बन्धी संशोधन प्रस्तावित है।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो आज प्राइवेट विश्वविद्यालयों के जितने भी बिल पिछले चार सालों के अन्दर आये, जब सरकार बनी थी और सुराज संकल्प के दौरान आप लोग राजस्थान की जनता के सामने गये, एक बात कही थी, और पिछली बार जब विपक्ष में थे, तब भी जोरदार तरीके से इस बात को करते थे कि प्राइवेट विश्वविद्यालय कम से कम खुलने चाहिये, प्राइवेट विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण होना चाहिये। नियामक आयोग की मांग भी आपकी तरफ से हमेशा सदन के अन्दर उठती रही। मैं भी उस समय गलती से आपके साथ था, और मैं भी इस मामले को उठाता था। सबसे पहले तो, सभापति महोदय, अपन आनन-फानन में विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। ये विश्वविद्यालय फर्जी डिग्रियों के केन्द्र बन गये। सबसे पहले विश्वविद्यालयों के नियंत्रण के लिये नियामक आयोग राजस्थान के अन्दर बने। इन विश्वविद्यालयों की इतनी दादागीरी है कि ये चाहे जिसको तो गोल्ड मेडल दे दें, चाहे जैसा पदनाम रख लें और चाहे जैसा काम ये अपने विश्वविद्यालय कैम्पस के अन्दर, क्योंकि एक्जाम कराने का अधिकार आप इनको सारा दे चुके हो, पहले तो राजस्थान विश्वविद्यालय सारे एक्जाम कराता था। लेकिन अब की बार सीकर के अन्दर जो विश्वविद्यालय के एक्जाम हुए, उसमें जबरदस्त तरीके से लोगों के, जिनके जीरो थे, उनके अंक ज्यादा आ गये, और जिनके अंक वास्तव में ज्यादा आने चाहिये थे, उनके अंक कम हो गये। बहुत मजबूत तरीके से यह मांग भी उठी थी और जांच के आदेश भी दिये थे। एक महीने पहले जब सदन चल रहा था, तो करीब बीस विश्वविद्यालयों के फर्जीवाड़े की बात चली। उसमें उच्च शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि एक महीने के अन्दर हम जांच करा कर सदन को अवगत करा देंगे। जब शिक्षा पर बहस हो रही थी, अजी मेरी तरफ देखें आप, उधर नहीं, मंत्रीजी, मैं कह रहा हूं आपको, कि आपने कहा कि मैं एक महीने के अन्दर जांच करा कर, खैर आपके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, चाहे आरोप लगते रहें, सभापति महोदय, एक महीने के अन्दर मैं जांच कराकर सदन के अन्दर रखूंगी, राजस्थान की जनता के सामने रखूंगी।

(17.00 बजे)

(श्री हनुमान बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, आनन-फानन के अंदर आपने कहा कि हम कम से कम विधेयक लाएंगे, फालतू के कानून, जितने भी एक्ट हैं, उनको हम खतम करेंगे लेकिन आप तो इतने एक्ट ला रहे हो, अब तो ऐसा लग रहा है कि सदन ही आप एक्ट लाने के लिए लगा रहे हो। 12-12 एक-एक दिन के अंदर विधेयक पास करवा रहे हो। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गयी?

साहब, आज राजस्थान का जवान आत्महत्या कर रहा है, किसान तकलीफ के अंदर है। करना तो यह चाहिए कि भ्रष्टाचार मिटे, भुखमरी मिटे, लोगों को रोजगार दो। 15 लाख रोजगार की बात थी। डिग्रियां बांटने के केन्द्र खोल रहे हो आप। जोधपुर के अंदर एक फर्जी विश्वविद्यालय जिसने 20 हजार डिग्रियां बांट दीं। अब वहां एस.ओ.जी. जांच कर रही है लेकिन 20 हजार डिग्री वाले सारे थोड़े ही पकड़े जाएंगे। कहीं न कहीं वह नौकरी ले लेगा, फिर हाई कोर्ट से स्टे ले लेगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और उसके बाद कहीं न कहीं फैसला किसी कोर्ट से उसके पक्ष में हो जाएगा।

तो माननीय सभापति महोदय, मैं चूंकि, कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से विधान सभा से आया हूं और यहां पर आधा दर्जन लोग, हमारे कई मंत्री भी, मंत्री मंडल के अंदर कैबिनेट मंत्री बैठे हैं जो मेरे से पूर्व विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर आज खतरा पैदा हो गया। पहले विश्वविद्यालयों का एक अलग स्टेटस होता था, एक गरिमा होती थी, विश्वविद्यालय के कुलपति का भी सम्मान होता था। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का भी सम्मान होता था। आज तो चाहे जैसे पुलिस घुसती है, चाहे जैसे उठाकर ले आती है। प्रोफेसर को उठाकर ले आती है, वी.सी. को उठाकर ले आती है। अभी जो पेपर लीक का मामला हुआ, पहले राजस्थान विश्वविद्यालय, इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी साख थी राजस्थान विश्वविद्यालय की लेकिन इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय की जो बदनामी हुई, किस ढंग के प्रोफेसर जिनके प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था थी और एक बहुत बड़ा गिरोह एस.ओ.जी. ने राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पकड़ा। यह एक अच्छी बात है। माननीय सभापति महोदय, यह तो एक

(श्री हनुमान बेनीवाल)

गिरोह आपने पकड़ लिया अगर इनकी सारी जांच पहले तक की करवायी जाए तब पता लगेगा साहब, कि कितने लोग फर्जी डिग्रियां लेकर आ गये आज तक? यह तो चलो आपने, कोई न कोई धक्के चढ़ गया होगा और उसको पकड़ लिया और अपन वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने जांच करवा ली।

माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इन संशोधन जो विधेयक आनन-फानन के अंदर लाये हैं, एक बार तीन माह के लिए वापस इनको भेजना चाहिए। आज माननीय सभापति महोदय, हालात यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को माननीय उच्च न्यायालय की फटकार के बाद हटाया गया। पहले लगा था, कभी तो संभागीय आयुक्त के पास चार्ज था, कभी कोई बन गया, एक तो विश्वविद्यालय में कुलपति लंबे टाइम तक वह रहे थे जो हमारे पहले मंत्रीजी थे कालीचरणजी, उनके घर पर सब्जी ले जाते थे रोज, फ्रूट लेकर जाते थे, उसको लम्बे टाइम तक चार्ज दे दिया गया और फिर उन्होंने हां भी करी, बोले, लेकर आता है मेरे सब्जी, आपको क्या दिक्कत है? तो बताओ साहब, मजाक बन कर रह गयी एक पूरी।

माननीय सभापति महोदय, उच्च न्यायालय की फटकार के बाद हटाया गया। सरकार अब सारे संशोधन लेकर आ रही है। माननीय उच्च न्यायालय की फटकार के बाद जब राजस्थान विश्वविद्यालय के वी.सी. को हटाया, तो वी.सी. की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मदार है, इसकी जांच करवायी जाए।

माननीय सभापति महोदय, आज विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का खतरा है। इन विश्वविद्यालयों में कुलपति व स्टाफ की नियुक्ति के नियम तो बना देंगे मगर विश्वविद्यालयों का संरक्षण कैसे हो, इस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, सरकार उच्च न्यायालय की फटकार के बाद यह जो कर रही है, काश, आप यह भी गौर कर लेते कि इनमें से कितनी यूनिवर्सिटीज के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। माननीय सभापति महोदय, कई लोगों ने तो अरबों-खरबों रुपये की जमीनें आपसे ले ली साहब, और कई तो इतने दादागीरी यहां जयपुर के अंदर कर रहे हैं, हमारे एक +++ है, जिसके गार्ड ने सरेआम गोलियां चलाकर, एक छात्र की मौत हो गयी क्योंकि वह

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सेल्फी ले रहा था उसके फार्म हाउस के बाहर, तो कहा कि सेल्फी कैसे ले सकता है? गार्ड ने बात की होगी, वह शराब पीया हुआ था +++ उसने कहा गोली चला दो, मैं देख लूंगा। एक जने की मौत हो गयी और दो जने इन्जर्ड हो गये और वह +++ जयपुर के कमिश्नर को संजय कहता है, और संजय क्या हाल है? बताओ, ऐसे गुंडों को आपने यहां जमीनें दे दीं जयपुर के अंदर। इन गुंडों से कौन बचाएगा साहब, राजस्थान की जनता को? माननीय सभापति महोदय, आपको सरकार को सोचना चाहिए। उस पूरे मामले की जांच का मैंने बहुत बार निवेदन किया लेकिन कोई जांच नहीं हुई। तीन छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गये। आपने तो विश्वविद्यालय, जो सरकार ने संरक्षण उनको दे रखा है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार के कई अधिकारियों का, नेताओं का छोटे-मोटे कामकाज कर देते होंगे, कोई एडमिशन कर देते होंगे, कोई डिग्री दे देते होंगे कभी बुलाकर, कभी सम्मान कर देते होंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस राजस्थान को बचाना है। यहां पर रोजगार मिले, राजस्थान की साख वापस बने और खाली प्राइवेट विश्वविद्यालय की आड़ के अंदर अगर अपन इसी चीज का कॉम्पीटीशन करें कि कांग्रेस इतने विधेयक लायी थी और पाँच साल बाद जब आपकी विदाई हो तब आप कहो कि हम तो कांग्रेस से ज्यादा लाये थे, तो इसमें तो राजस्थान की जनता 70 साल से माननीय सभापति महोदय, मारी जा रही है। व्यवस्था तो यह होती कि आप विश्वविद्यालयों की साख को वापस बरकरार रखते। गोपनीयता जो विश्वविद्यालयों की थी, आज राजस्थान विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी गोपनीयता थी, आज खुलेआम आपके पेपर सड़कों पर आ रहे है। गैस पेपर के नाम से आ रहे हैं। ऐसे-ऐसे प्रोफेसर बैठे हैं, चाहे जिसको गोल्ड मैडल, लॉ के अंदर मैं भी लॉ कॉलेज का प्रेसीडेंट रहा हूं, मुझे पता है कि लॉ के अंदर किस तरह जो डीन का खास हुआ करता था वह गोल्ड मेडल ले लेता था राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर और दूसरा, आपके निम्स के अंदर कितनी गुंडागर्दी उस निम्स वाले डाक्टर +++ ने करी। वह तो बहुत ज्यादा कई मामलों के अंदर, अंदर भी गया।

माननीय सभापति महोदय, मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सरकार इन विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का तो ध्यान रखे ही रखे लेकिन प्राइवेट विश्वविद्यालयों को गुंडागर्दी का आप लाइसेंस जारी न करें। इन पर अपना नियंत्रण होना चाहिए। यह सरकार के अधीन काम करें और खाली डिग्री बांटने के केन्द्र बनकर नहीं रहें, यह आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि, आज ठीक है, अब कम कर देता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से पुन: निवेदन है कि आज जो 12 संशोधन विधेयक लेकर आये हैं चूंकि आपके आज कोई बहुत बड़े संशोधन विधेयक नहीं है, एक एक्ट के अंदर आप, सारे 12 विधेयकों के अंदर एक ही एक्ट के अंदर संशोधन करना चाहते हैं, एक ही जगह। तो मेरा निवेदन है कि इतनी जल्दबाजी के बजाए अगर तीन महीने के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, कोई इतनी देरी नहीं हो रही कि इसका संशोधन नहीं भी होगा तो इसमें कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि 2018 तक तो आप कुछ भी करोगे, आपको कोई हटा नहीं सकता और 2018 में कितने ही संशोधन लेकर आ जाओ, वह यू.पी. वाला नजारा यहां नहीं होगा।

तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शुभकरण चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, मैंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, इन विश्वविद्यालयों के जो संशोधन हैं, उन संशोधन में विधेयक में संशोधन हेतु जनमत जानने हेतु अपना प्रस्ताव रखा था, पर समयाभाव की वजह से और अब तक की कार्यवाही से सहमति जताते हुए, मैंने इन संशोधनों में, अपने प्रस्ताव जो मैंने संशोधन के लिए रखा है, वह तो पुन: वापस लेता ही हूं और यह भी अपनी तरफ से मैं आपके, पूरे सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज एक ऐसे महामना, एक ऐसे महापुरुष, जिनके विचारों की वजह से, जिनके अथक प्रयासों की वजह से, जिनकी विद्वता की वजह से, हम

(श्री शुभकरण चौधरी)

स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। इस सदन में आज हम लोग बैठकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, यह उन्हीं की देन है। ऐसे महापुरुष के प्रति जिनकी पुण्यात्मा कहीं स्वर्ग में वास कर रही है, इस सदन में जिस प्रकार के विचार लोगों के द्वारा प्रकट किये गये, उससे मैं व्यक्तिशः आहत हूं और जिन लोगों ने उनके प्रति, उनके सम्मान के लिए कोई शब्द अपनी तरफ से कहे, उनकी मैं भर्त्सना करता हूं और मैं उन पुण्यात्मा को नमन करता हुआ ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि उनकी विचारधारा इसी प्रकार, जब तक पृथ्वी है, यह चलती रहे और हमारी पार्टी लगातार वर्षों बाद जब से सरकार में, शासन में आई है, चाहे केन्द्र में हो या चाहे राजस्थान में, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को कैसे जीवित रखा जाए, लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है।

जगह-जगह हम लोगों ने पिछले तीन साल से उनकी जयंती को 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक लगातार मनाने का काम किया, उनकी विचारधारा को फैलाने का काम किया। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में उनके विचारों को फैलाने के लिए उनकी मूर्तियां लगाने का काम किया, जो 70 साल में कांग्रेस के लोग कर नहीं पाये।

मैं यह बात मानता हूं कि उन लोगों को आज इस बात का दर्द है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की विचारधारा को आगे फैला रही है। हमारी कोई सुधबुध लेने वाला है नहीं, पर मैं यह बताना चाहता हूं कि मात्र एक बाबा साहब नहीं, इस देश के जितने महापुरुष हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी हरेक महापुरुष का सम्मान करती आई है, कर रही है, करती रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, और आज जो कुछ हुआ उन बातों की भर्त्सना करता हुआ, मैं अपने प्रस्ताव, संशोधन विधेयक में प्रस्तुत अपने प्रस्तावों को वापस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति: डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, हम एक साथ 12 विश्वविद्यालयों के कुलपति की योग्यताओं के बारे में संशोधन लेकर आए हैं, उनकी कुछ व्यवस्थाओं के बारे में लेकर आए हैं। इस एक्ट

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

को जिन्होंने भी बनाया, यह स्वयं में ही कुछ अन्तर्विरोध है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि कुलपति की योग्यता में- 'कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।'

इस पैरे में केवल विश्वविद्यालय दिया गया है, जबकि इन्हीं एक्ट में ईवन उद्देश्यों में भी और विश्वविद्यालय का जो परिपत्र है, उसमें भी कुलपति के अनुभव और चयन प्रक्रिया के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा मानकों के अनुसरण में उपाय) (द्वितीय संशोधन), जब इसमें महाविद्यालय लिखा गया है और वहां केवल योग्यता जैसे महाविद्यालयों को छोड़ दिया गया, यह किसी स्तर पर त्रुटि हुई है।

इतना ही नहीं, जो भी प्राध्यापक आयेगा, उसका कहीं न कहीं पी.एफ. वगैरह कटेगा। इसके बारे में भी लिखा गया है। जहां कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, या थी, वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रखेगा। जब यहां विश्वविद्यालय के साथ महाविद्यालय है तो केवल योग्यता देते समय उसमें छोड़ दिया गया। यह भी अन्तर्विरोध है।

इसी प्रकार से जब हम चयन समिति का गठन कर रहे हैं इसी एक्ट की धारा 4 में, विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असम्बद्ध उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का कोई भी विख्यात व्यक्ति खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्देशित किये जाने के लिये पात्र होगा।

(17.11 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मतलब कालेज का व्यक्ति सलेक्शन कमेटी में तो हो सकता है, लेकिन

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

वाइस चांसलर नहीं बन सकता। इसमें यह भी अन्तर्विरोध है।

इतना ही नहीं, आगे भी लिखा है खोजबीन समिति क्या करेगी? शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश और विदेश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगी और इसके निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी, उन्हें कुलपति के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल में साथ रखेगी। यह सब जगह मैंने मेंशन किया है महाविद्यालयों का, लेकिन केवल विश्वविद्यालय के कुलपति की योग्यता के बारे में हमने केवल विश्वविद्यालय ही लिखा है या शोध संस्थान लिखा है।

माननीय उपाध्यक्षजी, कोई विशेष चिंतन की इसमें बू आती है। इस राजस्थान का दुर्भाग्य रहा है कि जब राजस्थान विश्वविद्यालय में दो बार यू.जी.सी. का बाबू वाइस चांसलर बनकर आ गया और उस वाइस चांसलर ने क्या-क्या नहीं किया। पिछले सदन में मैं बोला था विश्वविद्यालय में चयन समिति बने। चयन समिति में मैरिट लिस्ट बनाने के लिये पूरा मापदण्ड तय किया गया, लेकिन जिस बालक को, जिस अभ्यर्थी को साढ़े तेइस नम्बर मिले, सबसे ज्यादा था, उसमें बीस में से चार नम्बर दिये गये, तीस में से छह नम्बर दिये गये और जिसके साढ़े अठारह नम्बर थे, उसको बीस में से बीस और तीस में से तीस नम्बर दिये गये। खुलेआम कांग्रेस की गुण्डागर्दी उसमें साबित हुई। वह एजेंट था कांग्रेस का, जब यहां वाइस चांसलर था। ऐसी स्थिति थी। जोधपुर में क्या हुआ? जोधपुर की स्थिति देख लीजिये आप। इस कारण से केवल इस आधार पर करना कि विश्वविद्यालय के लोग तो नामी-गिरामी हैं, क्योंकि पेपर सैट भी वो ही करते हैं, पेपर वो ही बांटते हैं, पेपर भी वो ही बेचते हैं, पेपर भी आउट वो ही करते हैं। ऐसा नहीं चाहिये शिक्षा के क्षेत्र में।

मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान के वाइस चांसलर, जोधपुर विश्वविद्यालय के वी.वी.जॉन भी बने और वी.वी.जॉन साहब और उसमें कांग्रेस का मंत्री, दोनों जब हड़ताल हुई जोधपुर में तो वहां डाक बंगले में अंदर मीटिंग हुई। सी.आई.डी. ने रिपोर्ट दी और पुलिस के एस.पी. ने कहा कि बाहर जाओगे तो लड़के पेपरवेट मारेंगे, पत्थर मारेंगे। मंत्री पीछे के गेट से गया। वी.वी.जॉन, जो गवर्नमेंट कालेज

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

का प्राध्यापक था, वह सामने से आया और सिर फूटा लेकिन वह पीछे नहीं हटा। ऐसे गवर्नमेंट कालेज के प्राध्यापकों को आप वंचित करना चाहते हो। इसके माध्यम से यूजीसी के लोग आ जायेंगे, शोध संस्थानों के आधार पर।

इसमें मैं आपके माध्यम से एक शब्द पढ़ना चाहता हूं - 'शैक्षिक प्रशासनिक संगठन' यूजीसी में कौनसी क्लासे लगती हैं, कौनसे कार्य होते हैं वहां? उनको लाने के लिये, यूजीसी के बाबुओं को लाने के लिये, उनको बिठाने के लिये, क्योंकि आजकल जितना भ्रष्टाचार यूजीसी में है, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मोदीजी को, कि वह विश्वविद्यालय के अन्तर्गत परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर से बहुत जल्दी यह यूजीसी का जो ढर्रा है, शोधवृत्ति के लिये कोई आदमी, जैसा अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पीएच.डी. किस प्रकार से हो रही है।

इस कारण से इसमें मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें महाविद्यालय जोड़े जाने चाहिये। राजस्थान का आज इतना कैडर है कालेज एजुकेशन का, यह हनुमान जी यहीं बैठे हैं, जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स परीक्षा में टीपते थे, पकड़ने के लिये कोई तैयार नहीं होता था, तब कालेजों के लोग आते थे और मैं स्वयं भी आया हूं, इनकी भी तलाशी मैंने ली है। कोई सक्षम व्यक्ति नहीं हुआ करता था, और उन कालेजों को आप वंचित कर रहे हो। पी.एल.चतुर्वेदी भी रहे वाइस चांसलर, वह गवर्नमेंट कालेज के थे। जिन्होंने कैसे-कैसे काम किये, वहां चाणक्य भवन, बृहस्पति भवन, किस प्रकार का विश्वविद्यालय स्थापित किया अजमेर में।

इतना ही नहीं, आज यह शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी विश्वविद्यालय में इतने लड़के नहीं हैं, जितने भीलवाड़ा कालेज में है। उसका प्रिंसिपल योग्य नहीं है। सीकर का योग्य नहीं जिसमें 15 हजार विद्यार्थी हैं, दौसा के कालेज में 15 हजार विद्यार्थी हैं, वहां का प्रिंसिपल योग्य नहीं, चिमनपुरा कालेज में जो ग्रामीण कालेज है, उसमें सात हजार विद्यार्थी, उसका प्राध्यापक योग्य नहीं है। हम आचार्य शब्द का उपयोग करके, जिसका नाम प्रोफेसर है, वह पदनाम देना चाहते हैं सरकारी कालेजों में, तो कोई कारण नहीं है कि सरकारी कालेजों को इससे वंचित किया जाये।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इस प्रकार का विश्वविद्यालय चेंज हुआ। जोधपुर में पीएच.डी. है ही नहीं, नेट-स्लेट है ही नहीं, और ऐसा किया गया जोधपुर में। तो मेरा बेटा-पोता जब भी पीएच.डी. करेगा, उस दिन हम उसको योग्य कर लेंगे, ऐसा किया वहां। नेट-स्लेट नहीं था, पीएच.डी. नहीं था, पीएच.डी. सब्मिट नहीं की, फिर भी योग्य मानकर किया। यह एस ओ जी ने सारा उजाकर किया है। इस प्रकार की स्थिति जो उच्च शिक्षा में है, इसको समाप्त करना चाहिये। कालेजों में आज भी पाँच हजार का कैडर है और वह कैडर केवल नेट-स्लेट नहीं होता, विश्वविद्यालय में नेट-स्लेट वाला सीधा आ सकता है, बेटा-पोता आ सकता है, रिश्तेदार आ सकता है, लेकिन आर पी एस सी के माध्यम से गवर्नमेंट कालेज का प्राध्यापक आता है, इस कारण से डबल योग्यता से नेट-स्लेट भी होता है, उसके बाद पीएच.डी. भी होता है और उसके बाद आर पी एस सी से चयनित होकर आता है। वह लिखित परीक्षा भी देता है उसके बाद चुनकर आता है।

इस प्रकार से ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनको वंचित किये जाने का जो किसी ने भी काम किया है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से, कि इसमें संशोधन लाया जाए। हमारा जो एक व्यवस्थित कैडर है, यह कैडर की बात मैं इसलिये कर रहा हूं इस सदन में तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय सुखाड़िया जी ने उस समय राजस्थान के प्राध्यापकों को 320 रुपये देकर गजिटेड अफसर बनाया था। उस समय यूपी और मध्य प्रदेश में 200 रुपये मिलते थे प्रिंसिपल को। उस समय हमारे प्राध्यापकों को 320 रुपये मिलते थे, वह गजिटेड अफसर हुआ करता था। इतना ही नहीं, कुलपति की कितनी मर्यादा थी। जब कुलपति सुखाड़िया के टाइम में थे, उन्होंने एक बार कुलपति को बुलाया, बाद में उनको ध्यान में आया कि कुलपति तो मेरे से श्रेष्ठ है, खुद मिलने गये थे। यह रिकार्ड पर है। सुखाड़िया जी राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से मिलने गये थे। अब इतना परिवर्तन कर दिया हमने। वाइस चांसलर की आज स्थिति कैसी है? विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन बनते हैं? इस कारण से इसमें यह शब्द जो दिया गया है, इसको नहीं रखा जाना चाहिये।

प्रशासनिक संगठन की जो बात की गयी है ..(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपने जो नकल पकड़ी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जब आप आये थे, उस समय मैं अध्यक्ष था। तब वह नकल वाला किस्सा तो बताओ, क्या था? कैसे आपने नकल पकड़ी?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हनुमान जी विरोध नहीं करते थे, टीपने वालों का पक्ष नहीं लेते थे, यह मैं कह सकता हूं। आपको जब कहा उस हाल में कि हनुमानजी बचाओ, तो आपने कहा कि यह आदमी नहीं मानेगा, यह चिमनपुरा की फ्लाइंग है, नहीं मानेगी, इसमें तो आपको जेल में जाना ही पड़ेगा। वह गये भी और दो एक्स.ईएन भी उस दिन जेल गये।

मैं आपके माध्यम से दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालयों में अधिकांश जो हमारे महापुरूष हैं, जो कुछ देकर गये हैं उनके नाम से हैं चाहे भर्तृहरि का हो, चाहे दीनदयाल जी का हो, चाहे सूरजमलजी का हो, चाहे जयनारायण व्यास का हो, इन सबमें उनके विचारों के बारे में अध्ययन केन्द्र बनने चाहिये, स्टडी सर्कल बनने चाहिये। क्योंकि कई बार हमारे विपक्ष के सदस्य कह देते हैं उनको बना दिया, उनके विचारों को तो समझो कम से कम। भर्तृहरि जी वह चीज थे जिनके नाम पर रखा गया है। जब राज छोड़ने के लिये गये थे वह गोरखनाथ जी के पास, जिनका शिष्य अभी मुख्य मंत्री बना है, उनके पास गये थे। मेरा मन नहीं मानता त्याग के लिये, कुर्सी छोड़ने के लिये। हम तो सब लोग कुर्सी के लिये मर रहे हैं, मुझे माफ करना। वह गये तो गोरखनाथ जी ने कहा, जाओ, अपनी पत्नी से मां कहो, अपनी रानी से मां कहो। वह कहा, जो नहीं कहना चाहिये था। ऐसे त्यागी पुरूषों के नाम से जब विश्वविद्यालय बनेंगे तो निश्चित रूप से उनके स्टडी सर्कल बनने चाहिये, स्टडी चेयर बननी चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह त्याग आप कब कर रहे हो?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं आप पर भी आ रहा हूं। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बार-बार अम्बेडकर जी की ओट ले रहे थे। 1925 से संघ शुरू हुआ, 1928 में जो प्रात: स्मरण बना, उसमें अम्बेडकर जी का नाम है। आर एस एस की प्रत्येक शाखा में उसका स्मरण होता है। आपने कुछ नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अभी आसन ने व्यवस्था दी है उनके खिलाफ कार्यवाही करने की। आप हमारे गुरूजी हो, आपके खिलाफ भी कार्यवाही करवानी पड़ेगी न।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं यह नहीं कह रहा, आप पढ़ो उसको। अम्बेडकर जी को पढ़ो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, पढ़ा है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपके विचार उनसे मेल नहीं खाएगे और उन्होंने उस समय क्या कहा था?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह गुरूजी फिर गलती कर रहे हैं। फिर अम्बेडकर जी वाला बीच में ला रहे हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक मिनट सुन लो, वह कैसे आदमी थे, कैसे देशभक्त थे, धारा 370 का उन्होंने विरोध किया। कश्मीर की जो नीति थी उसका विरोध किया, नेहरू का विरोध किया, हिंदू कोड बिल के बारे में मतभेद हुआ तो इस्तीफा दिया। आपको ध्यान भी है कि नहीं कुछ? आपको ध्यान भी है न कुछ। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, विश्वविद्यालय पर चर्चा है क्या यह?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): विश्वविद्यालय पर चर्चा है, महापुरुषों पर चर्चा है महापुरुषों पर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने यह कहा था कि डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लॉ विश्वविद्यालय को आपने बंद कर दिया, ये लाये थे।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): और हम क्या लाये, भीम एप लाए। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): दूसरे लाते हैं वो आप सुन नहीं सकते। क्यों टाइम खराब करते हो सदन का? दूसरा जवाब देता है तो चले जाते हो, सुनते नहीं हो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपके माध्यम से ज्यादा नहीं, आज समय की शोर्टेज है इसलिए मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर राजस्थान का श्रेष्ठ कैडर है इंडिया में कॉलेज एजुकेशन का, उस कैडर को वंचित नहीं किया जाए, संशोधन में उसको जोड़ा जाए, जिससे हमारे कॉलेजों में जिनको अभी कुछ दिनों पहले ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया है और शायद फाइल पर आर्डर भी होने वाले हैं कि आचार्य का पद, सह आचार्य और उप आचार्य का पद दिया जायेगा। जब यह दिया जायेगा और वाइस चांसलर के लिए वंचित किया जायेगा तो निश्चित तौर पर बाद में संशोधन लाना पड़ेगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इस सदन में यह आंशिक संशोधन कर के और जो चीजें जोड़ी गयी हैं, उच्च शैक्षणिक संगठन की बात जोड़ी गयी है यू.जी.सी. के बाबुओं के लिए, उसको हटाया जाए।

इतना मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। कि जो मैंने संशोधन दिया है उसको मैं वापस लेता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, जितनी जल्दी में सदन है और कार्य सलाहकार समिति ने जो प्रोग्राम आज का तय किया है उसमें साढ़े पांच बजे एक माल और कर सेवा पर सिम्पोजियम है। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मुझे उसमें सम्मिलित होना है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे मेरे संशोधन प्रस्ताव को पेश न करने की अनुमति दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, आज विश्वविद्यालय संशोधन बिल, 2017 कुलपति की योग्यता में संशोधन के संदर्भ में माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने विचार रखे और इन सभी विचारों के अन्दर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को उसमें नोट किया है, काफी उनके संशय भी थे, जो पेपर लीक हुआ उसके संदर्भ में भी था। उस सारी चीजों को अच्छी तरीके से उनको जानकारी में भी है लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से भी यह जानकारी देना चाहती हूं कि हम लोगों ने विश्वविद्यालय के अन्दर जो कार्यवाही की है जहां पेपर लीक हुआ उसके

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

संदर्भ में, ऐसे चार लोगों को हमने सस्पेंड किया विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षा के तीन लोगों को सस्पेंड किया है और जो प्रश्न पत्र भी थे उनको भी निरस्त किया है और दोबारा उनकी परीक्षा आयोजित करने का भी निर्णय लिया है।

इसी के साथ में, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जो माननीय सदस्यों ने अपनी बात यहां पर रखी, उन सभी विचारों को लिया गया है। कुछ संशोधन, जो भी उन्होंने चाहा है, उसके संदर्भ में भी कुछ आंशिक संशोधन प्रस्तावित किये हैं जिसको मैं आपके सामने रखूंगी।

हमारे विश्वविद्यालय जो हैं उनके अन्दर जो कुलपति हम लोग अपना बनाते हैं, उन कुलपति के क्या उनके शैक्षिक अनुभव, यू.जी.सी. के नोर्म्स के तहत किस प्रकार होना चाहिए, इसी का यह संशोधन बिल है। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): विचारार्थ वाला करेंगे, खण्डश: जब आएगा न, तब आप इसमें संशोधन पेश कर सकते हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): ठीक है। नहीं, मैं संशोधन नहीं पेश कर रही हूं, मैं यह कह रही हूं कि हम जो यह बिल लेकर आये हैं उसके अन्दर यू.जी.सी. के नोर्म्स के अनुसार उसमें क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, उसके संदर्भ में ये संशोधन बिल हम लेकर आये हैं।

इसी के साथ में यह भी अच्छी तरीके से जानकारी में लाए कि आज राजस्थान के अन्दर जिस तरीके से विश्वविद्यालय बने हैं, एक समय था जब पूरे देश के अन्दर 20 विश्वविद्यालय थे तो राजस्थान में एक भी नहीं था और आज यह बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान सबसे अग्रणी राज्य है जहां सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। हमारे राजकीय क्षेत्र में लगभग 24 हैं और प्राइवेट के अन्दर 45 ऐसे विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं।

तो यह ध्यान में है कि हम लोग अपने स्पेशल यूनिवर्सिटीज भी राजस्थान के अन्दर, जैसे स्किल यूनिवर्सिटी, पुलिस यूनिवर्सिटी है, ये सारी स्पेशल यूनिवर्सिटीज भी यहां पर लेकर आए।

आज इस अवसर पर हमारे सभी माननीय सदस्यों ने क्योंकि बड़े अच्छे

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

उनके जो विचार यहां पर रखे, उन सब का सम्मान करती हूं और यही कहूंगी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का जो संशोधन विधेयक, 2017 संशोधित रूप में यहां पर रखा गया है उसको पारित किया जाय, इसके संदर्भ में विचार ...(व्यवधान)... हां, विचारार्थ रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, संशोधन तो मूव ही नहीं हुआ।

प्रश्न यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड - 2, संशोधन।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017 के खण्ड - 2 में, उपखण्ड - (2) में विद्यमान शब्द 'विश्वविद्यालय', के स्थान पर अभिव्यक्ति 'विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय' प्रतिस्थापित किया जाए।

उपखण्ड - 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'और विदेश' को हटाया जाए।

उपखण्ड - 10 में अभिव्यक्ति 'कृत्यों के' के पश्चात और अभिव्यक्ति 'निर्वहन के लिए' के पूर्व, अभिव्यक्ति 'राज्य-विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा', प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड - 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड - 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड - 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी। पारित करवाइये इसे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपखण्ड - (6) और (10) में जो संशोधन आये, उनको पारित नहीं कराया ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: खण्ड - (2) के ही पार्ट हैं, मेन के ही पार्ट हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लिखा गलत है इसमें। उपखण्ड ही लिखा है उन्होंने, उपखण्ड - (2), उपखण्ड - (6), उपखण्ड - (10).

श्री उपाध्यक्ष: खण्ड - 2 के उपखण्ड हैं। सब-सैक्शन, सैक्शन के सब-सैक्शन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अच्छा। ठीक है।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहेंगे? आप बोलना चाहते हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप कहें ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: हां, हां, बिलकुल, बोलें। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): समय हो गया न साढ़े पांच बजे का। रहने दीजिए, समय हो गया, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017 संशोधित रूप में पारित किया गया।

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017, प्रभारी मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक पर विचार

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 के खण्ड 2 में, उपखण्ड 2 में विद्यमान शब्द 'विश्वविद्यालय' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय' प्रतिस्थापित किया जाए। उपखण्ड 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'और विदेश' को हटाया जाए। उपखण्ड 10 में अभिव्यक्ति 'कृत्यों के पश्चात' एवं अभिव्यक्ति 'निर्वहन के लिए' के पूर्व अभिव्यक्ति 'राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा' प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप से पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2 ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 के खण्ड 2 में, उपखण्ड 2 में विद्यमान शब्द 'विश्वविद्यालय' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय' प्रतिस्थापित किया जाए। उपखण्ड 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'और विदेश' को हटाया जाए। उपखण्ड 10 में अभिव्यक्ति 'कृत्यों के पश्चात' एवं अभिव्यक्ति 'निर्वहन के लिए' की पूर्व अभिव्यक्ति 'राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा' प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप से पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 के खण्ड 2 में, उपखण्ड 2 में विद्यमान शब्द 'विश्वविद्यालय' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय' प्रतिस्थापित किया जाए। उपखण्ड 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'और विदेश' को हटाया जाए। उपखण्ड 10 में अभिव्यक्ति 'कृत्यों के पश्चात' एवं अभिव्यक्ति 'निर्वहन के लिए' के पूर्व अभिव्यक्ति 'राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा' प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप से पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) विधेयक, 2017 के खण्ड 2 में, उपखण्ड 2 में विद्यमान शब्द 'विश्वविद्यालय' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय' प्रतिस्थापित किया जाए। उपखण्ड 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'और विदेश' को हटाया जाए। उपखण्ड 10 में अभिव्यक्ति 'कृत्यों के पश्चात' एवं अभिव्यक्ति 'निर्वहन के लिए' की

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पूर्व अभिव्यक्ति 'राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा' प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप से पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2017 के खण्ड 2 में, उपखण्ड 2 में विद्यमान शब्द 'विश्वविद्यालय' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय' प्रतिस्थापित किया जाए। उपखण्ड 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'और विदेश' को हटाया जाए। उपखण्ड 10 में अभिव्यक्ति 'कृत्यों के पश्चात' एवं अभिव्यक्ति 'निर्वहन के लिए' की पूर्व अभिव्यक्ति 'राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा' प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खंड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया

(श्री उपाध्यक्ष)

जाए?

(स्वीकृत)

खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया गया।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खंड 2

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) विधेयक, 2017 के खंड 2 में, उपखंड 2 में विद्यमान शब्द 'विश्वविद्यालय' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय' प्रतिस्थापित किया जाए।

उपखंड 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'और विदेश' को हटाया जाए।

उपखंड 10 में अभिव्यक्ति 'कृत्यों के' पश्चात् और अभिव्यक्ति 'निर्वहन के लिए' के पूर्व अभिव्यक्ति 'राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा' प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खंड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड 3 से 4, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 3 व 4 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खंड 3 एवं 4, स्वीकार किए गए।

खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया गया।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 । श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार ।

खंड 2

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 के खंड 2 में, उप खंड 2 में विद्यमान शब्द 'विश्वविद्यालय' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय' प्रतिस्थापित किया जाए।

उपखंड 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'और विदेश' को हटाया जाए।

उपखंड 10 में अभिव्यक्ति 'कृत्यों के' पश्चात् और अभिव्यक्ति 'निर्वहन

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

के लिए' के पूर्व अभिव्यक्ति 'राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा' प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खंड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 1-अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया गया।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खंड 2

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017 के खंड 2 में, उप खंड 2 में विद्यमान शब्द 'विश्वविद्यालय' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय' प्रतिस्थापित किया जाए।

उपखंड 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'और विदेश' को हटाया जाए।

उपखंड 10 में अभिव्यक्ति 'कृत्यों के' पश्चात् और अभिव्यक्ति 'निर्वहन के लिए' के पूर्व अभिव्यक्ति 'राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा' प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खंड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया गया।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017 संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खंड 2

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 के खंड 2 में, उपखंड 2 में विद्यमान शब्द 'विश्वविद्यालय' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय' प्रतिस्थापित किया जाए।

उपखंड 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'और विदेश' को हटाया जाए।

उपखंड 10 में अभिव्यक्ति 'कृत्यों के' पश्चात् और अभिव्यक्ति 'निर्वहन के लिए' के पूर्व अभिव्यक्ति 'राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा' प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खंड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड-2

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017 के खण्ड 2 में उपखण्ड 2 में विद्यमान शब्द "विश्वविद्यालय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय" प्रतिस्थापित किया जाए।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

उपखण्ड 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "और विदेश" को हटाया जाए।

उपखण्ड 10 में अभिव्यक्ति "कृत्यों" के पश्चात और अभिव्यक्ति "निर्वहन के लिए" के पूर्व अभिव्यक्ति "राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा" प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017 संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्‌यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्‌यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्‌यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2, स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र नाम आदि, कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्‌यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहें।

प्रश्न यह है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2017 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017

श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय काफी हो गया है और मैं भी समझता हूं। मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो।

राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017 में जो संशोधन विधेयक लेकर आये हैं उसका उद्देश्य यही है कि बेनिफिशियरी व्यक्ति को सीधा का सीधा लाभ मिलना चाहिए। मेरा इसमें आपके माध्यम से मंत्री जी से दो ही सवाल हैं। एक तो भामाशाह कार्ड आपने बनाये, सबके बना दिये, लेकिन भामाशाह कार्ड का लाभ है वह केवल खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत पात्र लोग, जो 4 करोड़ 38 लाख के लगभग हैं, केवल उन्हीं को मिल रहा है जबकि भामाशाह कार्ड आपने 5 करोड़ 38 लाख बना दिये। यानी एक करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास में भामाशाह कार्ड तो हैं, लेकिन उनको किसी तरीके का लाभ आज की तारीख में किसी योजना का नहीं मिल रहा है। वे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लोग-बाग़, गरीब जिसको आवश्यकता पड़ गयी वह भामाशाह कार्ड लेकर जाता है, होस्पिटल में भर्ती होता है और प्राइवेट होस्पिटल में भर्ती होकर प्राइवेट डॉक्टर उसको कुछ कहता नहीं है और उसका इलाज कर देता है। वह यह कहता है कि आपको यह लाभ नहीं मिलेगा। जब डिस्चार्ज करता है तब उससे पैसे पूरे के पूरे लेता है। मैं समझता हूं जो आपने एक करोड़ लोगों के भामाशाह कार्ड बनाये, इनका जब कोई लाभ ही नहीं मिलना तो इनके ऊपर आपने पैसा क्यों खर्च किया?

मेरा आपके माध्यम से दूसरा सवाल है कि भामाशाह कार्ड के ऊपर माननीय मुख्य मंत्रीजी की आपने फोटो अंकित करायी है। आपने देखा होगा जब हमारी सरकार थी तो हमने सी एफ एल बांटी थी और सीएफएल के ऊपर वाले कागज पर माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की फोटो थी। आप कवर निकालकर भी काम ले सकते थे, लेकिन उनको वापस किया कि माननीय अशोक जी गहलोत की फोटो वाली सीएफएल नहीं बांटी जाएगी। यह आपकी सरकार का निर्णय था।

कल-परसों यूपी में जब योगीजी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फैसला किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फोटो लगी हुई है वह नहीं चलेगी, राशन कार्ड नहीं चलेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, मान लीजिए दुर्भाग्य से कल की तारीख में मुख्य मंत्रीजी नहीं रहें, दूसरा कोई मुख्य मंत्री बन जाए, जो प्रजातंत्र में कभी भी संभव है, तो उन कार्डों का क्या होगा? उन कार्डों के जो करोड़ों रुपये लग गये प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के, उन कार्डों का क्या होगा? (व्यवधान) 100 साल की गारंटी नहीं है, 100 साल की किसी की गारंटी नहीं है। आपकी भी गारंटी नहीं है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपने अपने कार्यकाल में फोटो लगाये उनका क्या हुआ, वैसे ही इनका हो जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, यही मैं पूछना चाह रहा हूं। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि इन भामाशाह कार्ड पर जो खर्चा लगा है वह राज्य की जनता के टैक्स कलेक्शन का पैसा है उसका दुरुपयोग है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप दुरुपयोग करते हो वह तो जायज और मान लो इधर कोई दुरुपयोग की बात आती है तो वह नाजायज है। यह दो तरह का कानून कहां से लाते हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप हमारे पदचिह्नों पर ही चल रहे हो न? माननीय मुख्य सचेतक जी, आप हमारे पदचिह्नों पर चलना चाह रहे हो न? यह तो बता दो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): हम आपके पदचिह्नों पर नहीं चल रहे हैं। इसीलिए तो आपको तकलीफ हो रही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अभी तो कह रहे थे आपने किया इसलिए हमने भी कर दिया। (व्यवधान) आप विराज जाओ, आप सोकर उठकर आये हो, आप तरोताजा हो, मुझे पता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय कालूलाल जी। माननीय ओम माथुर मुख्यमंत्री बनकर आ रहे हैं और आपको हटाएंगे।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाम तो सुखराम और 24 घंटे दुखीराम रहते हैं, कालूलाल जी, कालूलाल जी बोलते रहते हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपकी कुर्सी जाने वाली है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं नींद निकालता हूं तो इनको उससे भी नाराजगी है, एलर्जी है। उसका क्या इलाज है? उपाध्यक्ष महोदय, आप इस पर कोई रूलिंग दे दें कि मेरी नींद से इनको एलर्जी है, बहुत तकलीफ है, 24 घंटे बोलते रहते हैं तो कहीं न कहीं इनको कुछ उपाय बताएं।

श्री उपाध्यक्ष: पहले तो संसदीय कार्य मंत्री, आप यह बताएं कि जो लोग-बाग़ आसन की बगैर अनुमति के बोलते हैं, पहले उनका क्या इलाज है?

(18.00 बजे)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनका इलाज तो आप कर दोगे लेकिन जो बोल गये माननीय मुख्य सचेतक जी और वो अंकित इसलिए नहीं हुआ कि किसी के समझ में ही नहीं आया

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कि क्या बोले तो उसका क्या करोगे? पहले तो वो बताओ, बाकी तो सब चलता रहेगा। इसलिए आप समय का ध्यान रखो, घड़ी का ध्यान रखो। उपाध्यक्ष महोदय ने इतनी लिबर्टी दी है, साढ़े पाँच के छह बज गये और फिर भी आप समाप्त नहीं करने दे रहे हो। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है और सीधी सीधी बात पर आता हूं कि एक करोड़ लोगों को इस भामाशाह कार्ड के आधार पर एक रुपये का भी लाभ नहीं मिल रहा है। उसका सरकार क्या जवाब दे, यह माननीय मंत्री महोदय, जब रिप्लाई दें तो बताने का कष्ट करें। इसके अलावा भामाशाह कार्ड की आड़ में गरीब लुटता जा रहा है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर भर्ती होकर इलाज करा लेता है और वो यह कहता है कि मेरे पास तो भामाशाह कार्ड है और प्राइवेट हॉस्पिटल वाला उसको कहता नहीं है कि आपका मिलेगा या नहीं मिलेगा और उसके बाद में इलाज कराकर डिस्चार्ज करता है तब उससे पैसा ऐंठा जाता है क्योंकि खाद्‌य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत वो सूची में पात्र नहीं था इसलिए वो उसमें रजिस्टर्ड नहीं हुआ।

तीसरी बात, इस भामाशाह कार्ड में कितना रुपया लगा और अगर जिस दिन भी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी नहीं रहेंगी, मान लीजिये सरकार आगे बदलती है, पहले कुछ हो जाता है, कुछ भी होगा उसमें मैं नहीं जाना चाहता लेकिन उस दिन इन कार्डों का क्या होगा? ये रद्‌दी की टोकरी में जाएंगे तो यह पैसा राजस्थान की जनता का लगा उसका क्या होने वाला है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, मैं एक निवेदन करूं कि इसके आधार पर आधार कार्ड से जोड़कर जो सब्सिडी है उसको आप सीधा भेजेंगे तो हमारे बैंकों में दिक्कत आएगी। हमारे को-आपरेटिव बैंकों में फसली ऋण दिया जाता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी विराजमान हैं, वो फसली ऋण ब्याज मुक्त दिया जाता है, ब्याज का अनुदान सरकार देती है और जो क्रेडिट कार्ड हैं वो दूसरे बैंकों से भी बने हुए हैं तो अगर इसको सीधा बेनिफट देंगे तो एक जगह ही उनको उसका लाभ मिलेगा। दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक से जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं वहां पर उनको जो ब्याज का तीन परसेंट का अनुदान देते हैं वो तो मिल जाएगा लेकिन जो फसली ऋण को-आपरेटिव बैंक दे रहे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हैं उनका जो ब्याज के लिए अनुदान सरकार देगी वो पैसा उनको नहीं मिलेगा। तो इसका सीधा बेनिफट इस एक्ट के माध्यम से आप देने जा रहे हैं उसका किसानों को, गरीबों को यह नुकसान होगा इसलिए इसका आपने क्या इलाज किया? यह बताने का कष्ट करें। बाकी इसमें अभी तक कोई खुलासा नहीं है, ठीक भी नहीं है और यह योजना भी ठीक नहीं है। इसमें पैसे का भी दुरुपयोग है और गरीब को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है इसलिए इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो दिया है उसमें इतना ही है कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, जो भी संशय है उसमें आप देखिये कि भामाशाह का नाम लेते ही राजस्थान के हर व्यक्ति में गौरव महसूस होता है। अब कहीं न कहीं तो आप पोजिटिव सोचो न, हर बात की नेगेटिविटी क्यों सोचते हो और इसको और सशक्त कैसे बनाया जाए उसकी चिंता होनी चाहिए। यह जो सारी योजना है, निश्चित रूप से महिलाओं को सशक्त करने की एक बहुत बढ़िया योजना है इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी की बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं और इस राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017 का मैं समर्थन करता हूं। साथ ही मैं परिचालित करने का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): 5-7 मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017 विचार के लिए लिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भामाशाह योजना राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने वुमन पावर के रूप में पिछले राज में प्रारम्भ करने की कार्य योजना बनाई थी। बीच में राज बदल गया और यह जब राज आया तो 15 अगस्त, 2014 को मेवाड़ से इसका शुभारम्भ किया। उसके पीछे दो मुख्य उद्देश्य थे कि जब वुमन पावर का सपना देखा और योजना का नाम भामाशाह रखा तो दोनों

(श्री प्रहलाद गुंजल)

का मेवाड़ से एक ऐतिहासिक सरोकार रहा। नारी के अस्तित्व को, नारी के मान को, सम्मान को मेवाड़ की पन्नाधाय, हाड़ी रानी और पद्मिनी के इतिहास ने पूरी दुनिया में ऊँचा किया है। जब मेवाड़ के भामाशाह का नाम लेते हैं तो समर्पण, ईमानदारी और देशभक्ति आज भी सारी दुनिया के, सारे देश के लोगों के मन में जाग्रत हो उठती है। उस नाम से एक योजना चल रही थी और उस योजना को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए राजस्थान की सरकार ने आज राजस्थान की विधान सभा में यह विधेयक पेश किया है। सब सदस्यों की इच्छा है कि कम से कम इस पर बात की जाए पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के बाद भामाशाह स्कीम नहीं, भामाशाह कानून होगा और कानून सम्मत तरीके से राजस्थान की महिला, नारी शक्ति को किस प्रकार सशक्त करने की जो भावना राजस्थान की मुख्य मंत्री और सरकार की रही है, किन-किन योजनाओं का लाभ, नारी को परिवार का मुखिया बनाकर पेंशन से लेकर, गैस सब्सिडी से लेकर, छात्रवृत्ति, जननी सुरक्षा, पेंशन, नरेगा से लेकर तमाम प्रकार के पैसे का सीधा हस्तांतरण उसके खाते में कर दिया। मैं इस पर बहुत लम्बा नहीं बोलूंगा, एक बहुत महत्वाकांक्षी कल्याणकारी राजस्थान की नारी शक्ति के सम्मान को बढ़ाने का कानून है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अध्यादेश के कुछ खण्डों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्याय 5 तक तो सामान्य बात, कानून को लेकर, परिभाषाओं से लेकर अधिप्रमाणन तक है लेकिन अध्याय 6 में भामाशाह प्राधिकरण का जिक्र किया गया है। खण्ड 17 में प्राधिकरण का राज्य सरकार गठन करेगी, 18 में उसकी शक्तियां दी गई हैं। खण्ड 17 के उप खण्ड (4) में प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा। प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में होगा लेकिन अन्य स्थानों पर कहां-कहां होगा, उसके मैम्बर्स कौन होंगे, किस स्तर पर वो काम करेगा इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। नियम, परिनियम बनेंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता के सामने यह स्पष्ट होना चाहिए कि भामाशाह कानून सम्बन्धी विसंगतियों को लेकर अगर उसके सामने कोई प्रश्न खड़ा होता है तो वो स्टेट प्राधिकरण

(श्री प्रहलाद गुंजल)

के सामने नहीं, राजस्थान के तहसील, एस.डी.एम. या जिला मुख्यालय तक जो सरकार इसका खाका तैयार करना चाहती है जो स्पष्ट हो उसके सामने जाकर अपनी ग्रिवेंसेज को कहने की स्थिति में राजस्थान की जनता आ जाए यह इसके नियम, परिनियमों में स्पष्ट होना चाहिए कि इसके स्वरूप को, इसके विकेन्द्रीकृत स्वरूप को हम कहां तक ले जाना चाहते हैं।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 18 में जो प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य दिये हैं उनमें (ठ) में जब कभी अपेक्षित हो, अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को आमंत्रित करेंगे। ये विशेषज्ञ कौन होंगे जिनको प्राधिकरण आमंत्रित करेगा? विशेषज्ञों के बारे में भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन धाराओं में जोड़कर मैं बात कर रहा हूं। धारा 19 में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान चाहूंगा। भामाशाह प्राधिकरण की संरचना- (1) अध्यक्ष जो मुख्य शासन सचिव की रैंक का व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति होगा जिसे प्रौद्योगिकी, शासन, विधि, विकास, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रबंध, लोक कार्यों या प्रशासन से सम्बन्धित विषयों का अनुभव और ज्ञान हो और उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। इसमें कौन-कौन मैम्बर होंगे, पाँच शासन सचिव होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने प्राधिकरण के अध्यक्ष में तो लिख दिया कि मुख्य सचिव लेवल का होगा। मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान चाहता हूं।......

आपने प्राधिकरण के गठन में अध्यक्ष जो मुख्य शासन सचिव की रैंक का होगा और लिख दिया प्राधिकरण की बैठक एक-एक साल में होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिस्टम को पेरालेसिस हो रहा है। हम अगर एक-एक साल में प्राधिकरण की बैठक का प्रोविजन करेंगे तो एक साल में अगर किसी ग्रिवेंसेज का समाधान होगा तो हम कितना न्याय इस कानून के द्वारा राजस्थान की जनता को दिला पायेंगे? और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक इसमें जो धारा-19 के उपखण्ड-3 में दिया है, "ऐसे व्यक्तियों में से, जिन्हें प्रौद्योगिकी, शासन, विधि, विकास, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रबंध, लोक कार्यों या प्रशासन से संबंधित विषयों में अनुभव और ज्ञान हो, राज्य

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो से अनधिक गैर-शासकीय सदस्य" माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो से अनधिक गैर-शासकीय सदस्य प्राधिकरण में होंगे।

अब आप आ जाइये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्यकारिणी समिति का गठन, प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति का गठन, प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? आप जो धारा-24 में महानिदेशक बना रहे हो, राज्य सरकार द्वारा शासन सचिव से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को। एक तरफ तो आप प्राधिकरण अध्यक्ष में प्रमुख शासन सचिव लिख रहे हो और दूसरी तरफ आप प्राधिकरण का अध्यक्ष महानिदेशक को ही बना रहे हो। यह जो विसंगति है, प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा प्रमुख शासन सचिव, आगे धारा-19 में आप उल्लेख कर रहे हैं। धारा-22 में आप प्राधिकरण कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं। धारा-24 में आपने महानिदेशक की नियुक्ति का प्रोविजन किया है, उसी को आप कार्यकारिणी का अध्यक्ष मान रहे हैं और महानिदेशक होगा शासन सचिव स्तर का। और फिर कार्यकारिणी में आप प्राधिकरण के गठन में दो गैर-सरकारी सदस्यों का उल्लेख कर रहे हैं और जब आप कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं तो एक भी गैर-सरकारी सदस्य को इसमें समाहित किये जाने का उल्लेख नहीं है। आप इसमें कह रहे हैं, कार्यकारिणी की बैठकें तीन महीने में होगी तो फिर आप प्राधिकरण, कार्यकारिणी, महानिदेशक प्राधिकरण कार्य समिति का अध्यक्ष होगा या प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव, महानिदेशक और दोनों की जो क्वालिफिकेशन है और कार्यकारिणी, इन तीनों के बीच में जो विसंगति है, कार्य समिति प्राधिकरण की ही होगी। उसका अध्यक्ष महानिदेशक होगा इस कानून के हिसाब से, मैंने जो पढ़ा है और मेरी जितनी-सी समझ है और फिर उस कार्यकारिणी में एक भी गैर-सरकारी सदस्य नहीं है तो यह कानून की विसंगति है कि प्राधिकरण के गठन में तो आप क्लाज-सब क्लाज थर्ड में दे रहे हैं दो गैर-सरकारी सदस्य होंगे और फिर आप उसी में धारा-21 में उसकी बैठकें एक साल में कर रहे हो। धारा-22 में उसकी कार्यकारिणी के विस्तृत प्रारूप को उल्लेखित कर रहे हो जिसमें उसका अध्यक्ष महानिदेशक को बना रहे हो और महानिदेशक जो प्राधिकरण कार्यकारिणी का अध्यक्ष

(श्री प्रहलाद गुंजल)

होगा, वह उसकी एजुकेशन होगी, वह शासन सचिव लेवल की होगी और प्राधिकरण के जब खण्ड में आप उस धारा में उल्लेखित कर रहे हो तो प्रमुख शासन सचिव होगा और कार्यकारिणी में एक भी गैर-सरकारी सदस्य नहीं होगा। यह ड्राफ्ट कैसे हुआ? इस बारे में स्पष्ट करें कि कार्यकारिणी और महानिदेशक और यह अलग-अलग होंगे। मैं जितना समझ पाया हूं, प्राधिकरण की कार्यकारिणी धारा-22 में उल्लेखित है। महानिदेशक प्राधिकरण की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होगा, यह भी धारा-22 में उल्लेखित है और महानिदेशक की एजुकेशन धारा-24 में उल्लेखित है और प्राधिकरण के अध्यक्ष की एजुकेशन धारा-19 में उल्लेखित है। एक में आपने प्रमुख शासन सचिव कर दिया है, एक में शासन सचिव कर दिया। यह जो विसंगति है, मैं समझता हूं कि इस पर आप सदन को स्पष्ट करेंगे और कार्यकारिणी में आपने एक गैर-सरकारी सदस्य नहीं रखा है और प्राधिकरण के गठन में आप कह रहे हैं कि कम से कम दो गैर-सरकारी सदस्य होंगे। इस पक्ष पर गम्भीरतापूर्वक, चूंकि अब यह बहुत ज्यादा लम्बा-चौड़ा लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय जो मेरे ध्यान में आया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बहुत ही एक लोक कल्याणकारी कानून आप लाये हैं और इसीलिए इसको एक बार आप स्पष्ट करेंगे।

धारा-20 में एक और बात कहना चाहता हूं। प्राधिकरण का गैर-शासकीय अध्यक्ष, हम एक तरफ कह रहे हैं कि प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव होगा।

धारा-22 में हम उसमें महानिदेशक को उसका अध्यक्ष बना रहे हैं जो शासन सचिव स्तर का भी हो सकता है और धारा-20 में "आप प्राधिकरण का गैर-शासकीय अध्यक्ष या गैर-शासकीय सदस्य, उस तारीख से अपना पद ग्रहण करता है जो तीन वर्ष की अवधि तक या राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।" यह गैर-शासकीय अध्यक्ष फिर कौन होगा? एक शासन सचिव, एक गैर-शासकीय, एक प्रमुख शासन सचिव और तीनों को ही आप प्राधिकरण और कार्यकारिणी में जो कि काम कार्यकारिणी को ही करना है और कार्यकारिणी में आपने लिख दिया, केवल

(श्री प्रहलाद गुंजल)

उसका अध्यक्ष होगा महानिदेशक, जो शासन सचिव होगा और आगे लिख रहे हैं, प्राधिकरण का अध्यक्ष गैर-शासकीय भी हो सकता है और प्रमुख शासन सचिव उसकी क्वालिफिकेशन में आपने दे दिया। यह जो दो-तीन-चार प्रकार की विसंगतियां सामने आई हैं, मैं समझता हूं कि इस सदन में जब इसको पारित कराने से पहले मंत्री महोदय अपनी बात कहेंगे तो निश्चित रूप से सदन को इससे अवगत कराएंगे। अगर यह त्रुटि है तो इसको दुरुस्त करेंगे। इतना ही मुझे आज कहना था। चूंकि समय कम है, अभी सब लोगों को जीएसटी की सेमिनार में जाना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तीन-चार मिनट मैं भी ले लेता हूं साहब, फिर बाद में तो छह महीने बाद टाइम मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017 पर चर्चा हो रही है और मैंने इसके अंदर जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए निवेदन किया था। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन का जिक्र करें, जिसमें लिखा है कि वर्ष 2008 में भामाशाह स्कीम आरम्भ की गई थी। आपने इसमें लिखा कि भामाशाह स्कीम को कानूनी संस्थानिक तंत्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह विधेयक ला रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की भामाशाह योजना के संबंध में बताना चाहूंगा कि जनहित की कोई भी योजना हो, उसको प्रभावी रूप से कैसे लागू किया जाए जिससे आमजन को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजना का फायदा हो। गांवों के अंदर बैठे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ मिले, गरीब व्यक्ति को लाभ मिले, लेकिन आपने वाहवाही लूटने के लिए इस योजना को इतना तूल दिया, भामाशाह, भामाशाह, भामाशाह, सारे कार्मिकों और अधिकारियों को इसमें लगा दिया, जिससे आम जन के अन्य कार्य प्रभावित हुए हैं और

(श्री हनुमान बेनीवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव के अंदर बैठा हर आदमी सोच रहा है कि भामाशाह कार्ड बन गया तो पता नहीं, क्या हो जाएगा। जैसे नोटबंदी, लालबत्ती, भामाशाह, मतलब कहीं न कहीं नया शिगूफा लाते हैं ताकि लोगों को कोई मिले नहीं और बस चुनाव आ जाये 2018 के, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों का कथन के उपबंध (क) से (ज) तक में जो लिखा है, उसके बारे में कुछ बातें...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): यह शगूफा क्या होता है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): लाल बत्ती वाला कह रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (ज) तक जो लिखा है, उसके बारे में कुछ बातें सदन में रखना चाहूंगा। उपबंध (ख) में...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): शिगूफा यह होता है, ओम माथुरजी मुख्य मंत्री बन रहे हैं और वसुन्धराजी हट रही हैं, यह शिगूफा है। समझ गये आराम से।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपबंध (ख) व (ग) में सूचनाओं की सुरक्षा और निजता की बात की और हकदारियों की बात की, मगर मैं बताना चाहूंगा कि आप भामाशाह कार्ड बनाकर सामाजिक सुरक्षा, पेंशन में विभिन्न लाभों को एक प्लेटफार्म के माध्यम से देने की बात कही है। सरकार का भामाशाह प्लेटफार्म अभी सही तरीके से अपडेट नहीं है और सबसे बड़ी गड़बड़ी ई-मित्र वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कर रहे हैं क्योंकि पेंशनधारक जो बुजुर्ग अनपढ़ हैं, उनकी पेंशन खुद के खातों में डाल लेते हैं। यह बहुत बड़ा घपला-घोटाला इस मामले में पूरे राजस्थान के अंदर हो रहा है क्योंकि जब सरकार आज भामाशाह स्कीम को कानूनी तंत्र उपलब्ध करा रही है तो भामाशाह कार्ड भी इससे जुड़ा है परन्तु भामाशाह कार्ड पर जैसा मेरे से पूर्व वक्ता लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था भामाशाह कार्ड के ऊपर मुख्य मंत्री की फोटो है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल को मुख्य मंत्री बदल जाये जब क्या होगा? अरबों-खरबों रुपया आपने खर्च कर दिये इस भामाशाह कार्ड पर तो जब आप यह कानूनी रूप इसको दे रहे हो तो कम से कम सी.एम. की फोटो इस पर से हटनी चाहिए...

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कम से कम सी एम की फोटो इस भामाशाह कार्ड से हटे। इस बारे में मंत्रीजी जब जवाब दें तो बताएं, क्योंकि कल को आप तो कह दोगे कि नोट के ऊपर भी सी एम की फोटो हो। हर चीज पर सी एम की फोटो हो यह कोई थोड़े ही होता है, साहब, यह तो बिलकुल लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि योजना को वास्तव में कानूनी अमलीजामा पहनाना है तो सीएम का भामाशाह कार्ड से फोटो हटाए। इस योजना के लिए जिम्मेदार जो उच्च पदों पर हैं सचिव स्तर पर वो पूरी दादागीरी करके नीचे के कार्मिकों को परेशान करते हैं। 9 बजे वीसी लेते हैं। 6 से 9 रात को और ये आपके जो +++ है इनकी जो कार्यशैली है वह शोषण नीति है। कभी तो कहते हैं कि मैं जल्लाद हूं कभी कुछ कहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना भय और आतंक भी राजस्थान में नहीं होना चाहिए। इस पर लगाम सरकार लगाए। भामाशाह योजना के नाम पर जिला स्तर के अधिकारी कार्मिकों को कभी भी शाम को 6 बजे बाद वीसी नहीं बुलाए इसकी व्यवस्था करें। अवकाश में संडे को भी बुला लेते हैं वीसी। जब मन हुआ, खाली बैठे हैं घर पर तो वीसी बुला ली और सारा तंत्र इसमें लग जाता है। सारे काम एसडीएम से लेकर जितने भी अधिकारी हैं सब इन कैम्पों में जाते हैं बाकी सारे काम जो भी राजस्व के मामले या दूसरे कानून-व्यवस्था की स्थिति के ये सारे के सारे बिलकुल राजस्थान में इन साढ़े तीन साल में ज्यादा बढ़िया तो यह रहता कि आप रोजगार की व्यवस्था करते, कोई किसानों के लिए बढ़िया स्कीम लाते, भ्रष्टाचार को मिटाते, जवानों को रोजगार देते, वो तो किया नहीं। कोई न कोई नया आप लेकर आते हो और उसका फिर कानून बना देते हो। भामाशाह योजना की शुरुआत से लेकर अब तक कई निजी कंपनियों को आपने बहुत-बड़ा फायदा पहुंचाया। कई प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया। सरकार आधार कार्ड के माध्यम से सारे लाभ दे सकती है मगर भामाशाह योजना के नाम पर करोड़ों का अतिरिक्त राजस्व व्यय किया जाना मेरे हिसाब से राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई को इस तरह गलत तरीके से सरकार को नहीं खर्च करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 53 परसेंट और जो 69 परसेंट के नाम का

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आज भी कोई भी व्यक्ति भामाशाह कार्ड की उसको आवश्यकता है, लेकिन 53 और 69 का जो आपने नियम बना रखा है उससे वह भामाशाह कार्ड में नहीं आ रहा है। प्राइवेट होस्पिटल वाले उसको बुला लेते हैं। भर्ती कर लेते हैं कि हम भामाशाह से जुड़े हुए हैं आपको पैसा दे देंगे। गरीब आदमी से जब पूरा पैसा भी होस्पिटल वाले ले लेते हैं और पैसा उठा भी लेते हैं। दोहरे तरीके का, तीस हजार उठा लिये और दस हजार का बना दिया आपका तो बीस हजार रुपये उसके अन्दर रख लिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि राजस्थान के अन्दर ये जो आप भामाशाह योजना लाये हो निश्चित रूप से आप कुछ काम करना चाहते होंगे लेकिन साढ़े तीन साल के अन्दर इस योजना का लाभ आम आदमी, गरीब आदमी को नहीं मिला। वर्तमान में जो पात्र हैं उनको आप कैसे रोक सकते हो अब जब ऑन लाइन है सारी योजना फिर भी दस-दस दिन तक अगर कोई मरीज जाएगा तो कहेंगे कि पहले कार्ड लेकर आओ। अब गांव का गरीब आदमी साहब, कार्ड कई बार इधर-उधर हो जाता है उसका, कहीं रख कर भूल जाता है। यह तो है नहीं कि हर आदमी के पास, बंगले वाला तो कोई भामाशाह कार्ड बनायेगा नहीं। गरीब आदमी ज्यादातर भामाशाह कार्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन होने के बावजूद भी उस गरीब आदमी को चक्कर पर चक्कर देना, घुमाना यह सारी व्यवस्था मुझे नहीं लगता ठीक है। पारदर्शिता से इस कानून का आप लागू करें और भामाशाह का ज्यादा फायदा कैसे आम आदमी तक मिले। योजनाओं की वाहवाही लूटने की बजाय, यह कानून बनाने की बजाय अगर इस कानून की सही पालना हो और गांव में ढाणी में बैठे गरीब आदमी को, दलित अनुसूचित जाति के आखिरी छोर पर बैठे आदमी को अगर इसका लाभ मिले तो ज्यादा उचित होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आप इतने फालतू के कानून लेकर आ गये चार साल में कि लोग तो भूल ही गये कि आप कितने विधेयक लाये हो। अब तो चिन्ता और होती है कि विधान सभा चलेगी तब पन्द्रह बिल आएंगे कि बीस आएंगे कि पच्चीस आएंगे। कितना बजाओगे रात को इसके अलावा तो चार साल में कुछ नया हुआ नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर निवेदन करूंगा कि

(श्री हनुमान बेनीवाल)

इसको एक बार पारित करने से पहले जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चंद सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति प्रदान करने की कृपा करें कि मैं इस संशोधन को मूव न करूं।

श्री उपाध्यक्ष: डॉ. फूल चन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो वाक्य बोलूंगा। एक तो भामाशाह जो स्कीम है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो कमजोर है और निश्चित तौर पर गरीब और गांव का आदमी ठगा जा रहा है। फर्जी बिल बना लेते हैं, कमरे का चार्ज ले लेते हैं, तीन लाख को पूरा कर देते हैं फिर और उसमें भी मना कर देते हैं कि आनलाइन नहीं है तो इस प्रकार की जो जटिलताएं पैदा की गयी हैं और वो भी प्राइवेट सैक्टर को हर बीमारी का इलाज वो लोग मानने लगे पीपीपी मोड या प्राइवेट सैक्टर, इसको चैक करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी प्रकार से जो कानूनी जामा पहनाया जा रहा है इस स्कीम को, यह अच्छा है, लेकिन जैसे सेवा गारंटी अधिनियम में आज भी किसी ऑफिस में गरीब आदमी जाता है तो उसको कोई रसीद नहीं देता है वैसी स्थिति भामाशाह में भी है इस कारण से इसको वास्तव में क्रियान्वित करने के बारे में समय-समय पर सरकार समीक्षा करे और कठोर कदम भी उठाये। ऐसा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद जिस प्रकार की सरकार की कल्पना हमने की वो एक लोक कल्याणकारी सरकार की थी और देश में जो डिस्पेरेटीज थी, जो नॉन इंक्लूजिव एन्वायर्नममेंट था उसको इरेडिकेट करने के लिए हिन्दुस्तान की आजादी के बाद से लगातार वैलफेयर की स्कीमें चलीं और न जाने कितने रुपये इस जनता के अपलिफ्टमेंट के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए खर्च करने के बावजूद हिन्दुस्तान की आजादी के इतने लंबे समय के बावजूद हम फाइनेंशियल इंक्लूजन वीमन एम्पावरमेंट और गरीब के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

एम्पावरमेंट का मकसद पूरा नहीं कर पाये। हम कई योजनाएं लाये, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन उतना इफेक्टिव ढंग से नहीं कर पाये जिस प्रकार से इफेक्टिव ढंग से उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था। उन योजनाओं की कोई मोनिटरिंग की व्यवस्था भी नहीं थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो सर्विसेज हम वैलफेयर के नाम पर बेनिफिश्यरीज के नाम पर बेनिफिट दिये जा रहे थे और बेनिफिट्स में डिले, मुझे याद है जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था तो मेरे एक-दो मित्र हुआ करते थे जिनको सरकार की एससी/एसटी की स्कॉलरशिप मिला करती थी। जब कोई किताब खरीदना चाहता था और सोचता था कि मुझे अगले महीने स्कॉलरशिप मिलेगी तो स्कॉलरशिप अगले महीने उसके हाथ में नहीं आया करती थी कोई 5-6 महीने बाद स्कॉलरशिप हाथ में आती थी तब तक किताब खरीदना तो दूर वो परीक्षा हो चुकी होती थी। यही हालत माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेन्शन में थी। दो-दो, तीन-तीन महीने की डिले और डिले ही नहीं पिलफ्रेजेज, पोस्टमैन ने अंगूठा लगवा लिया पैसा जेब में रख लिया। ये इस प्रकार की जो चिन्ताएं थीं राशन की दुकान में राशन की दुकान बंद है राशन आया ही नहीं है। राशन की दुकान के चक्कर काटते-काटते राशन लेने वाले गरीब की जूतियां घिस जाया करती थीं, उसको राशन का वाजिब हकदार होने के बावजूद राशन नहीं मिला करता था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सबके बावजूद हमारी जो डिलीवरी की कोस्ट थी वो बहुत ऊंची थी। एक आदमी को पेन्शन पहुंचाने के लिए पच्चीस रुपये पोस्ट ऑफिस को देने पड़ते थे। इन सब चीजों का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हम किस प्रकार से कर पाएं, इन सब योजनाओं की इफेक्टिव मोनिटरिंग किस प्रकार से कर पाएं, अब बेनिफिशरीज के नाम पर कोई आदमी बेनिफिट उठा जाए जो एंटाइटल नहीं है उसको किस प्रकार से रोका जा सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी चिन्ता किसी ने पहली बार की तो 2008 में भारतीय जनता पार्टी की माननीय वसुन्धरा जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की। आज तो डिजीटल इंडिया हमारा वर्ड है, आज तो चारों तरफ डिजीटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं लेकिन राजस्थान पहला प्रदेश था

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जिसने 2008 में बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से बैंक खाते खोल कर भामाशाह कार्ड लघु एवं सीमान्त किसानों एवं महिलाओं के नाम पर खोलने की कोशिश की थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे डाइरेक्ट बेनिफिट्स को किस प्रकार से इफेक्टिवली ट्रांसफर एक प्लेटफार्म के जरिये किया जाए इसका प्रयास 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, 53 लाख परिवारों का नामांकन भी हुआ, 29 लाख से ज्यादा परिवारों के बैंक खाते खोले गये और 161 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि उन बैंक खातों में ट्रांसफर की गयी। लेकिन इन लोगों को हमेशा चीजों को राजनीतिक आईने से देखने की आदत पड़ी हुई है। यह भामाशाह स्कीम अपने आप में कोई स्कीम नहीं है। यह एक इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक कैसे पहुंचे, त्वरित ढंग से कैसे पहुंचे, बिना पिलफ्रेज के कैसे पहुंचे और लाभार्थी केवल वही हो जो एंटाइटल हो उसी के हाथ में कैसे पहुंचे इसको एंश्योर करना इफेक्टिवली एंश्योर करना उसकी एफीशिएंसी को बढ़ाना, उसकी इफेक्टिवनैस को बढ़ाना, लेकिन 2008 के बाद जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गयी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो केवल राजनीतिक चश्मे से लगातार हिन्दुस्तान की जनता को देखने वाले लोगों ने इस सबसे बड़ी लोक कल्याण की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया और ठंडे बस्ते में डालने का परिणाम यह हुआ कि न केवल यह योजना ठंडे बस्ते में चली गयी, बल्कि इस योजना के तहत 161 करोड़ रुपये से ज्यादा का गरीब आदमियों का पैसा आज भी बैंकों में अटका हुआ है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है क्योंकि भामाशाह जैसी इफेक्टिव योजना को राजनीतिक कारणों से रोकना और राजनीतिक कारणों से रोक कर राजस्थान की गरीब जनता के 161 करोड़ रुपयों को बैंकों के खातों में अनप्रोडक्टिवली डालने के लिए जिम्मेदार कोई है तो वो कांग्रेस की सरकार है। आज आपत्ति हो रही है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डोटासरा जी को, जिनको भामाशाह योजना से कोई आपत्ति नहीं है।

भामाशाह योजना का एक्ट लाने में भी कोई आपत्ति नहीं है, इनकी आपत्ति है मैडम की फोटो क्यों लगा दी। यही है न आपत्ति, भामाशाह पर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कोई आपत्ति नहीं है। मैं धन्यवाद तो देना चाहता हूं कि आप इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि इस योजना का लाभ है। यह योजना गेम चेंजर है। यह सोशल वैलफेयर की स्कीम को जिस तक पहुंचना चाहिये उसको एंश्योर करने की योजना है। आपने कहा कि मैडम का फोटो क्यों आ गया, आप जैसी तकलीफ पहले भी लोगों को हुई हैं, आप पहले नहीं हो। लोग हाई कोर्ट गये और 2014 में हाई कोर्ट ने कहा कि भामाशाह कार्ड के ऊपर महिला मुख्य मंत्री की फोटो वीमन एम्पावरमेंट को डिनोट करती है। यह हाई कोर्ट ने 2014 में कहा और यह वीमेन एम्पावरमेंट जिसके लिये हम सब लोग प्रयास करते रहे, किसी न किसी रूप में प्रयास करते रहे। वीमन एम्पावरमेंट, कॉमन मैन का एम्पावरमेंट, जो आदमी एनटाइटल है केवल उस तक बेनिफिट पहुंचे, इस बात की चिंता, बेनिफिट को ट्रांसफर करने के प्रोसेस में सीपेज नहीं हो, लीकेज नहीं हो...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज इजाजत दें, यह यूपीए गवर्नमेंट के समय आधार कार्ड से लागू हो गई थी और हमने अलवर जिले में कैरोसीन वगैरह की जो सब्सिडी दी थी, यह आधार कार्ड का आपकी सरकार ने, हमारे प्रधान मंत्रीजी ने यह कहा था कि हम आधार कार्ड लागू नहीं कराएंगे, यह ठीक नहीं है। अब वही कह रहे हैं कि आधार कार्ड से सबको लिंक करेंगे। यह आधार कार्ड से भी हो सकता था, भामाशाह की जरूरत ही नहीं थी। यह कार्डों के पैसे ही फालतू लगाये आपने।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी निवेदन कर रहा था कि 2008 में इस सिस्टम की कल्पना ....

श्री उपाध्यक्ष: वैसे मंत्री महोदय आपको 2008 से पहले एक बात और इनको स्मरण करा देनी चाहिये। जब 2005 में हम एफआरबीएम एक्ट लेकर आये, जब तत्कालीन सरकार एक एक्ट लेकर आई उसके बाद एक अमेंडमेंट किया जिसको हमने पावर्टी एलिवेशन एण्ड़ डवलपमेंट फंड बनाया। उस फंड में हमने, हमने मतलब सरकार ने एक हजार करोड़ ट्रांसफर किये। उसमें से 161 करोड़ रुपये वीमन एम्पावरमेंट के लिये दिये, और कृपया करके यह भी बताइये कि 2009 में एक हाई पावर कमेटी बनी थी, जिसकी पाँच बार मीटिंग हुई, उस पाँच बार की मीटिंग के मिनिट्स कहां है?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराजे, यहां बात फोटोग्राफ की नहीं हो रही, हद तो वहां हो गई कि भामाशाह नाम से ही परहेज था।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही देश का दुर्भाग्य रहा है। गरीब और गरीबी हटाओ के नारे देने वाले लोगों ने हिन्दुस्तान में गरीबी किस प्रकार से फले फूले, इसकी चिंता की इसलिए गरीब के हिस्से में जो पैसा था उसके लिये फंड बना जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, उस फंड का क्या हुआ, उसको खुर्द बुर्द कर दिया गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम तो क्या बोले हमारी मजबूरी है कि शेखावाटी में रहना है तो शेखावतों से सलाम लेना ही पड़ेगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मुझे लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। ...(व्यवधान)... 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जिस चिंता से हम 2008 से पहले व्यथित थे जिसकी बात आप कर रहे हैं, इसको हमने दुबारा रिव्यू करके उसको ब्राड बेस्ड करके विद ब्राडर आब्जेक्टिव्स, पहले 2008 में जब यह योजना आई उसके आब्जेक्ट इतने ब्राड नहीं थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस बार भामाशाह योजना में तय किया कि हम एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म पैदा करें। एक आटोमेटिक सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म पैदा करें और कैश और नॉन कैश, दोनों बेनिफिट्स को किस प्रकार से ट्रांसफर कर पाये और सिस्टम एफिसिएंट हो, ट्रांसपरेंट हो। आज राशन की दुकान में राशन आ गया है, उस गरीब के मोबाइल पर आता है। आपने कितना राशन लिया है, यह उस गरीब के मोबाइल पर आता है। आपकी पेंशन आ गई है और रियल टाइम में। जब तक यह ट्रांसपरेंट सिस्टम नहीं होता पिलफ्रेजेज को हम नहीं रोक सकते थे।

इसलिए फाइनेंशियल इनक्लूजन की हमारी जो मुहिम है और फाइनेंशियल इनक्लूजन में वीमन एम्पावरमेंट का जो इसमें पुट है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने बैंक अकाउंट खोले, बैंकिंग सिस्टम को घर के नजदीक किस प्रकार से लाया जाये, इसकी चिंता की है और वीमन को

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मुखिया बनाया है। मेरे ख्याल से वीमन पर गोविन्द सिंह डोटासरा साहब को इतनी तकलीफ नहीं है। वीमन को मुखिया बनाया और जितने भी फेमिली बेनिफिट के ट्रांसफर हैं, इसके अलावा हम कई बार योजनाएं बनाते हैं, यह योजनाएं इतनी इफेक्टिव नहीं बन पाती। योजना बनाने से पहले हमको जिस प्रकार से एनेलिसिस करने के लिये इनपुट चाहिये, जितने एक्यूरेट डाटा चाहिये, रिलायबल डाटा चाहिये, राजस्थान की जनता के बारे में कोई रिलायबल डाटा हमारे पास दुर्भाग्य से नहीं रहा। विभिन्न विभागों के पास अलग अलग किस्म का डाटा होता है, उसकी आब्जेक्टिविटी अलग होती है, उसकी रिलायबिलिटी भी नहीं होती है। एक रिलायबल डाटाबेस किस प्रकार से तैयार हो, जिस डाटाबेस के आधार पर हम इस प्रकार की विभिन्न योजनाओं का सही ढंग से निर्माण कर सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समान डाटाबेस नहीं होने की वजह से अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट अपनी योजना तैयार करते हैं तो अलग-अलग प्रकार से सर्वे करते हैं और अलग-अलग प्रकार से सर्वे करते हैं इसलिए परिवार के बारे में अलग-अलग प्रकार की सूचनाएं इकट्ठी हो जाती हैं। एक ही प्रकार की सूचना में असमानता से किस प्रकार से निजात मिले, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी से किस प्रकार से निजात मिले, इसलिए इस हब को बनाने से हमको फायदा हो पाएगा और ह्यूमन रिसोर्सेज और सरकारी धन का भी हम इस पूरी प्रकिया में सदुपयोग कर पाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि भामाशाह कार्ड आधार कार्ड से बड़ा है। भामाशाह कार्ड एक इम्पोर्टेंट आई डी के रूप में भी है। चरणबद्ध रूप से हम चाहते हैं जितनी योजनाएं भामाशाह से इंटीग्रेटेड है, हम चाहते हैं सारे विभागों की सारी योजनाएं, लगभग 161 योजनाओं का इंटीग्रेशन भामाशाह के प्लेटफार्म पर साथ में हो जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी चिंता हमारी यह रहती है कि हमारे यहां वास्तविक हकदार कौन है और वास्तविक हकदार को हक मिल रहा है या नहीं। कई बार हमारी योजनाओं के फेल्योर का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि जिस बेनिफिशियरी को बेनिफिट देना चाहते हैं, उस बेनिफिशियरी तक हम बेनिफिट नहीं दे पाये। बायोमेट्रिक पहचान के तहत,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इसमें डुप्लीकेसी संभव नहीं है, बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से जो हकदार है उसी को किसी प्रकार से लाभ मिलेगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार ट्रांसपेरेंट योजनाओं के साथ अभी भामाशाह योजना के तहत राशन वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जननी सुरक्षा पेंशन, राजश्री योजना, नरेगा भुगतान, छात्रवृत्तियां, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभों का वितरण कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि सारे विभागों की बाकी सब योजनाओं को किसी न किसी रूप में इसमें शामिल कर देंगे।

आपने एक चिंता और व्यक्त की थी और आपने कहा था कि भामाशाह कार्ड को-आपरेटिव बैंक के साथ लिंक नहीं है। हमने को-आपरेटिव बैंक के साथ न केवल उसको लिंक ही किया है, को-आपरेटिव ब्रांडेड रूपे कार्ड भी हमने जारी किया है। एक से ज्यादा बैंकों को इस प्लेटफार्म के साथ में किस प्रकार से जोड़ पाए, वेरियस खातों को किस प्रकार से जोड़ पाए, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार इस भामाशाह के प्लेटफार्म का अनुकूलतम उपयोग, अधिकतम उपयोग किस प्रकार से किया जा सके जिससे जो हमारा परपज है कि डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिनिमम टाइम में एफिशिएंटली बिना पिलफ्रेजेज के, बिना लीकेजेज के और सारी योजनाओं के बीच में इंट्रीग्रेशन करते हुए हम किस प्रकार से उसका इस्तेमाल कर पाए, इसके इस्तेमाल के लिये बहुत ही इफेक्टिव प्रोविजन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने यह भी कहा कि मरीजों को भटकना पड़ता है जो खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं हो रहे। खाद्य सुरक्षा योजना के नाम पर कई उन लोगों का इन्वाल्वमेंट भी हो गया जो खाद्य सुरक्षा के हकदार नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए खुशी है कि साढ़े नौ लाख से ज्यादा मरीजों का नि:शुल्क इलाज बीएसवीवाई के तहत किया जा चुका है।

गुंजल साहब ने कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं और गुंजल साहब का यह कहना है कि भामाशाह प्राधिकरण में जो चेयरमैन होगा वह प्रमुख शासन सचिव की रैंक का हो सकता है, वह प्रमुख शासन सचिव नहीं होगा। प्रमुख शासन सचिव की रैंक का हो यह भी जरूरी नहीं है। प्रमुख शासन सचिव

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

की रैंक के अलावा ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे टेक्नोलोजी, गवर्नेंस, लॉ, डवलपमेंट, इकोनोमिक्स, फाइनेंस मेनेजमेंट, इन सब चीजों की जानकारी हो, ऐसे आदमी को सरकार इस अथोरिटी का चेयरमैन नियुक्त कर सकती है। साथ में आपको यह चिंता थी कि डीजी, जो प्रिंसिपल सैक्रेटरी या सैक्रेटरी होगा डीजी, उस एग्जीक्यूटिव के अंदर कोई आदमी गैर सरकारी क्यों नहीं है। अथोरिटी में गैर सरकारी मेम्बर के अपाइंटमेंट का प्रोविजन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं अथोरिटी का वाइटल फ्रेमवर्क अथोरिटी तैयार करेगी। जो पोलिसीज, जो डाइरेक्शंस अथोरिटी के होंगे उनको इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी एग्जीक्यूटिव होगी। जब इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी एग्जीक्यूटिव है इसीलिए उसका चेयरमैन सैक्रेटरी को बनाया गया है। इसके अलावा अभी तक रूल्स और रेगुलेशंस और बनेंगे और अथोरिटी अपने पावर का डेलिगेशन किस रूप में कर पाए, उसकी चिंता भी रूल्स और रेगुलेशन की उसमें आपने जो चिंताएं व्यक्त की है उनका हम पूरा पूरा ढंग से ध्यान रखने की कोशिश करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह भी कहा कि प्राधिकरण की बैठकें एक साल में मिनिमम एक बार। एक बार का मतलब साल में केवल एक बार ही हो जाए, ऐसा नहीं है। मुझे यह कहते हुए खुशी कि भामाशाह के बिल को लाने से पहले तक..। आप कहते हो कि योजना इफेक्टिव नहीं है, पापुलर नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि अभी तक 140 लाख परिवारों का भामाशाह में नामांकन हो चुका है, 508 लाख, पाँच करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों का..। अभी तक नकद और गैर नकद ट्रांजेक्शन 19.91 करोड़ के हुए हैं और टोटल 6702 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ है और मैं आपको यह डेटा कब का दे रहा हूं। 23.04.17 का 11 बजकर 57 मिनट का है। यह रियल टाइम डेटा है। अगर आप मालूम करना चाहो कि अभी की क्या स्थिति है, आज की स्थिति भी आप मालूम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि भामाशाह कार्ड 120 लाख परिवारों को वितरित हो चुके हैं और अभी तक नजदीक में जिस तरह डिजीटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कैसे तब्दील करे, उसमें किस प्रकार से कांट्रीब्यूशन हो सकता है? मैं इतना ही कहता हूं कि 25 हजार राशन की

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

दुकानों में पोस मशीनें हैं जो बायो मीट्रिक सत्यापन पर काम कर रही हैं, 23 हजार 500 से ज्यादा विभिन्न बैंकों के बैंकिंग संवाद कर्मियों के पास माइक्रो एटीएम हैं। साथ ही, 15 हजार पेपर्स, पंचायत से ग्रामों तक किस प्रकार अपने मकान के नजदीक उस व्यक्ति को बैंकिंग की सुविधाएं देता है। इसकी चिंता हमने करने की कोशिश की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

भामाशाह में सबसे अच्छी बात सोशल ऑडिटिंग है। यह सोशल ऑडिटिंग का प्रोविजन है, यह भी इसको अपने आप में अनोखा बनाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका कोस्ट इफेक्टिवनैस की बात भी मैं करना चाहूंगा। लोग कहते हैं Money saved is money earned. अभी तक हम पेंशन के रूप में जो एनुअल पेंशन देते हैं, उसमें हमें 25 रुपए पोस्ट ऑफिस को डिलीवरी करने के लिए पे करना पड़ता था, 58 लाख पेंशनर्स हैं, 58 लाख पेंशनर्स को 25 रुपए पर-पेंशन वाले को डिलीवर करने के रूप में हमें 174 करोड़ रुपए सालाना खर्च करना पड़ता है। यह 174 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अभी आप जिस खाद्य सुरक्षा योजना की बात कर रहे थे। एक करोड़ से ज्यादा लोग एन.एफ.एस.ए. में एनरोल्ड हैं, डोटासरा साहब, कई आप जैसे और मेरे जैसे लोग एनरोल्ड हैं, जो चौधराहट के चक्कर में एनरोल तो हो गए लेकिन एनटाइटल्ड नहीं हैं। बायोमैट्रिक पद्धति के कारण अब डुप्लीकेसी पॉसीबल नहीं है। एक करोड़ लोग जो एन.एफ.एस.ए. में एनरोल्ड हैं। वे राशन की दुकानों पर नहीं जाते हैं। बच्चे कहीं नहीं जाते हैं। लिहाजा, 20 लाख फैमिलीज का राशन बच रहा है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 600 करोड़ रुपए का राशन एक साल में बचे, 174 करोड़ रुपए पेंशन के माथे बच जाएं। इस प्रकार कई प्रकार से हमारी सेविंग हो रही है, 900 करोड़ के आसपास की हमारी कोस्ट इफेक्टिव सेविंग है। यह 900 करोड़ रुपए बचेगा तो किस के पास जायेगा? सरकार का काम बचाना नहीं है। सरकार इस पैसे को बचाकर अपनी तिजोरी नहीं भरना चाहती है। यह जो पैसा बचेगा, यह पैसा उन्हीं को मिलेगा जो इसके हकदार हैं। जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनके लिए वेरियस स्कीम, वेरियस डिपार्टमेंट ला रहे हैं। उसके लिए एडिशनल रेवन्यू, बिना रिर्सोस के। इस लीकेज को रोककर,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कोस्ट एफिशियंशी को बढ़ाकर 800-900 करोड़ रुपए हम दोबारा उन्हीं लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सबसे बड़ी चीज है कि इतनी अच्छी योजना, जो डिजीटल इंडिया, गरीब के पास कैशलेस और कैश बेनिफिट को डिलीवर कर पाए, राइट टाइम पर डिलीवर कर पाए। बिना प्रिफरेंस के डिलीवर कर पाए। इसकी statutory backing नहीं थी। इसमें कानून का फोर्स नहीं था। कानून का फोर्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को लीगल बैकिंग कैसे मिले, यह हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय था। मैं समझता हूं कि उसकी लीगल बैकिंग पहले हुई होती तो 2008 के बाद इसको बदलना आपके लिए आसान नहीं हुआ होता। इसलिए इसमें लीगल बैकिंग किस प्रकार से हम ला पाएं, इस लीगल बैकिंग को लाने के लिए कानून लाया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बिल के पास होने के बाद निश्चित रूप से इसकी इफेक्टिव सर्विसेज के अंदर और जो डेटा हम कलक्ट करेंगे, उस डेटा की प्राइवेसी और उस डेटा की सीक्रेसी। उस सीक्रेसी और प्राइवेसी को लीक करने पर उसकी पैनल्टीज के प्रोविजन हैं। यह डेटा केवल वही लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, सरकार या सरकारी एजेंसी। किसी और के हाथ में नहीं। किसी प्रकार से इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएं, इसकी चिंता भी की गई है। इस लीगल फ्रेमवर्क के साथ भामाशाह योजना को हम कानूनीजामा पहना रहे हैं, जिससे आने वाले समय में 161 से ज्यादा विभागों की विभिन्न योजनाओं को इसके साथ इंटीग्रेट करके आम आदमी को, राजस्थान की वीमन को और राजस्थान के गरीब को एम्पॉवर करके जितने बेनिफिट का वह एनटाइटलमेंट रखता है, उन बेनिफिट को हम 'जीरो इरोजन' के ऊपर किस प्रकार से पहुंचा पाएं, इफेक्टिवली पहुंचा पाएं, इसकी योजना बनाई है। मैं समझता हूं इस बिल का स्वागत सभी ने किया है। फोटो का विरोध किया होगा, लेकिन सभी ने इस योजना का स्वागत किया है। न केवल आप इस योजना का स्वागत कर रहे हैं, राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में वह गरीब और वह महिला, राजस्थान की जनता राजस्थान की सरकार को इस बात के लिए आशीर्वाद दे रही है। मैं समझता हूं कि इस बिल के माध्यम से इस विधान सभा के लोगों का भी इससे आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 45, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 45 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 45 स्वीकार किए गए।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन, सूत्र नाम आदि, स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह जी

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहेंगे? प्रश्न यह है कि राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017 पारित किया गया।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र. सं. 33)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 33वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को मध्याह्न पश्चात 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष जी के वेश्म में हुई। समिति ने अपने 32वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन में करते हुए निर्णय लिया है कि दिनांक 25 अप्रैल, 2017 एवं 26 अप्रैल, 2017 को सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

मंगलवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2017	1. राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 2. राजस्थान नगर पालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017 3. राजस्थान नगर पालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 4. प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण।
बुधवार, दिनांक 26 अप्रैल, 2017	राजस्थान माल एवं सेवा कर विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 33वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 33वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.50 बजे मंगलवार, दिनांक 25 अप्रैल 2017 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर संभाग में भादसं की धारा 384 के दर्ज प्रकरण

504. श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर संभाग में भादसं की धारा 384 के तहत वर्ष 2017 में कौन-कौनसे मुकदमे दर्ज हुए व उनके क्या आधार थे तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संभाग में वर्ष 2017 में कितनी अवैध सभाएं हुईं व उक्त सभाओं की कितनी रिपोर्ट आई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) नाथद्वारा पुलिस थाने में विगत एक वर्ष में किस-किस पुलिस अधिकारी को किस-किस मामले के अनुसंधान का कार्य सुपुर्द किया गया तथा उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गई व किस-किस में चालान प्रस्तुत किया गया एवं किस-किस में जमानत का लाभ व एफ.आर. लगाई गई? चालान प्रस्तुत करने, जमानत का लाभ देने तथा एफ.आर. लगाने के क्या कारण रहे? क्या सभी मामलों में समान प्रक्रिया अपनाई गई? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में किस-किसके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत एक वर्ष में उक्त पुलिस थाने में गुमशुदगी के कितने मामले दर्ज हुए और उनमें अनुसंधान अधिकारी कौन था तथा उन मामलों में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर संभाग में वर्ष 2017 में भादस की धारा 384 के तहत दर्ज मुकदमों का विवरण, घटना का ब्यौरा तथा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उदयपुर संभाग में वर्ष 2017 में आयोजित सभाओं मे अवैध रूप से आयोजित किया जाना संज्ञान में नहीं आया है।

(3) नाथद्वारा पुलिस थाने में वर्ष 2016 में दर्ज प्रकरणों, उक्त प्रकरणों के अनुसंधान अधिकारियों का नाम एवं प्रकरण में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ‘ब’ पर अंकित है।

(गृह मंत्री)

(4) नाथद्वारा पुलिस थाने में विगत वर्ष 2016 में गुमशुदगी के कुल 35 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 32 प्रकरणों में गुमशुदा व्यक्ति वापस मिले तथा 3 व्यक्तियों का सुराग नहीं लग सका। गुमशुदा व्यक्ति वापस नहीं मिलने का कारण परिशिष्ट 'स' के कॉलम संख्या 8 पर अंकित है। दर्ज प्रकरणों के अनुसंधान अधिकारियों के नाम एवं प्रकरणों में की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'स' पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतें

505. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश देश के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा खुले में शौच से मुक्त अभियान में पिछड़ रहा है? यदि हां, तो अभी तक प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग खुले में शौच से मुक्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने परिवार खुले में शौच कर रहे हैं? भारत सरकार ने इस हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की है व वास्तव में कुल कितनी राशि बनती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में स्थित कुल कितनी ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं व कितनी शेष हैं तथा कुल कितनी राशि खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में बनती है व कितनी राशि खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों में वितरित की जा चुकी है? शेष कब तक वितरित कर दी जायेगी? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है। राजस्थान समस्त भारत में शौचालय निर्माण में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में प्रथम स्थान पर रहा है।

(2) बेस लाईन सर्वे 2012 के अनुसार 83.56 लाख शौचालय विहिन परिवारों को चिन्हित किया गया, जो बढ़कर 86.30 लाख परिवार हो गये।

(गृह मंत्री)

जिनमें से अब तक 58.88 लाख शौचालय निर्मित हो चुके हैं।

प्रदेश में शेष शौचालय विहीन 27.42 लाख परिवारो हेतु शौचालयो का निर्माण प्रक्रियाधीन है, जिन्हे मार्च 2018 तक निर्माण किये जाने का राज्य संकल्पित है। भारत सरकार से 2009-10 से 2016-17 तक 2241.24 करोड़ की राशि योजनान्तर्गत प्राप्त हुई है। भारत सरकार से अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना अनुसार वर्ष 2016-17 में 1450 करोड़ रुपये की राशि कम प्राप्त हुई है। वर्ष 2017-18 में रुपये 5841.16 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसके विरुद्ध इस वर्ष केन्द्रीयांश का आवंटन राज्य को प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) प्रदेश में स्थित 9894 ग्राम पंचायतों में से 4937 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी है। 4579 ग्राम पंचायते खुले में शौच से मुक्त होनी शेष है। 4937 खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतो हेतु ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के रूप में 887.40 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि बनती है। इसमें से अब तक 5.43 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर शेष राशि जिलो से प्राप्त प्रस्तावानुसार वितरित की जाएगी। जिलेवार प्रगति रिपोर्ट परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र में नया थाना खोलने की योजना

512. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जयपुर जिले में नये पुलिस थाने खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में लगातार बढ़ रहे अपराध एवं बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण नगरपालिका क्षेत्र कोटपूतली में सदर थाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में नये पुलिस थानों/चौकियों के पुनर्गठन/ सृजन करने के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

समिति की अभिशंसा के आलोक में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध व कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस की नफरी की उपलब्धता के आधार पर जयपुर जिले में नये पुलिस थाने खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) समिति की अभिशंसा के आलोक में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध व कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस की नफरी की उपलब्धता के आधार पर कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र में नया पुलिस थाना कोटपूतली सदर खोले जाने विचार किया जा सकेगा।

अजमेर जिले में शौचालय निर्माण की बकाया राशि का भुगतान

513. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में स्वच्छ भारत

(श्री भागीरथ चौधरी)

मिशन अभियान के तहत अजमेर जिले में शौचालयों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो अब तक उक्त जिले में कितने शौचालयों की स्वीकृति जारी की गई व कितने शौचालय तैयार हुए एवं कितने शौचालयों के लिए कितनी राशि वितरित की गई है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि शौचालय निर्माण के 8-10 माह पश्चात् भी लाभार्थियों को शौचालय निर्माण की राशि नहीं मिली है? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौनसी पंचायत समितियां हैं, जिनमें शौचालय निर्माण होने के बाद भी सरकार द्वारा निर्माणकर्ता को राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण के निर्माणकर्ताओं को बकाया भुगतान की राशि शीघ्र दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर जिले में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य करवाये गये है। जिले में जारी स्वीकृति, निर्माण व भुगतान का विवरण निम्नानुसार है

क्र. स.	पंचायत समिति	स्वीकृति	निर्माण	भुगतान किये परिवारों की संख्या	भुगतान राशि (लाख में)
1	अराई	17522	17522	7836	940.32
2	भिनाय	19700	19700	15887	1906.44
3	जवाजा	30561	30561	17714	2125.68
4	केकड़ी	22423	21668	8202	984.24
5	किशनगढ़	24998	24990	21650	2598.00
6	मसूदा	24807	24807	14860	1783.20
7	पीसागंन	35573	35220	30926	3711.12
8	सरवाड़	22510	22510	13892	1667.04
9	श्रीनगर	24085	24085	22313	2667.56
	योग	222179	221063	153280	18383.60

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी हां। पंचायत समितिवार भुगतान से शेष परिवारों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	पंचायत समिति	भुगतान से शेष परिवारों की संख्या		
		बेस लाईन में पात्र परिवार	बेसलाईन से भिन्न पात्र परिवार	कुल योग
1	अराई	427	9259	9686
2	भिनाय	907	2906	3813
3	जवाजा	90	12757	12847
4	केकड़ी	329	13137	13466
5	किशनगढ़	555	2785	3340
6	मसूदा	458	9489	9947
7	पीसागंन	236	4058	4294
8	सरवाड़	836	7782	8618
9	श्रीनगर	281	1491	1772
कुल योग		4119	63664	67783

(3) जी हां। भारत सरकार द्वारा पत्रांक S-17011/1/2015-SBMG दिनांक 03.06.2016 द्वारा एसबीएम (जी) एमआईएस में संशोधन की अनुमति प्रदान की गई थी, परन्तु वर्तमान में अजमेर जिले में अन्य जिलों की भॉति एमआईएस में संशोधन संभव नही होने पर राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को एमआईएस में संशोधन हेतु आग्रह किया है, जो कि विचाराधीन है। उक्त संशोधन की अनुमति प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।

चौमूं में कृषि उपज मण्डी की भूमि पर अतिक्रमण

514. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चौमूं में बस स्टैण्ड के पास कृषि उपज मण्डी की भूमि उपलब्ध है? यदि हां, तो कितनी भूमि व उक्त भूमि वर्तमान में किस स्थिति में है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामलाल शर्मा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि की देखरेख नहीं होने के कारण चारों तरफ अतिक्रमण व गंदगी के ढ़ेर लगे हुए हैं?

(3) क्या सरकार उक्त भूमि को देख रेख एवं अतिक्रमणों को रोकने के लिए नगरपालिका चौमूं को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बस स्टैण्ड, चौमूं के पश्चिम दिशा में कृषि उपज मंडी समिति चौमूं के पुराने मंडी यार्ड चौमूं गढ़ की भूमि, निर्मित भवन व खाई (नहर) की भूमि उपलब्ध है। इस भूमि का कुल क्षेत्रफल 24946.37 वर्गमीटर (2.5 हैक्टेयर) है। वर्ष 1988 में उक्त मंडी यार्ड डिनोटिफ़ाइड घोषित करने के पश्चात वर्तमान में यह भूमि तथा इस पर बने हुए भवन रिक्त पड़े हुए है।

(2) जी हां। चौमूंगढ मंडी यार्ड डिनोटिफ़ाइड होने से इस मंडी यार्ड की भूमि पर मंडी समिति द्वारा सफाई नहीं कारवाई जाती है। मण्डी यार्ड की यह भूमि शहर के बीचों बीच स्थित है जिसमें से शहर में आने जाने का मुख्य रास्ता है। इसलिए इस भूमि पर रात्रि में शहरवासियों द्वारा गन्दगी व कचरा डाल दिया जाता है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस. बी.सिविल रिट पिटीशन सं 3677 / 2006 मै. चिरास एसोसियेटस प्रा. लि. बनाम नगरपालिका चौमूं व अन्य में पारित दिनांक 04-08-2006 के द्वारा इस मंडी यार्ड की भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण नही करने और इस भूमि को किसी भी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं करने हेतु स्थगन आदेश जारी किये हुए है। जो वर्तमान में भी प्रभावी है इसलिए जब तक उक्त स्थगन आदेश प्रभावी है तब तक उक्त भूमि को किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता है। शिक्षा आयुक्त एवं शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग राज. सरकार के पत्रांक एफ.6(26)शिक्षा-5/74/ग्रुप-4 दिनांक 28.03.1978 द्वारा चौमूं का किला (परकोटा व खाई सहित) को राज. पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 के तहत "सरक्षित" स्मारक होना घोषित किया गया है। जिससे इस भूमि का रूप परिवर्तन करना भी संभव नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उमरेड (वैर) में एनीकट निर्माण की स्वीकृत

515. श्री भजन लाल जाटव (वैर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र वैर की ग्राम पंचायत उमरेड में राजपूताना सोसाइटी को एनीकट बनाने की स्वीकृति दी गयी है? यदि हां, तो किन मानदण्डों के तहत?

(2) प्रदेश में वन भूमि के समीप एनीकट निर्माण के क्या मानदण्ड निर्धारित है? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा ग्राम पंचायत उमरेड में अपनी जमीन चिन्हित नही करने व एनीकट निर्माण की स्वीकृति जारी नही करने से क्षेत्र के करीब 20-25 ग्रामों को पानी उपलब्ध कराने में भारी परेशानी उत्पन्न हो रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब उक्त ग्राम में एनीकट निर्माण कराने की स्वीकृति जारी कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा ग्राम पंचायत उमरेड की राजस्व भूमि के खसरा नम्बर 513 गैर मुमकिन नाला में एनीकट निर्माण हेतु राजपूताना सोसाइटी को ''वन भूमि के सबमरजेंस से प्रभावित नहीं होने की शर्त पर'' दिनांक 28.02.2017 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

(2) कोई विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं, परन्तु यह अवश्य देखा जाता है कि एनीकट निर्माण कार्य के फलस्वरूप वन भूमि में कोई गैर वानिकी गतिविधि नहीं होनी चाहिए और वन भूमि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

(3) उमरेड ग्राम में एनीकट निर्माण हेतु वन विभाग द्वारा दिनांक 28-2-2017 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।

(4) उमरेड ग्राम में एनीकट निर्माण हेतु वन विभाग द्वारा दिनांक 28-2-2017 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।

रिसर्जेंट राजस्थान के तहत हुए एम.ओ.यू.

516. श्री सुखराम विश्नाई (सांचौर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2016 में प्रदेश में निवेश व रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रिसर्जेंट राजस्थान के नाम से 139 एम.ओ.यू. पर्यटन विभाग के माध्यम से हुए एवं उक्त एम.ओ.यू. से प्रदेश में 6,277 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति बनी व इससे 23 हजार लोगों को रोजगार मिलना प्रस्तावित था? यदि हां, तो उक्त एम.ओ.यू. के तहत कितने उद्योग स्थापित हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रिसर्जेंट राजस्थान के नाम से हुए 139 एम.ओ.यू. में से ज्यादातर परियोजनाएं पहले से ही स्वीकृत हो चुकी थी व अपने स्तर पर कार्य भी चालू कर दिया गया था? यदि हां, तो पुन: एम.ओ.यू. करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पर्यटन विभाग द्वारा रिसर्जेन्ट राजस्थान-2015 के दौरान माह नवम्बर, 2015 में कुल 139 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये थे जिनमें प्रस्तावित निवेश राशि 6277.45 करोड़ रुपये व प्रस्तावित रोजगार 20588 है। विवरण अनुसंलग्नक-1 पर संलग्न है।

(2) रिसर्जेन्ट राजस्थान-2015 के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा हस्ताक्षरित 139 एम.ओ.यू. मे पूर्व विभाग द्वारा स्वीकृत 73 परियोजनाओं में भूमि की अतिरिक्त आवश्यकता, प्रस्तावित निवेश में संशोधन अथवा निवेशक में परिवर्तन के कारण एम.ओ.यू. किये गये थे। इसके अतिरिक्त 25 परियोजनाएं पूर्व में पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत थी परन्तु क्रियान्वित नहीं की गई थी। शेष 41 परियोजनाएं नवीन थी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के मल्टीप्लेक्स एवं सिनेमाघरों में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की दरों पर नियंत्रण

517. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

(1) क्या यह सही है प्रदेश में संचालित विभिन्न मल्टीप्लेक्स एवं सिनेमाघरों एवं उनमें संचालित कैंटीनों (जलपान गृह) में बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों के मूल्य अथवा दरों पर सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण रहता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में कई सिनेमाघरों एवं उनमें संचालित कैंटीनों (जलपान गृह) में उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले यथा पानी, शीतल पेय, समोसे, पोपकार्न, आईसक्रीम इत्यादि खाद्य पदार्थों को बाजार मूल्य अथवा उन पर मुद्रित दर से कई गुणा अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गयी है? हां, तो कब एवं क्या?

(3) क्या सरकार उक्त संस्थाओं द्वारा नियम विरुद्ध बाजार मूल्य से अधिक मूल्य में बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों की दरों पर नियंत्रण रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम, 2011 के अन्तर्गत राज्य सरकार डिब्बा बन्द वस्तुओं पर नियंत्रण रखती है। नियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) बिन्दु संख्या-1 के प्रति उत्तर के अनुसार राज्य सरकार नियंत्रण रखती है तथा शिकायतें प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जाती है व की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौहटन के राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरण

518. श्री तरुण राय कागा (चौहटन): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री तरुण राय कागा)

(1) प्रदेश में परिवार की संयुक्त हिस्सेदारी के बंटवारे हेतु क्या-क्या संशोधन किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में गोचर भूमि पर बसी आबादी को हटाने या अपने स्तर पर उसी गांव की सरकारी भूमि को गोचर भूमि में बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र चौहटन के राजस्व न्यायालयों में कुल कितने प्रकरण कब से लम्बित है तथा इनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एक परिवार जिसकी संयुक्त हिस्सेदारी है के भूमि के भूमि क्षेत्र का विभाजन धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सह आसामियों के बीच क्षेत्र का विभाजन कराया जाने के प्रावधान है।

(2) ग्रामीण गोचर भूमि पर बसे लोगों को अतिक्रमी मानकर बेदखली की कार्यवाही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत की जाती है। चारागाह भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ सैट अपार्ट राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 की प्रक्रिया अपनाकर किया जाता है। चारागाह भूमि अकृषि भूमि प्रयोजनार्थ सैट अपार्ट करते समय उतनी भूमि चारागाह प्रयोजन से आरक्षित करने का प्रावधान है।

(3) विधान सभा क्षेत्र चौहटन में विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की स्थिति इस प्रकार हैः-

उपखण्ड न्यायालय चौहटन में 1388 व तहसीलदार न्यायालय चौहटन में 31 एवं तहसीलदार न्यायालय सेडवा में 16 प्रकरण भिन्न भिन्न धाराओं के प्रकरण विचाराधीन है। जिसमें पक्षकारान को बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर यथा शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।

हनुमानगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बिलों के वितरण में अनियमितता

519. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों द्वारा बिल वितरण में अनियमितता की जा रही है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में मीटर रीडरों द्वारा नियमित रीडिंग ली जा रही है? यदि नहीं, तो विद्युत बिल किस प्रकार से जारी किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सामान्यता हनुमानगढ़ जिले में निगम नियमानुसार ही बिलों का वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में इस जिलें के विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों का वितरण संविदा के आधार पर निजी ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है।

(2) जी हां। हनुमानगढ़ जिले में घरेलू, अघरेलू तथा मिश्रित श्रेणी के 18.65 KW विद्युत भार तक एवं कृषि मीटर श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं को दो माह में विद्युत विपत्र जारी किये जाते है। इसके अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं को हर माह में विद्युत विपत्र जारी किये जाते हैं। तदानुसार हनुमानगढ़ जिले मे मीटर पठन का कार्य भी नियत चक्र अनुसार प्रतिमाह/दो माह अन्तराल से किया जाता है तो सतत प्रक्रिया के तहत मीटर बदलने की कार्यवाही की जाती है। कभी कभार मीटरों की अनुपलब्धता होने पर मीटर बदलना लम्बित हो जाता है। जिन उपभोक्ताओं के बंद/खराब मीटर पाये जाते है उन्हें औसत आधार पर विद्युत विपत्र जारी किये जाते है। प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली शहर में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा

520. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2016 में पाली शहर में हुई अतिवृष्टि में किस-किस बस्ती में किस-किस व्यक्ति का मकान क्षतिग्रस्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शहर में 31-01-2017 तक किन-किन परिवारों को कब-कब कितनी-कितनी राशि क्षतिग्रस्त मकानों के विरुद्ध मुआवजे के रूप में दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या सरकार ऐसे परिवारों को भी जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए है, परनतु अभी तक मुआवजा राशि से वंचित है, मुआवजा राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2016 में पाली शहर में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए मकानों की सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) अब तक 1027 परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोष कार्यालय से राशि 38 लाख 88 हजार रुपये आहरित कर आयुक्त, नगर परिषद पाली को भिजवाई गयी है, जिसमें से 5 लाख 98 हजार रुपये 160 परिवारों के खातों में जमा करवाये जा चुके है। जिसकी सूचना परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। शेष परिवारों को भुगतान हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) उपरोक्त स्वीकृति पश्चात जिला कलेक्टर, पाली द्वारा 702 परिवारों के आवेदन लम्बित होना बताया गया है, जिसके संबंध में कलेक्टर पाली से पूर्ण विवरण मांगा गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में गुरु गोलवलकर योजना के तहत स्वीकृत कार्य

521. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हमीरसिंह भायल)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की महत्ती गुरु गोलवलकर योजना वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ की गयी है? यदि हां, तो इसमें कितना बजट प्रावधान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत बाड़मेर जिले में गत वित्तीय वर्ष में कितने कार्य स्वीकृत किये गये है? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर कार्य स्वीकृत किये जाते हैं? यदि हां, तो उक्त जिले में पंचायत समितिवार किस प्रकार से प्राथमिकता तैयार की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना वर्ष 2014-15 में दिनांक 30.09.2014 से लागू की गयी। जिसके संशोधित दिशा निर्देश दिनांक 04.03.2015 को जारी किये गये है। योजना में वर्ष 2014-15 में 50 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है। जिलेवार आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना में बाड़मेर जिले में वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना की मार्ग दर्शिका के अनुसार जिले को बजट का आबंटन प्राप्त होने पर पंचायत समितियों से प्रस्ताव मांगे जाते है। पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों से कार्यों के प्राप्त प्रस्तावों के साथ निर्धारित जन सहयोग की राशि प्राप्त होने पर वरीयता क्रम से योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में कार्य स्वीकृत किये गये है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में किसानों को बीज वितरण के मानदण्ड

522. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेगे:-

(श्री शंकरसिंह रावत)

(1) क्या सरकर द्वारा वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने से पूर्व किसानों को खरीफ फसल बोने हेतु बीजों का वितरण किया जाता है? यदि हां, तो बीज वितरण के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा किसानों को वितरित किये जाने बीज को उपखण्ड स्तर पर वर्षा ऋतु से पूर्व उपलब्ध कराया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2016 में विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में किसानों को बीज विरतण कब व कितना-कितना तथा कितने किसानों को उपलब्ध कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा-एनएमओओपी, एनएफएसएम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के तहत मिनि किट/ प्रदर्शन आयोजन एवं सामान्य बुआई हेतु खरीफ एवं रबी सीजन में फसलों की बुआई से पूर्व किसानों को उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध करवाया जाता है। मिनि किट/ प्रदर्शन आयोजन एवं सामान्य वितरण हेतु योजना के दिशा निर्देशानुसार विभिन्न फसलों (दलहनी, तिलहनी व खाद्यान) के लिए बीज की उपलब्धता करायी जाती है। बीज वितरण के मापदण्ड, बीज की उपलब्धता करायी जाती है। बीज वितरण के मापदण्ड, बीज की मात्रा आदि का वितरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा किसानों को बीज बुआई समय से पूर्व बीज उपलब्ध कराया जाता है। विधानसभा क्षेत्र ब्यावर में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में मिनि किट/ प्रदर्शन आयोजन हेतु वितरित किये गये बीजों का वितरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में पायका योजना के तहत निर्मित खेल स्टेडियम

523. श्री मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर जिले में 5000 की आबादी वाले ग्रामों में पायका योजना के तहत खेल स्टेडियम बनाने के लिये कितनी राशि अलवर जिला परिषद

(श्री मास्टर मामन सिंह यादव)

को कब आबंटित हुई? उक्त योजना के अन्तर्गत कितने स्टेडियम बनने थे और कितने स्टेडियम बनकर तैयार हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले हेतु स्वीकृत राशि खेल स्टेडियम के लिये अपर्याप्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि बढ़ाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में 5000 की आबादी वाले ग्रामों में पायका योजना के तहत् खेल स्टेडियम बनाने के लिए राशि जारी नहीं की गयी अपितु खेल मैदानों के विकास हेतु अलवर जिले की 64 ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों के विकास करने हेतु 1.00 लाख रुपये प्रति ग्राम पंचायत के हिसाब से एवं जखराना (बहरोड) ब्लॉक हेतु 5.00 लाख रुपये कुल 69.00 लाख रुपये जिला परिषद् को वर्ष 2008-09 में भिजवायें गये थे। जिसमें से 50 ग्राम पंचायतों एवं एक ब्लॉक जखराना में खेल मैदानों का विकास किया गया जिसकी सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान योजनान्तर्गत ब्लॉक स्तर पर राशि रु. 5.00 लाख एवं ग्राम पंचायत पर 1.00 लाख रुपये ही स्वीक़ृत किये जाने का प्रावधान था। उस अनुसार ही अलवर जिले की ब्लॉक पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में उपलब्ध खेल मैदानों के विकास हेतु राशि उपलब्ध करवाई गयी थी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र के लिये रिसर्जेंट राजस्थान में हुए एम.ओ.यू.

524. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में रिसर्जेंट राजस्थान में हुए एम.ओ.यू. लम्बित है? यदि हां, तो कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जो अभी तक शुरू नहीं हुए? क्या सरकार इस हेतु सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

कार्यवाही करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) देश में नोटबंदी लागू होने के बाद प्रदेश में उत्पादन में कितनी प्रतिशत गिरावट आई तथा इससे कितने लोग बेरोजगार हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2015 मे आयोजित हुए रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान शेखावटी क्षेत्र के लिए कितने एम.ओ.यू. हुए? एम.ओ.यू. के तहत कितनी राशि का निवेश होना था व क्या-क्या प्रोजेक्ट कब चालू हाने थे तथा इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि रिसर्जेंट राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र के लिए हुए एम.ओ.यू. में से एक भी प्रोजेक्ट स्थापित नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों व उक्त प्रोजेक्ट अब कब तक प्रारम्भ होंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि रिसर्जेंट राजस्थान के तहत हुए एम.ओ.यू. के प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार जमीन व अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है? यदि हां, तो प्रदेश में रिसर्जेंट राजस्थान के तहत हुए एम.ओ.यू. के प्रोजेक्ट्स के लिए कितनी कंपनियों ने जमीन व अन्य संसाधनों हेतु आवेदन किए व उनमें से कितनी कंपनियों को जमीन व अन्य संसाधन उपलब्ध करवा दिए गये है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) रिसर्जेंट राजस्थान के तहत सरकार ने कितने एम.ओ.यू. किए व उनमें से कितने प्रोजेक्ट्स चालू हो गए तथा उक्त प्रोजेक्ट्स कब तक पूर्ण होंगे? इससें कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य में नोटबंदी के औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव से संबंधित अध्ययन राज्य सरकार द्वारा नहीं करवाया गया है।

(3) रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मिट-2015 के दौरान निष्पादित

(उद्योग मंत्री)

22 एम.ओ.यूज पूर्णत: या आंशिक रूप से सीकर, झुन्झुनूं व चूरू जिलों से संबंधित है जिनमें रुपये 20823.8 करोड़ का निवेश तथा 6724 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन प्रस्तावित है।

इसके प्रस्तावित निवेश, रोजगार एवं क्रियान्विति की अद्यतन स्थिति अनुसंलग्नक-1 पर दर्शायी गई है। इन परियोजनाओं के प्रारंभ होने हेतु अवधि एम.ओ.यू. मे निर्धारित नहीं की गई थी।

(4) जी नहीं। सीकर, झुन्झुनूं व चूरू जिलों से संबंधित एमओयूज में से जो परियोजनाएं क्रियान्वित/क्रियान्वन की प्रक्रिया में है, उनका विवरण अनुसंलग्नक-1 पर संलग्न है।

(5) निवेश प्रोत्साहन एवं परियोजनाओं का क्रियान्वयन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें राज्य सरकार की सदैव सकारात्मक भूमिका होती है। एमओयूज के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधन/सुविधाएं सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उनके अलग-अलग सक्षम/उपयुक्त स्तरों पर नियमानुसार उपलब्ध करवाये जाते है। विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभाग/स्तर पर भूमि एवं अन्य निस्तारण की एकीकृत सूचना राज्य स्तर पर संधारित नहीं की जाती है।

(6) रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मिट-2015 के अन्तर्गत कुल 470 एमओयूज हस्ताक्षरित किये गये जिनमें रुपये 3.38 लाख करोड़ का निवेश तथा 3,56,960 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन प्रस्तावित है।

रुपये 8876 करोड़ के प्रस्तावित निवेश की 38 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी है तथा रुपये 75080 करोड़ प्रस्तावित निवेश की 123 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है।

इसके अतिरिक्त रुपये 38943 करोड़ प्रस्तावित निवेश की 94 परियोजनाएं आवश्यक स्वीकृतियों हेतु प्रक्रियाधीन है। 61 परियोजनाएं निवेशकों के स्तर पर लम्बित है एवं शेष 154 परियोनाओं मे निवेशकों द्वारा वर्तमान में रूचि नहीं ली जा रही है अथवा परियोजना ड्रॉप कर दी गई है।

परियोजना के प्रारंभ होने के पश्चात् उसके पूर्ण होने के अवधि उसकी प्रकृति व आकार पर निर्भर करती है।

(उद्योग मंत्री)

इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर नोट बंदी के प्रभाव का रुझान नहीं देखा गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर जिले में नवीन उचित मूल्य की दुकानें खोलने की योजना

525. श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा' (भरतपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में गत तीन वर्षों में उचित मूल्य की दुकानें खोलने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी? यदि हां, तो कब तथा कितनी दुकानों की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त उचित मूल्यों की दुकानों को खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त जिले में नई राशन की दुकानों हेतु पुनः विज्ञप्ति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां के लिए व नहीं, तो क्यों?

(4) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां संचालित हैं? दुकानदार के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा भरतपुर जिले में 194 उचित मूल्य दुकानें खोलने हेतु विज्ञप्ति दिनांक 03.03.2015 को जारी की गयी थी।

(2) जी हां। उक्त विज्ञप्ति 194 उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु आबंटन सलाहकार समितियों की बैठकें आयोजित कर आवेदकों के साक्षात्कार लिये जा चुके हैं। चयनित आवेदकों को प्राधिकार पत्र जारी करना प्रक्रियाधीन है।

(3) राज्य सरकार द्वारा नवसृजित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आबंटन के संबंध में सार्वजनिक विज्ञप्ति दिनांक 03.03.2015 को जारी की जा चुकी है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

नवीन उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 के बिन्दु संख्या 2(क) के अनुसार आवश्यकता होने पर उचित मूल्य दुकान खोलने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में वर्तमान में संचालित उचित मूल्य दुकानों की नाम सहित सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कच्चे-पक्के मकान में आगजनी पर देय सहायता

526. श्री भंवरसिंह (कोलयत): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कितने लोगों के द्वारा कच्चे-पक्के मकान एवं झोपड़े में आग लग जाने पर सहायता हेतु आवेदन किया गया तथा कितने लोगों को सहायता राशि प्रदान की गयी? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में बीकानेर जिले के लम्बित आवेदन तथा सहायता राशि दिए गए व्यक्तियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे झोपड़े व पक्के मकान जल जाने पर सरकार द्वारा कितनी राशि की सहायता दी जाती है तथा इसके क्या नियम व प्रावधान निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार आगजनी होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि करने हेतु नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(5) क्या सरकार आगजनी की घटना होने के बाद सहायता राशि वितरण में देरी करने वाले सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में देरी से भुगतान करने वाले कार्मिकों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में कच्चे-पक्के

(राज्य मंत्री, राजस्व)

मकान एवं झोपड़े में आग लग जाने पर सहायता हेतु जिन लोगो द्वारा आवेदन किया तथा उनमें से जिनको सहायता राशि प्रदान की गयी का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) बीकानेर जिले में वर्ष 2015-16 में 112 आवेदन सहायता राशि दिये जाने हेतु प्राप्त हुए, लेकिन प्राप्त आवेदन पत्रों की निर्धारित नार्म्स के अनुसार जांच किये जाने पर सहायता राशि दिये जाने के योग्य नहीं पाये जाने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये गये।

वर्ष 2016-17 में कच्चे, पक्के तथा झोपड़े की आगजनी के कुल 100 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 42 कच्चे-पक्के मकान तथा 29 झोपड़े के आवेदनकर्ताओं को सहायता राशि का भुगतान किया गया। 16 आवेदन निरस्त किये गये तथा 13 आवेदन पत्र कमियों की पूर्ति हेतु लम्बित है। सहायता राशि का व्यक्तिवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन) भारत सरकार के आदेश क्रमांक 32-7/2014-एनडीएम-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार कच्चा एवं पक्का मकान पूर्णतया और गंभीर क्षतिग्रस्त होने पर मैदानी इलाके में 95100/- रु. की सहायता देय है। पक्का मकान आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर रु. 5200/- रु तथा कच्चा मकान आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर 3200/- रु. झौपड़ी क्षतिग्रस्त होने पर 4100/- तथा कैटल शेड नष्ट होने पर 2100/-रु. की सहायता देय है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नार्मस आदेश की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) आगजनी होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न की जाकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्ष 2015 से 2020 तक की अवधि के लिए सहायता राशि में वृद्धि भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 08.04.2015 के द्वारा की गयी है।

(5) जी नहीं। विगत दो वर्षों में सहायता राशि में देरी से भुगतान करने का कोई प्रकरण किसी भी जिला कलक्टर कार्यालय में लम्बित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन की लागत की गणना

550. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में विद्युत उत्पादन कहां-कहां पर किस-किस माध्यम से हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने उत्पादन संयंत्र राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अन्तर्गत आते है एवं कितने उत्पादन संयंत्र पी.पी.पी. मोड़ पर संचालित किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अन्तर्गत आने वाले संयंत्रों में प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन लागत की गणना किस प्रकार की जाती है? इसमें किन-किन मदों को शामिल किया जाता है? गत 3 वर्षों का संयंत्रवार प्रति यूनिट उत्पादन लागत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में स्थापित विद्युत उत्पादन इकाईयों व उत्पादन के माध्यमों का विवरण परिशिष्ट 'अ-1' व 'अ-2' पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्तानुसार राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अन्तर्गत आने वाले उत्पादन संयंत्रों का विवरण परिशिष्ट 'अ-1' पर उपलब्ध है।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का कोई उत्पादन संयंत्र पी.पी.पी. मोड पर संचालित नहीं किया जा रहा है।

(3) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अन्तर्गत संयंत्रों में प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन लागत की गणना का प्रकार एवं गणना हेतु शामिल किए जाने वाले मद तथा विगत 3 वर्षों में संयंत्रवार प्रति यूनिट उत्पादन लागत का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांदीकुई में घरेलू/अघरेलू विद्युत कनेक्शन

551. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती अलका सिंह)

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में गत 3 वर्षों में कितने घरेलू/अघरेलू विद्युत कनेक्शन किस-किस क्षेत्र में दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने विद्युत कनेक्शन किन कारणों से लम्बित है? क्या सरकार इस संबंध में जिम्मेदारी तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में पिछले 3 वर्षों में दिये गये घरेलू/अघरेलू विद्युत कनेक्शनों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**बांदीकुई उपखण्ड**		**बसवा उपखण्ड**		**कुल**	
	घरेलू	**अघरेलू**	**घरेलू**	**अघरेलू**	**घरेलू**	**अघरेलू**
2013-14	1449	44	561	09	2010	53
2014-15	1765	70	1082	06	2847	76
2015-16	2794	71	1698	16	4492	87
कुल	**6008**	**185**	**3341**	**31**	**9349**	**216**

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में लम्बित घरेलू/अघरेलू कनेक्शनों की माह फरवरी, 2017 तक का विवरण निम्नानुसार है:-

बांदीकुई उपखण्ड		**बसवा उपखण्ड**		**कुल**	
घरेलू	**अघरेलू**	**घरेलू**	**अघरेलू**	**घरेलू**	**अघरेलू**
668	13	2479	08	3147	21

घरेलू लम्बित आवेदनों में 1533 आवेदन मुख्य मंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना के हैं, जिनके नियमानुसार तखमीना बनाकर मांग पत्र जारी करने का कार्य प्रगति पर है। मांग पत्र की राशि जमा होने एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने पर घरेलू/अघरेलू कनेक्शन दिये जाते हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

केन्द्र और प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं की मोनिटरिंग

552. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): क्या आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कैलाश भंसाली)

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र और प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभारी मोनिटरिंग की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों की है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण को सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर जिला कलेक्टर द्वारा 01 जनवरी, 2016 से 20 फरवरी, 2017 तक की अवधि में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उनके पैतृक विभाग के विभागाध्यक्ष को शासकीय या अर्द्धशासकीय पत्र लिखे गये हैं? यह हां, तो उक्त पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रत्येक वर्ष राज्य की वार्षिक योजना अन्तर्गत विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त जिला स्तर पर जिला कलेक्टरों द्वारा कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव महोदय की ओर से परिपत्र जारी किया जाता है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट अ पर उपलब्ध है।

(2) जोधपुर जिले में जिला कलेक्टर द्वारा 01 जनवरी, 2016 से 20 फरवरी, 2017 तक की अवधि में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उनके पैतृक विभाग के विभागाध्यक्ष को शासकीय या अर्द्शासकीय पत्र नहीं लिखे गये है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले में विद्युत उपभोक्ताओं से वी.सी.आर. भरने पर प्राप्त राशि

553. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा चोरी रोकने के लिए कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं की वी.सी.आर. भरने की कार्यवाही की जाती है? यदी हां, तो किन नियमों के तहत व इसमें कितनी-कितनी पैनल्टी लगाये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिले में जनवरी, 2014 से जनवरी, 2017 तक कितने

(श्री निर्मल कुमावत)

घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं की वी.सी.आर. भरी गई व इससे कितनी राशि प्राप्त हुई? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत वितरण निगमों द्वारा विद्युत चोरी पाये जाने पर धारा 135 व 138 विद्युत अधिनियम के तहत वी.सी.आर. भरी जाती है। उपभोक्ताओं एवं गैर उपभोक्ताओं द्वारा इस प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर नियमानुसार लगाई जाने वाली जुर्माना राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जयपुर जिले में गत जनवरी, 2014 से अब तक घरेलू व कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं की भरी गई वी.सी.आर. एवं उससे प्राप्त राजस्व वसूली का उपखण्ड वार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। उक्त सूचना विधान सभा क्षेत्रवार संकलित नहीं की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में स्टेनोग्राफर संवर्ग के वेतन भत्तों में असमानता दूर करने की कार्ययोजना

554. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सचिवालय एवं अधीनस्थ राजकीय सेवा में कार्यरत स्टेनोग्राफर्स संवर्ग की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता, परीक्षा प्रणाली, कार्य प्रणाली एक- समान होने के उपरान्त भी सचिवालय एवं अधीनस्थ राजकीय सेवा में कार्यरत स्टेनोग्राफर्स संवर्ग के वेतन भत्तों एवं पदोन्नति अवसरों में असमानता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2013 में मंत्रालयिक संवर्ग के लिपिकीय संवर्ग एवं स्टनों संवर्ग के कैडर स्ट्रेन्थ को रिवाइज करने के लिए पत्रावली पर स्वीकृति हुई थी, जिसमें मंत्रालयिक संवर्ग के लिए लिपिकीय संवर्ग की केडर स्ट्रेन्थ आदेश बकाया थे?

(3) सरकार में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के

(श्री बाबू सिंह)

लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों को पांच चैनल तक पदोन्नति का प्रावधान है, लेकिन मंत्रालयिक संवर्ग के ही स्टेनो संवर्ग को तीन पदोन्नतियों का ही प्रावधान है। क्या सरकार स्टेनो संवर्ग के लिए भी पांच चैनल तक पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार स्टेनोग्राफर्स संवर्ग के वेतन-भत्तों एवं पदोन्नति अवसरों में असमानता को दूर करने व स्टेनो संवर्ग के केडर स्ट्रेन्थ को रिवाइज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि सचिवालय एवं अधिनस्थ राजकीय सेवा में कार्यरत स्टेनोग्राफर्स संवर्ग की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता एवं परीक्षा प्रणाली समान है। किन्तु शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत स्टेनोग्राफर्स की कार्य प्रणाली में भिन्नता है। अधीनस्थ राजकीय सेवा में कार्यरत स्टेनोग्राफर्स का काडर छोटा होता है और उसका कार्य अपने विभाग तक ही सीमित होता है। शासन सचिवालय में स्टेनोग्राफर संवर्ग के पदों का सौपान उनकी कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर निर्धारित है, जिसके परिप्रेक्ष्य में ही पदों की ग्रेड-पे एवं पदोन्नति अवसर निर्धारित हैं।

(2) वर्ष 2013 में मंत्रालयिक संवर्ग के लिपिकीय संवर्ग के कैडर स्ट्रेन्थ को रिवाइज करने के लिए पत्रावली पर स्वीकृति हुई थी किन्तु स्टेनों संवर्ग के कैडर स्ट्रेन्थ को रिवाइज किये जाने के संबंध में पत्रावली पर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। लिपिकीय संवर्ग की कैडर स्ट्रेन्थ आदेश जारी किया जाना बकाया नहीं था।

(3) जी नहीं। शासन सचिवालय में स्टेनोग्राफर संवर्ग के पदों का सौपान उनकी कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर निर्धारित है, जिसके परिप्रेक्ष्य में ही पदोन्नति चैनल में असमानता हैं।

(4) जी नहीं। शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ राजकीय सेवा के स्टेनोग्राफर संवर्ग के पदों के वेतनमान एवं पदोन्नति उनकी कार्यात्मक

(कार्मिक मंत्री)

आवश्यकता के आधार पर निर्धारित है। इसलिए अधीनस्थ विभागों के स्टेनों संवर्ग के वेतनमान एवं पदोन्नति अवसर, शासन सचिवालय के समान किया जाना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न संख्या 555

(स्थगित)

प्रदेश के विद्‌युत कार्मिकों के स्थानान्तरण की कार्ययोजना

556. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में विद्‌युत व्यवस्था का नियंत्रण सरकार के अधीन है? यदि हां, तो क्या सरकार विद्‌युत वितरण कम्पनियों के कार्मिकों का स्थानांतरण अपने स्तर से करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में विद्‌युत व्यवस्था का नियंत्रण विद्‌युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। सभी विद्‌युत निगम राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जिनके संचालन के अधिकार कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इनके निदेशक मण्डल में निहीत है। अत: स्थानांतरण के अधिकार राज्य सरकार को दिये जाने समीचीन नहीं है।

आदर्श नगर के थानों में दर्ज प्रकरण

557. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के पुलिस थानों में गत तीन वर्षों में किस-किस वारदात की कितनी एफ.आई.आर. दर्ज हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज एफ.आई.आर. में चोरी व डकैती की कितनी वारदातें हैं तथा उक्त एफ.आई.आर. पर पुलिस द्‌वारा क्या कार्यवाही की गई। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अशोक परनामी)

(3) क्या पुलिस द्वारा चोरी हुआ समस्त सामान बरामद कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) चोरी के ऐसे कितने प्रकरण वर्तमान में रोजनामचे में दर्ज हैं, जिनकी एफ.आई.आर. किन कारणों से दर्ज नहीं हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थानों में पिछले तीन वर्षों में वारदात की दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण थानावार एवं वर्षवार परिशिष्ट ''अ'' पर अंकित है।

(2) उक्त दर्ज एफ.आई.आर. में से चोरी की 893 एवं डकैती की शून्य एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं। चोरी के 893 प्रकरण में से 111 प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर चालान पेश किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) पुलिस द्वारा बरामद किये गये चोरी के सामान का विवरण परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम संख्या 9 पर अंकित है।

(4) चोरी के 893 प्रकरण रोजनामचा आम में दर्ज किये गये। तथा सभी 893 पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पुलिस रिलीफ फंड से कार्मिकों को देय सहायता

558. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पुलिस कार्मिकों के लिए कोई रिलीफ फंड बनाया गया है? यदि हां, तो उक्त रिलीफ फंड का उपयोग कार्मिकों को किस-किस प्रकार की सहायता के लिए है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक रिलीफ फंड से किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि का उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(3) वर्ष 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक किस-किस कार्मिक को कितनी-कितनी राशि की किस प्रकार की सहायता प्रदान की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि पुलिस विभाग में कार्मिकों के लिए रिलीफ फण्ड संधारित किये जाते है। इन रिलीफ फण्ड का उपयोग कार्मिकों को निम्नानुसार सहायता के लिए किया जाता है:-

फण्ड	**सहायता का प्रकार**
1. राजस्थान पुलिस बेनेवेलेण्ट फण्ड	इस फण्ड के अन्तर्गत मृतक कर्मियों के आश्रितों को आर्थिके सहायता दी जाती है तथा अधिकारी/कर्मचारीयों बच्चों को योग्यता के आधार पर छात्रवृति प्रदान की जाती है।
2. राजस्थान पुलिस कल्याण निधि	इस फण्ड के अन्तर्गत निम्न सहायता प्रदान की जाती है:- 1. लम्बी चलने वाली गंभीर बीमारियों के उपचार के सम्बन्ध में अपुर्नभरण योग्य राशि के लिए वित्तीय सहायता 2. ड्यूटी पर रहते हुए गंभीर चोट से पीड़ित होने पर वित्तीय सहायता 3. विभिन्न प्रकार की सुख सुविधा प्रदान जैसे:- **अ.** भोजनालय (मैस) निर्माण/साज-सज्जा एवं रख-रखाव, **ब.** स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वाहन सुविधां **स.** उनके लिए पुस्तकालय एवं पुस्तकें 4. सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता इत्यादि
3. राजस्थान पुलिस कार्मिक कल्याण न्यास	इस फण्ड के अन्तर्गत पुलिस विभाग में सेवाकाल के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु या शारीरिक निर्योग्यता/असमर्थता की स्थिति में मनोनीज आश्रित को आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।

(गृह मंत्री)

(2) फण्ड	**बजट मद 2055-00-113-(01)-(00)-12 (आयोजना भिन्न) के अन्तर्गत वर्ष 2014 से अब तक उपलब्ध करायी गयी आर्थिक सहायता**
1. राजस्थान पुलिस बेनेवेलेण्ट फण्ड	मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप में रुपये 2,62,14,500/- अधिकारी/ कर्मचारियों के बच्चों के अध्ययन हेतु छात्रवृति के रूप में रुपये 5,94,54,350/-
2. राजस्थान पुलिस कल्याण फण्ड	1. लम्बी चलने वाली गंभीर बीमारियों के उपचार पर खर्च राशि रुपये 1,06,28,028/- 2. ड्यूटी पर रहते हुए गंभीर चोट से पीड़ित होने पर खर्च राशि रुपये 83,718/-
3. राजस्थान पुलिस कार्मिक कल्याण न्यास	पुलिस विभाग में सेवाकाल के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु या शारीरिक निर्योग्यता/असमर्थता की स्थिति में मनोनीत आश्रित को आर्थिक सहायता के रूप में राशि रुपये 1,53,45,000/-

(3) फण्ड	**वर्ष 2014 से अब तक विभिन्न रिलीफ फण्ड के अन्तर्गत पुलिस कर्मी/आश्रितों को दी गई आर्थिक सहायता का विवरण**
1. राजस्थान पुलिस बेनेवेलेण्ट फण्ड	748 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप में राशि रुपये 2,62,14,500/- 13,024 बच्चों को छात्रवृति के रूप में राशि रुपये 5,94,54,350/-
2. राजस्थान पुलिस कल्याण निधि	212 कार्मिकों को सहायता के रूप में राशि रुपये 1,07,11,746/-
3. राजस्थान पुलिस कार्मिक कल्याण न्यास	682 पुलिस कार्मिक को कल्याण न्यास के रूप में राशि रुपये 1,53,45,000/-

प्रदेश के पुलिस थानों के मालखानों में जमा लाइसेंसशुदा हथियार

559. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों के मालखानों में किस-किस श्रेणी के ऐसे कितने लाइसेंसशुदा हथियार जमा हैं, जिनके लाइसेंसधारकों की मृत्यु हो गई? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे हथियारों को लाइसेंसधारी व्यक्ति के उत्तराधिकारी को सुपुर्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाने का विचार रखती है, जिसमें लाइसेंसशुदा हथियारधारी व्यक्ति संबंधित हथियार का लाइसेंस खुद के उत्तराधिकारी के नाम से परिवर्तन करवा सकता है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विभिन्न पुलिस थानों के मालखानों में भिन्न भिन्न श्रेणी के जमा ऐसे हथियार, जिनके लाइसेंसधारकों की म़त्यु हो चुकी है, से संबंधित विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(2) लाइसेंसधारी व्यक्ति के उत्तराधिकारी को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने अथवा शस्त्र हस्तान्तरण करने की कार्यवाही आयुध नियम, 2016 में प्रदत्त प्रावधानानुसार संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा की जाती है।

(3) गृह मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी आयुध नियम, 2016 के नियम 25 में इस सम्बन्ध में प्रावधान उपलब्ध हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में होमगार्डों को स्थाई करने की योजना

560. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के साथ होमगार्डो की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है? यदि हां, तो जिलेवार होमगार्डों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती गीता वर्मा)

(2) क्या सरकार प्रदेश में होमगार्डों को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड स्वयं सेवकों को पुलिस विभाग की मांग अनुसार कानून व्यवस्था डयूटियों में पुलिस की सहायतार्थ नियोजित किया जाता है। होमगाड्‌र्स स्वयं सेवकों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ व ब" पर है।

(2) राजस्थान होमगाड्‌र्स रूल्स 1962 में गृह रक्षा स्वयं सेवकों को स्थाई करने का प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में विधायक स्थानीय विकास कोष से कराये गये कार्य

561. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जनवरी 2013 से विधायक स्थानीय विकास कोष के अन्तर्गत कौन-कौनसे कार्यों की कब-कब अनुशंसा की गई तथा उनमें से कितने कार्य पूर्ण करवा दिये गये हैं व कितने अपूर्ण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त कोष से स्वीकृत किन-किन कार्यों के उपयोगिता प्रमाण- पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा कितने कार्यों के जारी किये जाने शेष हैं व अभी तक उक्त प्रमाण-पत्र जारी नहीं होने के क्या कारण रहे? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में विधायक स्थानीय विकास कोष के अन्तर्गत किन-किन कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना शेष है तथा उक्त स्वीकृतियां कब तक जारी कर दी जावेगी? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में जनवरी 2013 से स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारम्भ
जनवरी 2013 से 31.03.14 तक	118	111	7	0
01.04.14 से 31.03.15	13	6	7	0
01.04.15 से 31.03.16	90	36	44	10
01.04.16 से 31.01.17	34	0	20	7
कुल	255	153	78	17

दिनांकवार कार्यों की सूचि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। 153 कार्य पूर्ण कर दिये गये है सूचि परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। 78 कार्य अपूर्ण है सूचि परिशिष्ट-3 पर संलग्न है एवं अप्रारम्भ कार्यों की सूचि परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(2) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाते है। स्वीकृत कार्यों में से 153 कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके है सूचि परिशिष्ट-2 पर संलग्न है एवं 102 कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाना अवशेष है। सूची परिशिष्ट 3,4,5 पर संलग्न है कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण कार्यकारी संस्था द्वारा कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये है कार्य पूर्ण होने पर ही कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाएंगे।

(3) जनवरी 2017 तक प्राप्त समस्त अनुशंसाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है वर्ष 16-17 के 07 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण वित्तीय स्वीकृति जारी किया जाना शेष है, सूचि परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। तखमीना प्राप्त होते ही वित्तीय स्वीकृत जारी कर दी जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गठित बायोफ्यूल प्राधिकरण

562. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बायोफ्यूल प्राधिकरण गठित है? यदि हां, तो कब से व इसके क्या कार्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बायोफ्यूल प्राधिकरण की प्रशासनिक संरचना क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन वर्ष 2005-2006 में किया गया है, राज्य में बायोफ्यूल आधारित कृषि परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए चयनित 12 जिलों (उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही, कोटा, बूंदी, बांरा एवं झालावाड़) में निम्न कार्य किये जा रहे हैं।

1. रतनजोत एवं अन्य बायोफ्यूल आधारित कृषि प्लांटेशन के लिए वृहत स्तर पर सुगमता से बंजर भूमि उपलब्ध कराना।
2. व्यक्तिगत खातेदारों को उनकी खातेदारी की बंजर भूमि पर रतनजोत व अन्य बायोफ्यूल आधारित कृषि प्लांटेशन के लिए प्रोत्साहित करना।
3. राज्य के बड़े क्षेत्र में उपलब्ध परिभाषित वन का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना।
4. इस क्षेत्र में वृहत स्तर पर निवेश व जन-सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग एवं बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का पैकेज जारी करना।

(2) माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

↓

अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

↓

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

↓

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण

प्रदेश में ग्राम पंचायत कोष से कराये जाने वाले कार्य

563. श्री रामचन्द्र (डग) व डॉ. मंजू बाघमार (जायल): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व अन्य स्त्रोतों से अनुदान, सहयोग आदि से आय होती है? यदि हां, तो किस-किस स्त्रोत से यह आय प्राप्त होकर ग्राम पंचायत कोष बनता है?

(2) ग्राम पंचायत के उक्त कोष को किस-किस मद में व्यय करने का प्रावधान है तथा अनुदान व सहयोगकर्ता को इस बारे में क्या निर्देश होते है?

(3) ग्राम पंचायत के उक्त कोष को कितनी अवधि में व्यय किये जाने का प्रावधान है और ग्राम पंचायत इस कोष को कब तक जमा रख सकती है तथा कितनी अवधि तक Idle रखा जा सकता हैं?

(4) क्या यह सही है कि कई ग्राम पंचायतें उदासीनता व अन्य किसी कारण से अपने कोष को निर्धारित समय पर खर्च नहीं करती हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त कोष को समय पर खर्च नहीं करने वाली ग्राम पंचायतों के स्थान पर अन्य किसी एजेन्सी से कार्य करवाये जा सकते हैं? यदि हां, तो किससे?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदेश में ग्राम पंचायतों को विकास कार्य हेतु अनुदान राशि दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग पंचम, निर्बन्ध कोष योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने का बजट प्रावधान है।

(2) विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को उक्त योजनाओं में आवंटित की गयी राशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हुये है। दिशा-निर्देशों की छाया प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(पंचायती राज्य मंत्री)

(3) ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि प्राप्त होने पर उक्त अनुदान से कराये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन ग्राम पंचायत की साधारण सभा में कराया जाता है तथा तदनुसार कार्य कराये जाते है। अनुदान राशि को ग्राम पंचायतों के पास जमा रखने एवं Idle रखने के संबंध मे समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(4) ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि प्राप्त होने पर उक्त अनुदान से कराये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन ग्राम पंचायत की साधारण सभा में कराया जाता है तथा तदनुसार कार्य कराये जाते है। अनुदान राशि को ग्राम पंचायतों के पास जमा रखने के संबंध मे समय सीमा निर्धारित नहीं होने के कारण इस संबंध में कार्यवाही का प्रावधान नहीं है।

(5) ग्राम पंचायत को प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग उसी ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सकता है किसी अन्य ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर व विजय नगर पंचायत समिति में स्वीकृत कार्य

564. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

वर्ष 2016-17 में पंचायत समिति रायसिंहनगर व विजय नगर में सरकार की किस-किस योजना के अन्तर्गत कितनी राशि प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वीकृत की गई व कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये तथा उनमें से कितने कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2016-17 के दौरान पंचायत समिति रायसिंहनगर एवं विजय नगर में ग्राम पंचायतवार स्वीकृत राशि एवं स्वीकृत कार्यो का विवरण परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट- 2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर जिले के कृषक प्रशिक्षण शिविरों से लाभार्थी

565. श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती अनिता कटारा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों को प्रशिक्षित करने के लिये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में डूंगरपूर जिले में कृषक प्रशिक्षणों पर कितना व्यय कब-कब किया गया तथा इनसे कितने किसान लाभान्वित हुए? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा किसानों को प्रायोगिक अनुभव कराने के लिये अन्तरराज्यीय व राज्य स्तरीय भ्रमण करवाया जाता है? यदि हां, तो डूंगरपुर जिले में गत 5 वर्षों में कितने भ्रमण कब-कब व कहां-कहां करवाये गये तथा उक्त भ्रमण में कितने किसानों को ले जाया गया एवं उक्त पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रायोगिक अनुभव लेने वाले किसानों के सहयोग से उनके द्वारा लिये गये प्रशिक्षण पश्चात् प्रदेश में भी प्रशिक्षण शिविर एवं प्रायोगिक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है? यदि हां, तो जिला डूंगरपुर में गत पांच वर्षों में कितने तथा कौन-कौन से प्रशिक्षित कृषकों के सहयोग से कब-कब प्रशिक्षण शिविर लगवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डूंगरपुर जिले में विगत 5 वर्षों में कृषक प्रशिक्षणों में 48,932 कृषकों कों प्रशिक्षण दिया गया जिस पर राशि रुपये 67,58,431.00 व्यय की गयी तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-1 (पेज संख्या 1 से 3) में संलग्न है।

(2) जी हां। डूंगरपुर जिले में विगत 5 वर्षों में कृषि विभाग, उद्यान विभाग व आत्मा के तहत अन्तरराज्यीय एवं राज्य स्तरीय भ्रमण में 1349 कृषकों ने भाग लिया जिस पर राशि रुपये 34,39,238.00 व्यय की गयी विवरण परिशिष्ट-2 में संलग्न है।

(3) वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले से 10-10 कृषकों को विशेषज्ञ कृषक के रूप में मान्यता दी गयी है। जिनके अनुभव का उपयोग जिले में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में किया जावेगां

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले में कृषि महाविद्यालय की स्थापना

566. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या तकनीकी शिक्षा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि विश्वविद्यालय कोटा के पास (सम्बद्ध) कितने कृषि कॉलेज संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कोटा में कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये?

(3) सरकार द्वारा उक्त जिले में कृषि महाविद्यालय की स्थापना कब तक कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि विश्वविद्यालय, कोटा से शहीद कैप्टन रिपु दमन सिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (कृषि संकाय) (बी.एस.सी. आनर्स) सम्बद्) है।

(2) कृषि महाविद्यालय, कोटा के अधीन मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को बजट 2017-18 में सम्मिलित करने हेतु भिजवाया गया था। वर्ष 2017-18 के बजट में कोटा में कृषि महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं किया गया है।

(3) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर यथा समय कोटा में कृषि महाविद्यालय खोला जाने पर विचार किया जाएगा।

प्रदेश में कृषि भूमियों की जांच हेतु संचालित प्रयोगशालाएं

567. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कृषि भूमियों की उपजाऊ क्षमता की जांच हेतु वर्तमान में किस-किस जिले में प्रयोगशाला संचालित की जा रही हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 03 वर्षों में उक्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रदेश की कितनी भूमियों की जांच कर उनकी उर्वरक क्षमता बढ़ाकर कृषकों को लाभान्वित किया गया है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता की जांच हेतु वर्तमान में 101 प्रयोगशाला संचालित की जा रही हैं, जिनमे से 32 प्रयोगशालाएं विभाग द्वारा एवं 69 प्रयोगशालाएं आउट सोर्स के माध्यम से संचालित की जा रही हैं।

उक्त प्रयोगशालाओं में से 02 यथा गुढ़ामालानी व कुचामनसिटी में स्थित प्रयोगशालाओं में संचालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिलेवार मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में विगत 03 वर्षों में जांच किये गये मृदा नमूनों एवं लाभान्वित कृषकों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई में सड़क निर्माण व मरम्मत के कार्य

568. श्री हीरालाल निवाई (निवाई): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत तीन वर्षों में विभाग द्वारा सड़क निर्माण व मरम्मत के क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौनसे कार्य कितनी-कितनी राशि के पूर्ण किये गये और कौन-कौनसे कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण व मरम्मत के क्या-क्या कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत तीन वर्षों में कृषि विपणन विभाग द्वारा 8 सड़कों के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है। उक्त अवधि में कोई सड़क मरम्मत कार्य स्वीकृत नहीं किये गये। स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(कृषि विपणन मंत्री)

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में पूर्ण व अपूर्ण कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में निर्माण कार्यों हेतु कृषि उपज मण्डी समिति निवाई व टोंक से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है। निर्माण कार्यों हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 31.12.2014 के अनुसार मण्डी की बचत को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के हाड़ौती क्षेत्र में आवा कजावा पद्धति से ईंट निर्माण की योजना

569. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार हाड़ौती के कुम्हार समाज के लिये मिट्टी से निर्मित ईंट व आवा कजावा पद्धति के द्वारा निर्मित करने के लिए कानून बनाने का विचार रखती है? क्या इस सम्बन्ध में गाइड लाइन मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ अर्थिंग पोट्स, ब्रेकिस एण्ड अदर थ्रो द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ आवा कजावा बाई कुम्हार, माह जुलाई, 2016 में नीति बनाकर जारी की गई है?

(2) क्या सरकार उक्त कानून बनने तक प्रशासनिक अधिकारियों को उक्त कार्यों में लगे कुम्हार समाज के विरुद्ध कार्यवाही करने से रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.05.2016 के अनुसार किसी कोयला/लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की 300 कि.मी. की परिधि के बाहर आवा-कजावा विधि से अधिकतम तीन लाख प्रतिवर्ष मिट्टी से निर्मित अर्थन पोटर्स, ईंट, केलू आदि बनाने वाले उद्योगों को सफेद श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार कोयला/लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की 300 कि.मी. की परिधि के अन्दर आवा-कजावा विधि से अधिकतम तीन लाख प्रतिवर्ष क्षमता के अर्थन पोटर्स, ईंट (फ्लाई ऐश के उपयोग से), केलू आदि बनाने वाले

(पर्यावरण मंत्री)

उद्योगों को भी सफेद श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

इसके क्रम में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.05.2016 के अनुसार सफेद श्रेणी में वर्गीकृत आवा-कजावा विधि से निर्मित ईंट उद्योगों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत् स्थापना एवं संचालन सम्मति लेने से मुक्त रखा गया है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कुम्हारों की सुविधा के लिए ''मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ अर्थन पोटर्स, ब्रिक्स एण्ड अदर आइटम्स थ्रू द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ आवा-कजावा बाई कुम्हार्स (पोटर्स) ऑफ राजस्थान'' नामक गाइड लाइन दिनांक 12.07.2016 को जारी की गयी है।

(2) उत्तर के भाग संख्या 1 में वर्णित गाइड लाइन के अनुसार कार्य करने पर किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती है।

खैरवाड़ा में वन भूमि पर बसी कालोनियों का नियमन

570. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के वन क्षेत्र में निर्मित भवनों को पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यो? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में वन भूमि पर बसे निवासियों के निर्माण को स्थाई कर उसी खसरे/चक के अन्दर रकबाराज भूमि अपने कब्जे में लेकर बसावट हो चुकी कॉलोनियों का नियमन कर राहत देने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वन भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन (डायवर्जन) अनुमत नहीं है।

(2) जी नहीं। ऐसी आवासीय बस्तियां जो कि वन भूमि पर बसी हुई

(वन मंत्री)

हैं, अतिक्रमण की श्रेणी में आती हैं। वन भूमि पर बसी हुई आवासीय बस्तियों के अतिक्रमण को नियमित किये जाने के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की मार्ग-निर्देशिका के एनेक्सचर-IV (जिसकी प्रति परिशिष्ट-"ए" पर संलग्न है) में दिनांक 25.10.1980 से पूर्व के अतिक्रमणों के केवल ऐसे प्रकरणों का नियमन किए जाने का उल्लेख है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पूर्व ही नियमन का निर्णय ले लिया गया था, किन्तु किन्हीं कारणोंवश पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से नियमतिकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। ऐसे अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र के नियमन के लिए यह भी आवश्यक शर्त है कि अतिक्रमियों के विरुद्ध तत्समय प्रचलित वन अधिनियम के तहत प्रथम अपराध रिपोर्ट दर्ज की गई हो। उक्त एनेक्सचर-IV के बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसार दिनांक 24.10.1980 के पश्चात के किसी भी अतिक्रमण के प्रकरण को नियमित नहीं किए जाने के निर्देश हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के विद्याधर नगर में इन्डोर स्टेडियम पर व्यय राशि

571. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में गत तीन वर्षों में इनडोर व आउटडोर स्टेडियम केंद्र कहां-कहां बनाये गये हैं और उनमें वर्तमान में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर के विद्याधर नगर बेडमिंटन इनडोर स्टेडियम पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई? क्या उक्त स्टेडियम वर्तमान में चालू है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा पिछले तीन साल में प्रदेश में इन्डोर व आउटडोर निर्माण कार्य की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) विद्याधर नगर, जयपुर स्थित टी.टी. एवं बैडमिंटन इन्डोर हॉल निर्माणाधीन है। जिस पर राशि रुपये 140.00 लाख का व्यय किया जा चुका है। युवा मामले एवं खेल विभाग के पत्रांक प.11(7)खेल/2016 दिनांक 18.01.2017 द्वारा शेष कार्य को इन्डोर हॉल की वुडन फ्लोरिंग हेतु राशि

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

रुपये 50.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृत जारी करते हुये राशि रुपये 25.00 लाख की राशि आर.एस.आर.डी.सी.सी को जारी की गई है एवं जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से भी राशि रुपये 35.00 लाख विद्याधर नगर स्टेडियम, जयपुर के विकास कार्य हेतु प्राप्त हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर में संचालित हैण्डीक्राफ्ट उद्योग

572. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर व आस-पास के क्षेत्रों में हैण्डीक्राफ्ट, स्टील, टैक्सटाइल और ग्वारगम के प्रमुख उद्योग स्थापित हैं? यदि हां, तो उक्त उद्योगों में कुल कितने मजदूरों को (तकनीकी मजदूरों सहित) रोजगार मिल रहा हैं तथा उद्योगों का सालाना निर्यात व टर्नओवर कितना हैं?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार के नोटबंदी के आदेश के कारण उक्त उद्योगों व प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र (मारवाड़) में आने वाले देशी व विदेशी पर्यटकों पर विपरित प्रभाव पड़ा है? यदि हां, तो उक्त कारण से उद्योगों को कितना आर्थिक नुकसान हुआ तथा कितने प्रतिशत मजदूर बेरोजगार हो गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर रहे लोगों, इनके सालाना निर्यात एवं टर्न ओवर की सूचना राज्य सरकार के द्वारा संधारित नहीं की जाती हैं

(2) जी नहीं। इस प्रकार की कोई सूचना मय तथ्य राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

हनुमानगढ़ जिले में नजूल सम्पत्तियों को नीलाम करने की योजना

573. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या सम्पदा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संजीव कुमार)

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जिले में सरकार के स्वामित्व की अनेक नज़ूल सम्पत्तियां विद्यमान हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर व किस-किस तरह की और कितने-कितने क्षेत्रफल की? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में उक्त सम्पत्तियों में से कई सम्पत्तियां अनुपयोगी हो चुकी है? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अनुपयोगी सम्पत्तियों को आवश्यतानुसार अन्य सरकारी विभागों को देने अथवा खुली नीलामी से विक्रय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। हनुमानगढ़ जिले में कुल 22 नज़ूल सम्पत्तियां है, जिनका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। हनुमानगढ़ जिले की कुल 15 नज़ूल सम्पत्तियां अनुपयोगी हैं, जिनका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त सम्पत्तियों का निस्तारण नज़ूल सम्पत्ति निस्तारण नियम 1971 के अनुसार किये जाने का प्रावधान है। नियमित प्रक्रियानुसार संबंधित जिला कलेक्टर से प्राप्त प्रस्तावानुसार सम्पत्तियों का निस्तारण किये जाने हेतु कार्यवाही की जाती है। एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन की सम्पत्तियों का निस्तारण जिला कलेक्टर स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर कर सकता है, एक करोड रुपये से अधिक मूल्यांकन की नज़ूल सम्पत्तियों के निस्तारण से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। राजकीय विभागों के कार्य उपयोग में आने वाली नज़ूल सम्पत्तियों को विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(19)साप्र/स/94 दिनांक 5.8.1995 के अनुसार उन्ही राजकीय विभागों को निशुल्क हस्तान्तरित किये जाने का प्रावधान है। जिसके अनुसार जिला कलेक्टर स्वयं के स्तर पर उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली नज़ूल सम्पत्तियों को हस्तान्तरित करने का निर्णय कर सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मिड-डे मील की शिकायतों के निस्तारण हेतु गठित आयोग

574. श्री रमेश (सपोटरा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में राशन, मिड-डे मील एवं आंगनबाड़ी में मिलने वाले खाद्य पदार्थों एवं सामग्री की शिकायत हेतु आयोग गठित किया गया था? यदि हां, तो किस नाम से एवं कब?

(2) सरकार द्वारा कुल कितने शिकायत निवारण अधिकारी कहां-कहां नियुक्त किये गये? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आयोग के गठन के पश्चात् से दिसम्बर, 2016 तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं कितने प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आयोग हेतु कुल कितने पद किस-किस संवर्ग के स्वीकृत किये गये और कितने पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन को मॉनीटर करने एवं उसका पुनर्विलोकन करने के लिए अधिसूचना दिनांक 10.03.2017 द्वारा राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को अपनी-अपनी अधिकारिता के जिले के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में अधिसूचना दिनांक 24.09.2013 द्वारा पदाभिहित किया गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) क्रमांक 857/2015-स्वराज अभियान बनाम केन्द्र सरकार और अन्य के संबंध में दिनांक 01.12.2016 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय "State Food Commission should be constituted at the earliest in

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

accordance with section 16 of the Act rather than to have some other body function as the State Food Commission with out having the necessary expertise or the qualification to function as a State Food Commission" की पालना में दिनांक 10.03.2017 को पृथक से राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है।

चूंकि उक्त अधिनियम के तहत राज्य खाद्य आयोग के गठन की अधिसूचना दिनांक 10.03.2017 को ही जारी हुयी है तथा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति होना अभी शेष है। अत: आयोग के समक्ष माह दिसम्बर, 2016 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या शून्य है।

(4) राजस्थान राज्य खाद्य आयोग में कुल सात पद स्वीकृत है, जो निम्नानुसार है:-

1. अध्यक्ष - एक
2. सदस्य - पांच एवं
3. सदस्य सचिव - एक (जो राज्य सरकार का, उस सरकार में उप सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी होगा।

   परन्तु उनमें कम से कम दो महिलाएं होंगी चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव हो,

   परन्तु यह और कि उसमें एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का और एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होगा, चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव हो)

उक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नामान्तरण एवं सीमाज्ञान के ऑनलाइन आवेदन

575. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नामान्तरण एवं सीमाज्ञान के आदेशों के ऑनलाइन आवेदन एवं प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री धीरज गुर्जर)

(2) क्या यह भी सही है कि नामान्तरण आवेदन ऑनलाइन किये जाने के उपरान्त भी अब तक इस दिशा में कोई प्रगति हुई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आदेश जारी होने की तिथि से 31 जनवरी, 2017 तक कितने प्रकरण, नामान्तरण व सीमाज्ञान सम्बन्धी, ऑनलाइन दर्ज एवं फैसल किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर व कोटड़ी तहसील में कितने नामान्तरण ऑनलाइन दर्ज एवं फैसल हुए हैं? उक्त स्थान पर नामान्तरण ऑनलाइन नहीं होने के क्या कारण रहे हैं व इसके लिए कौन उत्तरदायी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में वर्तमान में नामान्तरण प्रक्रिया ऑनलाइन करने में क्या-क्या कठिनाईयां आ रही है तथा सरकार द्वारा इस हेतु क्या उपाय किये जा रहे है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.13(15)राज/ग्रुप-1/2014 दिनांक 19.09.2014 के अनुसार नामान्तरण, सीमाज्ञान एवं सहमति से विभाजन हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। नामान्तरण के संबंध में जिलेवार दर्ज एवं निस्तारित प्रकरणों की सूचना परिशिष्ट- ब पर सलंग्न है।

(3) भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में 32 सीमाज्ञान के प्रकरण प्राप्त हुए है जिसमें आवेदन अपूर्ण होने से पुन: रिसब्मिट किए गये। उक्त प्रकरण पुन: प्राप्त नहीं होने से शेष नहीं है। तहसील कोटड़ी में आज तक कोई भी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) प्रदेश में नामांतरण आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन करने में कोई समस्या नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम खैरवाड़ी (आमेर) में वन विभाग की भूमि की पैमाइश की कार्यवाही

576. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खैरवाड़ी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा न. 419/1, 419/2, 420/1 एवं 420/2 (साबिक खसरां न. 177 जु. व 178 जु.) की भूमि किस वर्ष से खातेदार के नाम दर्ज है तथा वर्तमान संवत् 2074 तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज चल रही है? राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संबंधी दस्तावेज सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्व रिकार्ड में खातेदार के नाम दर्ज उक्त भूमि का कब्जा वन विभाग द्वारा किस विज्ञप्ति/ अधिसूचना के द्वारा अधिग्रहित कर भूमि के समस्त गांवों के सम्पूर्ण स्तम्भों की संख्या का उल्लेख किया गया है, राजपत्र में प्रकाशित की गयी सूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है भू- अभिलेख तथा वन विभाग में विवादास्पद भूमि के स्वामित्व के निर्धारण हेतु सरकार द्वारा गठित हाई पॉवर कमेटी दिनांक 18-6-2014 की बैठक में पैरा 3 में लिए गये निर्णयानुसार दोहरे आवंटन में पूर्ववर्ती आवंटन के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किये जाने तथा पश्चात्वर्ती आवंटन को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो हाई- पॉवर कमेटी की उक्त बैठक की कार्यवाही के विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त खसरा न. के भू-अभिलेख व वन विभाग के आधिपत्य को लेकर विवाद के निपटारे हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में भू अभिलेख अधिकारियों / वन विभाग के अधिकारियों के दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में भूमि की निष्पक्ष पैमाइश करवाकर किसानों को न्याय दिलाने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार कलेक्टर द्वारा उक्त भूमि की निष्पक्ष पैमाइश करवाये जाने के उपरांत हाई पॉवर कमेटी के निर्णयानुसार पूर्ववर्ती आवंटनधारियों के पक्ष में नियमानुसार नामान्तरण स्वीकृत कर पश्चात्वर्ती आवंटन को निरस्त करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) खतौनी बन्दोबस्त निजामत जयपुर सम्वत् 2008 से 2027 के अनुसार मौजा खैरवाड़ी तहसील आमेर के खसरा नम्बर 177 व 178/2 की भूमि भूरसिंह व मैगेसिंह व महताव सिंह व मांगू सिंह पिसरान भैरू सिंह अकवाम राजपूत सा. बागवाडा व किशनावल्द धन्ना कौम बलाई साकिन जैसला बहिस्सा बराबर के नाम खातेदारी दर्ज है। जो आज तक चली आ रही है। जमाबन्दियों की फोटो प्रतियॉ परिशिष्ट 'अ' पर सलंग्न हैं।

(2) ग्राम खैरवाड़ी के साबिक खसरा नम्बर 177, 178 की भूमि को वन विभाग द्वारा विज्ञप्ति संख्या एफ. 7 (58) रा. क. / 61 दिनांक 21.11.1961 से आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है इस कारण उक्त भूमि पर वन विभाग का कब्जा है। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। भू-अभिलेख तथा वन विभाग में विवादास्पद भूमि के स्वामित्व के निर्धारण हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की कार्यवाही विवरण की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि की पैमाइश हेतु भू-प्रबन्ध विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया है। टीम से रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(5) जिला कलक्टर द्वारा उक्त भूमि की निष्पक्ष पैमाएश करवाये जाने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होते है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली (उदयपुर) में खसरा नं. 1745 से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

577. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या ग्राम एवं पटवार सर्किल मावली, जिला उदयपुर में विद्या निकेतन स्कूल, जेल, तहसील एवं कोर्ट के पीछे एवं राजीव गांधी सेवा केन्द्र

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

के सामने खसरा नम्बर 1745, सरकारी बिलानाम आम रास्ते की जमीन पर कतिपय भूमाफियाओं ने वर्तमान में अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो उक्त भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अतिक्रमण से खसरा नम्बर 1747, 1748, 1770 व 1771 पर आने जाने में अवरोध पैदा हो रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त अतिक्रमण के विरुद्ध तहसीलदार, मावली द्वारा प्रकरण संख्या 494/2013 में खसरा संख्या 1745 पर किये गये अवैध कब्जे को अतिक्रमण मानते हुए बेदखल करने का दिनांक 18-10-2013 को निर्णय दिया है? यदि हां, तो उक्त निर्णय की प्रति एवं इस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में की गई अपील संख्या 36/2013 पर जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा तहसीलदार, मावली के निर्णय दिनांक 18-10-2013 को यथावत रखे जाने का निर्णय दिया गया है? यदि हां, तो उक्त निर्णय की पालना में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त अतिक्रमण के संबंध में जन सुनवाई में शिकायत संख्या 590 दिनांक 23-08-2014 (राजस्व विभाग) एवं पुन: तहसीलदार मावली, जिला- उदयपुर को राजस्थान सम्पर्क परिवाद दिनांक 18-07-2016 को की गई शिकायत पर कोई जांच की गई है? यदि हां, तो जांच का निर्णय तथा उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमण अभी तक भी नहीं हटाया गया है ?यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार अब इस अतिक्रमण को हटाने तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम एवं पटवार सर्किल मावली जिला उदयपुर में विधानिकेतन स्कूल, जेल तहसील एवं कोर्ट के पीछे एवं राजीव गांधी सेवा केन्द्र के सामने खसरा संख्या 1745 बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म गैर मुमकिन बिलानाम भूमि है आम रास्ते की भूमि नहीं है। इस बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि पर कुल सात परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा है। सूची परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(2) आराजी संख्या 1747, 1748, 1770 व 1771 पर आने जाने में मौके पर कोई अवरोध नहीं है। राजस्व रेकार्ड अनुसार उक्त आराजीयात पर जाने हेतु आराजी संख्या 1772 किस्म रास्ता उपलब्ध है।

(3) जी हां। उक्त अतिक्रमण के विरुद्ध तहसीलदार मावली द्वारा प्रकरण संख्या 494/2013 में खसरा संख्या 1745 पर किये गये अवैध कब्जे को अतिक्रमण मानते हुऐ बेदखल करने का निर्णय दिनांक 18.10.2013 को दिया गया है। उक्त निर्णय की प्रति परिशिष्ट- ब पर संलग्न है। उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं माननीय सिविल न्यायालय मावली से स्थगन प्राप्त है।

(4) जी हां। यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में की गई अपील संख्या 36/2013 पर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा तहसीलदार मावली के निर्णय दिनांक 18/2013 को यथावत रखे जाने का निर्णय दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध क्रमश: माननीय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर एवं तत्पश्चात माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्रकरण संख्या 2838/2016 एवं माननीय सिविल न्यायालय मावली से प्रकरण संख्या 13/2016 से स्थगन प्राप्त है।

(5) जी हां। उपरोक्त परिवाद के संबंध में मौके पर जांच करवाई गई। जिसमें परिवादी पीर मोहम्मद के खेतों पर जाने का रास्ता खुला पाया गया था। उक्त परिवाद की प्रति परिशिष्ट- स एवं जांच की प्रति परिशिष्ट- द पर संलग्न है।

(6) जी हां। यह सही है कि उक्त अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया गया है। उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल

(राज्य मंत्री, राजस्व)

राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या 2838/2016 एवं माननीय सिविल न्यायालय मावली से प्रकरण संख्या 13/2016 से स्थगन प्राप्त है।

(7) अतिक्रमण हटाने के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जाती है। प्रकरण में वर्तमान में न्यायालय स्थगन होने से अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है। वर्तमान में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

नागौर में अमृत कलश योजनान्तर्गत सीवरेज, पानी व सड़क निर्माण कार्य

महोदय,

आपके माध्यम से उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नागौर शहर में अमृत कलश योजना के तहत स्वीकृत बजट के तहत होने वाले कार्य हेतु माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि इस योजना का बजट आवंटित होने के बाद भी आज तक कोई कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, जिससे जनता में भारी रोष व्याप्त है। इस योजना के तहत क्या-क्या कार्य करवाये जाएंगे इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएं इस योजना के तहत नागौर शहर के बाहर की कॉलोनियों में सीवरेज लाइन, पानी की पाइप लाइन व सड़क का कार्य नही हुआ है।

अत: माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि नागौर शहर के आवासन मण्डल कॉलोनी ताऊसर रोड, नागौर संजय कॉलोनी, हनुमानबाग कॉलोनी, बी रोड का दक्षिण साइड वाली बस्ती, जाट कॉलोनी, श्रीराम कॉलोनी इसी प्रकार अन्य नई कालोनियों में शीघ्र सीवरेज पाइप लाइन का कार्य, पानी की लाइन, सड़क का निर्माण कार्य व गार्डन विकसित करवाने का श्रम कराएं।

हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा
(नागौर)

कोटा दक्षिण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत राज्य सरकार का ध्यान कोटा शहर के एक अत्यन्त ज्वलन्त विषय की ओर आर्कषित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर चम्बल नदी के किनारे बसा हुआ है। चम्बल के पानी से

बून्दी और भीलवाड़ा को पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा अन्य जिलों को भी चम्बल का पानी उपलब्ध करवाने की योजना पर कार्य चल रहा तथा अन्य जिलों को भी चम्बल का पानी उपलब्ध करवाने की योजना पर कार्य चल रहा है लेकिन चम्बल किनारे बसा हमारा कोटा शहर आज पेयजल के लिए तरस रहा है जो पानी की समस्या आज से सालों पहले थी वो आज भी बरकरार है।

पेयजल के लिए जो भी योजनाएं कोटा दक्षिण, कोटा शहर के लिए बनाई गयी थी वे धरातल पर नहीं उतर पाई, कई योजनाएं मंत्रालय में पेन्डिंग पड़ी हुई हैं। सालों पहले बिछाई गई पानी की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो चुकि है इन पाइप लाइनों के साथ सीवरेज का गंदा पानी पाइप लाइनों के जरिये लोगो के घरों में आ रहा है। दूषित पानी से लोग बिमार हो रहे हैं। पिछले 3 साल में इस मामले को मैने कई बार सदन मे उठाया, अधिकारियों की बैठक ली लेकिन कोटा शहर में पेयजल की स्थिति सुधर नहीं पा रही है। नये कोटा शहर की श्रीनाथपुरम, आरके पुरम, दीनदयाल नगर सहित कई कॉलोनियों में सुबह-शाम केवल 1.5-2 घन्टे ही पानी दिया जा रहा है। इस भीषण गर्मी में 1.5-2 घण्टे की अवधि में लोगों को जरूरत के मुताबिक पानी कैसे मिलेगा, इस पर विचार किया जाए। कोटा दक्षिण की कॉलोनियों, बस्तियों में काफी कम दबाव से जलापूर्ति हो रही है। नलों से बून्द-बून्द पानी आ रहा है। लोगों को मजबूरी में पानी के कैम्पर मंगवाने पड़ रहे हैं। सुबह से शाम तक जो भी व्यक्ति मेरे कार्यालय मे आता है, उसकी यही शिकायत रहती है कि साहब पानी नहीं मिल रहा है। पिछले साल कोटा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र की पाइप लाइनों के लिए 4.68 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से अभी तक कार्य आरम्भ नही हुए है। कोटा दक्षिण की पेयजल योजनाओं, जैसे इन्टेक वैल नये पम्प हाउस सहित कई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास पेन्डिंग पड़े हुए हैं। ये अत्यन्त गंभीर मामला है। जनता पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है, लेकिन सरकार की मंशा होते हुए भी अधिकारी काम नहीं कर रहे है।

अत: मेरा आपके माध्यम से जन.स्वा.अभि. मंत्रीजी से अनुरोध है इस मामले पर गंभीरता से विचार कर कोटा शहर मे नई पाइप लाइन डालने के कार्य को जल्द से जल्द आरम्भ करें तथा नया फिल्टर प्लान्ट, पम्प हाउस

सहित जो प्रस्ताव लम्बित हैं इनको स्वीकृत करवा कर शीघ्र कार्य आरम्भ कराएं।

संदीप शर्मा
(कोटा दक्षिण)

निजी विद्यालयों द्वारा ली जा रही मनमानी फीस

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों द्वारा बच्चों से मनमानी लूट की जा रही है जिससे उनके अभिभावकों को अत्याधिक आर्थिक भार का सामना करना पड़ रहा है। निजी विद्यालयों की मनमानी निरन्तर बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस के बावजूद भी निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी फीस ली जाती है तथा हरेक विद्यालयों में फीस की दरें अलग-अलग है। राजस्थान बोर्ड व सी.बी.एस.सी. बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई किताबों के अलावा अन्य पब्लिशरों की किताबें विद्यार्थियों को मनमानी दरों पर विद्यालय परिसर में ही दुकान लगाकर उपलब्ध करवाई जाती है। इनमें स्कूल ड्रेस में भी मनमानी दर तय करके लूट की जा रही है तथा हर वर्ष स्कूल ड्रेस बदल दी जाती है। हाउस के नामों पर भी अलग-अलग ड्रेस उपलब्ध करवाकर मनमानी लूट की जाती है। निजी विद्यालयों द्वारा बच्चों को विद्यालय से ही उक्त सामान खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, जिसके कारण अभिभावकों को अत्याधिक आर्थिक भार उठाना पढ़ रहा है तथा दुकानदारों की आमदनी पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है।

बढ़ती मंहगाई व रोजमर्रा की जिन्दगी में एक गरीब व्यक्ति व किसान अपने परिवार का भरण-पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाता है फिर भी वह अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में विकसित करने के लिए यह आर्थिक बोझ उठाने को मजबूर है।

अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रदेश में कुछ विद्यालय ऐसे है जो राज्य सरकार द्वारा दी गई नि:शुल्क भूमि पर संस्था द्वारा तैयार किये गये निजी विद्यालयों मे भी अभिभावकों से इस प्रकार की लूट की जा रही है। अत:

सरकार द्वारा इस ओर ध्यान देकर अभिभावकों व बच्चों को राहत प्रदान की जाये।

धन्यवाद।

शुभकरण चौधरी
(उदयपुरवाटी)

जमवारामगढ़ में जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत करने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ निम्नांकित सड़के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है जिसके कारण क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की निम्नांकित सड़कों की मरम्मत शीघ्र करवाये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेश प्रदान करें ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सकें।

क्र.स.	सड़क का नाम	क्र.स.	सड़क का नाम
1.	नीमला से नाभावाला तक	11.	बिलोद से दंताला मीना तक
2.	थली से डांगरवाड़ा तक	12.	नेशनल हाइवे से मंहगी तक
3.	नक्ची घाटी से बूज तक	13.	लालवास से बाढ़ रसूलपूरा तक
4.	नायला मोड (हटवाड़ा) से नायला तक	14.	निम्बी रोड से सिद्धजी की बारी तक
5.	लालवास से ठाकुरो की ढाणी तक	15.	नानगी का बाढ़ इन्द्रगढ़ से भानपुर कलां तक
6.	बांसखों फाटक से धूला तक	16.	जे.डी.ए. कॉलोनी नारदपुरा से नारदपुरा तक
7.	चावण्डिया से जगमालपुरा तक	17.	जमवारामगढ़ रोड चेनपुरा से लांगडियावसा रोड तक वासा पालेड़ा

8.	बालदा मोड से नेवर पुलिया रोड तक	18.	मुण्डला से रामपुरा पापड़ रोड तक
9.	मानोता से बेनाडा तक वाया भावपुरा	19.	चावण्डिया से रामपुरा तक
10.	नक्ची घाटी बूज रोड से दौसा रोड तक	20.	थौलाई से बिरासना तक

जगदीश नारायण

(जमवारामगढ़)

कोटपूतली नगरपालिका में चल रही अव्यवस्था

महोदय,

मैं नियम 295 के तहत में मेरे क्षेत्र से संबंधित एक अत्यन्त ही गंम्भीर एवं लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि कोटपूतली नगरपालिका में आजकल भारी अव्यवस्था और लापरवाही का आलम पसरा हुआ है। पालिका कर्मचारियों की लापरवाही के चलते पूरे क्षेत्र में चारों ओर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियां जाम हो चुकी हैं। स्थिति इतनी दूभर है कि पूरे नगरपालिका क्षेत्र में कोई भी कार्य सुचारु रुप से नहीं हो रहा है। अधिकारी और कर्मचारी आपस में लड़ रहे है।

अभी हाल ही में नगरपालिका के लेखाकार द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष के साथ हाथापाई का प्रकरण भी सामने आया है जिसमें चेयरमैन को लेखाकार ने थप्पड़ तक मार दिया जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस थाना कोटपूतली में दी गई, जिस पर कार्यवाही होना लम्बित है। अधिकारियों और कर्मचारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण क्षेत्र में सफाई व्यवस्था निष्फल हो रही है, आवारा पशु बाजारों के बीच में घूम रहे हैं, जिससे आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई मर्तबा तो राहगीरों को भारी चोटें भी आई हैं। आम आदमी का जीवन खतरे में पड़ रहा है, साथ ही व्यापारी वर्ग में भी इस वजह से भारी आक्रोश है, क्योंकि दुकानों पर रखे सामान के नुकसान की भी सदैव आशंका बनी रहती है। सीवरेज लाइन स्वीकृति के बावजूद आज तक टेण्डर नहीं हुए, न कोई सुनवाई है।

नगरपालिका में आवेदनों का निस्तारण समय पर नही हो रहा है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नही हैं, अनेक पत्रावलियां काफी समय से पेण्डिंग पड़ी है। अतएव इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार और

स्वायत्त शासन मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि नगरपालिका कोटपूतली की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, एक उच्चाधिकारी वहां के मामलों की देखरेख के लिए नियुक्त किया जाए और अधिकारियों-कर्मचारियों में तालमेल बैठाने की व्यवस्था करते हुए नगरपालिका क्षेत्र मे सफाई और सीवरेज की सुचारु व्यवस्था करायी जाएं।

धन्यवाद, जय हिन्द।

राजेन्द्र सिंह यादव
(कोटपूतली)

राजकीय विद्‌यालयों में बुक बैंक की स्थापना

महोदय,

निवेदन है कि अमेरिका विश्व में सबसे धनी है, यहां के स्कूल साल के शुरुआत में बच्चों को किताबें इश्यू करते हैं और साल के अंत में उनसे जमा करा लेते हैं, ताकि दूसरे बच्चों को उन किताबों को पढ़ने का मौका मिले।

भारत एक गरीब देश हैं पर यहां हर साल पुरानी किताबों को रद्दी के भाव बेच दिया जाता है और नई किताबों को खरीदा जाता है। निजी विद्‌यालयों द्‌वारा अभिभावकों को मंहगे दामों की पुस्तकें/स्टेशनरी व ड्रेस आदि खरीदने को विवश किया जाता है... जिससे करोड़ों रुपये की बर्बादी लाखों पेड़ों की कटाई... फिर पर्यावरण को बचाने की सतरंगी मुहिम फिर करोड़ो रुपये की लूट... ये हमारे शिक्षा के मंदिर और उसे संचालित करने वाले एजेन्टों के माध्यम से हो रहा हैं...सत्ताएं तो बदलती रहती है पर व्यवस्था नहीं बदलती।

अभी हाल ही में सरकार द्‌वारा निजी विद्‌यालयों के लिए निर्देश जारी किये गये हैं कि वे विद्यार्थियों को पुस्तकें व ड्रेस स्कूल से खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, यह स्वागत योग्य कदम है।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि आगामी शैक्षणिक सत्र से राजस्थानके प्रत्येक राजकीय विद्‌यालयों में बुक बैंक की स्थापना की जाए जो विद्‌यार्थियों के अध्ययन के लिए पुस्तकें जारी करने का कार्य करें तथा विद्‌यार्थी के कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के पश्चात्‌ वे पुस्तकें विद्‌यालय में वापिस जमा कर ली जाएं तथा ये पुस्तकें पुन: नये विद्‌यार्थी को जारी कर दी जाए। ऐसी व्यवस्था राज्य के

प्रत्येक राजकीय विद्यालय में सुनिश्चित की जाए। इस व्यवस्था से एक तो अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नही पड़ेगा वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार को राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल के माध्यम से प्रति वर्ष छपाई जाने वाली पुस्तकों के लिए करोड़ों रुपये भी बचेंगे तथा पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

शोभारानी कुशवाह

(धौलपुर)

नव चयनित स्कूल व्याख्याताओं की नियुक्ति

महोदय,

निवेदन है कि राजस्थान ने व्याख्याताओं के 13098 पदों के लिये जुलाई 2016 में परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें विभिन्न 19 विषय थे, इनमें से 8 विषयों के व्याख्याताओं को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है लेकिन 11 विषयों के व्याख्याताओं को नियुक्तियां नही दी गई है जिससे ये लोग पिछले 6-7 महीनों से मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान चल रहे है। शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के सामने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना भी चल रहा है। इनके द्वारा किये जा रहे अनशन को राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय एवं संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा तुड़वाया गया और शीघ्र नियुक्ति का आश्वासन दिया गया। इस दिशा में कोई प्रगति नहीं होने पर दिनांक 21 फरवरी से 25 फरवरी, 2017 तक पुन: आमरण अनशन किया गया, जिसे माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय के शीघ्र नियुक्ति के आश्वासन पर तुड़वाया गया, इसके बावजूद आज दिनांक तक उन्हें नियुक्तियां नहीं दी गई है। बार-बार धरना प्रदर्शन करने की स्थिति बन रही है और इन व्याख्याताओं में रोष व्याप्त है। राज्य सरकार का शिक्षा के क्षेत्र मे रोजगार देने का वादा पूरा नहीं हो रहा है।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम-295 के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि इन व्याख्याताओं को शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाएं ताकि इन्हें रोजगार मिल सके और व्याख्याताओं की कमी भी पूरी हो सके।

धन्यवाद।

सोना देवी

(रायसिंहनगर)

सीकर जिले के किसानों की वर्तमान स्थिति

महोदय,

प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के स्थान पर वर्ष 2016-17 में खरीफ सीजन से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू की गई थी। उक्त योजना के समय बताया गया था कि फसल की कटाई के एक माह के भीतर गिरदावर सर्किल के बजाएं प्रत्येक राजस्व गांव को इकाई मानकर क्लेम का भुगतान किया जाएगा। उक्त योजना में सीकर जिले के लगभग तीन लाख किसानों ने बीमा करवाया। लगभग 15 करोड़ रुपये बीमा प्रीमीयम जमा करवाया था। उक्त योजना में सरकार की ओर से भी बीमा योजना प्रीमियम जमा करवाया गया। नियमानुसार फसल कटाई होने के दो माह में क्लेम किसानों को मिल जाना चाहिए था। आज दिन तक बीमा कंपनी ने किसानों के क्लेम का भुगतान नहीं किया है। किसान भुगतान कि लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

सीकर जिले में हर वर्ष की भांति इस बार भी प्याज की पैदावार अच्छी हुई है, लेकिन किसानों को प्याज के भाव नहीं मिलने के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। प्याज की लागत करीबन आठ से दस रुपये प्रति किलो आती है, जबकि प्याज के भाव किसानों को 3 से 5 रुपये के बीच मिल रहे है ऐसे में किसान को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। सरकारी स्तर पर प्याज को समर्थन मूल्य पर खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में किसान आर्थिक संकट से जूझकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है।

प्रदेश मे इस बार सरसों की पैदावार अच्छी हुई है। कृषि मंत्रीजी ने 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद की घोषणा की थी। अप्रैल के लगभग 25 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक सरसों की खरीद चालू नहीं की गई है। ऐसे में किसान को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

अत: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि किसानों की ओर ध्यान देकर फसल बीमा का क्लेम जल्द दिलवाएं तथा प्याज व सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद जल्द से जल्द शुरू करवाई जाएं।

नन्दकिशोर महरिया

(फतेहपुर)

कोलायत में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत अनियमितताएं

महोदय,

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना व दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत वर्ष 2014-15 में स्वीकृत विद्युतीकरण के कार्य का ठेका ऑफश्योर इन्फ्रांस्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी मुबंई को दिया गया। उक्त कंपनी द्वारा कोलायत तहसील मे पहले अपने स्तर पर सर्वे कराया गया तथा गत तीन-चार माह से तहसील के गांवों की ढाणियों मे विद्युतीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। इस कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा कार्य निष्पादन मे राज्य सरकार के नियमों की गंभीर अवहेलना की जा रही है और इस ठेकेदार कंपनी के द्वारा कोलायत के ग्रमीण क्षेत्रों की ढाणियों के विद्युतीकरण में मनमर्जी की जा रही है जिससे जरूरतमंद व स्थायी रूप से ढाणियों में रहने वाले लोगों को विद्युतीकरण से वंचित रखा जा रहा है। उक्त ठेकेदार फर्म के लोगों द्वारा ढाणियों को विद्युतीकरण करने हेतु सर्वे मे नाम होने तथा पात्रता रखने के बावजूद लोगों की ढाणियों को नही जोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पात्रता नहीं रखने वाले लोगों को भी विद्युत सुविधा कंपनी के द्वारा दी जा रही है। वहीं कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों से रिश्वत लेकर भी बिजली ढाणियों तक पहुंचाने की शिकायतें भी लगातार आ रही है। मैंसर्स ऑफश्योर इंफ्रास्ट्रक्चर की अनियमितताओं की शिकायतें जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. तथा "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" के जिला स्तर के अधिकारियों को कोलायत की ग्रामीण जनता व मेरे द्वारा अवगत कराये जाने के बावजूद कंपनी की कार्यशैली व अनियमितताओं पर नियंत्रण नहीं लगाया जा रहा है। जिससे फर्म संचालकों व विद्युत विभाग के इस योजना का नियंत्रण करने वाले अधिकारियों की सांठगांठ और मिलीभगत स्पष्ट होती है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री से निवेदन करता हूं कि कोलायत तहसील में कार्यरत उक्त फर्म व इस योजना में कार्यरत विभाग के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भेदभावपूर्ण

कार्य पर रोक लगाई जाएं तथा वर्तमान में ग्राम पंचायतों में चल रहे विद्युतीकरण के कार्यों में विद्युतीकरण से वंचित रही ढाणियों को तत्काल विद्युतीकृत किया जाए तथा आगामी कार्यों में कंपनी के द्वारा की जा रही मनमानी व भ्रष्टाचार तथा भेदभावपूर्ण रवैये पर तत्काल नियंत्रण किया जाए तथा कार्य प्रारंभ करने से आज तक किए गए कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए।

भंवरसिंह
(कोलायत)

सूरसागर में खेल सुविधाओं का विकास

महोदय,

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के युवाओं को नशे आदि नकारात्मक प्रवृत्तियों से विमुख करने, युवाओं के भीतर रचनात्मक गतिविधियों के विकास एवं नवयुवाओं की सम्पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेल सुविधाओं का विकास अतिआवश्यक है। अत: मेरा निवेदन है कि:-

1. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय महाविद्यालय जोधपुर, राउमावि सिवांची गेट, राउमावि प्रताप नगर, राउमावि कालीबेरी, राउमावि सूरसागर, रामावि विद्याशाला, रामावि सोढ़ो की ढाणी, राबाउमावि कालीबेरी आदि सरकारी विद्यालयों में खेल विभाग के खेल प्रशिक्षकों की कार्य व्यवस्था कर नियमित खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था आरंभ की जाए आदेश की पालना नहीं करने वाले खेल प्रशिक्षकों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
2. राउमावि कालीबेरी और राबाउमावि कालीबेरी के संयुक्त खेल मैदान में शाला क्रीड़ा संगम की तर्ज पर खेल प्रशिक्षण गतिविधियां आरंभ की जाएं। इससे जोधपुर शहर सहित संलग्न ग्रामीण क्षेत्र तक लाभ पहुंचेगा।
3. चांदपोल के बाहर स्थित गोर मैदान को नियमित खेल प्रशिक्षण का केन्द्र बनाया जाए। इसे राजकीय उम्मेद स्टेडियम की फुटबॉल अकादमी के उपकेन्द्र के रूप में विकसित किया जाए।

4. सम्राट अशोक उद्यान में जिम्नास्टिक कोचिंग का उपकेन्द्र आरंभ करने हेतु प्रशिक्षक उपलब्ध कराया जाए और यहां के तरणताल के कार्य को पूर्ण करने के लिए सरकार के उच्च स्तर और स्थानीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मिशनमॉड में प्रयास किये जाए ताकि जोधपुरवासियों को अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैराकी और गोताखोरी का अभ्यास केन्द्र उपलब्ध हो सके।

सादर।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास
(सूरसागर)

बानसूर के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

महोदय,

निवेदन है कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र में विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पदों को तुरन्त भरना चाहिए। पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियां अधिक पढ़ती हैं। अत: ग्रामीण क्षेत्र के सैकण्डरी विद्यालय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की संख्या 300-400 तक है। अत: ग्रमीण जन सहयोग से विषय अध्यापक लगाकर समय गुजार रहे हैं।

अत: अब तो स्कूलों का एकीकरण भी कर दिया गया है। शिक्षा की पहली सिढ़ी को तो समाप्त कर दिया, उससे भी छात्राओं को ही परेशानी आ रही है। बोर्ड का सेन्टर भी दूर-दूर आ रहा है। अत: ग्रामीण क्षेत्र में सभी विद्यालयों में विषय अध्यापक जल्दी से जल्दी लगवाने की कृपा करें।

जहां पर एक किलोमीटर से व 5-10 किमी तक दूसरा विद्यालय है तो प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सैकण्डरी, सैकण्डरी विद्यालयों को उच्च माध्यमिक करवाने की कृपा करें।

अनेक पंचायत स्तर पर भी उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है। शाहपुर, खेड़ा, देवसन, माजरा, अहीर सबलपुरा, बहराम का बास, बबेरा, रसनाली अनेक पंचायतें ऐसी हैं, जिनमे उच्च माध्यमिक विद्यालय नही है। एवं लादूवास, उचपुर, माजरा, डाकोडा, आलनपुर, नांगलहेडी, नाथूसर ऐसे अनेक

विद्यालय है, जहां पर लड़कियों की संख्या 50 से ज्यादा है एवं बोर्ड परीक्षा केन्द्र भी नजदीक देना चाहिए। ऐसे विद्यालयों का सर्वे करवाकर उन विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

शकुन्तला रावत
(बानसूर)

मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र आउट होना

महोदय,

अलवर जिले में स्थित मत्सय विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 19.04.2017 को बी.ए. द्वितीय वर्ष भूगोल की परीक्षा सांय 3.00 बजे से 6.00 बजे आयोजित करवाई गई। उक्त विषय का प्रश्न-पत्र उसी दिन दोपहर 12.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही तथा स्थानीय शिक्षा माफिया द्वारा आउट कर दिया गया तथा प्रिन्टेड प्रश्न-पत्र अपने चहेते छात्रों तथा महाविद्यालयों तक पहुंचा दिया। कुछ जागरुक व्यक्तियों द्वारा उक्त आउट प्रश्न-पत्र समाचार-पत्रों के स्थानीय पत्रकारों को उपलब्ध करा दिया गया। पत्रकारों द्वारा प्रश्न-पत्र आउट होने की पुष्टि हेतु उक्त प्रश्न-पत्र परीक्षा शुरू होने के लगभग दो घंटे पूर्व ही विश्वविद्यालय के परीक्षा-नियंत्रक तथा कला महाविद्यालय अलवर के प्राचार्य को क्रमश: दोपहर 1.10 बजे तथा 1.30 बजे उनके हाथों में थमाते हुये उनसे पावती रसीद मय दिनांक तथा समय अंकित कराते हुये प्राप्त कर ली गई। जैसे ही परीक्षा सांय 3.00 बजे प्रारम्भ हुई, उक्त प्रश्न-पत्र का मूल प्रश्न-पत्र के साथ मिलान किया गया तो पाया गया। कि आउट हुआ प्रश्न-पत्र मूल वास्तविक प्रश्न-पत्र की ही प्रति थी। इस प्रकरण से छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों में भारी आक्रोश है।

अत: मै सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की एस.ओ.जी द्वारा जांच की जाए।

धन्यवाद।

रामहेत सिंह यादव
(किशनगढ़ बास)